



INDIA'S PORT OF THE MILLENNIUM



SAGARMALA
PORT-LED PROSPERITY

KAMARAJAR PORT LIMITED

(A Company of Chennai Port Authority)

(Ministry of Ports, Shipping and Waterways - Government of India)

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

(चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण कंपनी)

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय - भारत सरकार)

CIN : U45203TN1999PLC043322





Inauguration of Newly Constructed CISF Barracks with Allied Facilities for CISF Unit by the Hon'ble Minister of Ports, Shipping and Waterways



Observance of International Yoga Day at Kamarajar Port



KAMARAJAR PORT LIMITED

(A Company of Chennai Port Authority)

(Ministry of Ports, Shipping and Waterways - Government of India)

(CIN : U45203TN1999PLC043322)

TWENTY THIRD ANNUAL REPORT 2022 - 23



Kamarajar Port Limited

(A Company of Chennai Port Authority)

(Ministry of Ports, Shipping and Waterways - Government of India)

Board of Directors

Shri Sunil Paliwal, Chairman (was also MD upto 20.08.2023)	DIN 01310101
Smt. J.P. Irene Cynthia, Managing Director (w.e.f. 21.08.2023)	08839241
Shri S. Viswanathan, Nominee Director- ChPA (w.e.f. 27.04.2023)	09634577
Shri S. Balaji Arunkumar, Nominee Director- ChPA (upto 26.04.2023)	07526368
Shri V.M.V. Subba Rao, Independent Director	02435597
Capt. Anoop Kumar Sharma, Independent Director	03531392
Smt. Sarla Balagopal, Independent Director	01572718

Key Officials

General Manager (CS & BD)

Shri Sanjay Kumar (upto 31.7.2023)
Shri Yatin Kishorbhai Patel (w.e.f. 7.8.2023)

General Manager (Finance)

Shri M. Gunasekaran (upto 28.2.2023)
Smt. Kavita Satvi (w.e.f. 1.8.2023)

Chief Financial Officer

Shri M. Gunasekaran (upto 28.2.2023)
Shri C.S. Vemanna (from 1.3.2023 to 13.8.2023)
Smt. Kavita Satvi (w.e.f. 14.8.2023)

General Manager (MS)

Shri G.M. Balan (w.e.f. 20.10.2022)

Deputy General Manager (Civil)

Shri P. Radhakrishnan (upto 31.8.2023)
Shri A. Karuppiyah (w.e.f. 1.9.2023)

Deputy General Manager (Finance)

Shri C.S. Vemanna (w.e.f. 1.6.2023)

Deputy General Manager (MS)

Shri C. Uma Shankar (w.e.f. 1.6.2023)

Company Secretary

Smt. Jayalakshmi Srinivasan

Compliance Officer

Shri M. Gunasekaran (upto 28.2.2023)
Smt. Jayalakshmi Srinivasan (w.e.f. 1.3.2023)

Registered Office

2nd Floor (North Wing) & 3rd Floor
Jawahar Building,
17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.
Ph: 044 - 25251666-70 / Fax : 044 - 25251665

Registrar & Share Transfer Agent

Link Intime India Private Limited,
C-101, 247 Park, L.B.S Marg,
Vikhroli (West), Mumbai - 400 083.
Ph : 022 - 49186000 / Fax : 022 - 49186060

Depositories

National Securities Depository Limited
Central Depositories Services (India) Limited

Statutory Auditors

M/s. B. Thiagarajan & Co.
Chartered Accountants

Internal Auditors

M/s. Joseph & Rajaram,
Chartered Accountants

Secretarial Auditors

M/s. S. Dhanapal & Associates
Company Secretaries

Bankers

State Bank of India
Axis Bank
HDFC Bank



VISION

“ To develop Kamarajar Port as a mega port with world class facilities to become the Eastern gateway Port of India ”

MISSION

“ To Provide Port Services of International Standards ”





Kamarajar Port Limited

(A Company of Chennai Port Authority)
(Ministry of Ports, Shipping and Waterways - Government of India)

BOARD OF DIRECTORS (As on 22.9.2023)



SHRI SUNIL PALIWAL, I.A.S.
CHAIRMAN
DIN : 01310101



SMT J.P. IRENE CYNTHIA, I.A.S.
MANAGING DIRECTOR
DIN : 08839241



SHRI S. VISWANATHAN, I.A.S.
NOMINEE DIRECTOR
DIN : 09634577




SHRI V.M.V. SUBBA RAO FCA, DISA (ICAI)
INDEPENDENT DIRECTOR
DIN : 02435597




CAPT. ANOOP KUMAR SHARMA
INDEPENDENT DIRECTOR
DIN : 03531392



SMT. SARLA BALAGOPAL, I.R.T.S. (Retd)
INDEPENDENT DIRECTOR
DIN : 01572718



Operating Income & PBT during the last 5 years



Cargoes handled during the last 5 years



Kamarajar Port Limited

Annual Report 2022 - 23

INDEX

Sl.No.	Contents	Page No.
1.	Chairman's Message	8
2.	Notice	10
3.	Board's Report	21
4.	Annual Report on CSR Activities	41
5.	Secretarial Audit Report	46
6.	Report on Corporate Governance	51
7.	Comments of Comptroller & Auditor General	56
8.	Independent Auditors' Report	58
9.	Statement of Assets and Liabilities	70
10.	Statement of Profit and Loss	71
11.	Cash Flow Statement	72
12.	Notes to the Financial Statements	74

Chairman's Message

**Dear Shareholders,**

It gives me immense pleasure to inform you that your Company has crossed Rs.1,000 Crore total income mark for the 1st time which is an increase of 18.61% in total income over previous year mainly due to increase in cargo throughput. Cargo handled during 2022-23 at 43.51 Million Tons was 12.31% higher than 38.74 Million Tons handled during 2021-22. This is an apt tribute of KPL to our great nation which is celebrating 'Azadi ka Amrit Mahotsav' on completion of 75 years of independence.

Physical Performance & Highlights

I am pleased to inform that your Company was ranked 4th for overall performance during financial year 2022-23. The average total turnaround time (from Pilot Boarding to De-boarding) has improved by 2.11% in the year 2022-23 vis a vis 2021-22. Further, the average output per Ship Berthday has improved by 7.34% over the previous year and the average number of moves per Crane hour has improved by 3.13% over the previous year.

Long term agreements have been signed with various Companies like M/s.Maruti Suzuki India Ltd, M/s.Caterpillar India Pvt Ltd, M/s.PCA Automobiles India Pvt. Ltd etc. which will go a long way in ensuring steady flow of traffic.

Bahri Line has also commenced a new RoRo service namely FE service (Far East Europe) from your Company Port which provides great opportunity for exporters to get direct RoRo service from KPL to Saudi Arabia and major European countries and for importers to get direct RoRo service from China to KPL.

Some of the other important milestones achieved during the year are:

- Container traffic handled was 14.55% higher at 5,50,151 TEUs as against 4,80,257 TEUs handled during previous year.
- No. of Automobiles handled was 9.29% higher at 1,48,307 units as against 1,35,705 units handled during previous year.
- Renault Nissan Alliance has exported over 1.17 million Cars to around 108 global destinations from your Port since 2010.
- PCA Automobiles India Pvt Ltd commenced their export of new variant Citroen C3 to global destinations on 30.03.2023.
- M/s.Maruti Suzuki India Ltd has signed agreement with KPL for export of Automobiles to Africa, Middle East, Latin America, ASEAN, Oceania & SAARC

regions for a period of 5 years, starting from 1st December 2022. The exports commenced on 27.12.2022.

- Largest Limestone vessel M.V. JSW Salem having a parcel size of 1,24,610 MT from UAE was handled at Multi Cargo Terminal during July 2022. The DWT of the vessel is 1,76,217 MT which is the highest DWT and parcel size handled at this Terminal.
- Your Company handled the highest parcel size of 6,247 TEUs in the vessel M.V. Maersk Senang which berthed at Container Terminal on 06.12.2022.

Financial Performance

During the year under review, your Company registered an increase of Rs.150.10 Crore (18.03% increase over the previous year) in operating income. Consequently, your Company has reported a higher Profit Before Exceptional Items and Tax of Rs.724.27 Crore (increase of 34.48%) compared to Rs.538.59 Crore of previous year.

Dividend

For the Financial Year 2022-23, your Company has paid Interim Dividend @ 20% of paid up equity share capital (which is equivalent to Rs.2/- per share) amounting to Rs.60 Crore.

Board of Directors have recommended a final Dividend @ 80% on paid up equity share capital which is equivalent to Rs.8/- per share amounting to Rs.240 Crore which will be paid, subject to your approval at this Annual General Meeting. With this the total dividend for the financial year 2022-23, (including the proposed final dividend) will amount to 100% dividend on paid up equity share capital consistent with 100% dividend paid in the previous financial year 2021-22.

Accomplishments and Awards

It is a matter of great pride to inform that your Company was awarded 'Samudri Paryavaran Sanrakshan Trophy 2022' for its Excellence during the 24th National Oil Spill Disaster Contingency Plan & Preparedness meeting. Further, in the "Sagar Shreshtha Sammaan" Award ceremony, your Company received award for best performance for pre-berthing detention during the year 2022-23 and for achieving highest incremental

improvement for pre-berthing detention during the year 2022-23.

Corporate Governance

As a good corporate citizen, your Company considers good Corporate Governance a pre-requisite for meeting the needs and aspirations of its stakeholders. Towards this end, your Company maintains transparency in its dealings through robust policies, practices, effective processes and systems with clear accountability, integrity and the highest standards of governance. Hence, the Report on Corporate Governance is being voluntarily provided.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Your Company's zeal to undertake CSR projects in line with the well-laid out CSR policy and requirements of the Companies Act, 2013, can be seen from the fact that Board of Directors of your Company have approved CSR initiatives to the value of Rs.9.85 Crore which is Rs.1.30 Crore higher than the CSR Obligation of Rs.8.55 Crore. Your Company has spent Rs.5.96 Crore in financial year 2022-23 towards various activities. Rs.3.78 Crore and Rs.68 lakhs were contributed to DRDA Tiruvallur and Greater Chennai Corporation respectively for construction of school buildings.

Acknowledgement

On behalf of the Board of Directors, I would like to place on record our gratitude for the support and guidance received from Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, Chennai Port Authority and appreciate the co-operation received from TANGEDCO/TNEB, TNPCB, TNRDC, Government of India, Government of Tamilnadu, Indian Port Association, Ministry of Finance and Indian Railways/ Southern Railways. I gratefully acknowledge the continued support and cooperation received from the Comptroller & Auditor General of India, Statutory Auditors, Internal Auditors, Secretarial Auditor, the Port Users, BOT Concessionaires, Contractors and Bankers. Last but not least, I wish to place on record the appreciation for the continued excellent work done by all the employees of the Company.

Regards,

Sd/-

**Sunil Paliwal, I.A.S.,
Chairman**

KAMARAJAR PORT LIMITED**(A wholly owned subsidiary of Chennai Port Authority)****CIN: U45203TN1999PLC043322**Regd. Office: 2nd Floor (North wing) & 3rd Floor, Jawahar Building,
17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.

Phone: 044 - 25251666 - 70 Fax No: 044 - 25251665.

Website: www.kamarajarport.in, Email: jayasrin@kplmail.in**NOTICE**

NOTICE is hereby given that the 23rd Annual General Meeting of Members of Kamarajar Port Limited will be held at shorter notice on Friday, 29th day of September 2023 at 3.00 P.M. (IST) through two way Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the audited Balance Sheet as at 31st March 2023, the Statement of Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2023 and the reports of the Board of Directors, the Auditors' Report and Comments of Comptroller and Auditor General of India under Section 143 (6) of the Companies Act, 2013.
2. To confirm the Interim Dividend paid @ 20% of the paid-up equity share capital (Rs.2/- per share) for the financial year 2022-23 & to approve declaration of the Final Dividend @ 80% on paid-up equity share capital (Rs.8/- per share).
3. To appoint a Director in place of Shri Sunil Paliwal, I.A.S. (DIN:01310101), who retires by rotation and being eligible offers himself for re-appointment.
4. To pass with or without modification, the following resolution as an Ordinary Resolution for payment of remuneration to Statutory Auditors:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 142(1) of the Companies Act, 2013, approval be and is hereby given to the Board of Directors for fixing the remuneration of the Statutory Auditors of the Company, to be appointed by Comptroller and Auditor General of India for the financial year 2023-24."

SPECIAL BUSINESS

5. Appointment of Shri S. Viswanathan, I.A.S. (DIN: 09634577) as a Nominee Director of the Company:

To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Articles of Association of the Company, Sections 152,161 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("Act") read with the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, and other applicable rules, if any (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), and in terms of Chennai Port Authority's letter No. ChPA/KPL Cell/2023/F dated 25th April, 2023, Shri S. Viswanathan, I.A.S. (DIN:09634577), Nominee of Chennai Port Authority, who has been inducted in the Board of Kamarajar Port Limited w.e.f. 27.04.2023, who holds office up to the date of this Annual General Meeting and the details regarding whose appointment is given in Statement pursuant to Section 102 of the Act annexed to the Notice of this Annual General Meeting, and in respect of whom Notice has been received from member under Section 160 of the Act, be and is hereby appointed as Director of the Company, liable to retire by rotation."

6. Appointment of Smt. J.P. Irene Cynthia, I.A.S. (DIN: 08839241) as Managing Director of the Company:

To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to provisions of

Articles of Association of the Company, Sections 152, 196, 197 and 203 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 and other applicable rules, if any, (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), Smt. J.P. Irene Cynthia, I.A.S. (DIN: 08839241) in respect of whom Notice has been received from member under Section 160 of the Act, be and is hereby appointed as Managing Director of the Company for a period of 5 years w.e.f. 21.08.2023 on the terms and conditions as set out in the explanatory statement attached hereto and forming part of this Notice with a liberty to the Board of Directors (hereinafter referred to as "the Board" which term shall be deemed to include the Nomination and Remuneration Committee of the Board) to alter and vary the terms and conditions of appointment and/or remuneration, subject to the Companies Act, 2013 or any statutory modification(s) or re-enactment thereof and shall not be liable to retire by rotation."

7. Re-appointment of Capt. Anoop Kumar Sharma (DIN:03531392) as Independent Director of the Company

To consider and if thought fit, to pass with or without modification/s the following resolution as Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of sections 149, 152, read with Schedule IV and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, and other applicable rules, if any, (including any statutory modifications or re-

enactment(s) thereof, for the time being in force), and in terms of Chennai Port Authority's Letter No. ChPA/KPL Cell/2023/F dated 8th September, 2023, Capt. Anoop Kumar Sharma (DIN:03531392), who was appointed as an Independent Director and who holds office upto 9th November, 2023 and in respect of whom Notice has been received from member under Section 160 of the Act, be and is hereby re-appointed as an Independent Director of the Company, not liable to retire by rotation and to hold office for a second term of three consecutive years w.e.f. 10th November, 2023."

8. Re-appointment of Smt. Sarla Balagopal (DIN: 01572718) as Independent Director of the Company

To consider and if thought fit, to pass with or without modification/s the following resolution as Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of sections 149, 152, read with Schedule IV of the Act and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, and other applicable rules, if any, (including any statutory modifications or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), in terms of Chennai Port Authority's Letter No. ChPA/KPL Cell/2023/F dated 8th September, 2023, Smt. Sarla Balagopal (DIN: 01572718) who was appointed as an Independent Director and who holds office upto 9th November, 2023, and in respect of whom Notice has been received from member under Section 160 of the Act, be and is hereby re-appointed as an Independent Director of the Company, not liable to retire by rotation and to hold office for a second term of three consecutive years w.e.f. 10th November, 2023."

By the Order of the Board of Directors

Sd/-

Jayalakshmi Srinivasan
Company Secretary

Place : Chennai
Date : 22.09.2023

NOTES:

- a) Pursuant to General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/DDHS/DDHS-RACPOD1/P/CIR/2023/001 dated January 5, 2023, the Securities and Exchange Board of India ("SEBI")(hereinafter collectively referred to as "the Circulars"), Companies are allowed to hold Annual General Meeting (AGM) through VC/OAVM without the physical presence of the Members at a common venue till September 30, 2023. In compliance with the Circulars, the AGM of the Company is being held through VC and the Annual Report 2022-23, the Notice of 23rd AGM are being sent through electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company /Depository Participants. Members may note that the Notice will be available on the Company's website www.kamarajarpport.in.
- b) Pursuant to the provisions of the Act, a Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a Member of the Company. However, as this AGM is being held through VC/OAVM, and physical attendance of Members has been dispensed with, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the AGM and therefore the Proxy Form, Route Map and Attendance Slip is not annexed to this Notice. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. Members participating through VC or OAVM may cast their votes on the resolutions during the meeting by show of hands or by sending emails only through their email addresses registered with the Company in case of a Poll. The said emails shall only be sent to the designated email address circulated by the Company. The deemed venue for the AGM shall be the Registered Office of the Company.
- c) The relevant explanatory statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013 setting out the details relating to Special Business to be transacted at the meeting is annexed hereto.
- d) Corporate members intending to authorize their representatives to participate and vote at the meeting are requested to send a certified copy of the Board resolution/such other documents authorizing their representative to attend the AGM through VC/OAVM on its behalf and to vote.
- e) The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.
- f) Statutory registers as stipulated in the Companies Act, 2013 will be available electronically/ kept open for inspection during the AGM. Members seeking to inspect such documents can send an email to agm-shareholders@kplmail.in.
- g) Members are requested to notify immediately any change of address to their respective Depository Participant.
- h) Brief resume of the Directors retiring by rotation/seeking appointment/ re-appointment at this Annual General Meeting is attached hereto and forms part of the Notice.

Instructions for attending the AGM through VC:

1. Web-link and log-in credentials for attending AGM through VC/OAVM will be provided in the e-mail forwarding the Notice and Annual Report.
2. Members can join Video Conference either through Mobile/Laptop/Desktop.

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013**Item No. 5**

Chennai Port Authority (ChPA), who is holding 100% equity shares of the Company, vide its letter No. ChPA/KPL Cell/2023/F dated 25th April, 2023 referring to MoSP&W's Office Order No.17/2023 vide A-12022/2023-PE-I dated 11th April, 2023, has nominated Shri S. Viswanathan, I.A.S,

(DIN: 09634577), Dy. Chairperson, ChPA in the Board of Kamarajar Port Limited in place of Shri S. Balaji Arunkumar, I.R.T.S. (DIN No. 07526368), who relinquished office as a Deputy Chairperson of ChPA.

Based on recommendation of Nomination and Remuneration Committee, Shri S. Viswanathan, I.A.S. was appointed as Additional Director of the Company

in the place of Shri S. Balaji Arunkumar, IRTS, by the Board w.e.f. 27th April, 2023 through Circular Resolution. In terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, he shall hold office only up to the date of this Annual General Meeting. The Company has received notice under Section 160 of the Companies Act, 2013 from a member proposing the appointment of Shri S. Viswanathan, I.A.S. for the office of Nominee Director.

Except Shri S. Viswanathan, I.A.S., Nominee Director, ChPA and his wife Smt. J.P. Irene Cynthia, I.A.S., Managing Director, none of the other

Directors or Key Managerial Personnel or their relatives is, in anyway, concerned or interested in the said resolution. He is liable to retire by rotation and not disqualified from being appointed as Director in terms of Section 164 of the Companies Act, 2013.

Pursuant to the Companies Act, 2013, approval of the members is to be obtained.

Considering his background and experience it will be in the interest of the Company that he continues as Director of the Company. Board of Directors recommends the resolution as Ordinary Resolution for Members approval.

Brief Resume of Shri S. Viswanathan is as under:-

Particulars	Details	
Date of Birth and Age	07/11/1979 and 43 years	
Date of First appointment on the Board	27/04/2023	
Educational & Professional Qualification	BE (Mech), MBA,	
Experience	<p>Shri S. Viswanathan, is the Deputy Chairperson of Chennai Port Authority, under Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Govt of India, since April 2023.</p> <p>He has previously served as Managing Director, MP Tourism Development Corporation from 04/08/2020 to 05/04/2023. He also held additional charge as Additional Secretary, Government of Madhya Pradesh, Medical Education Department and CEO- Ayushman Bharat Yojana, Bhopal. His last place of posting was Managing Director, Madhya Pradesh Jal Nigam Maryadit.</p> <p>His wide experience in various districts as Collector ranged between 2015 and 2020 in two states namely Assam and Madhya Pradesh.</p> <p>He started his career as Assistant Commissioner of Jorhat district in Assam in the year 2009.</p>	
Securities held in KPL	1 Equity Share of Rs.10/- as a Nominee of Chennai Port Authority	
Relationship with other Directors/ KMP of KPL	Shri S. Viswanathan, I.A.S., Nominee Director is the husband of Smt. J.P. Irene Cynthia, I.A.S., Managing Director, Kamarajar Port Limited.	
Directorship/ Membership in other Companies	Name of the Company	Nature of interest/ concern
	Chennai Ennore Port Road Company Limited	Nominee Director
	Kanniyakumari Port Limited	Nominee Director
Chairmanship/Membership of various committees in other companies	Nil	
Terms and conditions of appointment	Nominee Director liable to retire by rotation. No sitting fees is payable.	
Remuneration last drawn	Not applicable	
Number of Meetings of the Board attended during the year	Not applicable as he was appointed w.e.f. 27 th April, 2023.	

Item No.6

Board of Directors on the recommendation of Nomination and Remuneration Committee at its meeting held on 24th July, 2023 appointed Smt. J.P. Irene Cynthia, I.A.S. (DIN:08839241) as Additional Director of the Company to be designated as Managing Director of Kamarajar Port Limited for a period of 5 years from the date of assumption of charge on the terms and conditions of deputation as will be fixed by Board of Chennai Port Authority (ChPA) who is holding 100% equity shares of the Company. Smt. J.P. Irene Cynthia assumed charge as Managing Director on 21st August, 2023. Subsequently, ChPA, vide Letter No. RC1/920/2022/GA dated 11.09.2023, has communicated the terms and conditions of appointment of Smt. J.P. Irene Cynthia, I.A.S. to the post of Managing Director of Kamarajar Port Limited as detailed below:

Terms and Conditions on deputation of the appointment are as under:

1. **Period of Deputation:** Smt. Irene Cynthia J.P., I.A.S. (MP: 2008) will be on deputation from 21.08.2023 to 20.08.2028 or until further orders, whichever is earlier.
2. **Pay:** During the period, Smt. Irene Cynthia J.P., I.A.S. (MP: 2008) will draw the pay at level 13 (Rs.1,23,100-Rs.2,15,900/-) of the Pay Matrix plus Deputation (duty) Allowance thereon plus personal pay, if any.
3. **Deputation Allowance:** Smt. Irene Cynthia J.P., I.A.S. (MP: 2008) while on deputation will be eligible to draw Deputation Allowance wherever admissible.
4. **Dearness Allowance:** Smt. Irene Cynthia J.P., I.A.S. (MP: 2008) will be eligible to draw Dearness Allowance at the Central Government rates.
5. **House Rent Allowance/ Transport Allowance:** Smt. Irene Cynthia J.P., I.A.S. (MP: 2008) will be paid House Rent Allowance/ Transport Allowance at the rates applicable to her in the cadre post under relevant rules.
6. **Transfer TA/ Joining Time:** Smt. Irene Cynthia J.P., I.A.S. (MP: 2008) will be entitled to T.A. and Joining Time both on joining the post on deputation and on reversion under the rules of Kamarajar Port Limited and which shall not be inferior to the relevant provisions of AIS Rules. The expenditure on this account will be borne by the Kamarajar Port Limited.
7. **TA/DA for Journey On Duty:** Smt. Irene Cynthia J.P., I.A.S. (MP: 2008) will be paid Travelling Allowance and Daily Allowance by the Kamarajar Port Limited under its own rules/ regulations for the journey undertaken by her in connection with the official work under Kamarajar Port Limited whether in India or abroad which shall not be inferior to the relevant provisions of the All India Services Rules.
8. **Medical Facilities:** Kamarajar Port Limited shall afford to Smt. Irene Cynthia J.P., I.A.S. (MP: 2008) medical facilities not inferior to those which are admissible to an All India Service Officer of the same status under Central Government rules on the subject.
9. **Leave and Pension:** During the period of deputation, Smt. Irene Cynthia J.P., I.A.S. (MP: 2008) will continue to be governed by All India Service (Leave) Rules, 1955 and the All India Services Officer (DCRB) Rules, 1958. The entire expenditure in respect of leave taken during and at the end of deputation shall be borne by the Kamarajar Port Limited. Smt. Irene Cynthia J.P., I.A.S. (MP: 2008) shall not be allowed to join any of the pension schemes of Kamarajar Port Limited.
10. **Provident Fund:** Smt. Irene Cynthia J.P., I.A.S. (MP: 2008) will continue to subscribe to the AIS (Provident Fund) Scheme to which she was subscribing at the time of proceeding on foreign service in accordance with the rules of such fund.
11. **Conduct, Discipline and Appeal Rules:** Smt. Irene Cynthia J.P., I.A.S. (MP: 2008) will continue to be governed by the All India Services (Conduct) Rules, 1968 and All India Services (Discipline & Appeal) Rules, 1969.
12. **Leave Travel Concession:** Kamarajar Port Limited will allow Leave Travel Concession to Smt. Irene Cynthia J.P., I.A.S. (MP: 2008) as

admissible under its own rules/ regulations provided these are not inferior to those admissible to her under the AIS (LTC) Rules, 1975. The whole expenditure in this regard will be met by Kamarajar Port Limited. This is, however, subject to the conditions that the officer had not already, before proceeding on deputation, availed of the concession during the particular block year period of her deputation.

- 13. Disability Leave:** Kamarajar Port Limited will be liable to pay leave emoluments in respect of disability leave, if any, granted to Smt. Irene Cynthia J.P., I.A.S. (MP: 2008) on account of any disability incurred in and through Foreign Service even though such disability manifests itself after the termination of foreign service. The relevant AIS rules will be applicable in such cases.

- 14. Leave Salary/ Pension Contributions:** Kamarajar Port Limited will pay to the Government of the parent cadre of the member of the service leave salary and pension contribution at the rates in force from time to time in accordance with the orders issued by the President under FR 116. The Payment of these contributions must be paid annually within 15 days from the end of each financial year or at the end of foreign service if any deputation expires before the end of a financial year. Delayed payment will attract liability of payment of interest in terms of the instructions continued the Ministry of Finance's Notification No. F.I(I)- E.III/83 dated the 10th August, 1983, as amended from time to time. Pending intimation of the rates of Leave Salary and Pension Contributions by the concerned Accountant General, Kamarajar Port Limited shall pay Leave Salary and Pension Contributions provisionally at the prescribed rates.

In case Smt. Irene Cynthia J.P., I.A.S. (MP: 2008) is covered under New Pension Scheme (NPS), Kamarajar Port Limited shall make matching contribution to the NPS account of the officer.

- 15. Group Insurance:** If Smt. Irene Cynthia J.P., I.A.S. (MP: 2008) has not opted out of the Central Government Employees Group

Insurance Scheme, 1980, before 31.12.1981, the said scheme as appended to the Schedule to the AIS (Group Insurance) Rules, 1981, shall be applicable to her. In that case, the required amount will be deducted from her salary as per prescribed rates as subscription towards the Insurance Scheme which shall be remitted to the concerned Accountant General by the organization. If at any time the recovery of subscription falls in arrears, the same shall be recovered with interest admissible under the Scheme on the accretions to the Savings Fund.

- 16. Residuary Matters:** In all the matters relating to conditions of service and benefits/facilities and perquisites in the Kamarajar Port Limited and not covered by Item 1 to 15 above, Smt. Irene Cynthia J.P., I.A.S. (MP: 2008) shall be governed by the existing rules, regulations and orders of the Kamarajar Port Limited.

Board accorded approval for payment of aforesaid terms and conditions of appointment of Managing Director pursuant to recommendation of Nomination and Remuneration Committee and Audit Committee. Smt. J.P. Irene Cynthia, I.A.S. is not liable to retire by rotation and is not disqualified from being appointed as Director in terms of Section 164 of the Companies Act, 2013. The Company has received notice under Section 160 of the Companies Act, 2013 from a member proposing the appointment of Smt. J.P. Irene Cynthia, I.A.S.. Pursuant to Companies Act, 2013 approval of shareholders is required for appointment and payment of remuneration to Managing Director. Considering her background and experience it will be in the interest of the Company that she continues to act as Managing Director of the Company. Board of Directors recommends the resolution as Ordinary Resolution for Members approval.

Except Smt. J.P. Irene Cynthia, I.A.S., Managing Director and her husband Shri S. Viswanathan, I.A.S., Nominee Director, ChPA, none of the other Directors or Key Managerial Personnel or their relatives is, in anyway, concerned or interested, in the said resolution.

This along with the relevant resolution, may be treated as an Abstract pursuant to Section 190 of the Act.

Brief Resume of Smt. J.P. Irene Cynthia is as under:-

Particulars	Details	
Date of Birth and Age	07/07/1982 and 41 years	
Date of First appointment on the Board	21/08/2023	
Educational & Professional Qualification	B.Com (Commerce and Economics), MBA	
Experience	Smt. J.P. Irene Cynthia started her career as Manager in Department of Banking and Supervision, Reserve Bank of India in the year 2006. She has worked as the Collector of Burhanpur, Panna Districts. She has held the position of CEO Zilla Panchayat (Bhopal), Project Director for UDAY ADB Funded project and Additional Commissioner, Urban Directorate, Director in Rajya Shiksha Kendra SSA School Education Department, Director Budget in Finance.	
Securities held in KPL	Nil	
Relationship with other Directors/ KMP of KPL	Smt. J.P. Irene Cynthia, I.A.S., Managing Director is the wife of Shri S. Viswanathan, I.A.S., Nominee Director, ChPA.	
Directorship/ Membership in other Companies	Name of the Company	Nature of interest/ concern
	Sethusamudram Corporation Limited	Additional Director
	Kanniyakumari Port Limited	Director
Chairmanship/Membership of various committees in other companies	Nil	
Terms and conditions of appointment	As set out in resolution at Item No.6 of the Notice convening this meeting read with Explanatory Statement	
Remuneration last drawn	Rs.2,04,584/- p.m.	
Number of Meetings of the Board attended during the year	Not applicable as she assumed charge w.e.f. 21.08.2023.	

Item No.7

Captain Anoop Kumar Sharma (DIN: 03531392) was appointed as Non-Official Independent Director in the 20th Annual General Meeting of Kamarajar Port Limited (KPL) for a period of three years w.e.f. 10.11.2020 up to 9th November, 2023 ("first term"). As his first term is due to expire on 9th November, 2023, Chennai Port Authority (ChPA), who is holding 100% equity shares in the Company, vide its Letter No. ChPA/KPL Cell/2023/F dated 8th September 2023 has informed that Board of ChPA has approved the re-appointment of Capt. Anoop Kumar Sharma as an Independent Director in the Board of the Company for a period of 3 years. Based on the Performance Evaluation of Capt. Anoop Kumar Sharma and the recommendation of Nomination and Remuneration Committee, Board of Directors of the Company in the meeting held on 22nd September 2023, has accorded approval for re-appointment of Capt. Anoop Kumar

Sharma as an Independent Director for another period of three years w.e.f. 10.11.2023 subject to your approval. He shall not be liable to retire by rotation. The Company has received notice under Section 160 of the Companies Act, 2013 from a member proposing his appointment for the office of Independent Director.

Pursuant to Section 149 of the Companies Act, 2013, Independent Director shall be eligible for re-appointment on passing of a special resolution by the Company and on fulfillment of criteria stipulated thereunder. In the opinion of the Board, he fulfills the conditions of re-appointment specified in the Act and the rules made thereunder.

Considering his background, experience and valuable contribution, re-appointment of Capt. Anoop Kumar Sharma is in the interest of the Company. Pursuant to the Companies Act, 2013,

approval of the members is to be obtained. Board of Directors recommends the resolution for Members approval as a Special Resolution.

Captain Anoop Kumar Sharma (DIN: 03531392) is deemed to be interested in proposed resolution to

the extent of his re-appointment as Independent Director. No other Director or KMP and their relative is interested or concerned in the said resolution. He is not disqualified from being appointed as Director in terms of Section 164 of the Companies Act, 2013.

Brief Resume of Captain Anoop Kumar Sharma is as under:-

Particulars	Details
Date of Birth and Age	21/08/1960 and 63 years
Date of First appointment on the Board	10/11/2020
Educational & Professional Qualification	Master (F.G.); Diploma in Marketing Management; Fellow of Institute of Chartered Shipbrokers London; Licenciante of the Insurance Institute of India; Executive Business Leadership Program, ISB Hyderabad. Certified Independent Director and ESG Impact Leader by Indian Institute of Corporate Affairs, Ministry of Corporate Affairs;
Experience	Capt. Anoop Kumar Sharma is the former Chairman & Managing Director of The Shipping Corporation of India Ltd (SCI), a Government of India 'Navratna' Public Sector Enterprise & India's largest Shipping Company. Prior to this he was the Managing Director of M/s. Essar Shipping Ltd. Under his stewardship at both the Companies he established a diversified leadership team, streamlined processes and ensured balanced control in order to improve efficiency/profitability & good governance. During his exceptional career spanning over 38 years, he was awarded Maritime Personality of the year 2019; "National Maritime Day Award of Excellence, 2019" for Lifetime exceptional and distinguished achievement and performance at the senior functional level; "The Maritime Standard Outstanding Achievement Award, 2018" for Outstanding achievement and contribution to the industry in India, Sri Lanka and the Middle East; "Indian Chamber of Commerce Award" for outstanding contribution to the Indian Public Sector Industry. He is a member of several high level committees of International classification societies.
Securities held in KPL	Nil
Relationship with other Directors/ KMP of KPL	Not applicable
Directorship/ Membership in other Companies	Nil
Chairmanship/Membership of various committees in other companies	Nil
Terms and conditions of re-appointment	He shall not be liable to retire by rotation.
Remuneration last drawn including setting fees for all meetings	Sitting fee paid during the FY 2022-23 is Rs.3,80,000/-
Number of Meetings of the Board attended during the year	Corporate Governance Report (Annexure V of Board's Report) may be referred.

Item No.8

Smt. Sarla Balagopal (DIN: 01572718) was appointed as Non-Official Independent Director in the 20th Annual General Meeting of Kamarajar Port Limited (KPL) for a period of three years w.e.f. 10.11.2020 up to 9th November, 2023 ("first term"). As her first term is due to expire on 9th November, 2023, Chennai Port Authority (ChPA), who is holding 100% equity shares in the Company, vide its Letter No ChPA/KPL Cell/2023/F dated 8th September 2023, has informed that Board of ChPA has approved the re-appointment of Smt. Sarla Balagopal as an Independent Director in the Board of the Company for a period of 3 years. Based on the Performance Evaluation of Smt. Sarla Balagopal and the recommendation of Nomination and Remuneration Committee, Board of Directors of the Company, in the meeting held on 22nd September 2023, has accorded approval for re-appointment of Smt. Sarla Balagopal as an Independent Director for another period of three years w.e.f.10.11.2023 subject to your approval. She shall not be liable to retire by rotation. The Company has received notice under Section 160 of the Companies Act, 2013 from a member

proposing the appointment of Smt. Sarla Balagopal for the office of Independent Director.

Pursuant to Section 149 of the Companies Act, 2013, Independent Director shall be eligible for reappointment on passing of a special resolution by the Company and on fulfillment of criteria stipulated thereunder. In the opinion of the Board, she fulfills the conditions of re-appointment specified in the Act and the rules made thereunder.

Considering her background, experience and valuable contribution, re-appointment of Smt. Sarla Balagopal is in the interest of the Company. Pursuant to the Companies Act, 2013, approval of the members is to be obtained. Board of Directors recommends the resolution for Members approval as a Special Resolution.

Smt. Sarla Balagopal (DIN : 01572718) is deemed to be interested in proposed resolution to the extent of her re-appointment as Independent Director. No other Director or KMP and their relative is interested or concerned in the said resolution. She is not disqualified from being appointed as Director in terms of Section 164 of the Companies Act, 2013.

Brief Resume of Smt. Sarla Balagopal is as under:-

Particulars	Details
Date of Birth and Age	03/11/1955 and 67 years
Date of First appointment on the Board	10/11/2020
Educational & Professional Qualification	M.A. (English Lit); M.Phil. (Public Administration)
Experience	<p>She is a retired Indian Railway Traffic Service officer of 1982 Batch. In her career span of 32 years in Indian Railways, she has held varied and important portfolios both at the field level as well as at the policy making level in the Railway Board.</p> <p>She headed the Commercial Department of Southern Railway for over 5 years during which she undertook various initiatives to increase freight earnings and improve rail passenger interface.</p> <p>She was the first CEO of Hassan Mangalore Rail Development Company (HMRDC), a joint venture of the Ministry of Railways and the Govt. of Karnataka, in Bengaluru. During her tenure the broad gauge link between Bengaluru and Mangalore was commissioned.</p> <p>She also served as a Member on the Bench of the Railway Rates Tribunal, Chennai.</p> <p>She has expertise in costing and pricing of transportation products, PPP (Public Private Partnership) projects and contract management.</p>
Securities held in KPL	Nil

Particulars	Details
Relationship with other Directors/ KMP of KPL	Not applicable
Directorship/ Membership in other Companies	Nil
Chairmanship/Membership of various committees in other companies	Nil
Terms and conditions of re-appointment	She shall not be liable to retire by rotation.
Remuneration last drawn including sitting fees for all meeting	Sitting fee paid during the FY 2022-23 is Rs.4,40,000/-
Number of Meetings of the Board attended during the year	Corporate Governance Report (Annexure V of Board's Report) may be referred.

Item No. 3

Brief resume of Shri Sunil Paliwal is as under:-

Particulars	Details
Date of Birth and Age	25/11/1968; 54 years
Date of First appointment on the Board	16/09/2019
Educational & Professional Qualification	1. B.Tech in Computer Science from IIT, Kanpur. 2. M.S. in Computer Science from University of Maryland, USA. 3. MBA from University of Birmingham, U.K.
Experience	Shri Sunil Paliwal started his career as Sub Collector, Cuddalore District and served as Additional Collector in Nagapattinam District. He also worked as the Collector of Tirunelveli, Theni and Kanniyakumari Districts. He also held crucial portfolios in the Government of Tamil Nadu such as Managing Director, Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board (CMWSSB), Managing Director, Tamil Nadu Road Development Company Limited (TNRDC), Managing Director, Tamilnadu Industrial Development Corporation, Secretary to Government, Commercial Taxes & Registration Department and Commissioner for Milk Production & Dairy Development and Managing Director, Tamilnadu Co-operative Milk Producers' Federation Ltd. (Aavin), Principal Secretary to Government, Higher Education Department and Principal Secretary to Government, Labour & Employment Department. He is also the Chairman-cum-Managing Director of Sethusamudram Corporation Limited and Director in Chennai-Ennore Port Road Company Limited, Kanniyakumari Port Limited and Chennai MMLP Private Limited.
Securities held in KPL	1 Equity Share of Rs.10/- as a nominee of Chennai Port Authority
Relationship with other Directors/ KMP of KPL	Not Applicable

Particulars	Details	
Directorship/ Membership in other Companies	Name of the Company	Nature of interest/ concern
	Chennai Ennore Port Road Company Limited	Nominee Director
	Sethusamudram Corporation Limited	Chairman-cum-Managing Director
	Chennai MMLP Private Limited	Nominee Director
Chairmanship/Membership of various committees in other companies	Corporate Governance Report (Annexure V of Board's Report) may be referred.	
Terms and conditions of appointment	Non- Executive Director liable to retire by rotation. No sitting fee payable.	
Remuneration last drawn	Corporate Governance Report (Annexure V of Board's Report) may be referred.	
Number of Meetings of the Board attended during the year	Corporate Governance Report (Annexure V of Board's Report) may be referred.	

BOARD'S REPORT

Dear Members,

Your Directors take pleasure in presenting the Annual Report on the business, operations, developments and progress made by your Company along with the Audited Financial Statements for the year ended 31st March 2023.

1.0 PERFORMANCE & HIGHLIGHTS

1.1 FINANCIAL PERFORMANCE (Rs. in Crs.)

Particulars	2022-23	2021-22
Income from Operations	982.72	832.62
Other Income	26.50	18.22
Total Income	1009.22	850.84
Operating Expenses	164.47	159.30
Finance Costs	58.70	62.34
Depreciation and Amortization	61.78	90.61
Total Expenses	284.95	312.25
Profit Before Tax	724.27	538.59
Exceptional Items	146.88	0.00
Profit after Exceptional Items	577.39	538.59
Taxes	203.88	98.39
Profit After Tax	373.51	440.20

1.2 FINANCIAL HIGHLIGHTS

During the year under review, your Company registered an increase of Rs.150.10 Crore (18.03% increase over the previous year) in operating income mainly on account of 12.31% increase in cargo throughput handled vis a vis previous year. Consequently, your Company has reported a higher Profit Before Exceptional Items and Tax of Rs.724.27 Crore (increase of 34.48%) compared to previous year of Rs.538.59 Crore.

1.3 OPERATIONAL PERFORMANCE

The cargo throughput handled for the financial year 2022-23 is 43.51 Million Tons as against 38.74 Million Tons handled in the previous financial year 2021-22, which is 12.31% higher than previous year. The Terminal wise traffic handled details are given below:

Sl. No.	Name of Terminal	2022-23		2021-22		Variation in Traffic Handled	
		Cargo Qty	No. of Vessels	Cargo Qty	No. of Vessels	(+/-)	%
1	Coal Berth 1	7.88	110	7.46	106	0.42	5.63
2	Coal Berth 2	7.65	99	6.06	85	1.59	26.24
3	Common User Coal Terminal	8.71	133	7.96	115	0.75	9.42
	Total Coal	24.24	342	21.48	306	2.76	12.85
4	Marine Liquid Terminal 1	4.20	246	4.36	253	-0.16	-3.67
5	General Cargo Berth	1.93	102	1.77	107	0.16	9.04
6	Container Terminal (Phase 1)	10.62	186	9.27	153	1.35	14.56
7	Multi Cargo Terminal	1.89	40	1.16	32	0.73	62.93
8	LNG Terminal	0.63	11	0.70	12	-0.07	-10.00
	Grand Total	43.51	927	38.74	863	4.77	12.31
9	Automobiles handled (in Nos.)	1,48,307	102	1,35,705	107	12,602	9.29
10	Containers handled (in TEU's)	5,50,151	186	4,80,257	153	69,894	14.55

The Port performance during 2022 - 23 has improved in comparison with 2021 - 22 as detailed below :

Performance Parameters	Units	2022-23	2021-22	Remarks
Average Total Turn Round Time (From Pilot Boarding to De-boarding)	Hours	45.40	46.38	2.11% improved
Average Output per Ship Berth day	Tons	26,075	24,292	7.34% improved
Average No.of moves per Crane hour	Nos	33	32	3.13% improved

1.4 OPERATIONAL HIGHLIGHTS

(i) Cargo Handling

Your Company handled the highest

- monthly Cargo throughput of 4.29 Million Tons and Container volume of 61,515 TEUs in May 2022.
- parcel size of 6,247 TEUs in the vessel M.V. Maersk Senang berthed at Container Terminal on 06.12.2022.

Container handled was 14.55% higher at 5,50,151 TEUs as against 4,80,257 TEUs handled during previous year and Automobiles handled was 9.29% higher at 1,48,307 units as against 1,35,705 units handled during previous year.

(ii) Agreements

Your Company signed Agreements with:

- M/s. Maruti Suzuki India Ltd on 19.12.2022 for a period of 5 years, starting from 1st December 2022 for export of Automobiles to Africa, Middle East, Latin America, ASEAN, Oceania & SAARC regions.
- M/s. Caterpillar India Pvt Ltd on 07.02.2023 for a period of 10 years, starting from 1st January 2023 for export of equipments to Indonesia, Africa and European countries.



Signing of Agreement by KPL and M/s. Caterpillar India Pvt. Ltd.

- M/s. PCA Automobiles India Pvt. Ltd. on 17.02.2023 for a period of 10 years starting from 1st January 2023 for export of Automobiles to countries in ASEAN & Africa.

Your Company renewed Agreement with M/s. Nissan Motor India Pvt Ltd on 17.03.2023 for another 5 years period to continue the export of Automobiles through your Port.



Signing of Agreement by KPL and Renault Nissan Alliance

(iii) Milestones

- Largest Limestone vessel M.V. JSW Salem having a parcel size of 1,24,610 MT from UAE was handled at Multi Cargo Terminal during July 2022. The DWT of the vessel is 1,76,217 MT which is the highest DWT and parcel size handled at this Terminal. The vessel arrived with a draft of 14.50 m and length & beam 292 m & 45 m respectively.
- One millionth Automobile was exported by Nissan Motor India Pvt Ltd on 28.07.2022.
- Post Covid, Toyota Kirloskar Motor India Private Limited resumed export of Automobiles during December 2022.
- Bahri Line has commenced a new RoRo service namely FE service (Far East Europe) from your Company which provides great opportunity for exporters to get direct RoRo service from your Company to Saudi Arabia and major European countries and for importers to get direct RoRo service from China to your Company.



Far East Europe Service by Bahri Line from GCB

- Renault Nissan Alliance has exported over 1.17 million Cars to around 108 global destinations from your Port since 2010.
- PCA Automobiles India Pvt. Ltd. commenced their export of new variant Citroen C3 to global destinations on 30.03.2023



Flagging off ceremony of maiden shipment of Citroen C3 from GCB

2.0 DIVIDEND

For the financial year 2022-23, your Company has paid Interim Dividend @ 20% on paid up equity share capital (which is equivalent to Rs.2/- per share) amounting to Rs.60 Crore on 17.02.2023. Board of Directors in their meeting held on 26th June 2023 have recommended a final Dividend @ 80% on paid up equity share capital which is equivalent to Rs.8/- per share amounting to Rs.240 crore which will be paid, subject to approval of Shareholders at the ensuing Annual General Meeting.

The total dividend for the financial year 2022-23, including the proposed final dividend amounts to 100% dividend on paid up equity share capital consistent with 100% dividend paid on the paid up equity share capital in the previous financial year 2021-22.

3.0 TRANSFER TO RESERVES

3.1 General Reserve:

Your Company has not transferred any amount to General Reserve during the year as it is not mandatory to transfer any amount before declaration of dividend under the Companies Act, 2013. The balance as on 31st March 2023 remains at Rs.79.02 Crore.

3.2 Debenture/Bond Redemption Reserve:

Debenture/Bond Redemption reserve amounting to Rs.14.18 Crore (net) was reversed during the year pursuant to redemption of Tax Free Bonds to the extent of Rs.82.93 Crore and the balance as on 31st March 2023 stands at Rs.65.75 Crore.

4.0 FINANCE

During the year, your Company has repaid scheduled installment of Term loan of:

- Rs.5 Crore to HDFC Bank.
- Rs.23.01 Crore to Chennai Port Authority and has promptly paid the quarterly interest payments.

Your Company promptly discharged the annual interest obligation on Tax Free Bonds issued during the financial years 2012-13 and 2013-14 and has redeemed 829334 Nos. (10 Year Tax Free Bonds) of Face Value of Rs.1000/- in terms of the Prospectus issued in the financial year 2012-13.

4.1 Ratings

Your Company has carried out the Annual Surveillance of Credit Ratings as mandated in the offer document of Tax Free Bonds issued by your Company. The Ratings assigned by the Credit Rating Agencies are as detailed below:

Credit Rating Agencies	Ratings / Outlook
CRISIL	AA / Stable
CARE	AA / Stable
ICRA	AA- / Stable
Brick Work	AA / Stable

4.2 Particulars of transaction made with Related Parties

The disclosure of Related Party Transactions as required under Section 134(3)(h) of the Companies Act, 2013 in Form AOC-2 is not applicable to your Company. Members may refer to Note No.30(12) to the financial statement which sets out related party disclosures pursuant to Ind AS-24.

4.3 Material changes and commitments affecting financial position between the end of the financial year and date of report

There are no material changes and commitments affecting financial position of your Company

between the end of financial year and date of report.

4.4 Change in the nature of business, if any

There has been no change in the business of the Company during the financial year.

4.5 Particulars of Loans, Guarantees

Your Company has not given any Loans and Guarantees or provided any Security under Section 186 of the Companies Act, 2013.

4.6 Investments

During the year under review, your Company has not invested/paid advance towards Investments.

4.7 Capital Expenditure

Your Company spent Rs.279.80 Crore on capital expenditure during the financial year 2022-23 as against Rs.153.71 Crore spent in the previous year.

4.8 Fixed Deposits

During the year under review, your Company has not accepted any fixed deposits, nor has any outstanding unclaimed or unpaid deposits as on 31.03.2023.

4.9 Internal Financial Control

Your Company adheres to policies and procedures adopted for

- ensuring orderly and efficient conduct of its business,
- safeguarding its assets, for preventing and detecting frauds and errors,
- accuracy and completeness of the accounting records, and
- timely preparation of reliable financial disclosures.

The internal control and governance processes are reviewed by the Internal Auditor and the Audit Committee for their adequacy and effectiveness. Internal control procedures are considered sufficient to provide a reasonable assurance as to the integrity and reliability of the Financial Statements.

5.0 AZADI KA AMRIT MAHOTSAV

Your Company and Chennai Port Authority jointly organized

- an Exhibition on 75 years of Development of Ports which was inaugurated by Shri Sunil Paliwal, IAS, Chairman, Chennai Port Authority and CMD, Kamarajar Port Limited

on 2.5.2022. Port models and panels were exhibited on the growth and developments of both the Ports. Students from nearby school who visited the exhibition were explained about the port developments.

- Quiz programme on 'National Freedom Movement' for Port employees as part of Iconic Week of Ministry of Ports, Shipping and Waterways. Port visit for about 150 college students was organized on 05.05.2022 to create awareness and knowledge about Maritime Trade and Port Operations.
- an exhibition on the life of local freedom fighters on 06.07.2022. Banners were displayed with the images of local freedom fighters (both late and alive) highlighting their sacrifices and role played in the freedom struggle.

Your Company organized various activities viz., Medical Camp for administering precaution dose as part of Covid-19 Vaccination Amrit Mahotsav, Tree Plantation Drive inside the Port premises, Health and Wellness Camp for officers and staff to commemorate 72nd Birthday of Hon'ble Prime Minister.



Health and Wellness Camp held at Kamarajar Port Premises on 17.09.2022

Your Company also organized a Blood Donation Camp (Raktdaan Amrit Mahotsav) on 14.06.2023 in association with Chennai Port Authority and Lion's Club of Chennai Royal Elite District. Huge number of voluntary donors from your Company and CISF Personnel posted in KPL participated in the event



Blood Donation Camp (Raktdaan Amrit Mahotsav) in association with Chennai Port Authority and Lion's Club of Chennai Royal Elite District

6.0 SPORTSEVENT

All India Major Ports Kabaddi, Carrom & Chess Championship – 2022 jointly conducted by Kamarajar Port Sports Council and Chennai Port Sports Council at Jawaharlal Nehru Indoor Stadium from 19th – 21st April, 2022 was inaugurated by Shri Sunil Paliwal, IAS, CMD, Kamarajar Port Limited & Chairperson, Chennai Port Authority on 19.04.2022. Players from all the 12 Major Ports of India participated in the tournament. Dr. M. Ravi, I.P.S, Commissioner of Police, Tambaram was the Chief Guest for the Valedictory Function held on 21.04.2022. During the function, trophies, medals and certificates were given to the winners of the sports events.



Valedictory Function of All India Major Ports Kabaddi, Carrom & Chess Championship - 2022

All India Major Ports Body Building, Weightlifting and Kabaddi Championship jointly conducted by

Kamarajar Port Sports Council and Chennai Port Sports Council at Jawaharlal Nehru Indoor Stadium from 20th – 22nd February 2023 was inaugurated by Shri Mahesh Kumar Aggarwal, I.P.S., Additional DGP (Crime) in the presence of Shri Sunil Paliwal, I.A.S., CMD, Kamarajar Port Limited & Chairperson, Chennai Port Authority on 20.02.2023. Players from 8 Major Ports of India participated in the tournament. Shri Dheeraj Kumar, I.A.S., Principal Secretary/ Commissioner was the Chief Guest for the Valedictory Function held on 22.02.2023. During the function, trophies, medals and certificates were given to the winners of the sports events.

7.0 VISIT OF THE COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

Parliamentary Standing Committee on Subordinate Legislation, Rajya Sabha, under the Chairmanship of Shri Akhilesh Prasad Singh, M.P. visited Chennai on 12.09.2022 to discuss on the Companies (CSR) Rules, 2014 and the status/progress report of activities undertaken under the Rules.

8.0 AWARDS

Your Company was awarded 'Samudri Paryavaran Sanrakshan Trophy 2022' from the Indian Coast Guard for its Excellence during the 24th National Oil Spill Disaster Contingency Plan & Preparedness meeting held on 30.11.2022. The award was given on the basis of the survey undertaken of all Major and Minor Ports of India by a Committee formed vide National Oil Spill Disaster Contingency Plan (NOS-DCP) "In recognition for significant contribution towards protection and preservation of environment, and prevention and control of pollution of overall environment and in particular for the marine environment."



KPL receiving Samudri Paryavaran Sanrakshan Trophy 2022

Your Company also received the following awards in the "Sagar Shreshtha Sammaan" Award ceremony:

1. For best performance for pre-berthing detention during the year 2022-23.
2. For achieving highest incremental improvement for pre-berthing detention during the year 2022-23.
3. 4th rank for overall performance during the year 2022 - 23.

9.0 MOU

Your Company was accorded "Good" Rating during the financial year 2021-22. The Memorandum of Understanding (MoU) for the year 2022-23 was signed with Chennai Port Authority on 10.08.2022. Your Company anticipates "Very Good" MoU rating for financial year 2022-23 based on its performance.



Kamarajar Port Limited signed MoU 2022-23 with Chennai Port Authority

10.0 OPERATIONS

Presently, your Company has 8 Nos. of Terminals in operation, out of which 4 Terminals are BOT Terminals, three (3) are Captive user Terminals and one (1) is KPL owned Terminal for automobiles export/import. All the Terminals are equipped with State of Art infrastructure facilities with fully mechanized cargo handling operations for faster evacuation and pollution free environment. Capacity of the 8 operational berths is 54.44 Million Tons. Brief of the existing Terminals are as detailed below:

i) Coal Berths 1 and 2

Coal Berths 1 & 2 with handling capacity of 8 MTPA each can accommodate 280m long two Coal carriers of up to 77,000 DWT and handles Thermal Coal for the Thermal Power Plants of TNEB

(TANGEDCO) and its JV Companies. Unloaded Coal is directly moved through the conveyor system to the stackyard located in the adjoining North Chennai Thermal Power Station (NCTPS) from where a part of it, is moved further to Mettur through Rail connectivity. As per the business model, your Company built Berthing structure and TANGEDCO has invested in and is operating and maintaining all top side facilities like shore unloaders, conveyor system, etc for handling Thermal Coal.



Coal Berths 1 & 2 for handling Thermal Coal for TANGEDCO

ii) Marine Liquid Terminal

Marine Liquid Terminal with cargo handling capacity of 3 MTPA was developed under BOT basis by M/s. Ennore Tank Terminals Private Limited (ETTTL) and commercial operations commenced from 16th January 2009. Further, to meet the demand in the Trade, the BOT Operator developed additional storage tanks and installed LPG handling equipment. Cargo handled comprises of POL, LPG, CBFS, Chemicals and others. To mitigate the congestion of vessels, M/s. ETTTL laid additional dock lines and installed marine unloading arms thereby reducing the vessel waiting time. The berth has been provided with Fire Protection System designed as per Oil Industry Safety Directorate (OISD) Standards.

The Tank Farm is located in a 33 acre port-leased plot at about 3.7 km from the berth with a total storage capacity of about 247,990 KL and can store class A/B/C petroleum products, petrochemicals, vegetable oils, bio fuels, acids and safe class liquids. The entire Terminal is having an integrated fire fighting system consistent with the requirements of OISD.



Marine Liquid Terminal

iii) Common User Coal Terminal

Common User Coal Terminal with cargo handling capacity of 10 MTPA was developed on BOT basis by M/s. Chettinad International Coal Terminal Pvt. Ltd and commercial operations began from 11th March 2011. To handle Cape size vessel, the BOT Operator extended the berth length by 22.5m with draft of 16m. The present capacity of the Terminal is 10 MTPA. The stackyard area of 48.0 Ha is located at about 2.50 km from Port compound wall. An in-motion wagon loading station has been installed for loading one full rake of 59 wagons (3500 T). Truck loading stations are provided for evacuation through trucks. A Conveyor has been installed with the dust suppression mechanism to reduce pollution. The Terminal has been acquired by JSW Infrastructure Ltd Group on 13.11.2020 and is renamed as M/s. Ennore Coal Terminal Pvt. Ltd.



Common User Coal Terminal

iv) General Cargo Berth cum Automobile Export Terminal

The berth can accommodate the world's Largest

Car Carrier Vessel and has a back-up area of about 2,10,900 sq.m with an expansive Car Parking Yard for 14,000 Cars, which is the largest facility in any Indian Port. The export of automobile units through GCB crossed 21.03 lakhs units as on 31.03.2023.

Your Company has executed long term agreements with the major OEM's viz. M/s. Nissan Motor India Pvt. Ltd., M/s. Ford India Pvt. Ltd., M/s. Toyota Kirloskar Motor India Pvt. Ltd., M/s. Daimler India Commercial Vehicles Pvt. Ltd., M/s. Isuzu Motors India Pvt Ltd and M/s. ZF Wind Power Coimbatore Pvt. Ltd. (Windmill components), M/s. Maruti Suzuki India Ltd., M/s. Caterpillar India Pvt. Ltd. and M/s. PCA Automobiles India Pvt. Ltd. providing volume based rebate on Wharfage Charges to export their Automobiles from your Port.

v) Container Terminal

Your Company has entered into a Concession Agreement with M/s. Adani Ennore Container Terminal Private Limited for developing Container Terminal with handling capacity of 1.40 Million TEUs per annum under PPP mode in a phased manner. The total backup area for Container Terminal is 36.5 Ha. Phase-I berth is equipped with four rail mounted quay cranes each with 6m outreach and 12 ERTGS. Three more rail mounted cranes and 9 ERTGS will be added during the second phase as and when implemented. Container evacuation is through road and rail mode. The commercial operations of Container Terminal (Phase-I) began from the financial year 2017-18.



Container Terminal

vi) Multi Cargo Terminal

The Terminal was developed by M/s. Chettinad International Bulk Terminal Private Limited with 2.0 Million Tons capacity on DBFOT basis. The Terminal handles Steel, Fertilizer, Gypsum, Barytes and Limestone. The total backup area for the Terminal is 13.5 Ha. The berth is equipped with Two (2) Nos. of Harbour Mobile Cranes with capacity of 100 TPH each and yard is equipped with storage facilities. Cargo evacuation is through road and rail mode. The commercial operations of the Terminal began from 05.08.2017. The Terminal has been acquired by M/s. JSW Infrastructure Ltd group on 13.11.2020 and is renamed as M/s. Ennore Bulk Terminal Pvt. Ltd.



Multi Cargo Berth

vii) Liquefied Natural Gas (LNG) Import Terminal

M/s. IOCL, lead partner of JV, has set up the LNG Terminal with re-gasification facilities with capacity of 5 MTPA (expandable upto 10 MTPA). Re-gasification Terminal consists of 2 Tanks each of gross capacity 1,80,000m³. The Terminal was commissioned on 26.02.2019 and the cost of the project is Rs.3834.51 Crore.



Indian Oil LNG Terminal

11.0 PROJECTS:

To increase your Port's ability to provide various services to its customers, your Company has initiated action for development of various Berths/Terminals. The status of these projects is as detailed below:

(i) Coal Berths 3 & 4 (18 MTPA)

Based on the request of TANGEDCO, your Company has constructed two additional Coal Berths (CB3 & CB4) at an investment of Rs.500 Crore. The two new Coal Berths have capacity of 9 MTPA each and can accommodate Cape size vessel of 18 m draft. Your Company has already handed over Coal Berth - 4 and Coal Berth - 3 to TANGEDCO during August 2018 and June 2019 respectively, for installation of top loading facilities like Unloaders, Conveyor system etc. The mechanization of CB-3 & CB-4 is underway and is expected to be commissioned in financial years 2025-26 and 2023-24 respectively.

(ii) IOCL Captive Jetty (3 MTPA)

Your Company has signed the Concession Agreement with Indian Oil Corporation Limited (IOCL) for Construction of Captive Jetty to handle POL and LPG products at an estimated project cost of Rs.921 Crore. The capacity of the Terminal is 3 Million Tons per annum. Independent Engineer has been appointed by your Company. IOCL has selected M/s. ITD Cementation Ltd, Mumbai as the EPC Contractor for jetty construction on 31.01.2022. Your Company has allotted the land portion, water front and ROW for pipeline corridor to IOCL and has declared the Date of Award of Concession with effect from 02.03.2022. Construction works commenced from July 2022 and the jetty is expected to be commissioned by December 2024.

(iii) Automobile Export/ Import Terminal-2 (3 MTPA)

Your Company has selected M/s. L&T Geo Structure Pvt. Ltd. as Contractor to develop the 2nd Automobile Export/Import Terminal with estimated capacity of 3 MTPA. The awarded project cost is Rs.149.36 Crore. Construction works have commenced and works are expected to get completed by 31.10.2023.

(iv) Modification of Iron Ore Terminal on “as is where is basis” to also handle common user coal (12 MTPA)

Your Company had signed an agreement for Iron Ore Terminal on a 30 years BOT basis during September 2006 with the Project Company M/s. SICAL Iron Ore Terminal Limited (SIOTL). The BOT Operator had developed the first phase of 6 MTPA during 2010-11. However, due to ban on export of Iron Ore, the Terminal was never put into use. Consequently, Modification of existing Iron Ore Terminal on “as is where is” to also handle Common User Coal was contemplated and accordingly License Agreement was signed on 11.07.2016 between KPL and SIOTL.

However, due to the occurrence of Financial Default by the Concessionaire, 'Termination Notice' was issued by your Company to M/s. SIOTL on 22.03.2021 and the License Agreement was terminated on 20.06.2021. However, SIOTL is facing NCLT proceedings under IBC code and the matter is *sub judice*.

(v) Marine Liquid Terminal – 2 (3 MTPA)

In order to meet ever increasing demand for POL, your Company has initiated action for development of 2nd Marine Liquid Terminal consisting of berth and tankage facilities in DBFOT mode at an investment of Rs.393 Crore. The capacity of the Terminal is 3 MTPA. After competitive bidding, KPL issued Letter of Award to Consortium of BPCL-HPCL on 14.02.2018. Due to litigation by existing BOT Operator of MLT-1, the signing of Concession Agreement and allotment of water front is pending. Matter has been referred to Conciliation and Settlement Committee (CSC).

(vi) Container Terminal - Phase 1 (stage 2) (6,00,000 TEUs/11.58 MTPA)

The Concessionaire, M/s. AECTPL, commenced the construction for Stage-2 on 30.01.2023. During COVID-19 pandemic, your Company invoked Force Majeure condition with effect from 19.02.2020. Subsequently, the Concessionaire has stopped the construction works during May 2020. Further, the Concessionaire has invoked Arbitration on 16.08.2020 on various issues like continuation of Force Majeure, Compensation on account of Change in Law, revocation of LD for

Phase-I and Phase-II, Issuance of Consultation notice by your Company for non achievement of MGT, etc. Arbitration proceedings were completed during March 2023 and Award is awaited.

12.0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

As a Corporate Port, functioning on “Landlord” model, your Port has to provide the basic infrastructure like road & rail connectivity, dredged basin/channel, marine services and other common utilities. Towards this end, your Company has initiated actions for effective network of Road and Rail connectivity to the National Highway to ensure faster receipt and evacuation of cargo as detailed below:-

12.1 Road connectivity

(i) Internal Road Connectivity

To provide better road connectivity to the IOCL Regasification Terminal inside the Port, your Company signed an agreement with TNRDC for construction of 2 lane concrete road at a cost of Rs.17.43 Crore. The total length of the road is 2.4 km. TNRDC has awarded the work to the Contractor M/s. Roma Housing Pvt Ltd on 27.01.2021 and construction work has been completed on 31.12.2022.



Inauguration of Two Lane Concrete Road for IOCL LNG Regasification Terminal

(ii) External Road Connectivity

(a) Southern Port Access Road

Present road connectivity of Kamarajar Port to the three National Highways (NH5, NH4 & NH45) is through the Port Access Road, the NCTPS approach road, Tiruvottiyur – Ponneri – Panchetty (TPP) Road, the Inner Ring Road (IRR) and the

Chennai Bypass Road. Considering the increasing road traffic movement of import/export of cargoes, your Company has undertaken widening of the existing two lane road starting from Vallur Junction (TPP Road) to Kamarajar Port Main entrance to four lane road and has entrusted the work on a turnkey basis to TNRDC for a cost of Rs.195 Crore.

The road works were implemented by TNRDC in 2 stretches. Stretch-1 involves road widening/improvement from Vallur Junction to NCTPS Junction for 4.8 km length and Stretch-2 involves road improvement from NCTPS Junction to Port Main Gate for a length of 2.3 km. Stretch-2 road portion was completed on 31.01.2022. Stretch-1 was completed on 31.03.2023 and was inaugurated by Shri Sarbananda Sonowal, Hon'ble Minister for Ports, Shipping and Waterways & Ayush on 23.04.2023.



Inauguration of Newly developed and widened 4-lane concrete Port Access Road (Amrit Mahotsav Marg) from Vallur Junction to NCTPS Junction

(b) Northern Port Access Road (NPAR)

The Northern Port Access Road, which connects Kamarajar Port to NH5 has a length of 21.148 km with a 4.35 km SPUR Road to the existing Chennai ORR. This Northern Port Access Road forms part of Section-1 of the Chennai Peripheral Ring Road (CPRR). The State Government vide G.O.(Ms) No.37 Highways and Minor Ports (HW2) Department dated 8.3.2019 has accorded administrative sanction for Rs.2122 Crore for the formation of the road. JICA is the funding agency for this project. The project is being executed by TNRDC. M/s. Tata Projects was selected as the Contractor. Works commenced from January 2022 and is expected to be completed by December 2024.

12.2 Rail Connectivity

Presently, your Company is connected by rail to the mainline at Attipattu and Attipattu Pudunagar Stations located in the Chennai – Gudur Section of the Southern Railway on the Chennai – Delhi/Kolkata route. Your Company developed the railway facilities connecting the stackyards of the Coal and Iron Ore Terminals to the existing NCTPS railway line. Further, as part of obligations of your Company, Rail Connectivity to Container and Multi Cargo Terminals have been provided.

To ease congestion in rail bound traffic, your Company has initiated actions for the following Rail Connectivity projects:

(i) Southern Rail Connectivity

Your Company has entered into an agreement with M/s. Indian Port Rail & Ropeway Corporation Limited (IPRCL) for doubling the existing single line rail connectivity from Holding Yard No.1 to Container Yard at a project cost of Rs.86.50 Crore. The total length of doubling rail connectivity is 2.65 km.

Works are in the final stage of completion. The project is expected to be commissioned by end of September 2023.

(ii) Northern Rail Connectivity

Northern Rail Link connects Kamarajar Port to Northern side of Minjur Station i.e. Chennai - Gudur Railway mainline. Total length of the Northern Rail Link Connectivity is 11.211 km. Your Company and Kattupalli Port agreed for 30m ROW (15m each) out of 100m ROW being acquired by Government of Tamil Nadu for NPAR. Your Company has conveyed its consent for incremental cost sharing due to change in design of NPAR for providing rail connectivity to your Port and Kattupalli Port.

Your Company has considered this NRL connectivity project as a long term project and is in discussions with State Government for acquiring the lands for takeoff from the main line near Minjur Station as and when the need for the project arises.

(iii) Onetime Upgradation of KPL and NCTPS Railway lines

Your Company has entered into an agreement with M/s. Indian Port Rail & Ropeway Corporation Limited (M/s. IPRCL) for Onetime up gradation of KPL tracks (Holding yard I, II & KPCA) and NCTPS Railway tracks (Common railway track) including modification work (P.Way, OHE and S&T) in Holding Yard II. The total upgradation length of rail connectivity is 26.38 track km at an estimate cost of Rs.35.20 Crore. Civil and OHE works are completed and modification of S&T work is expected to get completed along with the doubling of Southern Rail Connectivity work.

12.3 Dredging Plan

(i) Capital Dredging Phase-V

Your Company has awarded the work of Capital Dredging Phase-V to M/s. Jan De Nul Dredging India Pvt. Ltd, Chennai for the value of Rs.156,08,56,760/- (excluding GST) on 21.12.2022 to provide water depth of (-) 16m CD for the upcoming berths such as Ro-Ro cum General Cargo Berth-II and IOCL Captive Terminal. The contractor has commenced the work. Expected date for completion is by end of October 2023.

(ii) Capital Dredging Phase-VI

Aligned with the MIV-2030 initiative, your Company has re-initiated the action for carrying out Capital Dredging Phase-VI to provide (-)18m deep draft in the Basin and Channel area of the Port. With increase in EXIM trade demand, the preference of trade will be to deploy deep draft vessels to gain economies of scale. The Draft Feasibility Report prepared by NTCPCW for the work has been approved by KPL. The estimated dredging volume is 13.23 million cubic meters at an estimated cost of Rs.549.2 Crore which will be financed through Internal and Extra Budgetary Resources (IEBR).

Your Company is in the process of obtaining PIB approval from Ministry of Ports, Shipping and Waterways.

13.0 INDUSTRIAL RELATIONS

Your Company continues to maintain cordial and harmonious industrial relations during the year 2022-23. No man days were lost during the year due to any strike or stoppage of work. The labour situation at the port was normal.

14.0 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

14.1 Manpower

The manpower details with respect to all employees as on 31.03.2023 are given below:

	SC	ST	OBC	Others	Total
Officers	12	2	26	18	58
Staff	9	1	18	6	34
Total	21	3	44	24	92

14.2 Representation of SCs/STs/OBCs and Minorities

Your Company meticulously follows the Presidential Directives and orders of the Central Government from time to time on reservation of posts/benefits in favour of the Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and Minorities etc. SC employees constitute 23% of total manpower and ST employees constitute 3% of total manpower.

Liaison Officers for SC/ST and OBC have been appointed to ensure compliance and implementation of the reservation orders in the organization.

14.3 Training

Your Company has always been showing keen interest in imparting training to its employees to keep them abreast of the knowledge in their related fields. Towards this end, 160 man days of training was imparted to the employees during the year and an expenditure of Rs.22.84 lakhs (approx.) was incurred by your Company.

Some of the training programs attended by the employees during the year are Cybersecurity Framework, IMDG Code, Public Private Partnership Framework, Orientation Program for Major Port Officers, Safety related, Environmental management and sustainability, Dredging

Technology, Companies Act/Rules & Regulations, Hindi Workshops, etc.

14.4 Grievance Redressal Mechanism

Your Company has in place a grievance redressal procedure for Executives as well as Non-executive employees. There was NIL grievance received for the year under review.

15.0 MARINE

Your Port provides round the clock Prompt Pilotage to all ocean-going vessels calling the Port to achieve faster Turn Around of Vessels.

A total of 4 hired tugs are on round the clock duty:

- a) Three (3) tugs with 50 ton Bollard pull.
- b) One (1) tug with 60 ton Bollard pull.

All tugs are fitted with fire fighting FiFi system and also have equipment for controlling oil pollution.

A total of 2 Pilot Launches (Speed Boats), 2 Mooring Launches are on charter hire built under Make in India Policy.

15.1 Vessel Traffic Services (VTS):

Your Port is equipped with Vessel Traffic Services which was indigenously developed by M/s. NTCPCW (IIT Chennai) as part of "Aatmanirbhar Bharat Make-in-India" initiative. NTCPCW is also supporting Operation and its Maintenance.

15.2 Vessels Handled

Your Port

- has successfully handled 927 vessels in the year 2022-23 surpassing its previous record. Your Port has commenced handling Cape size vessels in EBTP and ECTPL. Till date, a total of 20 Cape size vessels have been handled in EBTP and ECTPL.
- is regularly handling Mainline Container Vessels of length over 300m.
- has handled 70 Nos. very large Gas Carriers LPG & 11 LNG vessels.
- is complying Port Entry & Exit rules, using the NLP – Marine Online Portal which was implemented from December 2022 in your

Port for smooth & transparent clearance of vessel related process.

16.0 SURVEY & DREDGING

Your Port

- is committed to facilitate safe navigation of vessels in the Channel, Basin and alongside berths by maintaining the scheduled depths. To monitor scheduled depths, periodical bathymetry of pre-monsoon and post monsoon surveys are being conducted every year during March/April & September/October on half yearly basis.
- is complying the NHO, MoS, MoEF, CPCB & TNPCB guidelines for Shore line monitoring, by conducting topography surveys on periodical basis and has also conducted "A Study on shoreline changes of Kamarajar Port".
- ensures good practice of coordination with National Hydrographic Office, Dehradun for updating/amending the existing Navigational & Enc Charts upon completion of each project at Port.
- gives utmost importance to maintain the dredged depths in the Harbour, berths and Channel. To maintain scheduled depths, maintenance dredging is being carried out.

17.0 PORT SECURITY

Your Port is an ISPS compliant. Port Facility and Security Levels are declared and maintained as per the DG Shipping guidelines. The Port is under the security cover of CISF.

Your Port is periodically audited and complying as per the guidelines of ISPS Code issued by DG Shipping.

As a part of compliance, Port Facility Security Advisory Committee meeting is regularly held quarterly. Review of Port Facility Security Plan is carried out periodically.

Regular Security drills are being conducted in the Port with CISF and other security agencies.

Your Company has participated in joint security drills with Coast Guard, Indian Navy and State administration.

18.0 HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT

Your Company is committed to provide a safe and healthy work environment for its users, contractors & employees. Health, Safety and Environment is a priority and is not compromised at any cost.

Your Company meets the requirements of all applicable legislation and regulations with respect to matters of occupational health and safety in the workplace and requires the same from Terminal Operators/Contractors/ Sub Contractors it engages. Your Company believes that Health and Safety in the workplace is a shared responsibility and workers are expected to exercise and promote good safety practices.

18.1 Health

Your Port

- is running an Occupational Health Centre (OHC) equipped with trained paramedical staff on 24x7 basis along with one medical practitioner in general shift on all working days and ambulance service round the clock (24 x 7) basis to provide first aid during emergency to the employees of the Company and other BOT Operators and Port users.
- has conducted an awareness campaign on World AIDS Day by conducting awareness sessions, distribution of face towels, awareness pamphlets to drivers and other personnel.
- has organized a health awareness training camp by Occupational Health Centre Doctor at Port Administrative Office and CISF Barracks.
- ensures good practice of conducting periodical health check-ups, medical camps to employees and other stakeholders.
- complied with the protocols of COVID-19 to ensure safe operations inside your Port and to mitigate the adverse health issues to the direct and indirect personnel in your Port.
- ensures good practices in implementing the vector control measures inside the Port area.

18.2 Safety

Your Port gives utmost importance to Safety in its work places. To sensitize employees, stakeholders and Port users to improve the Health and Safety performance in your Port, National Safety Week was celebrated.

In-house training programs on Fire fighting for Port users, mock drills at berths in presence of Inspectorate Dock Safety and Port users, mock drills with BOT Operators, mutual aid drills with neighboring industries namely IOCL, BPCL, IPPL & HPCL was conducted.

Concerned employees are imparted with external trainings such as trainings on CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear), Occupational Health & Safety, IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) etc.

Your Port ensures that the employees follow an effective reporting system and comply with all the statutory requirements. The built in safety gadgets are regularly inspected and certified. Strict vigil is maintained for ensuring the use of proper PPE during the work. Port is having a Disaster/Crisis Management Plan comprising of all mitigation measures.

Your Port conducts safety audits and follow-up audits by engaging National Safety Council for the berths/terminals/storage facilities handling non-flammable products and Oil Industry Safety Directorate for the berths/terminals/storage facilities handling flammable products as per the directions of the Ministry of Ports, Shipping & Waterways.

Corrective actions from learnings from the near misses/minor incidents/minor accidents are implemented. Your Port is maintaining the Oil Spill Response equipment as per Tier I of the National Oil Spill Disaster Contingency Plan (NOS-DCP) guidelines. Port has fulfilled the requirements of IMO Level I, II & III trainings as per National Oil Spill Disaster Contingency Plan (NOS-DCP) guidelines.

18.3 Environment

Your Port in its endeavor to sustain an eco-friendly and green port, is regularly monitoring the

environment. M/s. Hubert Enviro Care Systems (P) Ltd, a NABL accredited/MoEF & CC recognized laboratory has been engaged for sampling and testing of various environmental parameters like ambient air, marine water quality, sediment and noise. BOT Operators inside the Port are also monitoring the environment in their respective Terminals. The environmental quality reports are regularly submitted to the State Pollution Control Board. Port has also installed three numbers of real time continuous ambient air quality monitoring stations and the same are connected to Tamil Nadu Pollution Control Board.

Your Port is fulfilling the applicable service requirements of MARPOL regulations and has empanelled three Nos. of Tamil Nadu Pollution Control Board approved recyclers of waste oil for collection and disposal of ship generated oily wastes. Your Port has appointed a contractor for collection, segregation and disposal of solid wastes generated from the ships and inside port. The segregated wastes are sent to Pollution Control Board approved re-cyclers for further beneficial use.

Your Port has organized cleanup campaign 'Swachh Sagar, Surakshit Sagar/Clean Coast, Safe Sea' initiated by Ministry of Earth Sciences (MoES), Government of India with the help of Ministry of Ports, Shipping Waterways (MoPSW), Government of India. As a part of this program, your Port organized 75 day long extensive cleanliness program on a daily basis both inside and outside the port areas. Extensive cleanup program was also organized outside the port at Marina Beach behind the Light House area with about 400 participants comprising of Port employees, their family members, children, college students, civic agencies and volunteers thereby creating awareness among the participants. The 75 day long campaign concluded on 17.09.2022 with the cleanliness program conducted along the beach inside Port. About 200 Nos. of participants comprising of Port employees, Self Help Group Women workers, Fire Crew, BOT Operators and other agencies participated.

Your Port had banned Single Use Plastics inside the Port and also issued a Circular to all the stakeholders for strict compliance. Your Port has introduced three numbers of e-vehicles for the collection of garbage inside the Port as part of Green Port initiatives.



e-vehicles for collection of garbage as part of Green Port initiative

Your Port has observed the Coastal Cleanup Day by cleaning the seashore area in order to highlight the menace of garbage to the marine environment.

19.0 DISCLOSURE UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013 AND WOMEN EMPOWERMENT

The provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 have been implemented in the Company with the aim of providing protection to women against sexual harassment at workplace and for prevention and redressal of complaints. No case of any harassment has been reported at any time in your Company and specifically no complaints of sexual harassments were received during the year 2022-23.

As on 31st March 2023, a total of 16 women employees are on Company roll. 15% of women employees are in staff cadre and about 19% are in officers cadre. International Women's Day was celebrated with active participation of women employees.

20.0 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Your Company as a responsible Corporate citizen has undertaken projects in line with adopted CSR Policy and Companies Act, 2013. CSR Annual

Report containing the requisite disclosures relating to composition of the CSR committee, CSR policy and initiatives taken during the year on CSR are enclosed as **Annexure - I** and forms part of the Board's Report.

21.0 PUBLIC PROCUREMENT POLICY

The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises has notified Public Procurement Policy. Your Company has procured 28.55% of annual value of goods or services from Micro and Small Enterprises (including MSE's owned by SC/ST Entrepreneurs) out of total procurement.

22.0 RISK MANAGEMENT POLICY

Your Company has adopted Risk Management Policy to provide a framework to identify, assess and manage potential risks and opportunities. It provides a way for managers to make informed management decisions.

Some of the objectives of a Risk Management Framework are given below:

- A focused approach in identifying the obstacles & managing them to help the Organization perform better.
- Introduce a structured risk management initiative across the Organization to identify potential risks that may adversely affect the objectives of the Organization and plan for their mitigation with specific responsibilities assigned.
- Improve strategic decision making.
- Improve business performance.
- Reduce operational surprises and losses.
- Improve deployment of capital.
- Provide a sound basis for integrated risk management and internal control as components of good corporate governance.

The risks are identified, evaluated and mitigating plans are reviewed and monitored from time to time.

23.0 WHISTLE BLOWER POLICY

Your Company has put in place a "Whistle Blower Policy" for employees to report to the

management instances of unethical behavior, actual or suspected fraud or violation of the Company's Code of Conduct and Ethics by adopting highest standards of professionalism, honesty, integrity and ethical behavior. No complaints have been received under the Policy during the year. The Whistle Blower Policy has been hosted on the website of your Company <http://www.kamarajarport.in/upload/uploadfiles/files/blower.pdf>

24.0 NOMINATION AND REMUNERATION POLICY

Pursuant to provisions of the Companies Act, 2013, the Nomination and Remuneration Committee has formulated a policy on appointment of directors, remuneration of Directors, other employees including Key Managerial Personnel. The Nomination and Remuneration Policy is available in the weblink <http://www.kamarajarport.in/upload/uploadfiles/files/nomination-remunerationpolicy.pdf>

25.0 RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

Your Company is complying with the Right to Information Act, 2005 and has designated a Public Information Officer, and an Appellate Authority to look after the compliances of RTI Act, 2005. The information required to be provided as per Section 4(1)(b) of the Right to Information Act, 2005 has been posted on the website of the Company www.kamarajarport.in.

During the year, 52 applications were received and no appeals were filed. The applications were attended to and disposed off within the stipulated time.

26.0 INFORMATION TECHNOLOGY

Your Company has always been at the forefront in technology adoption for better business process management and providing value to the business. Your Company has undertaken many IT initiatives to carry out all business processes and service delivery through IT systems and IT enabled services and realized the digital transformation propounded by the Government of India. Your Company maintained more than 99 percent uptime of SAP operations during the year.

Contract was awarded to M/s. Indium Software (India) Limited for development of POMS and Business Interface Portal. These Applications were developed in the SAP certified No Code/Low Code Application Development Platform (Mendix). The POMS System is integrated with Sagar-Setu (NLP-M) System for exchanging information with various stakeholders like Shipping Agent, Shipping Lines, Custom Brokers, etc. POMS is an internal application of your Port primarily for planning, recording and monitoring of entire Marine and Cargo Operational activities rendered by the Port. The Business Interface Portal is for the customers to interact electronically with your Company.



Inauguration of POMS & BIP Applications by Shri Sunil Paliwal, IAS CMD, KPL on 8.2.2023

Your Company is planning to establish an Integrated Port Command Control Center covering CCTV & Video Analytics Software, Monitoring of Electrical Distribution System & Smart Street Lights, Solid Waste Management, integration with Continuous Ambient Air Quality Monitoring System, Fire Station & Other Utilities, Public Address System, Integrated GIS Solutions, etc. This will improve the overall administration, monitoring & surveillance of the Port premises.

27.0 IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

Your Company has made focused efforts for the propagation and implementation of the official language policy of the Government of India. Hindi workshops were conducted every quarter to give wide publicity on progressive use of Hindi. During

the Hindi Fortnight Celebrations, essay competition, noting and drafting, poster making and singing competitions were organized for officers and employees. A Hindi workshop was jointly organized with Chennai Port Authority on 26th September 2022 wherein Mrs. P. Supraja, Hindi Professor, Hindi Teaching Scheme, was the Chief Guest.



Issuance of Certificate on completion of Hindi Workshop

Dr. P.S. Vijayaraghavan, Editor-in-Charge, Rajasthan Patrika, Chennai was the Chief Guest in the function organized on the occasion of Hindi Diwas.



CS&BD Department honored by Chief Guest for making more Hindi Correspondence during the 2021-22.

- Official Language Implementation (Committee) meetings headed by CMD were held every quarter for monitoring the effective implementation of Rajbhasha.
- Employees were incentivized on successful completion of Prabodh, Praveen Pragya and Parangat Exams held during November 2022.

28.0 DETAILS OF DIRECTORS OR KEY MANAGERIAL PERSONNEL WHO WERE APPOINTED OR HAVE RESIGNED/CEASED DURING THE YEAR AND TILL THE DATE OF REPORT

28.1 Directors

- As first term of three years of Shri V.M.V. Subba Rao (DIN: 02435597) as an Independent Director of the Company was due for completion on 5th November, 2022, the shareholders of the Company in the Extraordinary General Meeting held on 18th October, 2022, approved his re-appointment as an Independent Director for another period of 2 years w.e.f. 6th November, 2022. In the opinion of the Board, Shri V.M.V. Subba Rao is a person of integrity and possesses relevant expertise, experience and requisite proficiency.
- Shri S. Viswanathan, I.A.S., (DIN:09634577), Nominee of Chennai Port Authority, was appointed as an Additional Director w.e.f. 27th April, 2023. He holds office up to the date of ensuing Annual General Meeting pursuant to Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and is being proposed for appointment as Nominee Director at the Annual General Meeting.
- Shri S. Balaji Arunkumar I.R.T.S. (DIN:07526368) ceased to be a Nominee Director of Chennai Port Authority w.e.f. 27th April, 2023.
- Re-appointment of Captain Anoop Kumar Sharma (DIN:03531392) and Smt. Sarla Balagopal (DIN: 01572718), Independent Directors of the Company are being considered in the ensuing Annual General Meeting for a period of three years w.e.f. 10th November, 2023. In the opinion of the Board, Captain Anoop Kumar Sharma and Smt. Sarla Balagopal are persons of integrity and possesses relevant expertise, experience and requisite proficiency.

28.2 Key Managerial Personnel

- Shri Sunil Paliwal, I.A.S (DIN:01310101) became Chairman (Non Executive) on 10.11.2021 and assumed charge as Managing Director (i/c) on 10.11.2021 till such time a regular Managing Director is appointed.

- Subsequently, Smt. J.P. Irene Cynthia, I.A.S (DIN: 08839241) was appointed as Additional Director and designated as Managing Director by the Board in their meeting held on 24th July 2023 for a period of 5 years from the date of assumption of office. Smt. J.P. Irene Cynthia, I.A.S (DIN: 08839241) assumed office as Managing Director on 21st August, 2023. Consequently, Shri Sunil Paliwal, I.A.S (DIN: 01310101) ceased to be Managing Director(i/c), but continues to be Chairman (Non Executive).
- Shri M. Gunasekaran was the Chief Financial Officer and Compliance Officer until his superannuation on 28th February, 2023. Subsequently, Board appointed Shri C.S. Vemanna as Chief Financial Officer (i/c) with effect from 1st March, 2023 (until such time regular Chief Financial Officer is appointed) and Smt. Jayalakshmi Srinivasan, Company Secretary as Compliance Officer with effect from 1st March, 2023. After Smt. Kavita Satvi assumed office as General Manager (Finance) on 1st August 2023, she was appointed as Chief Financial Officer (CFO) of the Company w.e.f 14.8.2023. Consequently, Shri C.S. Vemanna ceased as CFO (i/c) w.e.f 14.8.2023.

28.3 Directors liable to retire by rotation

Pursuant to Section 152 of the Companies Act, 2013, Shri Sunil Paliwal, I.A.S (DIN:01310101) is liable to retire by rotation at the ensuing Annual General meeting and being eligible offers himself for reappointment.

A brief Resume along with other requirements is provided in the Notice/Explanatory Statement of the 23rd Annual General Meeting of the Company for the Directors seeking appointment/ re-appointment.

28.4 Details of Meetings of the Board/ Committees and Composition

The Board is assisted by adequate Board Level Committees. The Company Secretary acts as the Secretary to all the Board Level Committee(s). The details of Meetings of the Board/Committee and composition are given in the Corporate

Governance Report that forms part of this Annual Report. All the recommendations of the Committees have been accepted by the Board.

28.5 Annual Evaluation

In terms of Section 134(3)(p) of the Companies Act, 2013, annual evaluation of the individual Directors, performance of the Board as a whole, its Committees was carried out by the Directors. An evaluation criteria questionnaire was circulated to all the Directors on various parameters like level of participation and devotion of enough time.

29.0 DECLARATION OF INDEPENDENT DIRECTORS

Your Company has received necessary Declaration from each of the Independent Directors of the Company during the year 2022-23 conforming that they meet the criteria of Independence as prescribed under Sec - 149(6) of the Companies Act 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015.

30.0 VIGILANCE

Shri S. Murali Krishnan, IDAS, Chief Vigilance Officer, Chennai Port Authority is holding additional charge of CVO, Kamarajar Port Limited with effect from 25.04.2022. CVO is assisted by a Manager from Planning Department.

The Vigilance Division scrutinizes the documents with respect to the work contract executed by the departments. Procedural lapses, deviations from tendering norms and shortcomings in contract works are pointed out to the concerned departments for corrective actions and system improvements. Recovery of money is also advised in fitting cases.

The CVC guidelines/notifications are circulated to the departments. The Annual Immovable Property Returns submitted by the officers of your Company are scrutinized by the Vigilance Division. Clarifications are sought for abnormalities, if any, from the concerned officers/staff. The Audit Reports are studied at Vigilance Division and departments are advised to take necessary corrective action, wherever required.

30.1 Vigilance Awareness Week, 2022

Vigilance Awareness Week 2022 was observed in your Company from 31st October 2022 to 6th November 2022 with the theme **"Corruption free India for a developed nation"**. Various outreach activities like conducting workshops, walkathon, competitions to school and college students, staffs, Special Guest Lecturing on Valedictory function and other Vigilance awareness activities were carried out. Workshop was conducted on the topic "Disciplinary Proceedings" by Dr. Upendar Vennam, IPoS, CVO, Bharat Dynamics Ltd.



Vigilance Awareness Week Valedictory Function

30.2 Adoption of Integrity Pact

The Central Vigilance Commission has been promoting integrity, transparency, equity and competitiveness in Government/PSU transactions as a part of Vigilance Administration and Superintendence. Public Procurement is a major area of concern for the Central Vigilance Commission and various steps have been taken to put proper systems in place.

The Commission has recommended adoption of Integrity Pact and provided basic guidelines for its implementation in respect of major procurements in the Government Organizations. Further, the Commission has recommended for the appointment of Independent External Monitors (IEMs) for implementation of Integrity Pact and also advised the organizations to fix a threshold value for the contracts/ procurement which are to be brought under the Integrity Pact. The Pact envisages an agreement between prospective vendors/bidders and Employer/ Principal, to ensure that the persons /officials of

both parties do not exercise any corrupt influence on any aspect of the contract. The threshold value for contracts/ procurement to be covered under Integrity Pact has been fixed as Rs.1 Crore and above. The following two IEMs are implementing the Integrity Pact in your Company:

- 1) Shri Virendra Narayan Gaur, I.A.S. (Retd)
- 2) Shri Ashwani Kumar, Former CMD, Dena Bank,

As advised by the Ministry of Shipping, Integrity Pact has already been implemented in the PPP projects and other contract works in your Company. Integrity Pact covers all phases of the contract i.e. from the stage of Notice Inviting Tender (NIT) till the conclusion of the contract. All the Departments were advised to incorporate Integrity Pact clause in the tender documents for works/procurements having threshold value of Rs.1 Crore. The IEMs periodically reviewed the works having a threshold value of Rs.1 Crore and above in your Company.

30.3 IEM's review meeting

Review meetings are being conducted by inviting stake holders of your Port. For the financial year 2022-23, 2 IEM's Review meetings were conducted on 10.08.2022 and 10.03.2023. During the meeting, IEM's resolved the issues raised by the Contractors/Vendors/Consultants, within the purview of IEMs.

31.0 NAMES OF COMPANIES WHICH HAVE BECOME OR CEASED TO BE ITS SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES OR ASSOCIATE COMPANIES DURING THE YEAR

During the year, no Company has become or ceased to be its Subsidiary, Joint Venture or Associate Company.

32.0 DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Your Directors state that:-

- (a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- (b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year

and of the profit of the Company for that period;

- (c) the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (d) the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis;
- (e) the directors had laid down internal financial controls to be followed by the Company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.
- (f) the directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

33.0 DISCLOSURE AS PER SECTION 197 OF THE COMPANIES ACT AND THE REQUIREMENTS OF COMPANIES (APPOINTMENT AND REMUNERATION OF MANAGERIAL PERSONNEL) RULES, 2014.

The requisite details pursuant to provisions of Section 197 of the Companies Act, 2013, read with Rule 5 of Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, forms part of Board's Report and is Annexed to this Report as **Annexure - II**.

34.0 AUDITORS

Pursuant to the provisions of Section 139 of the Companies Act, 2013, the Comptroller & Auditor General of India, New Delhi has appointed M/s. B. Thiagarajan & Co., Chartered Accountants as Statutory Auditors of the Company for auditing the books of accounts of the Company for the period ended 31st March 2023.

34.1 Statutory Auditors' Report

The Statutory Auditor of the Company, M/s. B. Thiagarajan & Co., Chartered Accountants, have given an unqualified report on the accounts of the Company for the financial year 2022-23. The Emphasis of matters and Notes on financial statement referred to in the Auditor's Report are self-explanatory and do not call for any further comments.

34.2 Review of Accounts by Comptroller and Auditor General of India

Under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013, the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) reported that "nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditor's report". A copy of the report of C&AG is annexed to the Board's Report.

35.0 SECRETARIAL AUDIT

M/s. S. Dhanapal & Associates, Practicing Company Secretaries was appointed to conduct Secretarial Audit of your Company for the financial year 2022-23. The Secretarial Auditor's have given an unqualified report and the report is enclosed as **Annexure – III**.

36.0 SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY REGULATORS OR COURTS

There are no significant and material orders passed by the Regulators or Courts or Tribunals impacting the going concern status and Company's operations in future.

37.0 ANNUAL RETURN

Pursuant to Section 92(3) and Section 134(3)(a) of the Companies Act, 2013, the Annual Return is available in the following link <http://www.kamarajarport.in/content/innerpage/annual-return.php>

38.0 DEBENTURE TRUSTEE

Your Company had appointed M/s. SBICAP Trustees Company Ltd. and M/s. Catalyst Trusteeship Ltd. (formerly known as GDA Trusteeship Ltd.) as Debenture Trustees for Tax Free Bonds issued during the financial years 2012-13 and 2013-14 respectively. The contact details of the Debenture Trustees are detailed below:-

Debenture Trustees	
SBICAP Trustee Company Ltd, Mistry Bhavan, 4 th Floor, 122, Dinshaw Vachha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020. Ph: 022 – 43025555 Fax: 022 – 43025500	Catalyst Trusteeship Limited, GDA House, Plot No.85, Bhusari Colony (Right), Paud Road, Kothrud, Pune – 411 038 Ph: 020 – 66807200 Fax : 020 – 25280275

39.0 REPORT ON CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO.

In accordance with the provisions of Section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013

information regarding Conservation of Energy, Technology Absorption, Foreign Exchange earnings and outgo enclosed as **Annexure – IV** to this report.

40.0 REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

A voluntary report on Corporate Governance for the year ended 31st March 2023 is enclosed as **Annexure - V** to this report.

40.1 Secretarial Standards

Your Company has complied with the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India on Meetings of the Board of Directors (SS-1) and Secretarial Standards on General Meetings (SS-2).

41.0 COST RECORDS

The Central Government has not prescribed the maintenance of cost records under Section 148(1) of the Companies Act, 2013 for the Company.

42.0 ACKNOWLEDGEMENT

Your Directors would like to place on record their gratitude for the support and guidance received from the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India and Chennai Port Authority and appreciates the co-operation received from TANGEDCO/TNEB, TNPCB, GoTN and Gol, particularly the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indian Port Association, Ministry of Finance and Indian Railways/Southern Railways.

Your Directors gratefully acknowledge the continued support and cooperation received from the Comptroller & Auditor General of India, Statutory Auditors, Internal Auditors and Secretarial Auditor. Last but not least, your Directors thank the Port Users, BOT Concessionaires, Contractors and Bankers for their continued support and assistance and wish to place on record their appreciation of the continued excellent work done by all the employees of the Company during the year.

For and on behalf of the Board of Directors
Kamarajar Port Limited

Sd/-
Sunil Paliwal, I.A.S.,
Chairman
(DIN: 01310101)

Place: Chennai
Date : 22.09.2023

ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES FOR THE FINANCIAL YEAR 2022-23**[Pursuant to Section 135 of the Companies Act, 2013 ('the Act') & Rules made thereunder]****1. Brief outline on CSR Policy of the Company:**

Your Company consistently strives to meet the expectations of the society by supporting initiatives for improving infrastructure/ quality of life of society / community without compromising on ecological issues on sustainable basis consistent with the CSR provisions of the Companies Act, 2013; Schedule VII of the Companies Act, 2013.

Your Port, as a socially responsible Corporate Port endeavors to

- promote and leverage green technologies to produce goods and services that contribute to social and environmental sustainability.
- take up on priority CSR projects, which are in the National Development agenda like safe drinking water, provision of Toilets especially for girls, health and sanitation and education, etc., with the main focus to address the basic needs of the deprived, under privileged and are in line with CSR rules and the policy directions issued by the Government from time to time.

2. Composition of CSR Committee (as on 31.03.2023)

Sl. No.	Name of the Director Designation/Nature of Directorship	Number of Meetings of CSR Committee held during the year	Number of Meetings of CSR Committee attended during the year
1	Shri Sunil Paliwal, CMD/Chairman	4	4
2	Shri S. Balaji Arunkumar, Nominee Director / Member	4	4
3	Shri V.M.V. Subba Rao, Independent Director / Member	4	4

3. Provide the web-link(s) where Composition of CSR Committee, CSR Policy and CSR Projects approved by the board are disclosed on the website of the company:

Composition of CSR Committee link:

<http://www.kamarajarport.in/content/innerpage/board-level-committee.php>

CSR Policy Link:

https://kamarajarport.in/upload/uploadfiles/files/csr_Policy_Revised_26072021.pdf

CSR Projects Link:

<https://kamarajarport.in/content/innerpage/corporate-social-responsibility-csr.php>

4. Provide the executive summary along with web-link(s) of Impact Assessment of CSR Projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8, if applicable: Not Applicable**5. (a) Average net profit of the company as per sub-section (5) of Section 135 : Rs. 427.47110 Crore****(b) Two percent of average net profit of the company as per sub-section (5) of Section 135:**

Rs. 8,54,94,220/-

(c) Surplus arising out of the CSR Projects or programs or activities of the previous financial years : NIL**(d) Amount required to be set-off for the financial year, if any : NIL****(e) Total CSR obligation for the financial year [(b)+(c)-(d)] : Rs. 8,54,94,220/-***

Foot Note:* Though KPL's total CSR Obligation is Rs.8,54,94,220/- only, KPL Board has approved CSR Initiatives to the value of Rs.9,85,00,000/- which is Rs.1,30,05,780/- higher than the CSR Obligation

6. (a) Amount spent on CSR Projects (both Ongoing Project and other than Ongoing Project):

Rs. 5,96,80,173/-

(b) Amount spent in Administrative overheads: NIL

(c) Amount spent on Impact Assessment, if applicable: NIL

(d) Total amount spent for the Financial Year [(a)+(b)+(c)]: Rs. 5,96,80,173/-

(e) CSR amount spent or unspent for the Financial Year:

Total Amount Spent for the financial year (in Rs.)	Amount Unspent (in Rs.)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per Sub-Section (6) of Section 135		Amount transferred to any fund specified in Schedule VII as per second proviso to Sub-Section (5) of Section 135		
	Amount	Date of transfer	Name of the fund	Amount	Date of Transfer
5,96,80,173/-	See foot note*	27.04.2023	NA	NA	NA

*Rs.3,88,19,827/- is deposited in the CSR Account as CSR Initiatives to the tune of Rs.1,30,05,780/- has been approved over and above the CSR budget calculated as per Section 135 of the Companies Act. The amount to be transferred to Unspent CSR Account as per 2% calculation envisaged in Act is Rs.258,14,047/-

(f) Excess amount for set-off, if any:

Sl.No.	Particulars	Amount (in Rs.)
(1)	(2)	(3)
(i)	Two percent of average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135	8,54,94,220/-
(ii)	Total amount spent for the Financial Year	5,96,80,173/-
(iii)	Excess amount spent for the Financial Year [(ii)-(i)]	0*
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous Financial Years, if any	0
(v)	Amount available for set off in succeeding Financial Years [(iii)-(iv)]	0

*However, KPL Board has approved projects worth Rs. 1,30,05,780/- in excess to the CSR obligation (i.e. two percent of average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135)

7. Details of Unspent Corporate Social Responsibility amount for the preceding three Financial Years:

1	2	3	4	5	6		7	8
Sl.No.	Preceding Financial Year(s)	Amount transferred to Unspent CSR Account under sub-section (6) of section 135 (in Rs.)	Balance Amount in Unspent CSR Account under sub-section (6) of section 135 (in Rs.)	Amount spent in the Financial Year (in Rs.)	Amount transferred to a Fund as specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section (5) of section 135, if any		Amount remaining to be spent in succeeding Financial Years (in Rs.)	Deficiency, if any
					Amount (in Rs.)	Date of transfer		
1	FY-2020 - 21	2,83,37,640/-	83,53,750/-	79,58,039/-	3,95,711/-	31.03.2023	0	0
2	FY-2021 - 22	1,49,70,952/-	15,134/-	1,49,55,818/-	NA	NA	15,134/-	0

8. Whether any capital assets have been created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year:

No

If Yes, enter the number of Capital assets created/ acquired :

NA

Furnish the details relating to such asset(s) so created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year:

Sl.No.	Short particulars of the property or asset(s) including complete address and location of the property	Pincode of the property or asset(s)	Date of creation	Amount of CSR amount spent	Details of entity/ Authority/ beneficiary of the registered owner		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					CSR Registration Number, if applicable	Name	Registered address
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

9. Specify the reason(s), if the Company has failed to spend two per cent of the average net profit as per sub-section (5) of section 135:

Not applicable, because the money has been transferred to unspent CSR account for ongoing projects.

<p style="text-align: center;">Sd/- Smt. J.P. Irene Cynthia, I.A.S. (Managing Director)</p>	<p style="text-align: center;">Sd/- Shri Sunil Paliwal, I.A.S. (Chairman-CSR Committee)</p>
--	--

Information under Section 197 of the Companies Act, 2013

Read With Rule 5 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014

1. The ratio of the remuneration of each director to the median remuneration of the employees of the Company for the financial year –

See Note 1.

2. The percentage increase in remuneration of each director, Chief Financial Officer, Chief Executive Officer, Company Secretary or Manager, if any, in the Financial Year.

Sl. No.	Name	Percentage
1	Shri Sunil Paliwal, CMD	See Note 1
2	Shri M. Gunasekaran, CFO (upto 28.02.2023)	See Note 2
3	Shri C.S. Vemanna, CFO (w.e.f 01.03.2023)	See Note 2
4	Smt. Jayalakshmi Srinivasan, CS	24.88 %

3. The percentage increase in the median remuneration of employees in the financial year

	CY	PY	Percentage
Median Remuneration	1249356.86	1169461.87	6.83 %

4. The number of permanent employees on the roll of Company:

The total number of permanent employees on the roll of the Company as on 31st March 2023 is 92.

5. Average percentile increase already made in the salaries of employees other than the managerial personnel in the last financial year and its comparison with the percentile increase in the managerial remuneration and justification thereof and point out if there are any exceptional circumstances for increase in the managerial remuneration.

As per the policy of the Company, the annual increment in basic pay of the employees of the Company is 3%. The Dearness Allowance is increased as per Government rules. Further the Performance related payments/Terminal benefits are paid as per the applicable rules depending on the performance of the Company during the relevant year.

6. Affirmation that the remuneration is as per the remuneration policy of the Company.

The remuneration to all employees of the Company is as per the Nomination and Remuneration Policy of the Company.

7. The particulars for the year 2022-23 as required to be disclosed under Rule 5(2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules 2014.

No employee earned beyond the limits prescribed therein.

Note 1: Pursuant to Shri Sunil Paliwal assuming charge as Chairman of Chennai Port Trust (Now Chennai Port Authority) no remuneration is being paid to him w.e.f. 10.11.2021. Only PRP as applicable for the FY 2020-2021 and 2021-2022 (upto 9.11.2021) was paid. Consequently, ratio/percentage cannot be determined.

Note 2: Since the remuneration of these KMP's is only for the part of the year, consequently the percentage increase cannot be determined.

Top ten employees in terms of remuneration drawn as on 31.03.2023

S. No.	Name & Designation	Remuneration received (Rs.)	Qualifications & Experience	Date of Commencement of employment	Age	Last employment held
1	Shri Sanjay Kumar, General Manager (CS&BD)	69,23,937/-	B.Sc Physics with 36 years of experience in various capacities.	03-05-2005	59	CISF
2	Shri P. Radhakrishnan, DGM (Civil)	48,01,670/-	B.E. (CIVIL) & M.E. Management with 37 years of experience in various capacities.	12-12-2007	59	Mecon Ltd
3	Shri S.P. Desikamani, Chief Manager (Dock Master)	42,55,491/-	B.Sc/Master FG with 31 years of experience	27-04-2018	51	West Asia Maritime Limited
4	Shri C. Uma Shankar, Chief Manager (Marine Services)	39,94,383/-	B.E.(Mechanical)/Master FG with 31 years of experience.	02-05-2018	54	DP World Chennai Container Terminal
5	Shri Nirbhik Singh Puar, Senior Manager (Pilot)	38,63,329/-	Master FG with 20 years of experience	01-08-2018	48	Hapag Lloyd Pvt Ltd.
6	Shri C.S. Vemanna, Chief Manager (Finance)	38,62,389/-	B COM, AICWAI, Dip in Fisheries Tech & Navigation Engg & MBA with 32 years of experience in various capacities.	05-03-2012	55	IOCL
7	Shri G.M. Balan, General Manager (MS)	38,05,515/-	B.SC Physics & Master – FG with 28 years of experience in various capacities.	16-08-2013	50	LP Logistics Pvt. Ltd
8	Shri Subramanian Mageswaran, Chief Manager (Dock Master)	38,05,265/-	Master FG with 18 years of experience.	02-05-2018	52	Wallem Ship Management Pvt. Ltd
9	Shri A. Karuppiyah, Chief Manager (Traffic)	36,05,024/-	B.E.(Civil) & M.Tech (Ocean Engineering) with 26 years of experience	01-02-2007	56	Chennai Port Authority
10	Shri P. Om Pragesh, Sr. Executive Secretary	33,71,308/-	B.COM, MBA, PGDM(PM) with 29 years of experience	25-02-2002	50	Central Government, Ministry of Shipping

Note:

- Nature of Employment: Employees of the Company.
- None of the employees are covered under Rule 5(3)(viii) of the Companies (Appointment & Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.
- No employee is a relative of any Director or Manager of the Company.
- "Remuneration" means any money or its equivalent given or passed to any person for services rendered by him and includes perquisites as defined under the Income-Tax Act 1961.

Suite No.103, First Floor, Kaveri Complex No.96/104, Nungambakkam High Road
(Next to NABARD & ICICI Bank), Nungambakkam, Chennai – 600 034
Phone No.044-45530256, 4553 0257/4265 2127
E-mail: csdhanapal@gmail.com, secrertarial@csdhanapal.com
website: www.csdhanapal.com

S Dhanapal & Associates LLP

Practising Company Secretaries

LLPIN: ACB 0368

(Regd.with Limited Liability under the LLP Act, 2008)

Designated Partners

S. Dhanapal, B.Com., B.A.B.L., F.C.S**N. Ramanathan**, B.Com., F.C.S**Smita Chirimar**, M.Com., F.C.S, DCG(ICS)**FORM NO. MR-3****SECRETARIAL AUDIT REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2023**

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9 of the Companies
(Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members,**KAMARAJAR PORT LIMITED**

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **M/s. KAMARAJAR PORT LIMITED**, (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted based on records made available to us, in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/ statutory compliances and expressing our opinion/ understanding thereon.

Based on our verification of the Company's Books, Papers, Minute Books, Forms and Returns filed and Other Records maintained by the Company and made available to us and also the information provided by the Company, its Officers, Agents and Authorized Representatives during the conduct of Secretarial Audit, we, on strength of those records, and information so provided, hereby report that in our opinion and understandings, the Company, during the audit period covering the financial year ended on **March 31, 2023**, appears to have complied with the statutory provisions listed hereunder and also in our limited review, the Company has proper and required Board processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the Books, Papers, Minutes' Book, Forms and Returns filed and Other Records maintained by the Company and made available to us, for the financial year ended on **March 31, 2023** according to the applicable provisions of:

- i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder as applicable;
- ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;
- iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings to the applicable extent.
- v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI ACT') as applicable during the year:
 - a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
 - c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital And Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
 - d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;
 - e) The Securities and Exchange Board of India

(Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021;

- f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client;
- g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021;
- h) The Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018.
- vi) Acts, Rules and Regulations relating to Port Management and related activities as identified by the Management and communicated to us.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India with respect to Meetings of Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2), and
- ii) The Listing Agreements entered into by the Company with BSE Limited and The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

During the period under review, the Company has complied in accordance with the requirements to be met with the applicable provisions of the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above to the required extent.

It is represented to us that the Company has initiated measures, wherever required, to address issues raised by the Statutory Authorities and Letters/ Notices received by the Company during the financial year under various enactments as applicable to the Company.

We further report that, subject to the above, the related documents that we have come across depict that:

The Board of Directors of the Company is constituted as applicable with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors and the changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all directors to schedule

Place: Chennai

Date: 22.09.2023

This Report is to be read with our testimony of even date which is annexed as Annexure A and forms an integral part of this report.

the Board Meetings, Agenda and detailed notes on Agenda were sent at least seven days in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes, if any.

We further report that based on our limited review of the compliance mechanism established by the Company, there appear adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable Laws, Rules, Regulations and Guidelines.

We further report that the Company has obtained approval from the members at the Annual General Meeting (AGM) held on 28.09.2022 and at the Extraordinary General Meeting (EGM) held on 18.10.2022 for following Special Businesses:

- a) Appointment of Shri Sunil Paliwal, I.A.S.(DIN: 01310101) as Managing Director of the Company.
- b) Re-appointment of Shri V.M.V. Subba Rao (DIN: 02435597) as Independent Director for a period of 2 years w.e.f. 06.11.2022.

We further report that our Audit was subjected only to verifying adequacy of systems and procedures that are in place for ensuring proper compliance by the Company and we are not responsible for any lapses in those compliances on the part of the Company. The compliance with provisions of applicable laws which have been subject to other audits have not been independently reviewed by us and the reports wherever shown to us have been relied upon in rendering our report.

We further report that we have conducted the Secretarial Audit wherever required through online verification and examination of records, as requested and facilitated by the Company, for the purpose of issuing this Report.

For S DHANAPAL & ASSOCIATES LLP
(Practicing Company Secretaries)
(Firm Regn. No. L2023TN014200)
LLPIN: ACB 0368

Sd/-

N. RAMANATHAN (Partner)
FCS 6665 CP NO. 11084
Peer Review Certificate No.1107/2021
UDIN: F006665E001056494

To

**The Members,
Kamarajar Port Limited
Chennai**

Auditor's responsibility

Based on audit, our responsibility is to express an opinion on the compliance with the applicable laws and maintenance of records by the Company. We conducted our audit in accordance with the auditing standards CSAS 1 to CSAS 4 ("CSAS") prescribed by the Institute of Company Secretaries of India ("ICSI"). These standards require that the auditor complies with statutory and regulatory requirements and plans and performs the audit to obtain reasonable assurance about compliance with applicable laws and maintenance of records.

Due to the inherent limitations of an audit including internal, financial and operating controls, there is an unavoidable risk that some misstatements or material non-compliances may not be detected, even though the audit is properly planned and performed in accordance with the CSAS. Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.

2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company and for which we relied on the report of statutory auditor.
4. Where ever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

**For S DHANAPAL & ASSOCIATES LLP
(Practicing Company Secretaries)
(Firm Regn. No. L2023TN014200)
LLPIN: ACB 0368**

Sd/-

**N. RAMANATHAN (Partner)
FCS 6665 CP NO. 11084
Peer Review Certificate No.1107/2021
UDIN: F006665E001056494**

**Place: Chennai
Date: 22.09.2023**

**INFORMATION UNDER SECTION 134(3)(m) OF THE COMPANIES ACT,
2013 READ WITH RULE 8 OF THE COMPANIES (ACCOUNTS) RULE, 2014**

A) CONSERVATION OF ENERGY:

(i) Steps taken or impact on Conservation of Energy:

To ensure effective utilization of electrical energy, Energy Audit was conducted by M/s. Greenserve Energy and Audit Report was obtained during June 2020. The following energy conservation measures were recommended by the Auditor:

- Arresting of Air conditioner duct leakages inside false ceiling in both 2nd and 3rd floors of Jawahar Building at Trade Facilitation Center.
- Installing of occupancy sensor in toilet and Board Rooms and motion sensor in pathway of Chairman corridor and other walkways to improve the operational effectiveness of lighting.
- Installation of additional 40KW near solar power plant in signal station and renovation of existing storage system.
- Installing new substation near signal station which will help in reduction of distribution losses.

Accordingly,

- a) Air conditioner duct leakages inside false ceiling in both 2nd and 3rd floor of Jawahar Building were arrested.
- b) Approval of Competent Authority has been obtained at an estimated cost of Rs.3.83 Crore for installation of new 11KV/433V substation near signal station and work was awarded to M/s. Kevin Electricals Pvt. Ltd., Chennai and the work is in progress.
- c) 300 KW Ground Mounted Solar Power Plant was installed and commissioned during January 2023 to meet out the day time power consumption of KPL on RESCO Model.

As installation of occupancy sensor in toilet and Board Rooms and motion sensor in pathway of Chairman Corridor and other walkways to improve the operational effectiveness of lighting will not conserve considerable amount of energy vis a vis the implementation cost, the subject recommendation is not being considered for implementation.

Impacts

- Reduce carbon footprint
- Significantly reduce utility bills.
- Protect the environment
- Energy Efficient
- Prolong the existence of fossil fuels.
- Reduce distribution losses.

(ii) Steps taken by the Company for utilizing alternate sources of energy:

Around 18000 KWh (Units) of power has been generated through Diesel Generator and around 1,08,408 KWh (Units) of power has been generated through Solar and the same has been utilized during the year 2022-2023.

The existing storage system of 20KW Solar Power Plant installed at signal station was renovated at the cost of Rs.5,90,360/- during October 2022.

(iii) Capital Investment on energy conservation equipments

Nil.

B) TECHNOLOGY ABSORPTION:

Efforts made towards technology absorption:

(i) SAP ERP System

Successful implementation of SAP S/4 HANA 1610 ERP system covering various functional areas like, Budget, Accounts & Finance, HR & Payroll, Material Management, Project Systems, etc. during November 2017 and

subsequent upgradation of the SAP system to SAP S/4 HANA 2020 during the FY 2021-22, enhanced the overall IT utilization and took KPL forward in terms of increasing the overall productivity, enhanced the customer services, service level commitments, utilization of resources at optimal level, etc.

(ii) Benefits derived

Business processes and functionalities of HR/Payroll, Finance & Accounting, Purchase & Contracts and Project Systems (WBS), Employee Requests/Claim and Loan processes are made online through Employee Self Service (ESS) Portal resulting in increased transactional efficiency and productivity leading to cost reduction.

(iii) In case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year)

a) The details of technology imported:
Not applicable

b) The year of import: Not applicable

c) Whether the technology been fully absorbed: Not applicable

d) If not fully absorbed, areas where absorption has not taken place, and the reason thereof: Not applicable

(iv) The expenditure incurred on Research and Development: Rs.17,86,670/-

C) FOREIGN EXCHANGE EARNINGS & OUTGO:

Foreign Exchange Earnings is Nil and Foreign Exchange Outflow is Nil.

Place: Chennai
Date: 22.09.2023

**For and on behalf of the Board of Directors
Kamarajar Port Limited**

**Sd/-
Sunil Paliwal, I.A.S.,
Chairman
(DIN: 01310101)**

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1.0 BRIEF STATEMENT ON COMPANY'S PHILOSOPHY ON THE CODE OF GOVERNANCE

Corporate governance is a system of rules, practices and processes by means of which effective strategic decisions are taken to steer an organization in the desired direction. As a good corporate citizen, your Company considers good Corporate Governance a pre-requisite for meeting the needs and aspirations of its stakeholders. Towards this end, your Company maintains transparency in its dealings through robust policies, practices, effective processes and systems with clear

accountability, integrity and the highest standards of governance. Hence, the Report on Corporate Governance is being voluntarily provided.

2.0 BOARD OF DIRECTORS**2.1 Composition and Category of the Board of Directors as on 31.03.2023.**

Sl. No.	Name	Category
1	Shri Sunil Paliwal, I.A.S.	Chairman and Managing Director(i/c)
2	Shri S. Balaji Arunkumar, I.R.T.S.	Nominee Director
3	Shri V.M.V. Subba Rao, FCA, DISA (ICAI)	Independent Director
4	Capt. Anoop Kumar Sharma	Independent Director
5	Smt. Sarla Balagopal, I.R.T.S. (Retd.)	Independent Director

Composition and Category of the Board of Directors during the financial year 2022-23 and up to date of this Report:

Sl.No.	Name	Category	Date of appointment	Date of Cessation
1.	Shri Sunil Paliwal, I.A.S.	Chairman (Non Executive)	10.11.2021	Continues
		Managing Director (I/c)	10.11.2021	21.08.2023
2.	Smt. J.P. Irene Cynthia, I.A.S.*	Managing Director	21.08.2023	Continues
3.	Shri S. Balaji Arun Kumar, I.R.T.S.	Nominee Director	04.09.2020	27.04.2023
4.	Shri.S. Viswanathan, I.A.S.*	Nominee Director	27.04.2023	Continues
5.	Shri. V.M.V Subba Rao, FCA, DISA (ICAI)	Independent Director	06.11.2022 (Second term)	Continues
6.	Capt. Anoop Kumar Sharma	Independent Director	10.11.2020	Continues
7.	Smt. Sarla Balagopal, I.R.T.S. (Retd.)	Independent Director	10.11.2020	Continues

* Smt. J.P. Irene Cynthia, I.A.S. is the spouse of Shri. S. Viswanathan, I.A.S.

2.2 No. of Board Meetings held with dates of the Meeting:

During the financial year 2022-23, 10 (Ten) Board meetings were held on 25.05.2022, 08.07.2022, 11.08.2022, 28.09.2022, 18.10.2022, 11.11.2022, 13.12.2022, 13.01.2023, 13.02.2023 and 20.03.2023.



Board of Directors in the Meeting held on 20.3.2023 at Komarakom

2.3 Meetings and Attendance during the year

Attendance of each member along with Chairmanship/Membership of the Audit Committee (AC) and Stakeholder

Relationship Committee (SRC) of Public Limited Companies (including KPL) as per the data/details made available to the Company/Committee is given below:

Name of the Director	Designation of the Director	No. of Board Meeting held during the tenure of respective Director in F.Y. 2022-23	No. of Board Meeting Attended	Last AGM attended	Other Directorship as on 31 st March 2023	No. of Committee across all Companies	
						As Member as on 31 st March 2023	As Chairman as on 31 st March 2023
Shri Sunil Paliwal	Chairman & Managing Director	10	10	Yes	4	AC - KPL SRC - KPL AC - SCL	Nil
Shri S. Balaji Arun Kumar*	Nominee Director	10	10	Yes	3	Nil	Nil
Shri. V.M.V Subba Rao**	Independent Director	10	10	Yes	1	Nil	AC-KPL
Capt. Anoop Kumar Sharma	Independent Director	10	10	Yes	Nil	AC-KPL	Nil
Smt. Sarla Balagopal	Independent Director	10	9	Yes	Nil	AC-KPL	SRC-KPL

Note : KPL - Kamarajar Port Limited, SCL - Sethusamudram Corporation Limited

* ceased to be a Nominee Director in the Board of KPL w.e.f. 27.04.2023.

** re-appointed as Independent Director of the Company for another period of two years w.e.f. 06.11.2022 in the Extraordinary General Meeting held on 18th October, 2022.

3.0 Audit Committee

The role, terms of reference, Composition of the Audit Committee is in accordance with Companies Act, 2013 and other applicable provisions. Head of Finance, Internal Auditors, Statutory Auditors and Senior Executives from various functions were invited to the Audit Committee meetings for interacting with the members of the Audit Committee. The members of Audit committee maintain a strong oversight of the financial reporting process, the audit process, the Company's system of internal controls and compliance with laws and regulations.

A. Composition of Audit Committee

The Audit Committee of the Company comprised of the following members as on 31.03.2023:

Shri V.M.V. Subba Rao	- Chairman
Shri Sunil Paliwal	- Member

Capt. Anoop Kumar Sharma - Member
Smt. Sarla Balagopal - Member

In the Board Meeting held on 22.9.2023, Smt. J.P. Irene Cynthia, I.A.S., Managing Director was inducted as a Member of the Audit Committee.

B. Meetings and Attendance during the year:

During the year 2022-23, 5 (five) Audit Committee meetings were held on 25.05.2022, 08.07.2022, 11.08.2022, 11.11.2022 and 13.02.2023 and the attendance of Members is as detailed below:

Members	No. of Meeting held during tenure	Attendance by Members	
		No. of meetings	%
Shri V.M.V. Subba Rao	5	5	100
Shri Sunil Paliwal	5	5	100
Capt. Anoop Kumar Sharma	5	5	100
Smt. Sarla Balagopal	5	5	100

4.0 NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The role, terms of reference and composition of the Nomination and Remuneration Committee is in accordance with the Companies Act, 2013 and other applicable provisions and the Committee recommends to the Boards the appointment/re-appointment of Directors, Key Managerial Personnel and Senior Management.

A. Composition of Nomination and Remuneration Committee

Nomination and Remuneration Committee comprised of the following Members as on 31.03.2023:

Capt. Anoop Kumar Sharma	- Chairman
Shri Sunil Paliwal	- Member
Shri S. Balaji Arunkumar	- Member
Smt. Sarla Balagopal	- Member

Shri S. Balaji Arunkumar, ceased to be a member of the Committee w.e.f. 27.04.2023 and Shri S. Viswanathan, I.A.S. was inducted as member w.e.f. 27.04.2023.

B. Meetings and Attendance during the year

During the year 2022-23, 3 (three) Nomination and Remuneration Committee meetings were held on 11.08.2022, 18.10.2022 and 13.02.2023 and the attendance of members is as detailed below:

Members	No. of Meetings held during tenure	Attendance by Members	
		No. of meetings	%
Capt. Anoop Kumar Sharma	3	3	100
Shri Sunil Paliwal	3	3	100
Shri S. Balaji Arunkumar	3	3	100
Smt. Sarla Balagopal	3	3	100

C. Remuneration received by Functional Directors

Details of remuneration of Functional Directors of the Company paid for the Financial Year 2022-23:

Name of the Directors	Salary & Other Allowances (Rs.)	Bonus / Commission/ PRP (Rs.)	Total (Rs.)
Shri Sunil Paliwal	-	16,39,238/-*	16,39,238/-*

*PRP for the financial year 2020-21 & 2021-22 (upto 09.11.2021) paid during the year.

5.0 Stakeholder Relationship Committee

Stakeholder Relationship Committee looks into redressal of complaints/ grievances of

bondholders pertaining to non receipt of interest/transfer/ transmission of bonds and other miscellaneous complaints. Shri M. Gunasekaran ceased to be Compliance Officer w.e.f. 01.03.2023 and Smt. Jayalakshmi Srinivasan, Company Secretary is the Compliance Officer w.e.f. 01.03.2023. M/s. Link Intime India Private Limited, Mumbai, is the Registrar and Transfer Agent of the Company and they attend to all investor service requests. The complaints received from bondholders are monitored regularly and redressal action is taken immediately.

A. Composition of Stakeholder Relationship Committee

As on 31.03.2023, the Stakeholder Relationship Committee comprised of the following Members:

Smt. Sarla Balagopal	- Chairperson
Shri Sunil Paliwal	- Member

In the Board Meeting held on 22.9.2023, Smt. J.P. Irene Cynthia, I.A.S., Managing Director was inducted as Member of the Stakeholder Relationship Committee.

B. Meetings and Attendance during the year

During the year 2022-23, 4 (four) Stakeholder Relationship Committee meetings were held on 25.05.2022, 11.08.2022, 11.11.2022 and 13.02.2023 and the attendance of members is as detailed below:

Members	Entitled to attend	Attendance by Members	
		No. of meetings	%
Smt. Sarla Balagopal	4	4	100
Shri Sunil Paliwal	4	4	100

6.0 Board Level Committee on CSR and Sustainability Development

The role, terms of reference and composition of the Committee is in accordance with Companies Act, 2013 and other applicable provisions. Shri. P. Radhakrishnan, Deputy General Manager (Civil) acted as Nodal Officer of the Committee till his superannuation on 31.08.2023 after which Board, in its meeting held on 22.09.2023 approved the appointment of Shri A. Karuppiyah, Deputy General Manager (Civil) as the Nodal Officer of the Committee.

A. Composition of Board Level Committee on CSR and Sustainability Development

The Board Level Committee on CSR and Sustainability Development of the Company comprised of the following members as on 31.03.2023

Shri Sunil Paliwal	- Chairman
Shri S. Balaji Arunkumar	- Member
Shri V.M.V. Subba Rao	- Member

Shri S. Balaji Arunkumar, ceased to be a member of the Committee w.e.f. 27.04.2023 and Shri S. Viswanathan, IAS was inducted as member w.e.f. 27.04.2023.

In the Board Meeting held on 22.9.2023, Smt. J.P. Irene Cynthia, I.A.S., Managing Director and Capt. Anoop Kumar Sharma, Independent Director were inducted as Members of the Board Level Committee on CSR and Sustainability Development.

B. Meetings and Attendance during the year

During the year under review, 4 (four) Meetings of the Committee on CSR and Sustainability Development were held on 25.05.2022, 08.07.2022, 13.02.2023 and 20.03.2023 and the attendance of members is as detailed below:

Members	Entitled to attend	Attendance by Members	
		No. of meetings	%
Shri Sunil Paliwal	4	4	100
Shri V.M.V. Subba Rao	4	4	100
Shri S. Balaji Arunkumar	4	4	100

7.0 SEPARATE MEETING OF INDEPENDENT DIRECTORS

In terms of Schedule IV of the Companies Act, 2013, a Meeting of the Non-Executive Independent Directors of the Company was held on 28th September, 2022, in which all the Independent Directors participated. The attendance details of the said Meeting are given in the table below:

Members	Entitled to attend	Attendance by Members	
		No. of meetings	%
Shri V.M.V. Subba Rao	1	1	100
Capt. Anoop Kumar Sharma	1	1	100
Smt. Sarla Balagopal	1	1	100

8.0 GENERAL BODY MEETING

The date, time and place of the AGMs held during the preceding three years and special resolution passed thereat are as under:

Year	Date	Time	Place	Special Resolution Passed
2021-22	28.09.2022	3.00 P.M	Through two way Video conferencing/ Other Audio Visual Means (OAVM)	NIL
2020-21	24.09.2021	12.30 P.M	Through two way Video conferencing/ Other Audio Visual Means (OAVM)	NIL
2019-20	16.12.2020	11.00 A.M	Through two way Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM)	NIL

During the financial year 2022-23, 1 (one) Extraordinary General Meeting (EGM) of the Company was held and the details are as under:

Date of Extraordinary General Meeting	Time	Place	Special Resolution Passed
18.10.2022	3.00 P.M	Through two way Video conferencing/ Other Audio Visual Means (OAVM)	One

9.0 DISCLOSURES

- Related Party Transactions are set out in Note No.30 (12) to the notes forming part of the financial statement for the year ended 31st March 2023 in the Annual Report.
- The statutory authorities have also not passed any strictures or imposed penalty on the Company under any Act/Rules during the last three financial years.
- Your Company has a Whistle Blower Policy and no personnel of the Company have been denied access to the Audit Committee.
- No item of expenditure was debited in books of accounts which was not for the purpose of the business. Further, no expense was incurred for the Board of Directors and Top Management which was personal in nature.
- None of the Part time Directors of the Company have pecuniary relationship or transaction with the Company.
- Details of administrative & office expenses and financial expenses for the year under review and for the previous year are available in annual accounts.

10.0 CODE OF CONDUCT

As part of Kamarajar Port's persisting endeavor to set a high standard of conduct for its employees, a "Code of Business Conduct and Ethics" has been laid down for all Board Members and Senior Management Personnel. All Board Members and Senior Management personnel have affirmed compliance with Kamarajar Port's "Code of Business Conduct and Ethics" for the financial year 2022-23.

Declaration

All the Board Members and Senior Management of the Company have confirmed compliance with 'Code of Business Conduct and Ethics' for the year ended 31st March 2023.

For Kamarajar Port Limited

Sd/-

(Sunil Paliwal, I.A.S.)

Chairman & Managing Director
(DIN: 01310101)

Place: Chennai
Date: 26.6.2023

11.0 TRAINING OF BOARD MEMBERS

Your Company has a policy for Training of Directors for Promoting better understanding of professional requirements as well as sensitization to professional, socio-economic and political environment in which work is done.

Capt. Anoop Kumar Sharma, Independent Director has successfully completed online program on Certified ESG Professional: Impact Leader organized by Indian Institute of Corporate Affairs (IICA).

12.0 REVIEW OF COMPLIANCE OF APPLICABLE LAWS

The Board periodically reviews the compliance reports of all laws applicable to the Company to ensure compliance of all the applicable laws.

Place: Chennai
Date: 22.09.2023

13.0 MEANS OF COMMUNICATION

The quarterly, half-yearly, annual financial results are furnished immediately to Bombay Stock Exchange where the Company's Tax Free Bonds are listed and published in the Business Standard all Editions. The results are displayed on the website of the Company www.kamarajarport.in and also sent to Debenture Trustees.

Annual Report containing inter-alia, Audited Accounts, Directors' Report, Auditors' Report, Cash Flow Statement and other important information is circulated to the members and others entitled thereto and are also available in the Company's website www.kamarajarport.in. All the events/information as per the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are being displayed on the website of the Company.

Website

The Company's website www.kamarajarport.in contains separate dedicated section 'Investors' wherein information for bondholders is available.

Address for Correspondence

Bondholders may send their correspondence to the Company Secretary at the Registered Office at 2nd Floor (North Wing) & 3rd Floor Jawahar Building, 17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001 and electronically to jayasrin@kplmail.in for addressing the queries of bondholders. Investors may also communicate to Link Intime India Private Limited, Registrar and Transfer Agent for redressal of their grievance, if any. The details of their address, contact numbers are as under:

Address:

C-101, 247 Park, L.B.S. Marg,
Vikhroli (West), Mumbai - 400 083
Tel No.: 91-22-4918 6000/08108116767
Fax : 91-22-4918 6060
Email : bonds.helpdesk@linkintime.co.in

For and on behalf of the Board of Directors
Kamarajar Port Limited

Sd/-

Sunil Paliwal, I.A.S.
Chairman
(DIN: 01310101)



भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
का कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
चेन्नै

Indian Audit and Accounts Department
Office of the Principal Director of Commercial Audit,
Chennai

No: PDCA/CA-II//4-40/2023-24/182

Date : 24.07.2023

To

The Chairman-cum Managing Director,
Kamarajar Port Limited,
No.17, Jawahar Building, Rajaji Salai,
Chennai - 600 001.

Sir,

Sub: Comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of **Kamarajar Port Limited** for the year ended 31 March 2023.

I forward herewith the Comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of **Kamarajar Port Limited**, for the year ended 31 March 2023. Further five (5) copies of the Printed Annual Report (2022-23) may kindly be furnished to this office. The date of holding of Annual General Meeting may also be intimated.

Receipt of this letter may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

Sd/-

(S. Velliangiri)

Principal Director of Commercial Audit

Encl : As stated

इंडियन आइल भवन, स्तर - 2, 139, महात्मा गाँधी मार्ग, चेन्नै 600034

Indian Oil Bhavan, Level - 2, 139, Mahatma Gandhi Road, Chennai - 600 034

Tel : 044-28330147 Fax : 044-28330142/145 e-mail : pdcachennai@cag.gov.in

**COMMENT OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143 (6) (b)
OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF KAMARAJAR PORT LIMITED
FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023**

The preparation of financial statements of Kamarajar Port Limited for the year ended 31 March 2023 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 24.05.2023.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Kamarajar Port Limited for the year ended 31 March 2023 under Section 143(6) (a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and Company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under Section 143(6) (b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Place: Chennai
Date: 24.07.2023

Sd/-
(S. Velliangiri)
Principal Director of Commercial Audit

B. THIAGARAJAN & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
To the Members of Kamarajar Port Limited
Report on the Audit of Ind AS Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Ind AS financial statements of **Kamarajar Port Limited** ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2023, the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flows for the year ended, and notes to the financial statements, including summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as the "financial statements").
2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended, ("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2023 and its profit, total comprehensive income, changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit of the financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We

believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Emphasis of Matters

4. Reference is invited to Note 4(a) regarding pending conveyance deed/registration deeds for several of the immovable properties obtained by the Company from Government/ Government owned entities. Further, consideration/ compensation payable to various agencies is yet to be finalized and have not been provided for,
5. Reference is invited to Note 11 regarding excess payments of Rs.4509.49 Lakhs made to project contractors included in Other Assets - Non-Current and not capitalized till date pending disputes referred to High Court of Madras.
6. Reference is invited to Note 30(18) regarding balances of Trade Receivable, term Loans and Advances, GST input credit, Advance tax, Current Tax and Tax deducted at source and Trade Payables as at 31st March 2023 to the extent not subsequently adjusted/paid are subject to confirmation and reconciliation.
7. Reference is invited to Note 30(15)(iii)(a) regarding initiation of arbitration proceedings by one of the BOT operators against the Company during the year stating various claims amounting to a sum of Rs. 162968.63 Lakhs in respect of which counter claims have been filed by the Company and arbitrators appointed by both parties and the status of the arbitration proceedings as at the year end. Accordingly, for reasons mentioned in the said Note, no provision for the claims raised by the BOT operator is considered necessary as at the year end.
8. Reference is invited to Note 10 regarding balance of MAT Credit Entitlement amounting to Rs. 35,550.69 Lakhs as at the year end, which in management's estimates, will be recovered through utilization of such balances in future years.

Our opinion is not modified in respect of the matters referred to Paragraphs 4 to 8 above.

Key Audit Matters

9. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial

statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

S.No.	Key Audit Matter	Auditor's response
1.	<p>Accuracy of recognition, measurement, presentation and disclosures of revenues and other related balances in view of adoption of Ind AS 115 "Revenue from Contracts with Customers" (new revenue accounting standard).</p> <p>The application of the new revenue accounting standard involves certain key judgements relating to identification of distinct performance obligations, determination of transaction price of the identified performance obligations. The application of the new revenue accounting standard involves certain key judgements relating to identification of distinct performance obligations and determination of transaction price of the identified performance obligations.</p>	<p>We evaluated management's process to identify the impact of adoption of the new standard and tested key controls by selecting a sample of continuing and new contracts, and tested the operating effectiveness of the internal control, relating to identification of the distinct performance obligations and determination of transaction price. We also carried out a combination of procedures involving enquiry and observation, reperformance and inspection of evidence in respect of operation of these controls.</p> <p>We performed the following procedures on the selected samples:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Read, analysed and identified the distinct performance obligations in these contracts. • Compared these performance obligations with that identified by the Company. • Considered the terms of the contracts to determine the transaction price including any variable consideration to verify the transaction price used to compute revenue and to test the basis of estimation of the variable consideration.
2.	<p>Uncertain Direct/indirect tax positions and recoverability of tax receivables as at March 31, 2023, assets in respect of direct/indirect taxes including MAT Credit entitlements, pre-paid taxes and CENVAT recoverable which are pending for future set-offs/adjudication.</p>	<p>Our in-house expert has reviewed the nature of the amounts recoverable, the sustainability and the likelihood of recoverability upon final resolution.</p>

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

10. The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexures to Board's Report,

Business Responsibility Report, Corporate Governance and Shareholder's Information, but does not include the consolidated financial statements, financial statements and our auditor's report thereon.

11. Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

12. In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.
13. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Management's Responsibility for the Financial Statements

14. The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, including other comprehensive income, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the Indian accounting standards and other accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
15. In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
16. The Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

17. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
18. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
 - Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
 - Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
 - Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
19. Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.
20. We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
21. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters

that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

22. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

23. As required under section 143(5) of the Act, 2013, we give in the Annexure A, our report on the directions/sub-directions issued by the Comptroller and Auditor General of India.
24. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("The order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section 11 of section 143 of the Act, we give in the Annexure B, a statement on the matters specified in Paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.
25. As required by section 143(3) of the Act, we report that:
- a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
 - b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books;
 - c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss including Other Comprehensive Income, Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flows dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
 - d) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Indian Accounting Standards specified

under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

- e) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2023 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on March 31, 2023 from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Act.
- f) With respect to the adequacy of the internal financial control over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such control, refer to our separate report in "Annexure C". Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting.
- g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act, as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the remuneration paid by the Company to its directors during the year is in accordance with the provisions of section 197 of the Act.
- h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's report in accordance with rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements vide Note Reference 30(15).
 - ii. The Company has made provision, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts.
 - iii. There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
- iv. (a) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person or entity, including foreign entity ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
 - (b) The Management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the Company from any person or entity, including foreign entity ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
 - (c) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.
- v. As stated in Note 30 (20) to the financial statements
 - (a) The final dividend proposed in the previous year, declared and paid by the Company during the year is in accordance with Section 123 of the Act, as applicable.

- (b) The interim dividend declared and paid by the Company during the year and until the date of this report is in compliance with Section 123 of the Act.
- vi. Proviso to Rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 for maintaining books of account using accounting software which

has a feature of recording audit trail (edit log) facility is applicable to the Company with effect from April 1, 2023, and accordingly, reporting under Rule 11(g) of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 is not applicable for the financial year ended March 31, 2023.

For B. Thiagarajan & Co
Chartered Accountants
FRN 004371S

Sd/-
Ram Srinivasan
Partner

M. No. 220112
UDIN:23220112BGYQXJ2248

Place: Chennai
Date:24-05-2023

B. THIAGARAJAN & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS

ANNEXURE 'A' TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Annexure referred to in paragraph 23 under the heading "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" of our Independent Auditors Report of even date on the Financial Statement of Kamarajar Port Limited for the year ended 31st March 2023.

1.	Whether the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If no, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	The Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system.
2.	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loan/interest etc. made by a lender to the Company due to the Company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.	There are no cases of restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loan/interest etc. made by a lender to the Company due to the Company's inability to repay the loan.
3.	Whether funds received/receivable for specific schemes from Central/State agencies were properly accounted for/utilized as per its term and conditions? List the cases of Deviation.	During the year under review, the Company has not received funds for specific schemes from Central/State agencies.

For B. Thiagarajan & Co
Chartered Accountants
FRN 004371S

Sd/-
Ram Srinivasan
Partner

M. No. 220112

UDIN:23220112BGYQXJ2248

Place: Chennai
Date: 24-05-2023

ANNEXURE 'B' TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph 24 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of Kamarajar Port Limited of even date)

- | | |
|--|--|
| <p>1. (a)(i) The Company is maintaining proper records including quantitative details of Property, Plant and Equipment</p> <p>(ii) The Company is maintaining proper records showing full particulars of Intangible assets.</p> <p>(b) The Company has a program of verification to cover all the items of Property, Plant and Equipment in a phased manner which, in our opinion, is reasonable having regard to the size of the Company and the nature of its assets. Pursuant to the program, Property, Plant</p> | <p>and Equipment were physically verified by the management during the year. According to the information and explanations given to us, no material discrepancies were noticed on such verification.</p> <p>(c) The Company owns land measuring 2,787.27 acres acquired from TIDCO (950.00 acres), TNEB (1092.20 acres), Salt Department, Ministry of Commerce, Government of India (712.42 acres) and Government of Tamil Nadu (47.87 acres), which are under the possession of the</p> |
|--|--|

Company. Further, out of the total land area owned, 2,038.10 acres including 297.98 acres procured from TIDCO, 995.05 acres from TANGEDCO, 712.42 acres from Salt Department and 0.69 from Government of Tamil Nadu have been registered in the name of the Company and patta has been obtained for 31.96 acres procured from Government of Tamil Nadu and in respect of the balance, registration is in process.

- (d) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not revalued its property, plant and equipment (including right of use assets) or intangible assets or both during the year.
 - (e) No proceedings have been initiated or are pending against the Company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder. Accordingly, reporting under clause 3(i)(e) of the Order is not applicable to the Company.
2. (a) The Company is engaged in the development and operation of port and is primarily rendering port services. It does not hold any physical inventories. Accordingly, clause 3(ii)(a) of the Order is not applicable.
 - (b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not been sanctioned working capital limits in excess of five crore rupees, in aggregate, from banks or financial institutions on the basis of the security of current assets at any point of time during the year. Accordingly, clause 3(ii)(b) of the Order is not applicable to the Company.
 3. (a) During the year, the Company has not provided any loans or provided any advances in the nature of loans, or guarantee, or security to any other entity. Accordingly, reporting under clauses

3(iii)(a) and 3(iii)(e) of the Order is not applicable to the Company.

- (b) The investments made, guarantees provided, security given and terms and conditions of the grant of all loans and advances in the nature of loans and guarantees provided are not, prima facie, prejudicial to the Company's interest.
 - (c) The Company does not have any outstanding loans and advances in the nature of loans at the beginning of the year nor has granted any loans or advances in the nature of loans during the year. Accordingly, reporting under clauses 3(iii)(c), 3(iii)(e) and 3(iii)(f) of the Order is not applicable to the Company.
4. According to the information and explanations given to us and based on the audit procedures conducted by us, the Company has neither made any investments nor has it given loans or provided guarantee or security in violation of Sections 185 & 186 of the Companies Act.
 5. The Company has not accepted any deposits or amounts which are deemed to be deposits within the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of Sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act. Accordingly, provisions of clause 3(v) of the Order are not applicable.
 6. As per the information and explanation given to us, the Central Government has not prescribed the maintenance of cost records under sub-section (1) of Section 148 of the Companies Act for any of the services rendered by the Company. Accordingly, clause 3(vi) of the Order is not applicable.
 7. (a) According to the information and explanation given to us and as per our examination of the records of the Company, the Company has been generally regular in depositing undisputed statutory dues including Goods and Service Tax, provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues to the appropriate authorities.

There were no undisputed amounts payable in respect of Goods and Service tax, Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, Sales Tax, Service Tax, duty of Custom, duty of Excise, Value Added Tax, Cess and other material statutory dues in arrears as at March 31, 2023 for a period of more than six months

from the date they became payable.

- (b) According to the information and explanation given to us and as per our verification of the records of the Company, the following disputed amounts of tax / duty have not been deposited with appropriate authorities as at 31st March 2023.

Statute	Nature of dues	Amount (Rs. In Lakhs)	Period to which the amount relates	Forum to which amount is pending	Remarks, if any
Income Tax Act, 1961	Income tax	12948.20	AY 2007-08 to AY 2020-21	CIT (Appeals)	Nil
Income Tax Act, 1961	TDS	4.98	FY 2007-08 to AY 2020-21	Traces Demand	Nil
Goods and Service Tax	GST	**26.84	FY 2018-19	JC (Appeals)	Nil

** - Against this, the Company has paid a sum of Rs 2.40 Lakhs under protest

8. According to information and explanation given to us and as per our examination of the records of the Company, the Company has not surrendered or disclosed any transactions, previously unrecorded as income in the books of account, in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 as income during the year.

9. (a) According to information and explanation given to us and as per our examination of the records of the Company, the Company has not defaulted in repayment of loans or other borrowings or in the payment of interest thereon to any lender.

- (b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not been declared a willful defaulter by any bank or financial institution or government or government authority.

- (c) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has utilized the money obtained by way of term loans during

the year for the purposes for which they were obtained.

- (d) According to the information and explanations given to us, and the procedures performed by us, and on an overall examination of the finance statements of the Company, we report that no funds raised on short-term basis have been used for long-term purposes by the Company.

- (e) According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the financial statements of the Company, we report that the Company has not taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its subsidiaries, associates or joint ventures.

- (f) According to the information and explanations given to us and procedures performed by us, we report that the Company has not raised loans during the year on the pledge of securities held in its subsidiaries, joint ventures or associate companies.

10. (a) The Company has not raised any moneys by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) accordingly, clause 3(x) (a) of the Order is not applicable.
- (b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year. Accordingly, clause 3(x) (b) of the Order is not applicable.
11. (a) To the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, no fraud by the Company or on the Company has been noticed or reported during the period covered by our audit.
- (b) No report under sub-section (12) of Section 143 of the Companies Act has been filed in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government, during the year and upto the date of this report.
- (c) According to the information and explanations given to us including the representation made to us by the management of the Company, there are no whistle-blower complaints received by the Company during the year.
12. The Company is not a Nidhi Company and accordingly, paragraph 3(xii) of the Order is not applicable.
13. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, transactions with the related parties are in compliance with Sections 177 and 188 of the Act where applicable and details of such transactions have been disclosed in the financial statements as required by the applicable Indian accounting standards.
14. (a) In our opinion and based on our examination, the Company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business.
- (b) We have considered, the internal audit reports for the year under audit, issued to the Company during the year and till date, in determining the nature, timing and extent of our audit procedures.
15. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not entered into non-cash transactions with directors or persons connected with him. Accordingly, paragraph 3(xv) of the Order is not applicable.
16. (a) In our opinion, the Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Hence, reporting under clause 3(xvi)(a), (b) and (c) of the Order is not applicable.
- (b) In our opinion, there is no core investment Company within the Group (as defined in the Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2016) and accordingly reporting under clause 3(xvi) (d) of the Order is not applicable.
17. The Company has not incurred cash losses in the financial year and in the immediately preceding financial year.
18. There has been no resignation of the statutory auditors during the year. Accordingly, clause 3(xviii) of the Order is not applicable.
19. On the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realisation of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, the auditor's knowledge of the Board of Directors and management plans, we are of the opinion that no material uncertainty exists as on the date of the audit report that Company is capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date.
20. (a) In respect of other than ongoing projects, the Company has transferred unspent amount to a Fund specified in Schedule VII

to the Companies Act, 2013 within a period of six months of the expiry of the financial year in compliance with second proviso to sub-section (5) of section 135 of the said Act.

- (b) In respect of ongoing projects, the Company has transferred unspent Corporate Social Responsibility (CSR) amount as at the end of the previous

financial year, to a Special account within a period of 30 days from the end of the said financial year in compliance with the provision of section 135(6) of the Act.

21. The reporting under Clause 3(xxi) of the Order is not applicable in respect of audit of the standalone financial statements. Accordingly, no comment in respect of the said clause has been included in this report.

Place: Chennai
Date : 24-05-2023

For B. Thiagarajan & Co
Chartered Accountants
FRN 004371S

Sd/-
Ram Srinivasan
Partner
M. No. 220112

UDIN:UDIN:23220112BGYQXJ2248

ANNEXURE - C TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

(Referred to in paragraph 25(f) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of Kamarajar Port Limited of even date)

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **M/s Kamarajar Port Limited** ("the Company") as of 31st March 2023 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Company's policies, the safeguarding

of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal

financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects. Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness.

Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to

permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March 2023, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For B. Thiagarajan & Co
Chartered Accountants
FRN 004371S

Sd/-
Ram Srinivasan
Partner
M. No. 220112

UDIN:23220112BGYQXJ2248

Place: Chennai
Date : 24-05-2023

KAMARAJAR PORT LIMITED

CIN: U45203TN1999PLC043322

Regd Office : 2nd Floor, (North Wing) & 3rd Floor, "Jawahar Buildings", 17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES AS AT 31st MARCH, 2023

(Rupees in lakhs)

Particulars	Note No	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
ASSETS		Audited	Audited
Non-current assets			
(a) Property, Plant and Equipment	4	271221.35	274264.66
(b) Right- of- Use Assets	4 A	1834.41	2035.33
(c) Capital work-in-progress	5	43763.51	22351.01
(d) Other intangible assets	6	171.36	315.18
(e) Financial Assets			
(i) Investments	7	4151.19	4154.56
(ii) Loans & Advances	8	299.46	360.86
(iii) Others Financial Assets	9	440.89	440.89
(f) Deferred Tax Assets	10	3959.37	14225.84
(g) Other non-current Assets	11	11625.13	8086.28
		337466.66	326234.61
Current Assets			
(a) Financial Assets			
(i) Trade Receivables	12	5875.87	5788.93
(ii) Cash & Cash Equivalents	13	8756.70	9371.11
(iii) Loans & Advances	8	82.64	49.74
(iv) Other Financial Assets	9	988.41	228.72
(b) Current Tax Assets	14	3620.95	868.66
(c) Other Current Assets	11	1663.77	1532.80
		20988.34	17839.96
Total Assets		358455.00	344074.58
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity			
(a) Equity Share Capital	15	30000.00	30000.00
(b) Other Equity		235637.95	225350.55
		265637.95	255350.55
Liabilities			
Non-current liabilities			
(a) Financial Liabilities			
(i) Borrowings	16	48773.52	59309.51
(ii) Other Financial Liabilities	17	551.01	435.20
(b) Other non-current liabilities	19	7362.03	7833.14
		56686.56	67577.85
Current liabilities			
(a) Financial Liabilities			
(i) Borrowings	16	10550.76	11094.59
(ii) Trade payables			
-Outstanding dues to Micro & Small Enterprises	20	435.43	338.18
-Outstanding dues to Creditors other than Micro & Small Enterprises	20	3578.58	2790.69
(iii) Other Financial Liabilities	17	417.67	508.03
(b) Current Tax liabilities	14	-	-
(c) Other current liabilities	19	5338.58	5013.77
(d) Provisions	18	15809.46	1400.92
		36130.49	21146.18
Total Equity and Liabilities		358455.00	344074.58
Notes to Accounts	30		
Significant Accounting policies	1 to 3		
The notes referred to above form an integral part of the financial statements.			

For KAMARAJAR PORT LIMITED

Sd/-

SUNIL PALIWAL, I.A.S.,

Chairman & Managing Director
DIN : 01310101

Sd/-

C.S. VEMANNA

Chief Financial Officer (I/c)

Sd/-

S. VISWANATHAN, I.A.S.,

Director
DIN : 09634577

Sd/-

JAYALAKSHMI SRINIVASAN

Company Secretary &
Compliance Officer

Sd/-

For B. THIAGARAJAN & CO.

Chartered Accountant
FRN 0043715

Sd/-

RAM SRINIVASAN

Partner, M.No.220112
UDIN:23220112BGYQXJ2248

Place : Chennai

Date : 24th May, 2023.

KAMARAJAR PORT LIMITED

CIN: U45203TN1999PLC043322

Regd Office : 2nd Floor, (North Wing) & 3rd Floor, "Jawahar Buildings", 17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2023

(Rupees in lakhs)

Particulars	Note No	Year ended March 31 st , 2023	Year ended March 31 st , 2022
Income		Audited	Audited
i) Revenue From Operations	21	98272.23	83261.51
ii) Other Income	22	2650.27	1822.30
Total Income		100922.50	85083.81
Expenses			
i) Operating Cost	23	9834.16	7207.98
ii) Employee Benefits Cost	24	2078.78	2252.34
iii) Finance Cost	25	5870.38	6234.10
iv) Depreciation & Amortization Expenses	26	6177.82	9061.46
v) Other Expenses	27	4534.50	6469.27
Total expenses		28495.64	31225.15
Profit before exceptional items and tax		72426.87	53858.67
Exceptional Items	28	14688.36	-
Profit Before Tax		57738.50	53858.67
Less : Tax expense			
- Current Tax	10	10088.07	9410.19
- Deferred Tax	10	10300.21	428.51
		20388.29	9838.70
Profit for the period from continuing operations		37350.22	44019.97
Profit/(loss) from discontinued operations		-	-
Tax expense of discontinued operations		-	-
Profit from discontinued operations after tax			
I Profit for the year		37350.22	44019.97
II Other Comprehensive Income			
i) Items that will not be reclassified to profit or loss			
a) - Remeasurements of the defined benefit plans		(93.19)	198.78
Less: Income Tax on Above		32.56	(69.46)
b) - Change in fair value of Equity instruments		(3.37)	(5.52)
Less: Income Tax on Above		1.18	1.93
Other Comprehensive Income		(62.82)	125.73
Total Comprehensive Income for the period		37287.40	44145.69
Earnings per equity share :		12.43	14.72
(2) Diluted	29	12.43	14.72
Notes to Accounts	30		
Significant Accounting Policies	1 to 3		
The notes referred to above form an integral part of the financial statements.			

For KAMARAJAR PORT LIMITED

Sd/-

SUNIL PALIWAL, I.A.S.,

Chairman & Managing Director
DIN : 01310101

Sd/-

C.S. VEMANNA

Chief Financial Officer (I/c)

Sd/-

S. VISWANATHAN, I.A.S.,

Director
DIN : 09634577

Sd/-

JAYALAKSHMI SRINIVASAN

Company Secretary &
Compliance Officer

Sd/-

For B. THIAGARAJAN & CO.

Chartered Accountant
FRN 0043715

Sd/-

RAM SRINIVASAN

Partner, M.No.220112
UDIN:23220112BGYQXJ2248

Place : Chennai

Date : 24th May, 2023.

KAMARAJAR PORT LIMITED

CIN: U45203TN1999PLC043322

Regd Office : 2nd Floor, (North Wing) & 3rd Floor, "Jawahar Buildings", 17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2023

(Rupees in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2023	For the year ended Mar 31, 2022
	Audited	Audited
A. Cash Flow from Operating Activities		
Net Profit/Loss Before Tax	57738.50	53858.66
Adjustment for:-		
Loss / (Profit) on Sale of Fixed Assets	-	-
Depreciation	6177.82	9061.46
Interest & Finance Charges	5864.68	6175.60
Provision of Expected Credit Loss	-	2,591.48
Exceptional Items - Shore Protection Structure	14,057.64	-
Interest Income	(1086.44)	(474.30)
Operating Profit before Working Capital Changes	82752.21	71212.90
Adjustment for:-		
Loans & Advances (Non-Current)	61.41	17.30
Other Assets (Non-Current)	-	(48.01)
Other non-current Assets	(3538.85)	(675.10)
Trade Receivables	(86.94)	(609.96)
Loans & Advances	(32.90)	4.22
Other Assets	(759.68)	(93.61)
Other Current Assets	(130.97)	541.85
Other Financial Liabilities (Non-Current)	115.81	38.20
Other Non-current Liabilities	(471.10)	(896.96)
Trade payables	885.14	(1471.78)
Other Financial Liabilities	(90.36)	(143.28)
Other current liabilities	324.81	(488.80)
Provisions	257.71	(89.96)
Current Tax Payments	(12840.36)	(9989.99)
Net Cash From / (used in) Operating Activities	66445.92	57307.03
B. Cash Flow from Investment Activities		
Expenditure of Property Plant and Equipment	(24202.26)	(14368.58)
Short Term gain on Mutual Funds	-	-
Interest Income	1086.44	474.30
Net Cash From / (used in) Investing Activities	(23115.83)	(13894.28)
C. Cash Flow from Financing Activities		
Dividend paid during the Year	(27000.00)	(24000.00)
Loans raised during the year	-	4000.00
Loans repaid during the year	(11079.82)	(11067.50)
Interest & Finance Charges	(5864.68)	(6175.60)
Net Cash From / (used in) Financing Activities	(43944.50)	(37243.10)
D. Net increase/ (decrease) in Cash & Cash equivalents	(614.41)	6169.66
E. Opening Cash & Cash Equivalents	9371.11	3201.44
F. Closing Cash & Cash Equivalents	8756.70	9371.11

For KAMARAJAR PORT LIMITED

Sd/-

SUNIL PALIWAL, I.A.S.,

Chairman & Managing Director
DIN : 01310101

Sd/-

C.S. VEMANNA

Chief Financial Officer (I/c)

Sd/-

S. VISWANATHAN, I.A.S.,

Director
DIN : 09634577

Sd/-

JAYALAKSHMI SRINIVASAN

Company Secretary &
Compliance Officer

Sd/-

For B. THIAGARAJAN & CO.

Chartered Accountant
FRN 0043715

Sd/-

RAM SRINIVASAN

Partner, M.No.220112
UDIN:23220112BGYQXJ2248

Place : Chennai

Date : 24th May, 2023.

Statement of Changes in Equity Balance as at 31st March 2023

Equity Share Capital

Balance as at April 1, 2022	Changes in share Capital during the year	Balance as at Mar 31, 2023
30,000	-	30,000

Balance as at April 1, 2021	Changes in share Capital during the year	Balance as at Mar 31, 2022
30,000	-	30,000

Other Equity

For the year ended 31st March, 2023

Particulars	Debenture Redemption Reserve	Reserves and Surplus		Other Components of Equity		Total
		General Reserve	Retained Earnings	Remeasurement of Net Defined benefit Liability/ Asset	FVTOCI - Investments	
	(Rupees in lakhs)					
Balance at the beginning of the reporting period	7993.23	7902.00	211306.33	103.59	(1954.60)	225350.55
Total Comprehensive Income for the Year	0.00	0.00	37350.22	0.00	0.00	37350.22
Other Comprehensive Income for the Year	0.00	0.00	0.00	(60.63)	(2.19)	(62.82)
Transfer from Retained Earnings	(1417.76)	0.00	1417.76	0.00	0.00	0.00
Dividend - FY. 2021-22	0.00	0.00	(21000.00)	0.00	0.00	(21000.00)
Interim Dividend - FY. 2022-23	0.00	0.00	(6000.00)	0.00	0.00	(6000.00)
Balance at the end of the reporting period	6575.47	7902.00	223074.30	42.96	(1956.79)	235637.95

Other Equity

For the year ended 31st March, 2022

Particulars	Debenture Redemption Reserve	Reserves and Surplus		Other Components of Equity		Total
		General Reserve	Retained Earnings	Remeasurement of Net Defined benefit Liability/ Asset	FVTOCI - Investments	
(Rupees in lakhs)						
Balance at the beginning of the reporting period	7130.30	7902.00	192149.29	(25.73)	(1951.01)	205204.86
Total Comprehensive Income for the Year	0.00	0.00	44019.96	0.00	0.00	44019.96
Other Comprehensive Income for the Year	0.00	0.00	0.00	129.32	(3.59)	125.73
Transfer from Retained Earnings	862.93	0.00	(862.93)	0.00	0.00	0.00
Dividend - FY. 2020-21	0.00	0.00	(15000.00)	0.00	0.00	(15000.00)
Interim Dividend - FY. 2021-22	0.00	0.00	(9000.00)	0.00	0.00	(9000.00)
Balance at the end of the reporting period	7993.23	7902.00	211306.33	103.59	(1954.60)	225350.55

KAMARAJAR PORT LIMITED

CIN: U45203TN1999PLC043322

Regd Office : 2nd Floor, (North Wing) & 3rd Floor, "Jawahar Buildings". 17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001

Notes to the Financial Statement

1. Corporate Information:

Kamarajar Port Limited is a Public Limited Company domiciled in India and incorporated under the provisions of Companies Act, 1956. The Company is operating mostly on landlord port model limiting its functions to overall planning, development, mobilization of investments for the development of port and common infrastructure facilities. The development and operations of the terminals are mostly entrusted to private operators/captive users.

2. Basis of Preparation :

The Company has adopted Ind-AS, in accordance with Notification dated February 16, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India, with effect from April 01, 2016 with a transition date of April 01, 2015.

All amounts included in the financial statements are reported in Indian rupees (Rupees in Lacs) except equity shares, which are expressed in numbers.

3. Significant Accounting Policies**3.1. Use of estimates and judgment:**

The preparation of stand-alone financial statements of the Company requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the accompanying disclosures, and the disclosure of contingent liabilities.

3.2. Functional and presentation currency:

These financial statements are presented in Indian rupees, the national currency of India, which is the functional currency of the Company.

3.3. Revenue Recognition:

1) Revenue from services is measured at the fair value of the consideration received or receivable net of discounts and excluding taxes and duties.

Revenue from service rendered will be recognised upon completion of services. Revenue is recognised when following conditions are met

- the amount of revenue can be measured reliably;
- It is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the entity;
- the costs incurred for the transaction and the costs to complete the transaction can be measured reliably.
- No significant uncertainty exists as to its collection.

Revenue stream Includes:

- Vessel Related Income.
- Cargo related income.
- Revenue share and Licence fee arising from Leasing of land and waterfront on BOT and other port users / captive users.
- Composite Tariff.

Revenue recognition in respect of each stream of revenue is described below:

i) Vessel Related Income

Vessel related income consists of income from handling of the vessels. Revenue attributable to Vessel related operations are recognized on completion of the specific services.

ii) Cargo related income

Cargo related income consists of income from rendering services with respect to cargo and are recognised on completion of related services

iii) Leasing of land and waterfront on BOT/Captive use basis.

- Revenue share from BOT operators is calculated at the quoted % on the gross

revenue as per concession / licence agreement on accrual basis up to end of the financial year.

- b) Income from Operating Lease which include escalation clause in line with the general inflation trends is accounted as per terms of the contract.
- c) Income from other Operating Lease is recognized on a straight-line basis over the term of lease.
- d) Contingent Rent is recognized as income in the period in which they accrue.

iv) Composite Tariff

Composite Tariff represents the income earned at a composite tariff for the cargo handled by captive users.

- 2 Dividend income from investments is recognized when the Company's right to receive payment is established and it is probable that the economic benefits associated with the transactions will flow to the Company and the amount of income can be measured reliably.
- 3 a. Interest income from financial instruments is recognized when it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the amount of income can be measured reliably. Interest income is accrued on a time basis, by reference to the principal outstanding and at the effective interest rate applicable, which is the rate that exactly discounts estimated future cash flows through the expected life of the financial instruments to that instrument's net carrying amount on initial recognition.
- b. Interest income on belated/disputed revenue are recognised on realization basis.

3.4. Property, Plant and Equipment:

Property, plant and equipment are stated at cost, less accumulated depreciation and impairment, if any. Costs directly attributable to acquisition are capitalized until the property, plant and equipment are ready for use, as intended by the Management. The Company depreciates property, plant and equipment over their estimated useful lives using the straight-line method.

The cost of an item of property, plant and equipment is recognized as an asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The cost of an item of PPE is the cash price equivalent at the recognition date.

The cost of an item of PPE comprises:

- i) Purchase price, including import duties and non-refundable purchase taxes, after deducting trade discounts, rebates, taxes/duties and cess on which input credit for capital goods is availed.
- ii) Costs directly attributable to bringing the PPE to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.
- iii) The initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located.

The amounts becoming payable by the Company on account of uncontested arbitral awards on project claims and interest on such awards up to the date of commissioning of the asset are capitalized in the year of award as additions during the year in the respective asset category. The interest after the date of commissioning of the asset on such awards payable to the contractor is treated as revenue expenditure in the year of award.

When parts of an item of Property, Plant and Equipment have different useful lives, they are accounted for as separate items (major components) of Property, Plant and Equipment.

Gains and losses on disposal of an item of property, plant and equipment are determined by comparing the proceeds from disposal with the carrying amount of Property, Plant and Equipment and are stated at net values under "Other Income/ Other Expenses" in the Statement of Profit or Loss.

The Company has chosen the cost model for recognition and this model is applied to all class of assets. After recognition as an asset, an item of PPE is carried at its cost less any accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Major repairs and overhauling costs:

The Company recognises in the carrying amount of property, plant and equipment, the cost of replacing part of such an item when that cost is incurred, cost of major repairs/ overhauling if the recognition criteria are met. The carrying amount of replaced part is derecognised and the cost of repairs is amortized over the remaining useful life of the repair/ overhaul.

3.5. Intangible Assets

Intangible Assets are stated at cost, less accumulated depreciation and impairment, if any.

Identifiable intangible assets are recognized when the Company controls the asset; it is probable that future economic benefits expected with the respective assets will flow to the Company for more than one economic period; and the cost of the asset can be measured reliably. Amortisation is provided on Straight Line Method (SLM), which reflect the management's estimate of the useful life of the intangible assets.

Intangible assets with finite lives are amortised over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation expense on intangible assets with finite lives is recognised in the Statement of Profit and Loss unless such expenditure forms part of carrying value of another asset.

3.6. Depreciation

The depreciable amount of an item of PPE is allocated on a straight line basis over its useful life as prescribed in the manner specified in Schedule II of Companies Act, 2013.

For each part of an item of PPE with a cost that is significant in relation to the total cost of the asset and useful life of that part is different from remaining part of the asset, is depreciated separately. Depreciation on all such items is provided from the date they are 'Available for Use' till the date of sale / disposal and includes amortization of intangible assets. Freehold land is not depreciated. An item of PPE is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued

use of the asset. In case of port specific assets, the depreciation is charged at the rate as determined in accordance with the life of those assets as per the practice prevailing in Major ports in India. Depreciation on addition in value of assets due to arbitral award is claimed over the remaining useful life of the assets from the start of the financial year in which such award is passed and accepted.

3.7. Borrowing Costs

The Company capitalises borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying asset as a part of the cost of the asset. The Company recognises other borrowing costs as an expense in the period in which it incurs them. A qualifying asset is an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale.

To the extent the Company borrows generally and uses them for the purpose of obtaining a qualifying asset, amount of borrowing cost eligible for capitalization is computed by applying a capitalization rate to the expenditure incurred. The capitalization rate is determined based on the weighted average of borrowing costs, other than borrowings made specifically towards purchase of a qualifying asset. Borrowing costs also includes exchange differences to the extent as an adjustment to the borrowing costs.

3.8. Foreign Currency Transactions:

Transactions in currencies other than the functional currency are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions.

At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are translated at the rates prevailing at the reporting date.

Foreign currency monetary items (except where realisability of overdue receivable is uncertain) are converted using the closing rate as defined in the Ind AS-21. Non-monetary items are reported using the exchange rate at the date of the transaction. The exchange difference gain/loss is recognized in the Statement of Profit and Loss.

3.9. Government Grant

Government grants are recognised where there is reasonable assurance that the grant will be received and all related conditions are complied with. These grants are classified as grants relating to assets or revenue based on the nature of the grants.

Grants relating to depreciable assets are initially recognised as deferred revenue and subsequently recognised in the Statement of Profit and Loss on a systematic basis over the useful life of the asset generally in the same proportion in which depreciation is charged on the depreciable assets acquired out of such contribution. Changes in estimates are recognised prospectively over the remaining life of the assets.

Grants in the form of revenue grant are recognised as income on a systematic basis over the periods that the related costs, for which it is intended to compensate, are expensed.

Grants in the form of non-monetary assets such as land and other resources are recognised at fair value and presented as deferred income which income is recognized in the Statement of Profit and Loss over the expected useful life in a pattern of consumption of the benefit of the underlying asset.

Grants under 'Service Export from India Scheme (SEIS) are recognised when the conditions attached with the grant have been satisfied and there is reasonable assurance that the grants will be received. These are recognized in the period in which the right to receive the same is established i.e. the year during which the services eligible for grant of SEIS have been performed.

3.10. Provisions

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. A provision is reversed when it is no longer probable that an outflow of resources

embodying economic benefits will be required to settle the obligation.

If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre-tax rate that reflects, when appropriate, the risks specific to the liability. When discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognised as a finance cost.

3.11. Contingent Liabilities / Assets:

Contingent Liabilities

Contingent liabilities are not recognized but disclosed in Notes to the Accounts when the Company has possible obligation due to past events and existence of the obligation depends upon occurrence or non-occurrence of future events not wholly within the control of the Company.

Contingent liabilities are assessed continuously to determine whether outflow of economic resources have become probable. If the outflow becomes probable then relative provision is recognized in the financial statements.

Where an entity is jointly and severally liable for an obligation, the part of the obligation that is expected to be met by other parties is also treated as a contingent liability. The entity recognises a provision for the part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

Contingent Assets:

Contingent Assets are not recognised in the financial statement or disclosed in Notes.

3.12. Employee benefits:

i) **Defined Benefit Plan:**

Provision for gratuity, leave encashment/availment and other terminal benefits is made on the basis of actuarial valuation using the projected unit credit method. Re-measurement, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling and the return on plan assets excluding interest (if applicable), is reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognized in other

comprehensive income in the period in which they occur. Re-measurement recognized in other comprehensive income is reflected immediately in retained earnings and will not be reclassified to Statement of Profit or Loss.

ii) Defined Contribution Plan:

Contribution to Provident Fund is recorded as expenses on accrual basis.

iii) Short Term Employee Benefits:

Short term employee benefits obligations are measured on an undiscounted basis and expensed as the related services are provided. A liability is recognized for the amount expected to be paid under short-term employee benefits if the Company has a present legal or constructive obligation to pay this amount as a result of past service provided by the employee and the obligation can be estimated reliably.

3.13. Taxation

Income tax expense represents the sum of the current tax and deferred tax.

Current tax

The current tax is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from 'profit before tax' as reported in the Statement of Profit and Loss and other comprehensive income because of items of income or expense that are taxable or deductible in other years and items that are never taxable or deductible. The Company's current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Deferred tax

Deferred tax is provided using the balance sheet approach on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be utilised. Unrecognised deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognised to the extent that it has become

probable that future taxable profits will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax liabilities and assets are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realised, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current income tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

The break-up of the major components of the deferred tax assets and liabilities as at balance sheet date is arrived at after setting off deferred tax assets and liabilities.

Current and deferred tax for the year

Current and deferred tax are recognized in profit or loss, except when they relate to items that are recognized in other comprehensive income or directly in equity, in which case, the current and deferred tax are also recognized in other comprehensive income or directly in equity respectively. Where current tax or deferred tax arises from the initial accounting for a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

3.14. Impairment:

If the recoverable amount of an asset (or cash-generating unit/Fixed Assets) is estimated to be less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (or cash-generating unit) is reduced to its recoverable amount. An impairment loss is recognized immediately in Statement of Profit and Loss.

Recoverable amount is the higher of fair value less costs of disposal and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash-

generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash-generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in Statement of Profit and Loss, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a revaluation increase.

At the end of each reporting period, the Company reviews the carrying amounts of its tangible, intangible assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). When it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates the recoverable amount of the cash-generating unit to which the asset belongs.

Intangible assets with indefinite useful lives and intangible assets not yet available for use are tested for impairment at least annually or whenever there is an indication that the asset may be impaired.

3.15. Earnings per share:

Basic earnings per equity are computed by dividing the net profit attributable to the equity holders of the Company by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per equity share is computed by dividing the net profit attributable to the equity holders of the Company by the weighted average number of equity shares considered for deriving basic earnings per equity share and also the weighted average number of equity shares that could have been issued upon conversion of all dilutive potential equity shares.

3.16. Financial instruments:

i) Non-derivative financial instruments:

Non-derivative financial instruments consist of:

- Financial assets include cash and cash equivalents, trade receivables, employee advances, other advances, security deposits,

investments in equity securities and other eligible current/non-current assets;

- Financial liabilities include long/short-term loan, borrowings, trade payables, security deposits, retention monies and other eligible current/non-current liabilities.

Non derivative financial instruments are recognized initially at fair value including any directly attributable transaction costs except financial instrument measured at fair value through Statement of Profit and Loss which are initially measured at fair value. Financial assets are derecognized when substantial risks and rewards of ownership of the financial asset have been transferred. In cases where substantial risks and rewards of ownership of the financial assets are neither transferred nor retained, financial assets are derecognized only when the Company has not retained control over the financial asset.

Subsequent to initial recognition, non-derivative financial instruments are measured as described below:

- Investments in, equity securities (other than Subsidiaries, Joint Venture and Associates) are valued at their fair value. These investments are measured at fair value and changes therein, other than impairment losses, are recognized in Statement of Other Comprehensive Income. The impairment losses, if any, are reclassified from Other Equity to Statement of Profit and Loss. When an available for sale financial asset is derecognized, the related cumulative gain or loss recognised in Other Equity is transferred to the Statement of Profit and Loss.
- Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. They are presented as current assets, except for those maturing later than 12 months after the reporting date which are presented as non-current assets. Loans and receivables are initially recognized at fair value

plus directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, less any impairment losses. Loans and receivables comprise trade receivables, unbilled revenues, staff advances, security deposits paid and other assets.

The Company estimates the un-collectability of accounts receivable by analysing historical payment patterns, customer concentrations, customer credit-worthiness and current economic trends. If the financial condition of a customer deteriorates, evaluation is made for additional allowances required, if any.

c) Trade and other payables:

Trade and other payables are initially recognized at fair value, and subsequently carried at amortized cost using the effective interest method. For these financial instruments, the carrying amounts are approximate fair value due to the short term maturity of these instruments.

d) Security Deposits:

Security Deposits are initially recognized at fair value plus directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, less any impairment losses.

e) Tax Free Bonds:

Tax free bonds are recognized initially at fair value net of transaction costs. In subsequent periods, Tax free bonds are presented at amortised cost using effective interest method. Interest expenses are recognised in the statement of profit or loss as financial expenses over the life of the tax free bonds using effective interest rate.

ii) Impairment of financial assets

Financial assets, other than those at Fair Value through Profit and Loss (FVTPL), are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting period. Financial assets are considered to be impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred

after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the financial asset have been affected. For Available for Sale (AFS) equity investments, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.

For all other financial assets, objective evidence of impairment could include:

- Significant financial difficulty of the issuer or counterparty;
- Breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;
- Probability that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organisation; or the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties.

Certain categories of financial assets such as trade receivables are assessed for impairment on individual basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include companies past experience of collecting payments, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

For financial assets that are carried at cost, the amount of impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of the estimated future cash flows discounted at the current market rate of return for a similar financial asset. Such impairment loss will not be reversed in subsequent periods.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of trade receivables; such impairment loss is reduced through the use of an allowance account for respective financial asset. When a trade receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in Statement of Profit and Loss.

For financial assets measured at amortised cost, if, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through Statement of Profit and Loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not exceed what the amortised cost would have been had the impairment not been recognized.

iii) De-recognition of financial assets

The Company de-recognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another party. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company recognises its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company continues to recognise the financial asset and also recognises a collateralised borrowing for the proceeds received.

On de-recognition of a financial asset in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.

3.17. Segment Information

The Chairman cum Managing Director (CMD) of the Company is identified as the Chief Operating Decision Maker (CODM) as defined by Ind AS-108, "Operating Segments." The CMD of the Company evaluates the segments based on standalone financial statements. The Management considers "Port Services" rendered in India as a single reportable Business/Geographical segment.

3.18. Prior Period

Errors of material amount relating to prior period(s) are disclosed by a note with nature of prior period errors, amount of correction of each such prior period presented retrospectively, to the

extent practicable along with change in basic and diluted earnings per share. However where retrospective restatement is not practicable for a particular period then the circumstances that lead to the existence of that condition and the description of how and from where the error is corrected are disclosed in Notes on Accounts

3.19. Leases

The Company assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

As a lessee

The Company applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Company recognises lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

i) Right-of-Use Assets

The Company recognises right-of-use assets ("RoU Assets") at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any re measurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognised, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of the lease term and the estimated useful lives of the assets.

If ownership of the leased asset transfers to the Company at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset. The right-of-use assets are also subject to impairment. Refer to the accounting policies in Section (I) Impairment of non-financial assets.

ii) Lease Liabilities

At the commencement date of the lease, the Company recognises lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made

over the lease term. The lease payments include fixed payments (including in substance fixed payments) less any lease incentives receivable, variable lease payments that depend on an index or a rate, and amounts expected to be paid under residual value guarantees. The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Company and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the Company exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognised as expenses (unless they are incurred to produce inventories) in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs. In calculating the present value of lease payments, the Company uses its incremental borrowing rate at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is re-measured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments (e.g., changes to future payments resulting from a change in an index or rate used to determine such lease payments) or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset. Lease liabilities have been presented under the head "Other Financial Liabilities".

iii) Short-term leases and leases of low-value assets

The Company applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). It also applies the lease of low-value assets recognition exemption that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value assets are recognised as expense on a straight-line basis over the lease term.

As a lessor

Leases in which the Company does not transfer substantially all the risks and rewards of ownership

of an asset are classified as operating leases. Rental income from operating lease is recognised on a straight-line basis over the term of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognised over the lease term on the same basis as rental income. Contingent rents are recognised as revenue in the period in which they are earned.

Leases are classified as finance leases when substantially all of the risks and rewards of ownership transfer from the Company to the lessee. Amounts due from lessees under finance leases are recorded as receivables at the Company's net investment in the leases. Finance lease income is allocated to accounting periods so as to reflect a constant periodic rate of return on the net investment outstanding in respect of the lease.

3.20. Current/Non-Current Classification:

The Company presents assets and liabilities in the balance sheet based on current/non-current classification. An asset is classified as current if:

- (a) it is expected to be realized or sold or consumed in the Company's normal operating cycle;
- (b) it is held primarily for the purpose of trading;
- (c) it is expected to be realized within twelve months after the reporting period; or
- (d) it is cash or a cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is classified as current if:

- (a) it is expected to be settled in normal operating cycle;
- (b) it is held primarily for the purpose of trading;
- (c) it is expected to be settled within twelve months after the reporting period;
- (d) it has no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

The operating cycle is the time between acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents. The Company's normal operating cycle is twelve months.

3.21. Dividend distribution to shareholders:

Dividends proposed by the board of directors are recognized in the financial statements when approved by the shareholders at the Annual General Meeting.

3.22. Prepaid expenses

Revenue expenditure under each head are segregated into current year and prepaid wherever the amount exceeds Rs.20,000/-

4. Property, Plant and Equipment

(Rupees in lakhs)

Particulars	Gross carrying value as at April 1, 2022	Additions	Disposal/ adjustments	Gross carrying value as at March 31, 2023	Accumulated depreciation as at April 1, 2022	Depreciation for the year	Disposal/ adjustments	Accumulated depreciation as at Mar 31, 2023	Carrying Value as at Mar 31, 2023
Land	63,952.64	-	-	63,952.64	-	-	-	-	63,952.64
Building, Sheds & Other Structures	12,781.54	402.18	-	13,183.71	1,851.94	304.76	-	2,156.70	11,027.01
Wharves & Boundaries	64,485.91	-	-	64,485.91	9,650.01	1,536.35	-	11,186.35	53,299.56
Roads	16,852.09	2,187.64	-	19,039.73	3,590.06	1,384.49	-	4,974.56	14,065.17
Railway Track & Signalling System	8,795.38	-	-	8,795.38	3,382.33	568.08	-	3,950.41	4,844.97
Docks, Seawalls, Piers & Break Water	57,637.86	-	-	57,637.86	13,406.68	754.74	-	14,161.42	43,476.45
Navigational Aids	381.67	-	-	381.67	303.61	6.61	-	310.22	71.45
Vehicles	208.25	-	-	208.25	86.95	22.40	-	109.35	98.90
Electrical Installations	2,266.05	-	-	2,266.05	1,329.00	149.28	-	1,478.28	787.76
Installation For Water, Communication & Fire Syst	306.19	-	-	306.19	167.13	8.69	-	175.82	130.37
Electrical Appliance	231.09	19.95	-5.11	245.94	150.08	18.76	-4.75	164.09	81.85
Office Equipment	267.99	6.73	-	274.72	172.95	18.39	-	191.34	83.39
Furniture & Fittings	963.34	87.92	-	1,051.26	570.20	82.05	-	652.25	399.01
Computers	1,119.96	10.96	-	1,130.92	704.24	143.91	-	848.14	282.78
Port Basin & Entrance Channel	91,157.14	-	-	91,157.14	13,318.37	806.00	-	14,124.37	77,032.77
Plant & Machinery	2,638.18	134.21	-	2,772.39	1,105.49	111.98	-	1,217.48	1,554.92
Security Asset	65.09	27.00	-	92.09	56.67	3.06	-	59.73	32.36
Total	324110.37	2876.60	(5.11)	326981.85	49845.71	5919.55	(4.75)	55760.50	271221.35

Land:

- (a) The Company owns land measuring 2802.49 acres acquired from GoTN, TNEB, TIDCO and Salt Department, Ministry of Commerce, out of which 2787.27 acres is under possession of the Company and the balance 15.22 acres of land is yet to take possession as these lands were under litigation. Out of 15.22 acres of land under litigation, two writ petitions W.P. No. 26041/2001 & 26042/2001 were filed by Tmt. Pappa & Thiru P. Selvaraj against the land acquisition. The Hon'ble High Court of Madras vide its Judgement dated

19.11.2019 quashed the Notification u/s 4(1) and the Declaration u/s. 6 of the Land Acquisition Act, in so far as the lands of the petitioners. The court advised to initiate land acquisition proceedings afresh by issuing a fresh Notification u/s.4(1) of the Land Acquisition Act.

The Company has decided not to appeal against the Judgemnt of the Hon'ble High Court of Madras dated 19.11.2019 in W.P. No.26041/2001 and 26042/2001. The port had remitted an amount of Rs.2.86 lakhs for 6.82 acres of land belonging to Shri P. Selvaraj and Rs.0.58 lakhs for 1.38 acres of land belonging to Smt. S. Pappa as compensation amount and the same was ordered to be kept in revenue deposit and cumulative of Rs.3.44 lakhs shown under Disposal / adjustments.

- b) The Company procured 950 acres of land from TIDCO, out of which 297.98 acres got registered in the name of the Company and the balance registration is in progress.

The Company procured 1092.20 acres of land from TANGEDCO, out of which 995.05 acres got registered in the name of the Company and the balance registration is in progress.

The Company procured 712.42 acres of land from Salt Department and got registered in the name of the Company.

The Company acquired 31.96 acres of land from GoTN, out of which 0.31 acre has been reacquired by NHAI and the compensation is wrongly paid to Mr. Ethiraj. The issue has been taken up to High Court of Madras who directed Mr. Ethiraj to refund the compensation amount. The amount was refunded by Mr. Ethiraj to the Court and the case is still pending.

The Company acquired 0.69 acres of land from GoTN for railway siding and the Patta obtained in the name of Company.

- c) Land measuring in Sq.m. 161705, 542524, 472460, 384780 (Phase I &II), 171611, 520000 & 20235 (total measuring 561.92 acres) allotted to BOT operators viz. M/s. Ennore Tank Terminals Private Limited, M/s. Ennore Coal Terminal Private Limited and M/s. SICAL Iron Ore Terminals Limited, M/s. Adani Container Terminal Private Limited, M/s. Ennore Bulk Terminal Private Limited, M/s. IOC LNG Private Ltd and M/s. Indian Oil Corporation Limited respectively.

4. Property, Plant and Equipment

(Rupees in lakhs)

Particulars	Gross carrying value as at April 1, 2021	Additions	Disposal/ adjustments	Gross carrying value as at Mar 31, 2022	Accumulated depreciation as at April 1, 2021	Depreciation for the year	Disposal/ adjustments	Accumulated depreciation as at Mar 31, 2022	Carrying Value as at Mar 31, 2022
Land	63952.64	0.00	0.00	63,952.64	0	0.00	0.00	-	63,952.64
Building, Sheds & Other Structures	12699.59	105.10	(23.15)	12,781.54	1508.16	351.32	(7.54)	1,851.94	10,929.59
Wharves & Boundaries	64485.91	0.00	0.00	64,485.91	8113.66	1536.35	0.00	9,650.01	54,835.90
Roads	12422.34	4429.75	0.00	16,852.09	2593.22	996.84	0.00	3,590.06	13,262.02
Railway Track & Signalling System	8605.28	190.10		8,795.38	2814.24	568.08	0.00	3,382.33	5,413.05
Docks, Seawalls, Piers & Break Water	57637.86	0.00	0.00	57,637.86	12651.94	754.74	0.00	13,406.68	44,231.19
Navigational Aids	381.67	0.00	0.00	381.67	297.00	6.61	0.00	303.61	78.06
Vehicles	208.25	0.00	0.00	208.25	63.95	22.99	0.00	86.95	121.31
Electrical Installations	1912.61	353.43		2,266.05	1197.89	131.11	0.00	1,329.00	937.04
Installation For Water, Communication & Fire Syst	306.19	0.00	0.00	306.19	158.45	8.69	0.00	167.13	139.06
Electrical Appliance	230.93	0.16	0.00	231.09	128.52	21.57	0.00	150.08	81.01
Office Equipment	191.86	76.13	0.00	267.99	159.93	13.02	0.00	172.95	95.04
Furniture & Fittings	946.43	16.91	0.00	963.34	494.14	76.06	0.00	570.20	393.14
Computers	867.64	252.32	0.00	1,119.96	547.74	156.50	0.00	704.24	415.72
Port Basin & Entrance Channel	90828.74	328.40	0.00	91,157.14	9386.51	3931.86	0.00	13,318.37	77,838.77
Plant & Machinery	1113.69	1524.49	0.00	2,638.18	888.63	216.86	0.00	1,105.49	1,532.69
Security Asset	65.09	0.00	0.00	65.09	54.51	2.16	0.00	56.67	8.42
Total	316856.73	7276.79	(23.15)	324110.37	41058.48	8794.77	(7.54)	49845.71	274264.66

Land:

- (a) The Company owns land measuring 2802.49 acres acquired from GoTN, TNEB, TIDCO and Salt Department, Ministry of Commerce, out of which 2787.27 acres is under possession of the Company and the balance 15.22 acres of land is yet to take possession as these lands were under litigation. Out of 15.22 acres of land under litigation, two writ petitions W.P. No. 26041/2001 & 26042/2001 were filed by Tmt. Pappa & Thiru P. Selvaraj against the land acquisition. The Hon'ble High Court of Madras vide its Judgement dated 19.11.2019 quashed the Notification u/s. 4(1) and the Declaration u/s. 6 of the Land Acquisition Act, in so far as the lands of the petitioners. The court advised to initiate land acquisition proceedings afresh by issuing a fresh Notification u/s.4(1) of the Land Acquisition Act.

The Company has decided not to appeal against the Judgement of the Hon'ble High Court of Madras dated 19.11.2019 in W.P. No.26041/2001 and 26042/2001. The court had remitted an amount of Rs.2.86 lakhs for 6.82 acres of land belonging to Shri P. Selvaraj and Rs.0.58 lakhs for 1.38 acres of land belonging to Smt. S. Pappa as compensation amount and the same was ordered to be kept in revenue deposit and cumulative of Rs.3.44 lakhs shown under Disposal / adjustments.

- b) The Company procured 950 acres of land from TIDCO, out of which 297.98 acres got registered in the name of the Company and the balance registration is in progress.

The Company procured 1092.20 acres of land from TANGEDCO, out of which 995.05 acres got registered in the name of the Company and the balance registration is in progress.

The Company procured 712.42 acres of land from Salt Department, out of which 682.66 acres got registered in the name of the Company and the balance registration is in progress.

The Company acquired 32.65 acres of land from GoTN and the Patta obtained in the name of Company.

- c) Land measuring in Sq.m. 134600, 542524, 472460, 384780 (Phase I & II), 171611, 520000 (total measuring 550.05 acres) allotted to BOT operators viz. M/s. Ennore Tank Terminals Private Limited, M/s. Chettinad International Coal Terminal Private Limited and M/s. SICAL Iron Ore Terminals Limited, M/s. Adani Container Terminal Private Limited, M/s. Chettinad Bulk Terminal Private Limited and IOC LNG Private Ltd respectively.

Right of Use Assets

(Rupees in lakhs)

Particulars	Gross carrying value as at April 1, 2022	Additions	Disposal/ adjustments	Gross carrying value as at Mar 31, 2023	Accumulated depreciation as at April 1, 2022	Depreciation for the year	Disposal/ adjustments	Accumulated depreciation as at Mar 31, 2023	Carrying Value as at Mar 31, 2023
Leased assets of Registered office	2,661.85		97.06	2,564.80	626.52	103.86	-	730.39	1,834.41
Total	2661.85	0.00	97.06	2564.80	626.52	103.86	0.00	730.39	1834.41

Right of Use Assets

(Rupees in lakhs)

Particulars	Gross carrying value as at April 1, 2021	Additions	Disposal/ adjustments	Gross carrying value as at Mar 31, 2022	Accumulated depreciation as at April 1, 2021	Depreciation for the year	Disposal/ adjustments	Accumulated depreciation as at Mar 31, 2022	Carrying Value as at Mar 31, 2022
Leased assets of Registered office	2,025.58	636.27	-	2,661.85	515.73	110.79	-	626.52	2,035.33
Total	2025.58	636.27	0.00	2661.85	515.73	110.79	0.00	626.52	2035.33

5. Capital Work-In-Progress

(Rupees in lakhs)

Particulars	Balance as at April 1, 2022	Additions/ Adjustments during the year	Capitalized / Adjustments during the year	Balance as at Mar 31, 2023
CWIP - Building, Sheds & Other Structures	1283.52	1264.35	-391.47	2156.40
CWIP - Wharves & Boundaries	1117.66	12780.39	0.00	13898.05
CWIP - Roads	5665.07	7268.12	-2187.64	10745.55
CWIP - Railway Track & Signalling System	14035.44	2135.33	0.00	16170.77
CWIP - Port Basin & Entrance Channel	164.71	370.80	0.00	535.51
CWIP - Plant & Machinery	75.00	54.16	0.00	129.16
CWIP - Furniture & Fittings	9.61	73.78	-83.39	0.00
CWIP-Computer software	0.00	128.07	0.00	128.07
Total	22351.01	24075.00	(2662.50)	43763.51
Previous Year	15881.07	13047.77	(6577.83)	22351.01

6. Intangible Assets - Software

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Gross carrying value as at April 1	1,094.15	1,092.96
Additions	10.58	1.19
Disposal/adjustments		
Gross carrying value as at March 31	1,104.73	1,094.15
Accumulated depreciation as at April 1	778.96	623.06
For the Year	154.41	155.90
On Disposal/adjustments		
Accumulated depreciation as at Mar, 31	933.37	778.96
Carrying Value as at March 31	171.36	315.18

7. Investments

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Non-Current		
Investment in Shares-Quoted		
10000 shares in Dredging corporation of India (Market value as at 31st March, 2023 - Rs.28,18,500/-)	28.19	31.56
Investment in Shares - Unquoted		
Equity Shares of Sethusamudram Corporation Ltd #	3000.00	3000.00
Less: Provision for Diminution in value of Investments	-3000.00	-3000.00
Equity Shares of Chennai Ennore Port Road Company Ltd (3,40,00,000 Equity shares of Rs.10/- per share; Previous year - 3,40,00,000 Equity shares of Rs.10/- per share)	3400.00	3400.00
Equity Shares of Indian Port Rail Corporation Limited (72,00,000 Equity shares of Rs.10/- per share; Previous year - 72,00,000 Equity shares of Rs.10/- per share)	720.00	720.00
Equity Shares of Kanniyakumari Port Limited (20,000 Equity shares of Rs.10/- per share; Previous year - 20,000 Equity shares of Rs.10/- per share)	2.00	2.00
Investments in Renewable Energy Certificate (66 Equity shares of Rs.1515.52/- per share; Previous year - 66 Equity shares of Rs.1515.52 per share)	1.00	1.00
Total	4151.19	4154.56

#. As the dredging work is suspended from 14.09.2007 upon the direction of the Hon'ble Supreme Court of India and as there is no further progress in the project since then, the Management has provided for diminution towards the Investments in Equity shares of Sethusamudram Corporation Limited.

8. Loans & Advances

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Long Term		
<i>Secured (considered good)</i>		
Advances to Employees (House Building Advance)	297.10	355.09
Advances to Employees (Vehicle Advance)	2.36	5.77
Total	299.46	360.86
Short Term		
<i>Secured (considered good)</i>		
Advances to Employees (House Building Advance)	68.00	42.86
Advances to Employees (Vehicle Advance)	1.73	2.54
Advances to Employees (Others)	12.90	4.34
Total	82.64	49.74

Advances to Employees (House Building Advance) include Rs.23.44 lakhs being advances extended to one employee for which Memo of Deposit is pending.

9 Other Financial Assets

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Long Term		
Deposits	181.22	181.22
Interest accrued on:		
-Advances to Related Parties	259.66	259.66
Total	440.89	440.89
Short Term		
Interest accrued on:		
-Short Term Deposits	10.55	4.34
-Advances to Related Parties	0.00	0.00
Income Receivable	977.85	224.38
Total	988.41	228.72

Income receivable includes Rs.859.12 lakhs realised from sale of DGFT scrips under SEIS scheme, sold in April 2023.

10 Tax Expense

Tax recognised in Statement of profit and loss

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Current income tax		
In respect of current year	10088.07	9410.19
In respect of MAT Credit Availment	-	-
Sub Total (A)	10088.07	9410.19
Deferred tax expense		
Origination and reversal of temporary differences	2131.02	428.51
MAT Credit Availment	8169.20	0.00
Change in accounting policy	-	0.00
Sub Total (B)	10300.21	428.51
Total (A+B)	20388.29	9838.70

Tax recognised in other comprehensive income

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Defined benefit plan actuarial gains (losses)	32.56	69.46
Change in fair value of Equity instruments	1.18	-1.93
Total	33.74	67.53

Movement in deferred tax balances during the year along with cateogry wise break up

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Deferred Tax Liability		
Property, Plant & Equipment	(34,551.88)	(32,286.65)
Sub Total	(34,551.88)	(32,286.65)
Deferred tax Assets		
Any Section 40a(ja) Disallowance	-	-
Any Section 43B Disallowance	-	-
Provision for Bad & Doubtful Debts - @ effective tax rate	1,359.75	1,359.75
MAT Credit entitlement	35,550.69	43,541.24
Movement in Defined Benefit Plan	128.68	82.18
Dimunition in Investment - @ effective tax rate	1,048.32	1,048.32
Others	423.81	481.00
Sub Total	38511.25	46512.49
Net Deferred Tax Assets/ (Liabilities)	3959.37	14225.84

11 Other Assets

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Non-Current		
Advance for Capital Expenditure	11337.26	7700.49
Prepaid Expenses	89.70	130.30
Deferred Employee Cost	122.19	136.19
Defined Benefit Plan Asset/(Liabilities) - Gratuity	51.23	68.68
Defined Benefit Plan Asset/ (Liabilities) Earned Leave Encashment	24.75	50.61
Total	11625.13	8086.28
Current		
Advance to Contractors	715.12	833.62
Prepaid Expenses	119.35	339.61
GST Input Credit	829.29	359.57
Total	1663.77	1532.80

Advance for Capital expenditure under Non-current includes Rs.4509.50 lakhs being excess payment to Project contractors referred to High Court of Madras at the time of taken over the Assets and liabilities from Chennai Port Trust on 22.06.2001.

12 Trade Receivables

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Trade receivables		
- Unsecured - Considered good	5875.87	5788.93
- Doubtful	3891.22	3891.22
Less: Allowances for doubtful debts	-3891.22	-3891.22
Total	5875.87	5788.93

13 Cash & Cash Equivalents

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Cash on hand	0.16	0.13
Balances with Banks	756.54	1370.98
Sub-total (A)	756.70	1371.11
Other Bank Balances		
- Term Deposit		
- Less than 3 months	0.00	3000.00
- More than 3 months but less than 12 months	8000.00	5000.00
Sub-total (B)	8000.00	8000.00
Total	8756.70	9371.11

14 Current Tax Assets

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Advance Tax and Tax Deducted at Source	93936.81	81096.46
Provision for Income Tax	-90315.87	-80227.79
Total	3620.95	868.66

15 Equity Share Capital

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Authorized Equity shares of Rs.10/- each 500,000,000 equity shares	50000.00	50000.00
Issued, subscribed and fully paid Equity shares of Rs.10/- each 300,000,000 equity shares held by Chennai Port Authority	30000.00	30000.00
	30000.00	30000.00

Reconciliation of Share Capital:

Particulars	As at Mar 31, 2022	
	No of Shares	Amount
Opening Equity Shares	3000000000	30000000000
Add: -No. of Shares, Share Capital issued/ subscribed during the year	0	0
Closing balance	3000000000	30000000000

Particulars	As at Mar 31, 2023	
	No of Shares	Amount
Opening Equity Shares	3000000000	30000000000
Add: -No. of Shares, Share Capital issued/ subscribed during the year	0	0
Closing balance	3000000000	30000000000

Shares in the Company held by Promoter & Shareholder holding more than 5 percent

Name of the Shareholder	%	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Chennai Port Authority	100%	30000	30000

Government of India disinvested its entire Equity shares held in the Company to Chennai Port Authority through Share Purchase Agreement entered on 25.03.2020

16 Borrowings

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
<u>SECURED - LONG TERM</u>		
Term Loan		
Chennai Port Authority	15903.75	18205.00
Tax Free Bonds		
(i) Series 2012-13	1164.88	1150.11
(ii) Series 2013-14	29204.89	36454.40
<u>UNSECURED - LONG TERM</u>		
Term Loan		
Loan From HDFC Bank	2500.00	3500.00
Total	48773.52	59309.51
<u>SECURED - SHORT TERM</u>		
Current maturities of long term debt		
- Chennai Port Authority	2301.25	2301.25
- Tax Free Bonds - Series 2013-14	7249.51	0.00
- Tax Free Bonds - Series 2012-13		8293.34
<u>UNSECURED - SHORT TERM</u>		
Current maturities of long term debt		
Loan From HDFC Bank	1000.00	500.00
Total	10550.76	11094.59

Secured Redeemable Non-Convertible Bonds

(i) Redeemable at par, 829334 Nos. of 10 Year Bonds of Face value - Rs.1000/- each amounting to Rs.82,93,34,000/- are due on 25.03.2023 and the same was repaid to the Bond holders on due date. Further, 117156 Nos. of 15 Year bonds of Face Value - Rs.1000/- each amounting to Rs.11,71,56,000/- are due on 25.03.2028 with interest rates @ 7.51% and 7.67% to Retail Investors and 7.01% and 7.17% to others respectively, payable annually. The bonds are secured against the assets of the Company viz. Small Craft Jetty - 1, 2 and 3 and General Cargo Berth pursuant to the terms of the Bond Trust Deed registered on 25.03.2013. During the year, the Company has redeemed 829334 Nos. of 10 Year Bonds of Face value of Rs.1000/- each amounting to Rs.82,93,34,000/-

(ii) Redeemable at par, 794951 Nos. of 10 Year Bonds of Face value - Rs.1000/- each amounting to Rs.79,49,51,000/- are due on 25.03.2024 and 1916630 Nos. of 15 Year bonds of Face Value - Rs.1000/- each amounting to Rs.191,66,30,000/- are due on 25.03.2029 and 943142 Nos. of 20 Year Bonds of Face Value - Rs.1000/- each amounting to Rs.94,31,42,000/- are due on 25.03.2034 with interest rates @ 8.61%, 9% and 9% respectively to Retail Investors and 8.36%, 8.75% and 8.75% respectively to others, payable annually. The bonds are secured against the assets of the Company viz. North Break Water pursuant to the terms of the Bond Trust Deed registered on 19.03.2014.

Term loan from Chennai Port Trust

Term Loan due to Chennai Port Trust converted at the time of taken over of assets & liabilities in the year 2001-02 and is repayable in 60 Equated Quarterly instalments commencing from 30.06.2012. The instalments are paid up to date during this period. The above loan is secured by hypothecation of specifically earmarked immovable fixed assets of the Company. The Company has borrowed an additional amount of Rs.70 crs and Rs. 20 crs on 18.06.2018 and 29.09.2018 respectively on the same terms and conditions of the original loan.

Term loan from HDFC Bank

HDFC Bank has sanctioned Unsecured Rupee Term Loan of Rs.50 Crore on 27th July 2021 @ interest rate of 91 days T Bill Plus 1.80% per annum with reset quarterly repayable within Five year including one year moratorium. During the year 2021-22, the Company has availed Rs.40 Cr for Capital Projects.

17 Other Financial Liabilities

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Long Term		
Security Deposits	551.01	435.20
Total	551.01	435.20
Short term		
Security Deposits	131.56	139.16
Retention Money Payable	158.37	239.98
Amount Payable to Employees	0.48	0.48
Other Liabilities	127.27	128.43
Total	417.67	508.03

18 Provisions

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Non- Current		
FOR EMPLOYEE BENEFITS		
Leave Encashment	-	-
Gratuity	-	-
Total	0.00	0.00
Current		
FOR EMPLOYEE BENEFITS		
Leave Encashment	-	-
Gratuity	-	-
Performance Related Pay	254.10	326.99
Sub Total (A)	254.10	326.99
OTHER		
Expenses		
- Revenue	15496.86	950.43
- Capital	58.50	123.50
Sub Total (B)	15555.36	1073.93
Total(A+B)	15809.46	1400.92

19 Other Liabilities

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Non-Current		
Income Received in Advance	5519.64	5970.93
Advance Lease Charges	1313.19	1313.19
Deferred Fair Valuation Gain - Security Deposits	529.20	549.01
Total	7362.03	7833.14
Current		
Income Received in Advance	895.23	780.67
Other Statutory Payables	2380.55	2585.84
Advance Received from Customers	2062.80	1585.81
Advance Lease Charges	0.00	61.45
Other Liabilities	0.00	0.00
Total	5338.58	5013.77

Income received in advance of Rs.5519.64 lakhs under Non-Current represents an amount from Indian Oil LNG Private Limited towards upfront licence fees for 30 years for 5,20,000 sq.m. Land allotted for the construction of LNG Terminal as per the Licence Agreement dated 31st July 2015.

20 Trade Payables

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2023	As at Mar 31, 2022
Total outstanding dues to Micro & Small Enterprises	435.43	338.18
Total outstanding dues to Creditors other than Micro & Small Enterprises	3578.58	2790.69
Total	4014.01	3128.87

21 Revenue From Operations

(Rupees in lakhs)

Particulars	Year ended 31 st March 2023	Year ended 31 st March 2022
Lease Income		
Composite Tariff on Coal	33184.97	26889.40
Estate Income	2530.53	3150.54
Revenue Share	33832.76	28038.48
Marine Services		
Vessel Related Income	21670.51	18282.45
Cargo Related Service		
Wharfage	5633.02	5614.79
Royalty	960.69	1002.52
Other Operating Revenues		
Other Services	459.75	283.33
Total	98272.23	83261.51

22 Other Income

(Rupees in lakhs)

Particulars	Year ended 31 st March 2023	Year ended 31 st March 2022
Interest from Banks	950.61	340.13
Interest on Staff Advances	32.83	38.66
Interest - Others	102.99	95.52
Other non operating income		
Personnel & Vehicle Entry Pass	96.55	91.23
Liquidated Damages	164.42	1083.13
SEIS Scripts allotted	859.13	0.00
Other Income	443.74	173.64
Total	2650.27	1822.30

23 Operating Cost

(Rupees in lakhs)

Particulars	Year ended 31 st March 2023	Year ended 31 st March 2022
Time Charter Crafts	3176.11	3201.12
Consultancy Services - Operations	153.31	46.02
Power & Water charges	306.96	232.23
Environment	352.12	301.64
Research & Development Expenses	17.87	235.07
Fuel Expense	1110.98	1090.83
Manning Services	856.14	789.78
Survey Expenses	5.05	9.51
Repairs and Maintenance	811.31	720.29
Incentive	2767.05	254.61
Insurance	277.26	326.88
Total	9834.16	7207.98

24 Employee Benefits

(Rupees in lakhs)

Particulars	Year ended 31 st March 2023	Year ended 31 st March 2022
Salaries and Wages	1478.24	1430.99
Contribution to Provident Fund	120.43	114.30
Staff Welfare expenses	36.36	15.01
Performance Related Pay	217.38	361.98
Employee Medical expenses	47.62	73.89
Terminal Benefits	178.75	256.17
Total	2078.78	2252.34

25 Finance Cost

(Rupees in lakhs)

Particulars	Year ended 31 st March 2023	Year ended 31 st March 2022
Interest Expense :		
- Banks	58.15	139.25
- Tax Free Bonds - 2012-13	686.48	687.67
- Tax Free Bonds - 2013-14	3220.76	3234.34
- Others	1899.29	2114.35
Other Borrowing Costs :		
- Tax Free Bond Expenses	5.70	5.35
Net loss / Gain on Foreign currency transaction and translation to the extent treated as Borrowing costs.	-	53.14
Total	5870.38	6234.10

26 Depreciation and Amortization Expenses

(Rupees in lakhs)

Particulars	Year ended 31 st March 2023	Year ended 31 st March 2022
Depreciation / Amortisation for the year		
Tangible Assets	5919.55	8794.77
Right- of- Use Assets	103.86	110.79
Intangible Assets	154.41	155.90
Total	6177.82	9061.46

27 Other Expenses

(Rupees in lakhs)

Particulars	Year ended 31 st March 2023	Year ended 31 st March 2022
AMC - Software Expenses	202.08	177.18
Auditors' remuneration		
- Statutory audit	6.00	6.00
- Tax Audit Fees	1.25	0.75
- Payment for other Services	1.70	1.18
- Reimbursement of expenses	0.60	0.60
Electricity & Water Charges	103.07	105.83
Legal & Professional Charges	567.99	474.28
Miscellaneous Expense	229.51	173.05
Printing and stationery	12.01	12.85
Rent, Rates & Taxes	118.65	59.77
Safety & security expenses	1300.21	1195.87
Corporate Social Responsibility Expenses	854.94	707.15
Subscription & Membership fees	93.80	96.69
Communication Expenses	56.83	56.56
Travelling and conveyance	24.57	9.01
Vehicle running expenses	343.79	297.88
Advertising and promotional expenses	43.96	19.88
Manning Contract - Admin	573.52	395.53
Foreign Exchange Fluctuation Loss	-	87.74
Provision for Expected Credit Loss	-	2591.48
Total	4534.50	6469.27

(b) Amount spent during the year on :

S.No.	Particulars	Yet to be paid in Cash
(i)	Construction / acquisition of any asset	0.00
(ii)	on purposes other than (i) above	0.00
	Total	0.00

Corporate Social Responsibility (CSR)

Where the Company covered under section 135 of the Companies Act, the following shall be disclosed with regard to CSR activities

Sl.No.	Name of the activity	Amount spent
(i)	The amount required to be spent by the Company during the year,	Rs.854.94 lakhs
(ii)	Amount of expenditure incurred	Rs.596.80 lakhs
(iii)	Shortfall at the end of the year,	Rs.258.14 lakhs
(iv)	Total of previous years shortfall	No shortfall
(v)	Reason of shortfall	Not Applicable
(vi)	Nature of CSR activities,	Education, Health, Care, Rural Development etc.,
(vii)	Details of related party transactions, e.g., contribution to a trust controlled by the Company in relation to CSR expenditure as per relevant accounting standard	NIL
(viii)	Where a provision is made with respect to a liability incurred by entering into a contractual obligation, the movements in the provision during the year shall be shown separately	NIL

Note : As approved by the Board, CSR expenses for the FY 2022-23 was Rs.9.85 Cr and actually incurred was Rs.5.96 Cr. Remaining Rs.3.88 Cr was transferred to CSR Unspent account.

28. Exceptional Items

(Rupees in lakhs)

Particulars	Year ended 31 st March 2023	Previous year ended 31 st March 2022
Exceptional Items - Shore Protection Structure	14688.36	0.00
Total	14688.36	0.00

The Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India, while granting permission to the Company for various proposal to expand the port area for creating additional terminals, imposed a condition that shore protection and other suitable structures be constructed to prevent the closing of the mouth of Ennore creek which is located nearby the Port premises, thereby constituting a legal obligation cast on the Company.

The amount of provision has been recognised in the books of account since it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and represents the present value of reliable estimates given by Public Works Department, Government of Tamil Nadu finalised during the year in respect of the above obligation. The said provision is net of expenditure already incurred during the year.

29. Earnings per Share

Particulars	Year ended 31 st March 2023	Year ended 31 st March 2022
Total Comprehensive Income for the Year	3728739870	4414569480
Weighted average number of shares - Basic	300000000	300000000
Weighted average number of shares - Diluted	300000000	300000000
Earnings per Share - Basic	12.43	14.72
Earnings per Share - Diluted	12.43	14.72

Note 30 : Disclosure Notes**1. Commitments:****Capital Commitments:**

Estimated amount of contracts remaining to be executed on Capital Expenditure (net of advances) and not provided for Rs.32879.08 lakhs (Previous Year Rs.32945.25 lakhs)

2. Payment to the Statutory Auditors

(Amount in Lakhs)

Particulars	2022-23	2021-22
Audit Fees	6.00	6.00
Tax Audit Fees	1.25	0.75
Certification fees	1.70	1.18
Reimbursements:		
- Out of Pocket Expenses	0.60	0.60

3. Additional information pursuant to Schedule III of the Companies Act, 2013

(Amount in Lakhs)

	Particulars	2022-23	2021-22
A	Expenditure in Foreign currency on:		
	(i) Professional and consultancy fee	-	-
	(ii) Tours and Travels	-	-
	(iii) Interest on Foreign Currency Loan including Hedging	-	139.25
	(iv) Others	-	-
B	Earnings in Foreign Exchange	-	-

4. Information in respect of Micro, Small and Medium Enterprises as at 31st March 2023:

(Rupees in lakhs)

Sl.	Particulars	2022-23	2021-22
1	Amount remaining unpaid to any supplier: a) Principal Amount b) Interest due thereon	435.43 -	338.18 -
2	Amount of interest paid in terms of section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, along with the amount paid to the supplier beyond the appointed day;	Nil	Nil
3	Amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006;	Nil	Nil
4	Amount of interest accrued and remaining unpaid	Nil	Nil
5	Amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.	Nil	Nil

Classification of Vendors into Micro, Small and Medium Enterprises have been made to the extent information is available with the Company.

Disclosure requirements of Indian Accounting Standards**5. Disclosures in respect of Ind AS 107 - Financial Instruments****5.1 Financial Instruments by Categories**

The carrying value and fair value of financial instruments by categories were as follows:

(Amount in Lakhs as of March 31, 2023)

Particulars	Amortized cost	Financial assets/ liabilities at fair value through profit or loss	Financial assets/ liabilities at fair value through OCI	Total carrying value	Total fair value
Assets:					
Non-current Investment (Ref Note No.7)	4123.00	-	28.19	4151.19	4151.19
Cash & Cash Equivalents (Ref Note No.13)	8756.70	-	-	8756.70	8756.70
Trade Receivable (Ref Note No. 12)	5875.87	-	-	5875.87	5875.87
Loans and Advances (Ref Note No. 8)	382.09	-	-	382.09	382.09
Other Financial Assets (Ref Note No. 9)	1429.29	-	-	1429.29	1429.29
Liabilities:					
Term loan from Chennai Port Trust (Ref Note No. 16)	18205.00	-	-	18205.00	18205.00
Tax Free bonds (Ref Note No. 16)	37619.28	-	-	37619.28	37619.28
Loan from HDFC Bank (Ref Note No.16)	3500.00	-	-	3500.00	3500.00
Trade Payables -Outstanding dues to Micro & Small Enterprises (Ref Note No. 20)	435.43	-	-	435.43	435.43
Trade Payables - Outstanding dues to Creditors other than Micro & Small Enterprises (Ref Note No. 20)	3578.58	-	-	3578.58	3578.58
Other Financial Liabilities (Ref Note No.17)	968.68	-	-	968.68	968.68

Particulars	Amortized cost	Financial assets/ liabilities at fair value through profit or loss	Financial assets/ liabilities at fair value through OCI	Total carrying value	Total fair value
Assets:					
Non-current Investment (Ref Note No.7)	4123.00	-	31.56	4154.56	4154.56
Cash & Cash Equivalents (Ref Note No.13)	9371.11	-	-	9371.11	9371.11
Trade Receivable (Ref Note No. 12)	5788.93	-	-	5788.93	5788.93
Loans and Advances (Ref Note No. 8)	410.60	-	-	410.60	410.60
Other Financial Assets (Ref Note No. 9)	669.61	-	-	669.61	669.61
Liabilities:					
Term loan from Chennai Port Trust (Ref Note No. 16)	20506.25	-	-	20506.25	20506.25
Tax Free bonds (Ref Note No. 16)	45897.85	-	-	45897.85	45897.85
Loan from HDFC Bank (Ref Note No.16)	4000.00	-	-	4000.00	4000.00
Trade Payables - Outstanding dues to Micro & Small Enterprises (Ref Note No. 20)	338.18	-	-	338.18	338.18
Trade Payables - Outstanding dues to Creditors other than Micro & Small Enterprises (Ref Note No. 20)	2790.69	-	-	2790.69	2790.69
Other Financial Liabilities (Ref Note No.17)	968.68	-	-	968.68	968.68

5.2. Fair Value Hierarchy

- **Level 1** - Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- **Level 2** - Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).
- **Level 3** - Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

The following table presents fair value hierarchy of assets and liabilities measured at fair value:

(Amount in lakhs)

Particulars	For the year 31.03.2023				For the year 31.03.2022			
	Level 1	Level 2	Level 3	Total	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Assets								
Investments in unquoted equity instruments	-	-	4,123.00	4,123.00	-	-	4,123.00	4,123.00
Investments in quoted equity instruments	-	-	28.19	28.19			31.56	31.56

5.3. Financial risk management

Financial Risk factors

The Company's activities are exposed to limited financial risks: market risk, credit risk and liquidity risk. The Company's primary focus is to foresee the unpredictability of financial markets and seek to minimize potential adverse effects on its financial performance.

a) Market risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flow of financial instruments will fluctuate because of changes in market price.

The Company has interest rate risk as the Market risk. The Company does not have price risk on its financial instruments since Company does not have any derivative financial asset.

Interest Rate Risk :

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The exposure to the risk of changes in market

interest rates relates primarily to the long-term debt obligations with floating interest rates.

The Company has interest rate risk on the loans obtained from Chennai Port Trust as the annual interest rate reset is pegged to the movement in MCLR rate of State Bank of India.

The Company has availed Term loan from HDFC bank as the annual interest rate reset is pegged to the movement in 91 days T Bills.

As at the reporting date, the interest rate profile of the Company's interest-bearing financial instruments are as follows.

(Amount in lakhs)

Particulars	31st Mar 2023	31st Mar 2022
Financial Asset		
- Fixed Deposit with Bank	8000.00	8000.00
- Employee Advance	382.09	410.60
Financial Liabilities		
- Tax Free Bonds	37619.28	45897.85
Variable Rate Instruments		
- Loan from Chennai Port Trust	18205.00	20506.25
- Foreign Currency Loan	-	-
- HDFC Bank	3500.00	4000.00

b) Credit Risk

Credit risk refers to the risk of default on its obligation by the counterparty resulting in a financial loss. Since the Company generally stipulates pre-payment with respect to its income for major port services, there is normally no credit offered to anyone. In such cases there is no credit default risk. However, where the Company is rendering certain ancillary / support services the invoices are raised, as and when the services are rendered and in cases of disagreement on user charges, licence fee etc. on settlement of disputes and in these cases, there could be an element of credit default risk.

Trade Receivables

The Company has outstanding trade receivables amounting to Rs.5875.87 lakhs and Rs.5788.93 lakhs as of March 31, 2023 and March 31, 2022,

Credit risk exposure

An age-wise analysis of trade receivables at each reporting date is summarized below:

(Amount in Lakhs as of 31st March 2023)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
	Less than 6 Months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables-considered good	2338.22	56.49	27.54	218.13	67.66	2708.04
(ii) Undisputed Trade Receivables which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(iii) Undisputed Trade Receivables - credit impaired	-	-	915.55	1675.93	1299.74	3891.22
(iv) Disputed Trade Receivables - considered good risk	-	174.11	482.31	1324.30	1187.11	3167.83
(v) Disputed Trade Receivables - which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(vi) Disputed Trade Receivables - credit impaired	-	-	-	-	-	-

(Amount in Lakhs as of 31st March 2022)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
	Less than 6 Months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables-considered good	2112.11	109.82	89.52	258.04	51.61	2621.10
(ii) Undisputed Trade Receivables which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(iii) Undisputed Trade Receivables - credit impaired	-	-	2591.48	-	1299.74	3891.22
(iv) Disputed Trade Receivables - considered good risk	174.11	482.31	1324.30	550.11	637.00	3167.83
(v) Disputed Trade Receivables - which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(vi) Disputed Trade Receivables - credit impaired	-	-	-	-	-	-

Provision for impairment of trade receivables on a case to case basis is made in the year when recoverability is assessed as doubtful based on the recovery analysis performed by the Company or is based on likely outcome of disputes over the interpretation of certain clauses in the concessionaire agreements. The Company considers all other financial assets which are not impaired and past due for each reporting dates under review are of good credit quality.

Other financial assets

Credit risk relating to cash and cash equivalents is considered negligible because our counterparties are banks. We consider the credit quality of term deposits with banks which are subjected to the regulatory oversight of the Reserve Bank of India to be good, and we review these banking relationships on an ongoing basis. Credit risk related to employee loans are considered negligible since loan is secured either as mortgage of the title deed of the property or by way of hypothecation of the vehicle for which these loans have been granted to the employees. Besides, the Company has appropriation right over the terminal benefits due to the employees'. Therefore, there is no requirement for impairment provision for these financial assets. We consider all the above financial assets as at the reporting dates to be of good credit quality.

c) Liquidity Risk

Our liquidity needs are monitored on the basis of

monthly and yearly projections. The Company's principal sources of liquidity are cash and cash equivalents, cash generated from operations.

We manage our liquidity needs by continuously monitoring cash inflows and by maintaining adequate cash and cash equivalents. Net cash requirements are compared to available cash in order to determine any shortfalls.

Short term liquidity requirement consists mainly of resources required to settle trade payables, expenses payable, employee dues, repayment of current maturities of loans, etc., arising during the normal course of business as of each reporting date. We maintain sufficient balance in cash and cash equivalents to meet our short term liquidity requirements.

We assess long term liquidity requirements on a periodical basis and manage them through internal accruals. Our non-current liabilities include borrowings from Chennai Port Trust, Tax Free Bonds, and Term loan from HDFC Bank, Retention money payable and Security deposits.

The table below provides details regarding the contractual maturities of non-derivative financial liabilities. The table has been drawn up based on the undiscounted cash flows of financial liabilities based on the earliest date on which the Company can be required to pay. The table includes both principal & interest cash flows.

(Amount in Lakhs as of March 31, 2023)

Particulars	Less than 6 months	6 months to 1 year	1-3 years	3-5 years	More than 5 years	Total
Chennai Port Authority Loan	1150.62	1150.62	4602.48	4602.48	6698.80	18205.00
Loan from HDFC Bank	500.00	500.00	2500.00	-	-	3500.00
Tax Free Bonds	-	7249.51	-	1164.88	29204.89	37619.28
Retention money	158.37	-	-	-	-	158.37
Security Deposits	-	131.56	-	-	551.01	682.57
Other Liabilities	-	127.27	-	-	-	127.27
Total	1808.99	9158.96	7102.48	5767.36	36454.70	60292.49

(Amount in Lakhs as of March 31, 2022)

Particulars	Less than 6 months	6 months to 1 year	1-3 years	3-5 years	More than 5 years	Total
Chennai Port Authority Loan	1150.62	1150.62	4602.48	4602.48	9000.05	20506.25
Loan from HDFC Bank	-	500.00	2000.00	1500.00	-	4000.00
Tax Free Bonds	-	8293.34	7249.51	-	30355.00	45897.85
Retention money	-	233.49	6.49	-	-	239.98
Security Deposits	-	139.15	-	-	435.20	574.35
Other Liabilities	-	128.43	-	-	-	128.43
Total	1150.62	10445.03	13858.48	6102.48	39790.25	71346.86

Trade Payables ageing schedule for the FY 22 - 23

(Amount in Lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment				
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) MSME	435.43	-	-	-	435.43
(ii) Others	3046.91	81.67	149.76	300.24	3578.58
(iii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues – Others	-	-	-	-	-

Trade Payables ageing schedule for the FY 21 - 22

(Amount in Lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment				
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) MSME	338.18	-	-	-	338.18
(ii) Others	2334.13	156.32	262.37	37.87	2790.69
(iii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues – Others	-	-	-	-	-

6. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-21 "The Effects of changes in Foreign Exchange Rates"

The amount of exchange differences (net) debited to the Statement of Profit & Loss Rs. NIL (P.Y. Rs.87.74 lakhs) under Other Expenses.

7. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-36 "Impairment of assets"

During the year, the Company has reviewed its Fixed Assets for impairment of assets as per Ind AS-36 and has observed no impairment of assets in the current Financial year Nil (Previous year – NIL).

8. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-20 "Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance"

(Amount in Lakhs)

Grant received for	2022-23	2021-22
Government Grants	859.13	Nil
Total Grants Received	859.13	Nil

9. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-19 "Employee Benefits"

a. General description of various employee's benefit schemes are as under:

a) Provident Fund :

The Company's Provident Fund is deposited with Regional Provident Fund Commissioner. The Company pays fixed contribution to provident fund at pre-determined rate.

b) Gratuity :

The Company has a defined benefit gratuity plan. Every employee who has rendered continuous service of five years or more is entitled to get gratuity @ 15 days salary (15/26 x last drawn basic pay plus dearness allowance) for each completed year of service on superannuation, resignation, termination, and disablement or on death. A trust has been formed for this purpose. This scheme is being managed by the Life Insurance Corporation of India (LIC) for which the Company has taken a Master Policy.

The scheme is funded by the Company and the contributions are paid to the insurer, i.e., the Life Insurance Corporation of India as per the demand

made by them. The recognition of net obligation for the defined benefit plan and the disclosure of information as required under Ind AS-19 is made in accordance with the actuarial valuation report.

c) Superannuation Scheme:

The Company has implemented a non-contributory Employee's Group Superannuation Pension Scheme which is also managed by LIC of India. Contributions @ 12% of Basic Pay plus dearness allowance of the enrolled employee is made to the Corporation.

The contribution to the scheme for the period is grouped under Employee Cost on accrual basis. In respect of employees on deputation, pension contribution is calculated as per lending organization/Govt. of India Rules and is accounted for on accrual basis.

d) Leave:

The Company provides for Earned Leave benefits and Half-Pay Leave to the employees of the Company, which accrue annually at 30 days & 20 days respectively. The Earned Leave is encashable once in a calendar year while in service for a period of maximum 30 days as per eligibility and on Superannuation, the maximum limited to 300 days.

The liability on Earned leave is recognized on the basis of actuarial valuation.

b. The summarized position of various defined benefits recognized in the Statement of Profit & Loss, Other Comprehensive Income (OCI) and Balance Sheet & other disclosures are as under:

(Amount in Lakhs)

Particulars		Gratuity (Funded)	Leave (Funded)
Defined Benefit Obligation	C.Y.	440.56	(4.01)
	P.Y.	350.20	326.86
Fair Value of Plan Assets	C.Y.	491.79	414.57
	P.Y.	418.89	377.47
Funded Status [Surplus/ (Deficit)]	C.Y.	(51.23)	(24.75)
	P.Y.	(68.68)	(50.61)
Effect of asset ceiling	C.Y.	0	0
	P.Y.	0	0
Net Defined Benefit Assets/(Liabilities)	C.Y.	(51.23)	(24.74)
	P.Y.	(68.68)	(50.61)

Movement in defined benefit obligation

(Amount in Lakhs)

Particulars		Gratuity (Funded)	Leave (Funded)
Defined benefit obligation - Beginning of the year	C.Y.	350.20	326.86
	P.Y.	386.24	377.00
Current service cost	C.Y.	31.73	0
	P.Y.	29.59	57.42
Interest Cost	C.Y.	24.63	23.66
	P.Y.	25.50	24.96
Benefits Paid	C.Y.	(20.00)	0
	P.Y.	(24.82)	(22.00)
Re-measurements - actuarial loss/(gain)	C.Y.	54.00	39.29
	P.Y.	(66.31)	(110.51)
Defined benefit obligation - End of the year	C.Y.	440.56	389.82
	P.Y.	350.20	326.86

Movement in plan asset

(Amount in Lakhs)

Particulars		Gratuity (Funded)	Leave (Funded)
Fair value of plan assets at beginning of year	C.Y.	418.89	377.47
	P.Y.	371.01	325.20
Interest income	C.Y.	31.81	27.67
	P.Y.	26.10	22.40
Employer contributions	C.Y.	60.90	9.51
	P.Y.	48.13	28.41
Benefits Paid	C.Y.	(20.00)	0
	P.Y.	(24.82)	(22.01)
Re-measurements - Return on plan assets	C.Y.	0.20	(0.09)
	P.Y.	(1.53)	23.48
Fair value of plan assets at end of year	C.Y.	491.79	414.57
	P.Y.	418.88	377.47

Amount Recognized in Statement of Profit and Loss

(Amount in Lakhs)

Particulars		Gratuity (Funded)	Leave (Funded)
Current service cost	C.Y.	31.73	0
	P.Y.	29.60	57.42
Past Service Cost - Plan Amendment	C.Y.	0	0
	P.Y.	0	0
Curtailment cost/(credit)	C.Y.	0	0
	P.Y.	0	0

Particulars		Gratuity (Funded)	Leave (Funded)
Settlement cost/(credit)	C.Y.	0	0
	P.Y.	0	0
Service cost (A)	C.Y.	31.73	0
	P.Y.	29.60	57.42
Net Interest on Net Defined Benefit Liability/ (assets) (B)	C.Y.	(7.18)	(4.01)
	P.Y.	(0.60)	2.56
Cost Recognized in P&L (A+B)	C.Y.	24.55	(4.01)
	P.Y.	29.00	59.98

Sensitivity Analysis

(Amount in Lakhs as of March 31, 2023)

Assumption	Change in Assumption	Gratuity (Funded)	Leave (Funded)
Discount rate	+1.00%	406.95	374.57
	-1.00%	479.14	406.46
Salary growth rate	+1.00%	475.67	409.04
	-1.00%	405.86	371.89
Withdrawal rate	+1.00%	447.85	391.60
	-1.00%	432.42	387.91

(Amount in Lakhs as of March 31, 2022)

Assumption	Change in Assumption	Gratuity (Funded)	Leave (Funded)
Discount rate	+1.00%	318.07	312.55
	-1.00%	387.55	342.58
Salary growth rate	+1.00%	388.21	344.61
	-1.00%	315.60	310.42
Withdrawal rate	+1.00%	356.47	328.48
	-1.00%	343.14	325.10

Actuarial Assumption

Particulars		Gratuity (Funded)	Leave (Funded)
Method used	C.Y.	PUC	PUC
	P.Y.	PUC	PUC
Discount rate	C.Y.	7.51%	7.51%
	P.Y.	7.24%	7.24%
Rate of salary increase	C.Y.	5%	5%
	P.Y.	5%	5%
Rate of return of plan Asset	C.Y.	0	0
	P.Y.	0	0

Particulars		Gratuity (Funded)	Leave (Funded)
Withdrawal Rate	C.Y.	1% to 3%	1% to 3%
	P.Y.	1% to 3%	1% to 3%
Retirement Age	C.Y.	60 Years	60 Years
	P.Y.	60 Years	60 Years
Average Future Service	C.Y.	14.02	14.02
	P.Y.	14.87	14.87
Mortality rate	C.Y.	IALM (2012-14) Table	IALM (2012-14) Table
	P.Y.	IALM (2006-08) Table	IALM (2006-08) Table
Disability Rate	C.Y.	No explicit loading	No explicit loading
	P.Y.	No explicit loading	No explicit loading

Category of investment in Plan assets

Category of Investment	% of fair value of plan assets
Insurance Policies	100%

10. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-108: "Operating Segments"

The Company primarily operates in one segment – Port Services and there is no reportable Geographical segment either.

The Company derives revenues from the following customers which accounts for 10 per cent or more of Company's revenues. In respect of the other customers, their individual share is less than 10% of the Company's revenues

(Amount in Lakhs)

Customer	For the year ended March 31, 2023	For the year ended March 31, 2022
TANGEDCO	16745.40	16075.20
NTECL (JV of Tangedco & NTPCL)	18419.18	11478.17
Ennore Coal Terminal Private Limited (Erstwhile Chettinad International Coal Terminal Pvt Ltd)	18277.43	13703.47

11. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard 23 "Borrowing Costs"

Borrowing costs capitalised during the year is Rs.225.63 lakhs (Previous Year Rs.72.93) in the

respective carrying amount of Property, Plant and Equipment / Capital works in Progress (CWIP).

12. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard 24 "Related Parties Disclosures"

a. Disclosures for Other than Govt. Related Entities

a. List of Related parties: Key Managerial Persons:

Name	Designation
Shri Sunil Paliwal, I.A.S.,	Chairman and Managing Director
Shri S. Balaji Arunkumar, I.R.T.S.	Nominee Director
Shri V.M.V. Subba Rao, FCA, DISA (ICAI)	Independent Director
Capt. Anoop Kumar Sharma	Independent Director
Smt. Sarala Balagopal, I.R.T.S. (Retd.)	Independent Director
Shri M. Gunasekaran	Chief Financial Officer and Compliance Officer (Superannuated on 28.02.2023)
Shri C.S. Vemanna,	Chief Financial Officer(I/C) (w.e.f. 01.03.2023)
Smt. Jayalakshmi Srinivasan	Company Secretary and assumed office as Compliance Officer w.e.f. 01.03.2023

Other Entities:

- M/s. Kanniyakumari Port Limited**
Compensation of key management personnel
(Amount in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2023	For the year ended March 31, 2022
Remuneration and Short-term benefits	103.83	108.95
Post-employment benefits	30.98	15.43
Other long-term benefits	-	-
Share-based payments	-	-
Termination benefits	-	-
Sitting fee	12.20	8.30
Total	147.01	132.68
Recovery of Loans & Advances during the year	-	-
Advances released during the year	-	-
Closing Balance of Loans & Advances	-	-

b. Chennai Port trust

Transaction with other related parties:

(Amount in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2023	For the year ended March 31, 2022
Interest Paid	1866.34	2084.96
Loan Repaid	2301.25	2301.25
Lease Rent Expenses	50.33	59.40
Project Management Services	119.16	127.08
Security Deposit - Lease Rent	0	48.01
Interim & Final Dividend	27000.00	24000.00
CSR Expenses	0	100.00
Manpower	377.52	273.85
Others	16.54	8.82
Closing Balance of Term Loan	18205.00	20506.25

13. Disclosure in respect of Indian Accounting standard (Ind AS) 116 "Leases"

a. Operating lease

i) As a Lessee

- Future minimum lease payments under non-cancellable operating leases excluding upfront fee payments

(Amount in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2023	For the year ended March 31, 2022
Not later than 1 year	-	-
Later than 1 year and not later than 5 years	-	-
Later than 5 years	-	-

(Amount in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2023	For the year ended March 31, 2022
Minimum lease payments	-	-

Leasing arrangement :

The Company has leased office premises for 30 years from Chennai Port Trust on upfront premium lease payments.

ii. As a lessor

- Future minimum lease receivables under non-cancellable operating lease

(Amount in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2023	For the year ended March 31, 2022
Not later than 1 year	3401.27	3239.30
Later than 1 year and not later than 5 years	19733.85	18794.14
Later than 5 years	79764.42	84105.39

• Leasing arrangement:

As per the business model adopted by the Company, the development, operation, marketing and maintenance of cargo terminals are left with the Captive / PPP BOT operators on 30 years Licence / Concession Agreement. The Company leased out water front and land area for development of Berths through BOT operators / Captive users as per the Licence / Concession Agreement.

14. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-33 "Earnings Per Share (EPS)"

a) Basic EPS

The earnings and weighted average number of ordinary shares used in the calculation of basic EPS is as follows:

(Amount in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2023	For the year ended March 31, 2022
Profit (loss) for the year, attributable to the owners of the Company	37287.40	44145.69
Earnings used in calculation of basic earnings per share (A)	37287.40	44145.69
Weighted average number of ordinary shares for the purpose of basic earnings per share (B)	300000000	300000000
Basic EPS(A/B) – Rs.	12.43	14.72

b) Diluted EPS

The earnings and weighted average number of ordinary shares used in the calculation of Diluted EPS is as follows:

(Amount in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2023	For the year ended March 31, 2022
Profit (loss) for the year, attributable to the owners of the Company	37287.40	44145.69
Earnings used in calculation of basic earnings per share (A)	37287.40	44145.69
Weighted average number of ordinary shares for the purpose of basic earnings per share(B)	300000000	300000000
Basic EPS(A/B) – Rs.	12.43	14.72

15. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-37 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”

Contingent Liabilities

(i) Disputed Tax demand:

Disputed tax matters amounting to Rs.12980.02 lakhs (Previous year Rs.4179.54 lakhs) are being contested before Appellate authorities.

(ii) Contract / supply works:

Some of the contractors for construction / supply and execution of works at our projects have made claims on the Company aggregating to Rs.13604.45 lakhs (Previous Year : 13603.43 lakhs) seeking enhancement of the contract price, revision of work schedule with price escalation, compensation for extended period of work, idle charges etc. These claims are being contested by the Company as being not admissible in terms of the provision of the respective contracts. The Company is pursuing various options under the dispute resolution mechanism available in the contract for settlement of these claims.

(iii) (a) Revenue Contracts with PPP Concessionaires – M/s AECTPL:

KPL entered into a Concession Agreement with M/s. Adani Ennore Container Terminal Private

Limited under PPP DFBOT mode on 15.03.2014 for the Development of Container Terminal for 30 years.

The commercial operation commenced during October 2017 for Phase I and Phase II of the project is under construction. The concessionaire had raised certain disputes and invoked Arbitration clause and issued the Arbitration notice to the Company. Post constitution of Arbitration Tribunal on 1st August 2020, claims and counter claims were filed before the Arbitration Tribunal by both the Concessionaire and the Company.

The nature of disputes and claims by the Concessionaire were on account of the following:

- Delay in Phase-I of the project is attributable to KPL
- Delay in Phase-II of the project is attributable to KPL and therefore milestones to be revised by KPL.
- L.D. in Phase I & Phase II are unenforceable and to be refunded by KPL.
- Issuance of consultation notice by KPL and resumption of the same are unlawful.
- Invocation of change in law claiming Rs.1405 Cr and extension and modification of Concession Agreement.
- Declaring Actual Project Cost, Estimated Project Cost and financial documents as valid & enforceable and to take on record the same by KPL.
- Refund of lease rentals & royalty paid by AECTPL
- Claim for interest.

The Company has denied the claims by the concessionaire in its entirety and has preferred a counter claims amounting to Rs.16781 lakhs.

The arbitration hearing concluded on 26.03.2023 and the arbitral award is awaited from the Arbitral Tribunal.

(b) Revenue Contracts with PPP Concessionaires – M/s. SIOTL:

Kamarajar Port Limited entered into a License Agreement with M/s. SICAL Iron Ore Terminal

Agreement (SIOTL) on 11.7.2016 for "Modification of existing Iron Ore Terminal to also handle Coal" under PPP - DBFOT basis. The 27 year concession period commenced from 20.7.2018. However due to various problems and difficulties faced by the SIOTL, the Project could not be completed and commissioned on the scheduled date. In the meantime, the Lenders have issued 'Notice of Financial Default' by the SIOTL and requested KPL to issue Termination Notice by exercising their rights available under the License Agreement. KPL has commenced the Termination process by issuing a Termination Notice on 22.3.2021 under relevant provisions of the License Agreement and termination took effect on 20.06.2021.

In the meantime, M/s SIOTL has been declared as Corporate Debtor under IBC Code, 2016 by Hon'ble NCLT, Chennai vide its Order dated 01.03.2022 on the basis of the Creditor Application filed by ITD Cementation India Limited and M/s. Portman India Limited. Hon'ble NCLT appointed Mr. Shivshanker as Interim Resolution Professional (IRP) as per the provisions of the IBC, Code. Since lenders of the SIOTL project namely Yes Bank Limited and UCO Bank who had claimed Rs.287.03 Crore are the financial creditors of the Corporate Debtor having the major voting rights in the CIRP, it was informed by the IRP that the Committee of Creditors comprising of M/s. Yes Bank and M/s UCO Bank have confirmed the IRP as Resolution Professional (RP) in its meeting held on 16.04.2022 and accordingly the Project Assets are entrusted with the RP.

It was informed that in the CIRP process, the Resolution Professional had received a Resolution Plan from M/s. JSW Infrastructure Limited and the same was put up before the Committee of Creditors (CoC) by the RP on 16.11.2022. As per the MoM, CoC rejected the Resolution Plan submitted by the M/s. JSW Infrastructure Limited and also decided to

liquidate. Further the CoC also decided to appoint Mr. N. Veerapandian, Insolvency Professional as the Liquidator. The NCLT order confirming the CoC's decision on the present status of the CIRP process is awaited.

In the meanwhile, M/s. Yes Bank Limited, the Lender to M/s SIOTL under the terminated License Agreement and currently a Financial Creditor in the CIRP before the NCLT, Chennai has filed the Writ petition No 34917 of 2022 in the Hon'ble High Court of Madras with Union of India, MoPSW, KPL and others as Respondents seeking an interim order for restraining KPL from dealing with the assets of the subject project as per the Terminated License Agreement dated 11.07.2016 entered between KPL and SIOTL. Further the Writ petitioner has also sought direction from the Hon'ble High Court of Madras for KPL to take steps as per the OM dated 10.05.2022 issued by MoPSW in reference No. PD-13/1/2018-PPP Cell/e-330932. The case came up for hearing and the same is reposted to June, 2023. The Petitioner (Yes Bank) has also assigned the debt to JC Flowers Infra Pvt. Limited and they have filed an substitution application before the court for substituting the Petitioner's name in the cause title.

Summary of Contingent Liabilities:

(Amount in Lakhs)

	Particulars	2022 - 23	2021 - 22
a	Disputed Tax Demand but not acknowledged as debt	12980.02	4179.55
b	Claims against the Company not acknowledged as debt		
	-NGT	400.00	400.00
	-Contract / supply works	13604.43	13603.43
	Total	14004.45	14003.43
c	Claims against Revenue contract with PPP Concessionaires	162968.63	162968.63

16. Expected Credit Loss ('ECL')

The impairment provisions are based on an evaluation of the risk of default over the expected life of the receivables and expected timing of collection. The Company uses judgement in making

these assumptions and selecting the inputs to the impairment calculation, based on the Company's past history of collections, customer's credit worthiness, existing market conditions as well as forward looking estimates at the end of each reporting period.

17. CWIP Ageing Schedule

(Amount in Lakhs as of March 31, 2023)

Particulars	Less than 1 year	1 - 2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
Projects in Progress	324.60	27102.67	-	16400.77	43828.04
Projects temporarily suspended	-	-	-	741.58	741.58
Total	324.60	27102.67	-	17142.35	44569.62

(Amount in Lakhs as of March 31, 2022)

Particulars	Less than 1 year	1 - 2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
Projects in Progress	7498.99	8947.95	-	5162.49	21609.43
Projects temporarily suspended	-	-	741.58	-	741.58
Total	7498.99	8947.95	741.58	5162.49	22351.01

Intangible Assets under development aging schedule

(Amount in Lakhs as of March 31, 2023)

Particulars	Less than 1 year	1 - 2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
Projects in Progress	128.07	-	-	-	128.07
Previous Year	-	-	-	-	-

18. Confirmation of balances:

Trade Receivables/Payables, Term Loans and Advances, GST input credit/GST and Deposits are subject to confirmation and reconciliation.

19. Capital Management:

The Company's capital comprises equity share capital, retained earnings and other equity attributable to equity holders. The primary objective of Company's capital management is to maximize shareholders value. The Company manages its capital and makes adjustment to it in the light of the changes in economic and market conditions.

The Company monitors capital using gearing ratio, which is net debt divided by total capital plus net

debt. Net debt comprises of long term and short term borrowings less cash and bank balances. Equity includes equity share capital and reserves that are managed as capital. The gearing at the end of the reporting period was as follows:

(Amount in Lakhs)

Particulars	As at 31 st March 2023	As at 31 st March 2022
Total Debt	59324.28	70404.10
Less : Cash and cash equivalent	8756.70	9371.11
Net Debt	50567.58	61032.99
Total Equity	265637.95	255350.55
Net debt to equity ratio	19.04%	23.90%

20. Information of Dividends for the year ended 31st March, 2023 :

During the year, the Company paid a Final Dividend of @ 70% of Equity Share capital i.e. Rs.7/- per equity share amounting to Rs.210

Crore for the Financial year 2021-22. Further, the Company declared Interim Dividend amounting to Rs.60 Crore i.e. 20% of Equity and Rs.2/- per share for the Financial Year 2022-23.

21. Additional Regulatory Information

a. ANALYTICAL RATIOS

Ratio	Numerator	Denominator	As at 31 st March 2023	As at 31 st March 2022	% Variance *
Current Ratio	Current Assets	Current Liabilities	0.58	0.84	-30.95%
Debt – Equity Ratio	Total Debts	Share holders equity	0.22	0.28	-21.43%
Debt Service Coverage Ratio	Earnings for Debt Service (Profit after tax+ Depreciation+ finance cost+ Profit on sale of property, plant and equipment)	Debt Service (Interest and lease payments + Principal repayments)	2.91	3.42	-14.91%
Return on Equity (ROE)	Net Profit	Shareholders' equity	14.06%	17.24%	-18.45%
Trade receivables turnover ratio	Income from Operations	Trade Receivables	16.72	14.38	16.27%
Net profit ratio	Net Profit	Income from Operations	38.01%	52.87%	-28.11%
Return on capital employed (ROCE)	Earning before interest, exceptional items and taxes	Net worth + debt	24.90%	18.45%	34.96%

*Reason for variation:

- Current ratio: decreased primarily on account of provision made for Rs.146.88 crore under exceptional item for construction of training wall.
- Debt Equity Ratio: decreased primarily on account of partly redemption of tax free bonds.
- Net Profit Ratio: decreased primarily on account of provision made for Rs.146.88 crore under exceptional item for construction of training wall.
- Return on Capital employed: increased primarily on account of increase in total revenue and decrease in expenses.

22. The Company has made an equity investment of Rs.2 lakhs being 40% of the paid-up capital of Kanniya Kumari Port Limited (KKPL) along with VOC – TPT (40%) & Chennai Port Authority (20%). KKPL is in the process of carrying out pre-project activities. Since there was no significant income / expenditure in KKPL during the year FY 2022-23, no Consolidated Financial Statements are prepared.

23. Previous year's figures have been regrouped wherever necessary.

24. Approval of financial statements

The financial statements were approved by the Board of Directors and authorised for issue on 24th May, 2023.

For Kamarajar Port Limited

Sd/-

SUNIL PALIWAL, I.A.S.,
Chairman & Managing Director
DIN : 01310101

Sd/-

S. VISWANATHAN, I.A.S.,
Director
DIN : 09634577

Sd/-

For B. THIAGARAJAN & CO.
Chartered Accountants,
FRN 004371S

Sd/-

C.S. VEMANNA
Chief Financial Officer (I/c)

Sd/-

JAYALAKSHMI SRINIVASAN
Company Secretary &
Compliance Officer

Sd/-

RAM SRINIVASAN
Partner, M.No.220112
UDIN:23220112BGYQXJ2248

Place : Chennai

Date : 24th May, 2023.

Format of the Initial Disclosure to be made by an entity identified as a Large Corporate

Sl.	Particulars	Details
1	Name of the Company:	Kamarajar Port Limited
2	CIN	U45203TN1999PLC043322
3	Outstanding borrowing of the Company as on 31 st March 2023*	Rs. 412.19Cr #
4	Highest Credit rating during the previous FY along with name of the Credit Rating Agency	Rating: AA/STABLE Rating Agency: CRISIL, CARE, BRICK WORK
5	Name of the Stock Exchange in which fine shall be paid, in case of shortfall in the required borrowing under the framework	Bombay Stock Exchange Limited (BSE)

We confirm that we are a Large Corporate as per the applicability criteria given under the Chapter XII of SEBI Operational Circular dated August 10, 2021(updated as on April 13, 2022).

Sd/-

JAYALAKSHMI SRINIVASAN

Company Secretary & Compliance Officer

Contact: jayasrin@kplmail.in

Phone : 044-25251666

Date : 27.04.2023

Sd/-

C.S. VEMANNA

Chief Manager (Finance) & CFO (I/c)

Contact: vemanna@kplmail.in

Phone : 044-25251666

*Outstanding long-term borrowings shall mean any outstanding borrowing with original maturity of more than 1 year and shall exclude external commercial borrowings and inter-corporate borrowings between a parent and subsidiary.

Provisional Figures, subject to Audit

Format of the Annual Disclosure to be made by an entity identified as a LC

1. Name of the Company : Kamarajar Port Limited
2. CIN : U45203TN1999PLC043322
3. Report filed for FY : 2022-23
4. Details of the borrowings (all figures in Rs. crore) :

Sl.	Particulars	Details
i	3-year block period (Specify financial years)*	FY 2022-23 , FY 2023-24, FY 2024-25*
ii	Incremental borrowing done in FY 2022-23 (a)	Nil
iii	Mandatory borrowing to be done through debt securities in 2022-23 (b) = (25% of a)	Nil
iv	Actual borrowing done through debt securities in 2022-23 (c)	Nil
v	Shortfall in the borrowing through debt securities, if any, for 2021-22 carried forward to FY 2022-23. (d)	Rs. 10 crores
vi	Quantum of (d), which has been met from (c) (e)	Nil
vii	Shortfall, if any, in the mandatory borrowing through debt securities for FY 2022-23 {after adjusting for any shortfall in borrowing for FY 2021-22 which was carried forward to FY 2022-23} (f) = (b) - [(c) - (e)] {If the calculated value is zero or negative, write "nil"}	Nil

5.Details of penalty to be paid, if any, in respect to previous block (all figures in Rs crore): NIL*

*Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/DDHS/DDHS-RACPOD1/P/CIR/2023/049 dated 31.03.2023 providing extension to contiguous block of three years (from the present requirement of 2 years), 3-year block period has been considered.

Sd/-

JAYALAKSHMI SRINIVASAN

Company Secretary & Compliance Officer

Contact: jayasrin@kplmail.in

Mobile: 9940084454

Date : 09.05.2023

Sd/-

C.S. VEMANNA

Chief Manager (Finance) & CFO (I/c)

Contact: vemanna@kplmail.in

Mobile : 8754540208



कामराजर पोर्ट लिमिटेड

(चेन्नै पत्तन प्राधिकरण की कंपनी)
(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय – भारत सरकार)

(सीआईएन: U45203TN1999PLC043322)

तेईसवाँ वार्षिक प्रतिवेदन
2022 - 23



कामराजर पोर्ट लिमिटेड

(चेन्नै पत्तन प्राधिकरण की कंपनी)

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय – भारत सरकार

निदेशक मंडल

	डिन
श्री सुनील पालीवाल, अध्यक्ष (20.08.2023 तक प्रबंध निदेशक भी रहे)	01310101
श्रीमती जे.पी. आइरीन सिंथिया, प्रबंध निदेशक (21.08.2023 से)	08839241
श्री एस. विश्वनाथन, नामांकित निदेशक – सीएचपीए (27.04.2023 से)	09634577
श्री एस. बालाजी अरुणकुमार, नामांकित निदेशक – सीएचपीए (26.04.2023 तक)	07526368
श्री वी.एम.वी.सुब्बा राव, स्वतंत्र निदेशक	02435597
कैप्टन अनूप कुमार शर्मा, स्वतंत्र निदेशक	03531392
श्रीमति सरला बालगोपाल, स्वतंत्र निदेशक	01572718

प्रमुख अधिकारी

महा प्रबंधक (सीएस एवं बीडी)

श्री संजय कुमार (31.7.2023 तक)
श्री यतिन किशोरभाई पटेल (7.8.2023 से)

महा प्रबंधक (वित्त)

श्री एम. गुणसेकरण (28.2.2023 तक)
श्रीमती कविता सतवी (1.8.2023 से)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री एम. गुणसेकरण (28.2.2023 तक)
श्री सी.एस. वेमन्ना (1.3.2023 से 13.8.2023 तक)
श्रीमती कविता सतवी (14.8.2023 से)

महा प्रबंधक (समुद्री सेवाएं)

श्री जी.एम. बालन, (20.10.2022 से)

उप महा प्रबंधक (सिविल)

श्री पी. राधाकृष्णन (31.8.2023 तक)
श्री ए. करुप्पैया (1.9.2023 से)

उप महा प्रबंधक (वित्त)

श्री सी.एस. वेमन्ना (1.6.2023 से)

उप महा प्रबंधक (एमएस)

श्री सी. उमा शंकर (1.6.2023 से)

कंपनी सचिव

श्रीमति जयलक्ष्मी श्रीनिवासन

अनुपालन अधिकारी

श्री एम. गुणसेकरण (28.2.2023 तक)
श्रीमति जयलक्ष्मी श्रीनिवासन (1.3.2023 से)

पंजीकृत कार्यालय

द्वितीय मंजिल (उत्तर विंग) & तृतीय मंजिल
जवाहर भवन, 17, राजाजी साले, चेन्नै- 600 001
फोन : 044-25251666-70/फैक्स : 044 - 25251665

निबंधक व शेयर अंतरण अभिकर्ता

लिंक इन्टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
सी-101, 247 पार्क, एल.बी.एस मार्ग,
विक्रोली (पश्चिम), मुंबई - 400 083
फोन : 022 - 49186000/फैक्स : 022 - 49186060

निक्षेपागार

राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड
केन्द्रीय निक्षेपागार सेवा(भारत) लिमिटेड

सांविधिक संपरीक्षक

मेस्सर्स बी. त्यागराजन & कंपनी
चार्टर्ड लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

आंतरिक लेखाकार

मेस्सर्स जोसफ & राजाराम
चार्टर्ड लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सचिवीय लेखा परीक्षक

मेस्सर्स एस. धनपाल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
एक्सिस बैंक
एचडीएफसी बैंक



उद्देश्य

“ भारतीय पूर्वीय मार्ग पोर्ट बनाने के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ कामराजर पोर्ट को एक मेगा पोर्ट के रूप में विकसित करना।”

लक्ष्य

“ अंतरराष्ट्रीय मानकों की पोर्ट सेवाएं प्रदान करना ”





कामराजर पोर्ट लिमिटेड

(चेन्नै पत्तन प्राधिकरण की कंपनी)

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय – भारत सरकार

निदेशक मंडल

(22.9.2023 तक)



श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.
अध्यक्ष
डिन – 01310101



श्रीमति जे.पी. आश्वीन सिथिया, आई.ए.एस.
प्रबंध निदेशक
डिन – 08839241



श्री एस. विश्वनाथन, आई.ए.एस.
नामांकित निदेशक
डिन – 09634577



श्री वी.एम.वी.सुब्बा राव
एफसीए, डीआईएसए (आईसीएआई)
स्वतंत्र निदेशक
डिन – 02435597




कैप्टन अनूप कुमार शर्मा
स्वतंत्र निदेशक
डिन – 03531392



श्रीमति सरला बालगोपाल,
आई.आर.टी.एस (रिटायर्ड)
स्वतंत्र निदेशक
डिन – 01572718



विगत 5 वर्षों के दौरान परिचालन आय और पीबीटी



गत 5 वर्षों के दौरान संचालित कार्गो



कामराजर पोर्ट लिमिटेड

वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23

विषय सूची

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	अध्यक्ष का भाषण	8
2.	सूचना	10
3.	बोर्ड की रिपोर्ट	18
4.	सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन.....	34
5.	साचिवीक संपरीक्षण पर वार्षिक प्रतिवेदन	39
6.	कंपनी प्रशासन पर प्रतिवेदन.....	44
7.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	49
8.	स्वतंत्र संपरीक्षकों का प्रतिवेदन.....	51
9.	संपत्तियों व देयताओं का विवरण	62
10.	लाभ और हानी का विवरण	63
11.	नकदी प्रवाह विवरण	64
12.	वित्तीय विवरण के लिए नोट्स	66

अध्यक्ष से संदेश



प्रिय शेयर धारको,

यह संदेश देते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कंपनी ने पहली बार रु.1000 करोड़ की कुल आमदनी के आंकड़ों को पार किया है तथा पूर्व वर्ष की आमदनी की तुलना में 18.61% की बढ़ोतरी दर्शायी है और यह कार्गो थ्रूपुट से ही संभव हो पाया है। वर्ष 2022-23 के दौरान 43.51 मिलियन टन कार्गो टुलाई की गई जो वर्ष 2021-22 की अवधि की 38.74 मिलियन टन कार्गो टुलाई से 12.31% अधिक है। यह 'आजादी के अमृत महोत्सव' के उपलक्ष्य में 75 वर्ष की स्वतंत्रता पूर्ण करने के सुअवसर पर इस महान राष्ट्र को प्रदत्त केपीएल का विनम्र योगदान है।

भौतिक निष्पादन एवं मुख्य बिन्दु

आपको यह बताते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कंपनी को वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि के समग्र कार्य-निष्पादन के लिए चतुर्थ श्रेणी प्राप्त हुआ है। वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में औसत कुल टर्नअराउंड (पायलट बोर्डिंग से डीबोर्डिंग तक) समय में 2.11: का सुधार देखा गया है। आगे, पूर्व वर्ष की तुलना में प्रति शिप बर्थडे के औसत आऊटपुट में 7.34% की वृद्धि देखी जाती है। साथ ही, पूर्व वर्ष की तुलना में प्रति क्रेन घंटे चालों की औसत संख्या में भी 3.13% से अधिक सुधार होते हुए देखी जाती है।

मेसर्स मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, मेसर्स कैटरपिलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स पीसीए ऑटोमोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आदि जैसे विभिन्न कंपनियों के साथ दीर्घकालिक करार पर हस्ताक्षर हुआ है और यह यातायात के स्थिर प्रवाह सुनिश्चित करने में काफी सहायक है।

बाहरी लाइन ने भी आपकी कंपनी से एफई सर्विस नामक (सुदूर पूर्व यूरोप) नया रोरो सर्विस का शुभारंभ किया है जो निर्यातकों के लिए

केपीएल से सौदी अरब एवं प्रमुख यूरोपीय देशों तक सीधी सर्विस प्राप्त करने का मौका मिल जाता है तथा आयातकों को चीन से केपीएल तक सीधी रोरो सर्विस प्रदान करती है।

इस वर्ष के कुछ अन्य उपलब्धियों के विवरण निम्नानुसार हैं :

- पूर्व वर्ष में कंटेनर यातायात के 4,80,257 टीईयू टुलाई की तुलना में 5,50,151 टीईयू टुलाई में 14.55% की बढ़ोतरी देखी जाती है।
- पूर्व वर्ष में ऑटोमोबाइलों के 1,35,705 यूनिटों की टुलाई की तुलना में 1,48,307 यूनिट टुलाई की गई जो 9.29% की वृद्धि दर्शाता है।
- वर्ष 2010 से रेनॉल्ट निस्सान अलरॉन्स ने 108 वैश्विक गंतव्य स्थानों को 1.17 मिलियन कारों का निर्यात किया है।
- पीसीए ऑटोमोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 30.03.2023 से कई वैश्विक गंतव्य स्थानों को अपने नए वेरियेण्ट सिट्रोएन का निर्यात प्रारंभ किया है।
- मेसर्स मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने केपीएल के साथ अफ्रीका, मध्य पूर्व देशों, लैटिन अमरीका, ऐएसईएन, ओशिनिया एवं सार्क क्षेत्र के देशों को 5 वर्ष की अवधि के लिए ऑटोमोबाइल के निर्यात हेतु करार पर हस्ताक्षर किया है। दिनांक 27.12.2022 से निर्यात कार्य शुरू किए गए।
- जुलाई 2022 की अवधि में मल्टी कार्गो टर्मिनल पर यूईई से 1,24,610 एमटी साइज पार्सल युक्त बृहत् लाइमस्टोन वेसल एम.वी. जेएसडबल्यू सेलम की टुलाई की। वेसल का डीडबल्यूटी 1,76,217 एमटी है जो इस टर्मिनल पर डीडबल्यूटी एवं पार्सल साइज टुलाई सबसे अधिक है।

- आपकी कंपनी ने दिनांक 06.12.2022 को कंटेनर टर्मिनल में बर्थ किए गए एम.वी. मेयर्सक रोनांग वेसल में 6,247 टीईयू के सबसे बड़े पार्सल साइज की डुलाई की।

वित्तीय कार्य-निष्पादन

पुनरीक्षण वर्ष के दौरान आपकी कंपनी की प्रचालन आमदनी में रु. 150.10 करोड़ (पूर्व वर्ष से 18.03% की बढ़ोतरी) की बढ़ोतरी दर्ज की है। तदनुसार, आपकी कंपनी ने विशिष्ट मदों के संदर्भ में उच्च लाभ दर्शाया है तथा पूर्व वर्ष के रु.538.59 करोड़ कर के आंकड़ों की तुलना में रु.724.27 (34.48% की बढ़ोतरी) करोड़ दर्शाया है।

लामांश

वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में कंपनी ने रु.60 करोड़ तक की रकम के समतुल्य ईक्विटी शेयर पूंजी के 20% (रु. 2/- प्रति शेयर के समतुल्य) की दर पर लामांश का अंतरिम भुगतान किया है।

निदेशक बोर्ड ने आगामी सामान्य बैठक में आपके अनुमोदन के अनुसरण में रु.240 करोड़ रकम के समतुल्य ईक्विटी शेयर की 80% दर पर अंतिम लामांश की संस्तुति दी है, जो रु.8/- प्रति शेयर के समतुल्य है। इस के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल लामांश, (प्रस्तावित अंतिम लामांश सहित) चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पर 100% लामांश राशि होगी पूर्व वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिए गए 100% लामांश के अनुरूप।

उपलब्धियां एवं पुरस्कार

यह अत्यंत गर्व के साथ आपको सूचित किया जा रहा है कि आपकी कंपनी को 24वीं राष्ट्रीय ऑयल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना एवं तैयारी की बैठक में 'समुद्र पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2022' से सम्मानित किया गया। आगे 'सागर श्रेष्ठ सम्मान' पुरस्कार समारोह में आपकी कंपनी को वर्ष 2022-23 की अवधि में प्री-बर्थिंग डिटेन्शन में उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन हेतु तथा वर्ष 2022-23 की अवधि में प्री-बर्थिंग डिटेन्शन में उच्चतम वृद्धिशील सुधार उपलब्ध करने के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

कॉर्पोरेट प्रबंधन

आपकी कंपनी ने एक अच्छे कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में अपने पणधारियों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अच्छे कॉर्पोरेट प्रबंधन की पूर्व अपेक्षा पर ध्यान देती है। इस संदर्भ में आपकी कंपनी, प्रबंधन में अत्यंत स्पष्ट उत्तरदायित्व, अखंडता एवं उच्च मानकों, सुदृढ़ नीति, अपनाई गई पद्धति, प्रभावी प्रक्रियाओं एवं व्यवस्थाओं द्वारा अपने संबंधित आचरण में पारदर्शिता बनाए रखता है। अतः कॉर्पोरेट प्रबंधन पर एक रिपोर्ट स्वतः प्रदान की जा रही है।

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर)

आपकी कंपनीय उत्साह से कंपनी अधिनियम, 2013 में उद्धृत सीएसआर नीति एवं आवश्यकताओं के अनुरूप सीएसआर परियोजनाएं प्रचालित करती है और यह आपकी कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित रु.9.85 करोड़ के सीएसआर प्रयासों से स्पष्ट है। जो की रु.8.55 करोड़ के सीएसआर दायित्व से रु.1.30 करोड़ से ज्यादा है। आपकी कंपनी ने विभिन्न क्रियाकलापों के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु.5.96 करोड़ खर्च किया है। इस संदर्भ में डीआरडीए तिरुवल्लूर एवं बृहत् चेन्नै निगम को विद्यालय भवन के निर्माण हेतु क्रमशः रु.3.78 करोड़ एवं रु.68 लाख प्रदान किए गए।

पावती

मैं, निदेशक बोर्ड की तरफ से भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं चेन्नै पत्तन प्राधिकरण से प्राप्त उनके मार्गदर्शन एवं समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूँ तथा टैन्जेडको/टीएनईबी, टीएनपीसीबी, टीएनआरडीसी, भारत सरकार, तमिलनाडु सरकार, भारतीय पत्तन संघ, वित्त मंत्रालय एवं भारतीय रेलवे/ दक्षिण रेलवे से प्राप्त सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मैं भारतीय नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक, सांविधिक लेखापरीक्षक, सचिवीय लेखापरीक्षक, पत्तन के उपयोगकर्ता, बीओटी रियायती, ठेकेदार एवं बैंकरों से प्राप्त समर्थन एवं सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में, मैं कंपनी के सभी कर्मचारियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य की भी सराहना करता हूँ।

सादर,

ह/-

सुनील पालीवाल, आई.ए.एस
अध्यक्ष

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

(चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण के पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी)

सीआईएन: U45203TN1999PLC043322

पंजीकृत कार्यालय : द्वितीय तल (उत्तरी विंग) एवं तृतीय तल, जवाहर भवन,
17, राजाजी साले, चेन्नै - 600 001.

फोन : 044-25251666-70/फैक्स : 044-25251665

वेबसाइट : www.kamarajarport.in ईमेल : jayasrin@kplmail.in

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना जारी की जाती है कि कामराजर पोर्ट लिमिटेड के सदस्यों की 23वीं वार्षिक सामान्य सभा की बैठक, निम्नलिखित कार्य संपन्न करने हेतु अल्पकालिक सूचना पर द्वि-माध्यम वीडियो कॉन्फरेन्सिंग (वीसी), अथवा अन्य ऑडियो विद्युत माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा 29 सितंबर 2023, शुक्रवार को अपराह्न 3.00 बजे (आईएसटी) आयोजित की जा रही है।

सामान्य कार्य

- 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष की लाभ एवं हानि की लेखा विवरणिका तथा निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत भारतीय महालेखाकार के टिप्पणों को प्राप्त करने उस पर विचार करने एवं अपनाने हेतु।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भुगतानित इक्विटी शेयर पूंजी (प्रति शेयर 2 रुपये) के 20% की दर से भुगतानित अंतरिम लाभांश का पुष्टीकरण तथा इक्विटी शेयर पूंजी (₹.8/- प्रति शेयर) के 80% की दर पर भुगतानित अंतिम लाभांश की घोषणा को मंजूरी देने हेतु।
- रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होनेवाले श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस (डिन:01310101) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करने तथा स्वयं पात्र होने के कारण पुनर्नियुक्ति हेतु प्रस्ताव देने।
- सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु निम्नलिखित संकल्प को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करने:

“अधिनिर्णय किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निदेशक मंडल को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142(1) के अनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक निश्चित करने के लिए मंजूरी प्रदान की जाती है।”

विशिष्ट कार्य

- श्री एस. विश्वनाथन, आई.ए.एस (डिन : 09634577) की कंपनी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के इसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

“अधिनिर्णय किया जाता है कि कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, धारा 152, 161 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) के यदि कोई हों तो अन्य लागू प्रावधानों के क्रम में कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 एवं यदि कोई (किसी भी सांविधिक संशोधन या उसके वर्तमान समय में लागू

होने वाले पुनः अधिनियमन सहित) हों अन्य लागू नियमों के साथ पढ़ा जाए तथा चेन्नै पोर्ट अथॉरिटी के पत्र संख्या सीएचपीए/केपीएल सेल/2023/एफ दिनांक 25 अप्रैल 2023 के संदर्भ में, श्री एस. विश्वनाथन, आई.ए.एस (डिन : 09634577), चेन्नै पोर्ट अथॉरिटी के नामांकित व्यक्ति हैं जिन्हें दिनांक 27.04.2023 से प्रभावी कामराजर पोर्ट लिमिटेड के बोर्ड में शामिल किया गया है तथा इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक कार्यभार संभालें हैं तथा जिनकी नियुक्ति के विवरण इस वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ संलग्न अधिनियम की धारा 102 के साथ अधिसूचना प्रस्तुत की गई है तथा वे रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो सकते हैं।”

- श्रीमती जे.पी. आइरीन सिंधिया, आई.ए.एस (डिन : 08839241) की कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के इसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

“अधिनिर्णय किया जाता है कि कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, धारा 152, 196, 197 एवं 203 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) के यदि कोई हों तो अन्य लागू प्रावधानों के क्रम में कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 एवं यदि कोई (किसी भी सांविधिक संशोधन या उसके वर्तमान समय में लागू होने वाले पुनः अधिनियमन सहित) हों अन्य लागू नियमों के साथ पढ़ा जाए तथा श्रीमती जे.पी. आइरीन सिंधिया, आई.ए.एस (डिन: 08839241) जिनके संबंध में अधिनियम की धारा 160 के तहत सदस्य से अधिसूचना प्राप्त हुई है, उन्हें दिनांक 21.08.2023 से प्रभावी इसके साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण में निर्धारित नियमों और शर्तों पर 5 साल की अवधि के लिए कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है तथा इसे निदेशक मंडल को पूर्ण स्वतंत्रता देते हुए अधिसूचना का हिस्सा बनाया जाता है (जिसे आगे “बोर्ड के रूप में कहा जाएगा, जिसमें बोर्ड के नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति सम्मिलित है) ताकि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा उसमें किसी भी प्रकार के सांविधिक रूपांतरण या पुनः अधिनियमन के अनुसरण में नियुक्ति एवं/ या पारिश्रमिक के शर्त एवं प्रतिबंधों में परिवर्तन एवं रूपांतरण किया जा सके और यह रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।”

- कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में कैप्टन अनूप कुमार शर्मा (डिन : 03531392) की पुनः नियुक्ति।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के इसे विशिष्ट संकल्प के रूप में पारित करना:

“अधिनिर्णय किया जाता है कि धारा 149, 152 के प्रावधानों के अनुसार, अनुसूची IV के साथ पठित तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) एवं कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार नियम, यदि कोई हो,

(तत्समय लागू किसी भी सांविधिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित), एवं चेन्नै पोर्ट अथॉरिटी के पत्र संख्या सीएचपीए/केपीएल सेल/2023/एफ दिनांक 8 सितंबर, 2023 के संदर्भ में कैप्टन अनूप कुमार शर्मा (डिन : 03531392) को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था तथा जो 9 नवंबर, 2023 तक पदासीन रहेंगे एवं जिनके संबंध में अधिनियम की धारा 160 के अंतर्गत सदस्य से सूचना प्राप्त हुई है कि उन्हें कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है तथा जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं एवं 10 नवंबर, 2023 से प्रभावी लगातार तीन वर्षों के दूसरे कार्यकाल के लिए पद पर बने रहेंगे।

8. कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्रीमती सरला बालगोपाल (डिन : 01572718) की पुनः नियुक्ति।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के इसे विशिष्ट संकल्प के रूप में पारित करना :

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 22.09.2023

टिप्पण :

ए) कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी दिनांक 28 दिसंबर, 2022 के सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 तथा 5 जनवरी 2023 की परिपत्र संख्या सेवी/एचओ/डीडीएचएस/डीडीएचएस-रएसीपीओडी1/पी/सीआईआर/2023/001 भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी") (आगे इसे सामूहिक रूप से "परिपत्र" के रूप में कहा जाएगा) के अनुसरण में कंपनियों को 30 सितंबर 2023 तक एक ही स्थान पर एक एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") आयोजित करने की अनुमति प्रदान की गई है। परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी की एजीएम, वीसी के माध्यम से आयोजित की जा रही है और वार्षिक रिपोर्ट 2022-23, 23वीं एजीएम की सूचना उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजी जा रही है जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.kamarajarport.in पर भी उपलब्ध की जाएगी।

बी) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम में भाग लेने तथा मतदान करने के हकदार सदस्य अपनी ओर से भाग लेने एवं मतदान करने हेतु प्रतिनिधि नियुक्त करने के हकदार हैं तथा प्रतिनिधि के कंपनी सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि यह एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है तथा सदस्यों की भौतिक उपस्थिति समाप्त की जाती है। सदस्यों द्वारा प्रतिनिधि की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी, अतः प्रतिनिधि फॉर्म, रूट मैप एवं उपस्थिति पर्ची इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं की गई है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। वीसी या ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्य बैठक के दौरान हाथ उठाकर या मतदान के मामले में कंपनी के साथ पंजीकृत अपने ईमेल पते द्वारा ईमेल भेजकर प्रस्तावों पर अपना वोट दे सकते हैं। उक्त ईमेल केवल कंपनी द्वारा प्रसारित निर्दिष्ट ईमेल पते पर भेजे जाएंगे। एजीएम के लिए मान्य स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा

"अधिनिर्णय किया जाता है कि धारा 149, 152 के प्रावधानों के अनुसार, अनुसूची IV के साथ पठित तथा कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") एवं कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार नियम, यदि कोई हो, (तत्समय लागू किसी भी सांविधिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित), एवं चेन्नै पोर्ट अथॉरिटी के पत्र संख्या सीएचपीए/केपीएल सेल/2023/एफ दिनांक 8 सितंबर, 2023 के संदर्भ में श्रीमती सरला बालगोपाल (डिन : 01572718) को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है तथा वे 9 नवंबर, 2023 तक पदासीन होंगी एवं जिनके संबंध में अधिनियम की धारा 160 के अंतर्गत सदस्य से सूचना प्राप्त हुई है कि उन्हें कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है तथा जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं एवं 10 नवंबर, 2023 से प्रभावी लगातार तीन वर्षों के द्वितीय कार्यकाल के लिए पद पर बने रहेंगे।"

निदेशक बोर्ड के आदेश द्वारा

ह/-

जयलक्ष्मी श्रीनिवासन

कंपनी सचिव

- सी) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार प्रासंगिक व्याख्यात्मक विवरण जिसमें बैठक में किए जाने वाले विशेष कार्य से संबंधित विवरण शामिल हैं जिन्हें यहां संलग्न किया गया है।
- डी) बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को अधिकृत करने के इच्छुक कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रतिनिधि को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने एवं मतदान करने के लिए अधिकृत करने वाले बोर्ड के प्रस्ताव/ऐसे अन्य दस्तावेजों की एक प्रमाणित प्रति भेजें।
- इ) सदस्य अधिसूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले वीसी/ओएवीएम मोड में एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।
- एफ) कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित सांविधिक रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध किए जाएंगे एजीएम के दौरान निरीक्षण के लिए खुले रखे जाएंगे। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य agm-shareholders@kplmail.in पर ईमेल भेज सकते हैं।
- जी) सदस्यों से अनुरोध है कि वे पते में किसी भी परिवर्तन करने के संबंध में अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को तुरंत सूचित करें।
- एच) इस वार्षिक सामान्य सभा में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने/नियुक्ति/पुनः नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का संक्षिप्त बायोडाटा इसके साथ संलग्न की गई है तथा ये सूचना के एक भाग हैं।

वीसी द्वारा एजीएम में उपस्थित होने के लिए संबंधित निदेश:

1. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए वेब-लिंक और लॉग-इन क्रेडेंशियल, सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट अप्रेषित करने वाले ई-मेल में प्रस्तुत किए जाएंगे।
2. सदस्य अपने मोबाइल/लैपटॉप/डेरकटॉप के माध्यम से वीडियो कॉन्फरेन्स में भाग ले सकते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के क्रम में स्पष्टीकरण कथन

मद संख्या 5

कंपनी के 100% ईक्विटी शेयरों का धारक, चेन्नै पोर्ट अथॉरिटी (सीएचपीए) ने 25 अप्रैल 2023 के पत्रांक सीएचपीए/केपीएल सेल/2023/एफ द्वारा एमओएसपी एवं डबल्यू के 25 अप्रैल 2023 के कार्यालय आदेश 17/2023 एवं 11 अप्रैल 2023 के कार्यालय आदेश ए-12022/2023-पीई-1 का संदर्भ देते हुए सीएचपीए के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार सौंपनेवाले श्री एस.बालाजी अरुणकुमार, आई.आर.टी.एस (डिन नं. 07526368) के स्थान पर कामराजर पोर्ट लिमिटेड के बोर्ड में श्री एस. विश्वनाथन, आई.ए.एस. (डिन नं. 09634577) उपाध्यक्ष, सीएचपीए को नामांकित किया है।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संस्तुतियों के आधार पर श्री एस. विश्वनाथन, आई.ए.एस को परिपत्र संकल्प द्वारा 27 अप्रैल 2023 से प्रभावी बोर्ड द्वारा एस.बालाजी अरुणकुमार, आई.आर.टी.एस (डिन . 07526368) के स्थान पर कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के संदर्भ में वे इस वार्षिक सामान्य सभा की तारीख तक कार्यभार संभालेंगे। कंपनी को सदस्य से नामिती निदेशक के कार्यालय हेतु

श्री एस. विश्वनाथन, आई.ए.एस की नियुक्ति का प्रस्ताव देते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत अधिसूचना प्राप्त हुई है।

श्री एस. विश्वनाथन, आई.ए.एस, नामिती निदेशक, सीएचपीए एवं उनकी पत्नी, श्रीमती आईरीन सिन्धिया, आई.ए.एस, प्रबंध निदेशक को छोड़कर अन्य कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधनीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार, किसी भी प्रकार से या किसी भी तरह से उक्त संकल्प में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। वे रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के उत्तरदायी हैं तथा वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के संबंध में निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अनर्ह नहीं होते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के क्रम में सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

उनके कार्य पृष्ठभूमि एवं अनुभव को ध्यान में रखते हुए यह कंपनी के हित में होगा कि वे कंपनी के निदेशक पद पर जारी रहें। निदेशकों के बोर्ड से सदस्यों के अनुमोदनार्थ एक सामान्य संकल्प की संस्तुति दी जाती है।

श्री एस. विश्वनाथन का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किए गए हैं:-

विशिष्ट	विवरण
जन्म तिथि एवं आयु	07/11/1979 तथा 43 वर्ष
बोर्ड में प्रथम नियुक्ति की तारीख	27/04/2023
शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हकताएं	बि.ई. (यांत्रिकी), एम.बि.ए.,
अनुभव	श्री एस. विश्वनाथन, अप्रैल 2023 से भारत सरकार के पोत, पत्तन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत चेन्नै पोर्ट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष हैं। पूर्व में उन्होंने दिनांक 04/08/2020 से 05/04/2023 तक की अवधि में मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक का कार्य किया। साथ ही, उन्होंने मध्यप्रदेश सरकार के चिकित्सकीय शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में तथा आयुषमान भारत योजना, भोपाल के सीईओ के रूप में अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला था। वे मध्यप्रदेश जल निगम के प्रबंध निदेशक के पद पर भी कार्यरत थे। असम एवं मध्यप्रदेश राज्यों के विभिन्न जिलाओं में कलेक्टर के रूप में उनके विस्तृत अनुभव वर्ष 2015 से 2020 की अवधि तक फैला हुआ है। उन्होंने अपना कैरियर का प्रारंभ वर्ष 2009 में असम के जोरहाट जिले के सहायक आयुक्त के रूप में किया था।
केपीएल में सेक्यूरिटीसँ	चेन्नै पोर्ट अथॉरिटी के नामिती के रूप में रु.10/- का 1 ईक्विटी शेयर
अन्य निदेशकों/ केपीएल के केएमपी के साथ रिश्ता	श्री एस. विश्वनाथन, आई.ए.एस, नामिती निदेशक, कामराजर पोर्ट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्रीमती जे.पी.आईरीन सिन्धिया के पति हैं।
अन्य कंपनियों में निदेशक/ सदस्यता	कंपनी का नाम
	चेन्नै ऐन्नोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
	कन्नियाकुमारी पोर्ट लिमिटेड
अन्य कंपनियों के विभिन्न समितियों की अध्यक्षता/ सदस्यता	कोई नहीं
नियुक्ति के शर्त एवं प्रतिबंध	नामिती निदेशक, रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने उत्तरदायी हैं। कोई भी बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा।
आहरित अंतिम पारिश्रमिक	लागू नहीं
वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति	लागू नहीं, चूंकि वे 27 अप्रैल 2023 से प्रभावी नियुक्त हुए।

मद संख्या 6

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संस्तुतियों पर निदेशक बोर्ड ने 24 जुलाई 2023 को बुलाई गई बैठक में श्रीमती जे.पी. आईरीन सिन्धिया, आई.ए.एस (डिन : 08839241) को कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है जिन्हें चेन्नै पोर्ट अथॉरिटी (सीएचपीए) के बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रतिनियुक्ति के शर्त एवं प्रतिबंधों के अनुसरण में कार्यभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया जाएगा जिसके पास कंपनी के 100% इक्विटी शेयर हैं। श्रीमती जे.पी.आईरीन सिन्धिया ने 21 अगस्त 2023 से प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यभार संभाला है। तदनुसार, दिनांक 11.09.2023 के पत्रांक आरसी1/920/2022/जीए के अनुसरण में सीएचपीए ने श्रीमती जे.पी. आईरीन सिन्धिया, आई.ए.एस के कामराजर पोर्ट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति के शर्त एवं प्रतिबंधों को संप्रेषित किया है जिसके विवरण निम्नानुसार हैं:

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के शर्त एवं प्रतिबंधों के विवरण निम्नानुसार हैं :

- 1. प्रतिनियुक्ति की अवधि :** श्रीमती जे.पी.आईरीन सिन्धिया, आई.ए.एस (मध्यप्रदेश : 2008) दिनांक 21.08.2023 से 20.08.2028 की अवधि तक या आगे की आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति पर होंगी।
- 2. वेतन :** उक्त अवधि में श्रीमती जे.पी.आईरीन सिन्धिया, आई.ए.एस (मध्यप्रदेश : 2008) वेतन मैट्रिक्स जोड़ प्रतिनियुक्ति (छुट्टी) भत्ता के वेतन स्तर 13 (रु.1,23,100-रु.2,15,900/-) वेतन के साथ वैयक्तिक वेतन यदि कोई हो तो आहरित करेंगी।
- 3. प्रतिनियुक्ति भत्ता :** श्रीमती जे.पी.आईरीन सिन्धिया, आई.ए.एस (मध्यप्रदेश : 2008) प्रतिनियुक्ति पर होने पर जहां भी अनुमत हो, वहां प्रतिनियुक्ति भत्ता आहरित करने के हकदार हैं।
- 4. महंगाई भत्ता :** श्रीमती जे.पी.आईरीन सिन्धिया, आई.ए.एस (मध्यप्रदेश : 2008) केन्द्र सरकार के दरों पर महंगाई भत्ता आहरित करने के अर्हक हैं।
- 5. मकान किराया भत्ता/ परिवहन भत्ता :** श्रीमती जे.पी.आईरीन सिन्धिया, आई.ए.एस (मध्यप्रदेश : 2008) को संबंधित नियमों के अनुसरण में अपने संवर्ग पद पर लागू दरों पर मकान किराया भत्ता/ परिवहन भत्ता का भुगतान किया जाएगा।
- 6. स्थानांतरण परिवहन भत्ता/ कार्यभार संभालने का समय :** श्रीमती जे.पी.आईरीन सिन्धिया, आई.ए.एस (मध्यप्रदेश : 2008) कामराजर पोर्ट लिमिटेड के नियमों के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर पद पर कार्यभार संभालने पर तथा प्रतिवर्तित होने पर, दोनों स्थितियों में परिवहन भत्ता एवं कार्यभार संभालने के समय के लिए अर्हक होंगी, जो एआईएस नियमों के संबंधित प्रावधानों की तुलना में किसी भी प्रकार से कम नहीं होंगी। इस लेखा का व्यय कामराजर पोर्ट लिमिटेड द्वारा वहन किया जाएगा।
- 7. छुट्टी पर दौर हेतु परिवहन भत्ता / महंगाई भत्ता :** श्रीमती जे.पी.आईरीन सिन्धिया, आई.ए.एस (मध्यप्रदेश : 2008) द्वारा देश में/ विदेश में कामराजर पोर्ट लिमिटेड के कार्यालयी कार्य पर किए गए दौरे के लिए अपने नियम / विनियमनों के आधार पर भुगतान करेगी जो किसी भी प्रकार से अखिल भारतीय सेवा नियमों के संबंधित प्रावधानों से कम नहीं होगी।

- 8. चिकित्सकीय सुविधाएं :** कामराजर पोर्ट लिमिटेड श्रीमती जे.पी.आईरीन सिन्धिया, आई.ए.एस (मध्यप्रदेश : 2008) को वे चिकित्सकीय सुविधाएं प्रदान करेंगे जो अखिल भारतीय सेवा नियमों के अंतर्गत उक्त विषय पर केन्द्र सरकार के अंतर्गत अनुमत नियमों से किसी भी प्रकार से कम नहीं होंगे।
- 9. छुट्टी एवं पेंशन :** प्रतिनियुक्ति की अवधि में श्रीमती जे.पी.आईरीन सिन्धिया, आई.ए.एस (मध्यप्रदेश : 2008) पर अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियम 1955 एवं अखिल भारतीय सेवा अधिकारी (डीसीआरबी) नियम, 1958 लागू होंगे। प्रतिनियुक्ति के दौरान तथा प्रतिनियुक्ति के अंत में ली गई छुट्टी से संबंधित संपूर्ण व्यय कामराजर पोर्ट लिमिटेड द्वारा वहन किया जाएगा। श्रीमती जे.पी.आईरीन सिन्धिया, आई.ए.एस (मध्यप्रदेश : 2008) को कामराजर पोर्ट लिमिटेड के अन्य किसी भी पेंशन योजना में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं है।
- 10. भविष्य निधि :** श्रीमती जे.पी.आईरीन सिन्धिया, आई.ए.एस (मध्यप्रदेश : 2008) पर एआईएस (भविष्य निधि) योजना लागू होती है तथा वे इस प्रकार की निधि के नियमों के अनुसरण में विदेश सेवा पर जाते समय भुगतान किए जानेवाले अभिदान देंगी।
- 11. आचरण, अनुशासन एवं निवेदननियम :** श्रीमती जे.पी.आईरीन सिन्धिया, आई.ए.एस (मध्यप्रदेश : 2008) पर अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 एवं अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं निवेदन) नियम, 1969 लागू होंगे।
- 12. छुट्टी यात्रा रियायत :** कामराजर पोर्ट लिमिटेड, श्रीमती जे.पी.आईरीन सिन्धिया, आई.ए.एस (मध्यप्रदेश : 2008) को छुट्टी यात्रा रियायत के संबंध में वही अनुमति प्रदान करेंगे जो उनके अपने नियम ध्वेनियमनों के अंतर्गत एआईएस (एलटीसी) नियमों, 1975 से किसी भी प्रकार से कम नहीं होंगे। इस संबंध में पूरा खर्च कामराजर पोर्ट लिमिटेड द्वारा वहन किया जाएगा तथापि, यह उन शर्तों के अंतर्गत है कि अधिकारी ने उनकी प्रतिनियुक्ति के विशिष्ट ब्लॉक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले रियायत नहीं ली है।
- 13. विकलांगता छुट्टी :** विकलांगता छुट्टी के संबंध में श्रीमती जे.पी.आईरीन सिन्धिया, आई.ए.एस (मध्यप्रदेश : 2008) को विदेश सेवा के दौरान यदि कोई छुट्टी प्रदान की जाती है, यद्यपि ऐसी विकलांगता विदेश सेवा की समाप्ति के बाद भी हो जाती है, कामराजर पोर्ट लिमिटेड, उक्त वेतन छुट्टी परिलब्धियों का भुगतान करने के उत्तरदायी है। इस संदर्भ में संबंधित एआईएस नियम लागू होंगे।
- 14. छुट्टी वेतन/पेंशन अभिदान :** कामराजर पोर्ट लिमिटेड, छुट्टी वेतन एवं पेंशन अभिदान के संदर्भ में सेवा सदस्य के पेरेंट संवर्ग सरकार को उन दरों पर भुगतान करेगा जो उस समय एफआर 116 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेशों के अनुसरण में हैं। उक्त अभिदानों का भुगतान हर वित्तीय वर्ष के अंत से 15 दिनों के अंदर वार्षिक स्तर पर भुगतान किया जाना है अथवा विदेश सेवा के अंत में यदि प्रतिनियुक्ति वित्तीय वर्ष से पले समाप्त होती है। विलंबित भुगतान से समय समय पद संशोधित वित्त मंत्रालय के 10 अगस्त 1983 की अधिसूचना एफ.1(1)-ई.111/83 द्वारा जारी सतत निदेशों के संदर्भ में व्याज का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा। छुट्टी वेतन एवं पेंशन अभिदान के दरों के विलंबित सूचना के संदर्भ में

महालेखाकार, कामराजर पोर्ट लिमिटेड निर्धारित दरों पर छुट्टी वेतन एवं पेंशन अभिदान का भुगतान करेंगे।

यदि श्रीमती जे.पी.आईरीन सिन्धिया, आई.ए.एस (मध्यप्रदेश : 2008), कामराजर पोर्ट लिमिटेड के नई पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत हैं तो कामराजर पोर्ट लिमिटेड अधिकारी के एनपीएस लेखा में सुमेलित राशि का भुगतान करेगा।

- 15. सामूहिक बीमा :** यदि श्रीमती जे.पी.आईरीन सिन्धिया, आई.ए.एस (मध्यप्रदेश : 2008) ने दिनांक 31.12.1981 से पहले केन्द्रीय सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना, 1980 से बाहर नहीं आई हैं, एआईएस (सामूहिक बीमा), नियम, 1981 की अधिसूची के अंतर्गत उक्त योजना लागू होगी। ऐसे मामले में निर्धारित दरों के आधार पर उनके वेतन से काटा जाएगा तथा संगठन द्वारा संबंधित महालेखाकार को भेजा जाएगा। यदि किसी भी समय अभिदान की वसूली बकाया हो जाता है तो उसे योजना के अंतर्गत अनुमत व्याज के साथ बचत खाते के संचयन के आधार पर वसूल किया जाएगा।
- 16. अवशेष मामले :** कामराजर पोर्ट लिमिटेड में सेवा एवं लाभ/सुविधाएं एवं अनुलाभ के शर्तों के मामले में तथा जो उपर्युक्त मद संख्या 1 से 15 के अंतर्गत नहीं आते, श्रीमती जे.पी.आईरीन सिन्धिया, आई.ए.एस (मध्यप्रदेश : 2008) पर कामराजर पोर्ट लिमिटेड के वर्तमान में लागू नियम, विनियमन एवं आदेश लागू होंगे।

बोर्ड ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति और लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश के अनुसार प्रबंध निदेशक की नियुक्ति के उपरोक्त नियमों और शर्तों के भुगतान के लिए स्वीकृति प्रदान की है। श्रीमती जे.पी.आईरीन सिन्धिया, आई.ए.एस रोटेसन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अर्ह नहीं हैं। कंपनी को एक सदस्य से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत श्रीमती जे.पी.आईरीन सिन्धिया, आई.ए.एस का प्रस्ताव करते हुए अधिसूचना प्राप्त हुआ है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रबंध निदेशक की नियुक्ति और पारिश्रमिक के भुगतान के लिए शेयरधारकों की मंजूरी आवश्यक है। उनकी पृष्ठभूमि एवं अनुभव को देखते हुए यह कंपनी के हित में होगा कि वह कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करती रहें। निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन के लिए संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अनुशंसित करता है।

श्रीमती जे.पी.आईरीन सिन्धिया, आई.ए.एस, प्रबंध निदेशक एवं उनके पति श्री. एस. विश्वनाथन, आई.ए.एस, नामित निदेशक, सीएचपीए को छोड़कर अन्य किसी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार, किसी भी तरह से, उक्त संकल्प से संबंधित नहीं हैं या रुचि नहीं रखते हैं।

प्रासंगिक अधिनिर्णय के साथ, इसे अधिनियम की धारा 190 के अनुसरण में इसे सार के रूप में माना जा सकता है।

श्रीमती जे.पी.आईरीन सिन्धिया के संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं :-

विशिष्ट	विवरण						
जन्म तिथि एवं आयु	07/07/1982 एवं 41 वर्ष						
बोर्ड में प्रथम नियुक्ति की तारीख	21/08/2023						
शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हकताएं	बि.कॉम (कॉमर्स एवं आर्थिकी), एम.बि.ए.						
अनुभव	श्रीमती जे.पी.आईरीन सिन्धिया ने वर्ष 2006 में भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग और पर्यवेक्षण विभाग में प्रबंधक के रूप में अपना करियर का प्रारंभ किया। उन्होंने बुरहानपुर, पन्ना जिलों के कलेक्टर के रूप में कार्य किया है। वे जिला पंचायत (भोपाल), उदय एडीबी वित्त पोषित परियोजना की सीईओ एवं परियोजना निदेशक तथा अतिरिक्त आयुक्त, शहरी निदेशालय, राज्य शिक्षा केंद्र एसएसए स्कूल शिक्षा विभाग में निदेशक का कार्य किया है और बजट वित्त की निदेशक थी।						
केपीएल में सेक्यूरिटीज	कोई नहीं						
अन्य निदेशकों/ केपीएल के केएमपी के साथ रिश्ता	श्रीमती जे.पी.आईरीन सिन्धिया, आई.ए.एस, प्रबंध निदेशक श्री एस. विश्वनाथन, आई.ए.एस, नामित निदेशक, सीएचपीए के प्रबंध निदेशक की पत्नी हैं।						
अन्य कंपनियों में निदेशक/ सदस्यता	<table border="1"> <tr> <th>कंपनी का नाम</th><th>दिलचस्पी/ संबंध की प्रवृत्ति</th></tr> <tr> <td>सेतुसमुद्रम निगम लिमिटेड</td><td>अतिरिक्त निदेशक</td></tr> <tr> <td>कनियाकुमारी पोर्ट लिमिटेड</td><td>निदेशक</td></tr> </table>	कंपनी का नाम	दिलचस्पी/ संबंध की प्रवृत्ति	सेतुसमुद्रम निगम लिमिटेड	अतिरिक्त निदेशक	कनियाकुमारी पोर्ट लिमिटेड	निदेशक
कंपनी का नाम	दिलचस्पी/ संबंध की प्रवृत्ति						
सेतुसमुद्रम निगम लिमिटेड	अतिरिक्त निदेशक						
कनियाकुमारी पोर्ट लिमिटेड	निदेशक						
अन्य कंपनियों के विभिन्न समितियों की अध्यक्षता/ सदस्यता	कोई नहीं						
नियुक्ति के शर्त एवं प्रतिबंध	मद संख्या 6 के अधिनिर्णय में निर्धारित किए गए अनुसार इस बैठक के आयोजन को स्पष्टीकरण कथन के साथ पढ़ा जाए।						
आहरित अंतिम पारिश्रमिक	रु. 2,04,584/- प्रति माह						
वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति	लागू नहीं, चूंकि उन्होंने दिनांक 21.08.2023 से प्रभावी कार्यभार संभाला है।						

मद संख्या.7

कामराजार पोर्ट लिमिटेड (केपीएल) की 20वीं वार्षिक सामान्य सभा में कैप्टन अनूप कुमार शर्मा (डिन : 03531392) को दिनांक 10.11.2020 से 9 नवंबर, 2023 तक ("प्रथम कार्यकाल") तीन साल की अवधि तक के लिए गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। चूंकि, उनका प्रथम कार्यकाल 9 नवंबर, 2023 को समाप्त होने वाला है, चेन्नै पोर्ट अथॉरिटी (सीएचपीए), जिसके पास कंपनी के 100% इक्विटी शेयर हैं, ने दिनांक 8 सितंबर 2023 के अपने पत्रांक सीएचपीए/केपीएल सेल/2023/एफ द्वारा कैप्टन अनूप कुमार शर्मा की पुनः नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान करते हुए 3 साल की अवधि के लिए कंपनी के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में अनुमोदन प्रदान किया है। कंपनी के निदेशक बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति ने 22 सितंबर 2023 को आयोजित बैठक में कैप्टन अनूप कुमार शर्मा के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर उनके अनुमोदन को दिनांक 10.11.2023 से अतिरिक्त तीन वर्ष की अवधि के लिए उनकी पुनः नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की है। आपकी स्वीकृति के अधीन। वे रोटेशन पर सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। कंपनी में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत किसी सदस्य से स्वतंत्र निदेशक के पद पर उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव करते हुए नोटिस प्राप्त हुआ है।

कैप्टन अनूप कुमार शर्मा के संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं:-

विशिष्ट	विवरण
जन्म तिथि एवं आयु	21/08/1960 एवं 63 वर्ष
बोर्ड में प्रथम नियुक्ति की तारीख	10/11/2020
शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हकताएं	स्नातकोत्तर (एफ.जी.); मार्केटिंग प्रबंध में डिप्लोमा; चार्टर्ड शिपब्रोकर्स लंदन के सदस्य; भारतीय बीमा संस्थान के लाइसेन्सीय कार्यकारी व्यवसाय नेतृत्व कार्यक्रम, आईएसबी हैदराबाद। प्रमाणित स्वतंत्र निदेशक तथा कॉर्पोरेट मामला मंत्रालय के भारतीय कॉर्पोरेट मामला संस्थान के ईएसजी इम्पैक्ट लीडर ;
अनुभव	कैप्टन अनूप कुमार शर्मा भारत सरकार के 'नवरत्न' सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और भारत की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी, द शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एससीआई) के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रहे हैं। इससे पहले वे मेसर्स एस्सार शिपिंग लिमिटेड के प्रबंध निदेशक थे। दोनों कंपनियों में अपने नेतृत्व द्वारा उन्होंने एक विविध नेतृत्व टीम की स्थापना की, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया और दक्षता/लाभ तथा सुशासन में सुधार के लिए संतुलित नियंत्रण सुनिश्चित किया। 38 वर्षों से अधिक अपने असाधारण करियर के दौरान, उन्हें वर्ष 2019 की मैरीटाइम पर्सनैलिटी सम्मान से सम्मानित किया गया; वरिष्ठ कार्यात्मक स्तर पर आजीवन असाधारण और विशिष्ट उपलब्धि और प्रदर्शन के लिए "राष्ट्रीय समुद्री दिवस उत्कृष्टता पुरस्कार, 2019"; भारत, श्रीलंका और मध्य पूर्व में उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धि और योगदान के लिए "समुद्री मानक उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार, 2018"; भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए "इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स अवार्ड" पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण समितियों की कई उच्च स्तरीय समितियों के सदस्य हैं।
केपीएल में सेक्यूरिटीज	कोई नहीं
अन्य निदेशकों/केपीएल के केएमपी के साथ रिश्ता	लागू नहीं
अन्य कंपनियों में निदेशक/ सदस्यता	कोई नहीं
अन्य कंपनियों के विभिन्न समितियों की अध्यक्षता / सदस्यता	कोई नहीं
पुनर्नियुक्ति के शर्त एवं प्रतिबंध	वे रोटेशन पर सेवानिवृत्त होने के उत्तरदायी नहीं हैं
सभी बैठकों में उपस्थिति शुल्क के साथ आहरित अंतिम पारिश्रमिक	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैठक उपस्थिति शुल्क रु.3,80,000/- है।
वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति	कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट (बोर्ड रिपोर्ट का अनुबंध V) का संदर्भ लिया जाए।

मद संख्या 8

कामराजर पोर्ट लिमिटेड (केपीएल) की 20वीं वार्षिक सामान्य सभा में श्रीमती सरला बालगोपाल (डिन : 01572718) को दिनांक 10.11.2020 से 9 नवंबर, 2023 तक ("प्रथम कार्यकाल") तीन साल की अवधि तक के लिए गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। चूंकि, उनका प्रथम कार्यकाल 9 नवंबर, 2023 को समाप्त होने वाला है, वेनै पोर्ट अथॉरिटी (सीएचपीए), जिसके पास कंपनी में 100% इक्विटी शेयर हैं, ने दिनांक 8 सितंबर 2023 के अपने पत्रांक सीएचपीए/केपीएल सेल/2023/एफ द्वारा श्रीमती सरला बालगोपाल की पुनः नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान करते हुए 3 साल की अवधि के लिए कंपनी के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में अनुमोदन प्रदान किया है। कंपनी के निदेशक बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति ने 22 सितंबर 2023 को आयोजित बैठक में श्रीमती सरला बालगोपाल के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर उनके अनुमोदन को दिनांक 10.11.2023 से अतिरिक्त तीन वर्ष की अवधि के लिए उनकी पुनः नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की है। आपकी स्वीकृति के अधीन। वे रोटेशन पर सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। कंपनी में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत किसी सदस्य से श्रीमती सरला बालगोपाल की स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव देते हुए नोटिस प्राप्त हुआ है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के क्रम में स्वतंत्र निदेशक, कंपनी के एक विशेष प्रस्ताव पारित किए जाने तथा उसके अंतर्गत निर्धारित मानदंडों को पूरा करने पर उनकी पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। बोर्ड की राय में, वह अधिनियम और उसके अंतर्गत जारी नियमों में निर्दिष्ट पुनर्नियुक्ति की शर्तों को पूरा करता है।

उनकी पृष्ठभूमि, अनुभव एवं बहुमूल्य योगदान को देखते हुए श्रीमती सरला बालगोपाल की पुनः नियुक्ति को कंपनी के हित में बताया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसरण में सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त की जानी है। निदेशक बोर्ड, एक विशेष संकल्प के माध्यम से सदस्यों के अनुमोदन के लिए उक्त विशिष्ट अधिनिर्णय के प्रस्ताव की संस्तुति प्रदान करता है।

श्रीमती सरला बालगोपाल (डिन : 01572718) को स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी पुनर्नियुक्ति की सीमा तक प्रस्तावित अधिनिर्णय में उनकी रुचि रखने वाली मानी जाती है। किसी अन्य निदेशक या केएमपी और उनके रिश्तेदार को उक्त प्रस्ताव में कोई दिलचस्पी या संबंध नहीं है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अनुसरण में वे निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अनर्ह नहीं हैं।

श्रीमती सरला बालगोपाल के संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं :-

विशिष्ट	विवरण
जन्म तिथि एवं आयु	03/11/1955 एवं 67 वर्ष
बोर्ड में प्रथम नियुक्ति की तारीख	10/11/2020
शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हकताएं	एम.ए. (अंग्रेजी साहित्य) एम.फिल (सार्वजनिक प्रशासन)
अनुभव	वे भारतीय रेलवे ट्रेफिक सर्विस अधिकारी के 1982 बैच की सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। भारतीय रेल में अपने 32 वर्ष के करियर में उन्होंने रेलवे बोर्ड में विभिन्न पदों पर क्षेत्र स्तर के साथ नीति निर्णय स्तर पर कार्य किया है। वे पांच वर्ष दक्षिण रेलवे के वाणिज्यिक विभाग के प्रभागाध्यक्ष रही हैं तथा इस कार्यकाल में उन्होंने माल भाड़ा अर्जन में बढ़ोतरी करने तथा रेल यात्री संपर्क में सुधार लाने की दिशा में कई प्रयास किए हैं। वे हासन मेंगलूर रेल विकास कंपनी (एचएमआरडीसी) प्रथम सीईओ रही हैं जो बेंगलूर में रेल मंत्रालय एवं कर्नाटक सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। अपने कार्यकाल में बेंगलूर एवं मेंगलूर के बीच ब्रॉड गेज लिंक प्रचालित किया गया। उन्होंने रेलवे दर न्यायाधिकरण, चेन्नै के बेंच में सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। उन्हें परिवहन उत्पाद, पीपीपी (सार्वजनिक निजी साझेदारी) के लागत एवं मूल्य निर्धारण में विशेषज्ञता है।
केपीएल में सेक्यूरिटीजें	कोई नहीं
अन्य निदेशकों / केपीएल के केएमपी के साथ रिश्ता	लागू नहीं
अन्य कंपनियों में निदेशक / सदस्यता	कोई नहीं
अन्य कंपनियों के विभिन्न समितियों की अध्यक्षता / सदस्यता	कोई नहीं
पुनर्नियुक्ति के शर्त एवं प्रतिबंध	वे रोटेशन पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं
सभी बैठकों में उपस्थिति शुल्क के साथ आहरित अंतिम पारिश्रमिक	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैठक उपस्थिति शुल्क रु.4,40,000/- है।
वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति	कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट (बोर्ड रिपोर्ट का अनुबंध V) का संदर्भ लिया जाए।

मद संख्या 3

श्री सुनील पालीवाल के संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं :-

विशिष्ट	विवरण
जन्म तिथि एवं आयु	25/11/1968 तथा 54 वर्ष
बोर्ड में प्रथम नियुक्ति की तारीख	16/09/2019
शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हकताएं	1. आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर विज्ञान में बी. टेक 2. मेरीलैण्ड विश्वविद्यालय, अमरीका से कंप्यूटर विज्ञान में एम.एस 3. बिरमिंगहम विश्वविद्यालय, यू.के. से एम.बि.ए.
अनुभव	श्री सुनील पालीवाल ने अपना करियर कडलूर जिले के उप कलेक्टर के रूप में शुरू किया तथा नागपट्टिनम जिले में अतिरिक्त कलेक्टर के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने तिरुनेलवेली, थेनी एवं कन्नियाकुमारी जिलों के कलेक्टर के रूप में भी काम किया। उन्होंने तमिलनाडु सरकार में प्रबंध निदेशक, चेन्नै मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेंज बोर्ड (सीएमडब्ल्यूएसएसबी), प्रबंध निदेशक, तमिलनाडु रोड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (टीएनआरडीसी), प्रबंध निदेशक, तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम, सचिव जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी संभाला, वाणिज्यिक कर और पंजीकरण विभाग और दूध उत्पादन और डेयरी विकास के आयुक्त एवं प्रबंध निदेशक, तमिलनाडु सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड (आविन), सरकार के प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग और सरकार के प्रमुख सचिव, श्रम और रोजगार विभाग में कार्य किया। वे सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक तथा चेन्नै-एन्नोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड, कन्नियाकुमारी पोर्ट लिमिटेड और चेन्नै एमएमएलपी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक भी रहे हैं।
केपीएल में सेक्यूरिटीसँ	चेन्नै पोर्ट अथॉरिटी के नामिती के रूप में रु.10/- का 1 ईक्विटी शेयर
अन्य निदेशकों/ केपीएल के केएमपी के साथ रिश्ता	लागू नहीं
अन्य कंपनियों में निदेशक/ सदस्यता	कंपनी का नाम
	दिलचस्पी/ संबंध की प्रवृत्ति
	चेन्नै एन्नोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
	नामिती निदेशक
अन्य कंपनियों के विभिन्न समितियों की अध्यक्षता/ सदस्यता	सेतुसमुद्रम निगम लिमिटेड
	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
नियुक्ति के शर्त एवं प्रतिबंध	चेन्नै एमएमएलपी प्राइवेट लिमिटेड
	नामिती निदेशक
आहरित अंतिम पारिश्रमिक	कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट (बोर्ड रिपोर्ट का अनुबंध V) का संदर्भ लिया जाए।
वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति	कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट (बोर्ड रिपोर्ट का अनुबंध V) का संदर्भ लिया जाए।

बोर्ड की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

आपके निदेशक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणिकाओं के साथ आपकी कंपनी द्वारा किए गए व्यवसाय, प्रचालन, विकास एवं प्रगति पर वार्षिक प्रतिवेदन सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

1.0 निष्पादन एवं मुख्य बिन्दु

1.1 वित्तीय निष्पादन

(रु. करोड़ में.)

विवरण	2022-23	2021-22
प्रचालनों से आय	982.72	832.62
अन्य आय	26.50	18.22
कुल आय	1009.22	850.84
प्रचालन व्यय	164.47	159.30
वित्त लागत	58.70	62.34
अवमूल्यन एवं ऋणमुक्ति व्यय	61.78	90.61
कुल व्यय	284.95	312.25
कर से पहले लाभ	724.27	538.59
विशिष्ट मद	146.88	0.00
विशिष्ट मदों के बाद लाभ	577.39	538.59
कर	203.88	98.39
कर के पश्चात् लाभ	373.51	440.20

1.2 वित्तीय मुख्य बिन्दु

पुनरीक्षण वर्ष की अवधि में आपकी कंपनी ने पूर्व वर्ष की तुलना में किए गए कार्गो थ्रूपुट में 12.31% की बढ़ोतरी के कारण प्रचालन आमदनी में रु.150.10 करोड़ रुपये (पूर्व वर्ष से 18.03% क बढ़ोतरी) की वृद्धि दर्शायी है। परिणामस्वरूप, आपकी कंपनी ने पूर्व वर्ष के रु. 538.59 करोड़ रुपये की तुलना में विशिष्ट मदों एवं की द्वारा रु. 724.27 करोड़ (34.48% की वृद्धि) की वृद्धि दर्शायी है।

1.3 प्रचालनात्मक निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2022-23 में किया गया कार्गो थ्रूपुट 43.51 मिलियन टन मात्रा है, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में किए गए कार्गो थ्रूपुट की मात्रा 38.74 मिलियन टन है, जो पूर्व वर्ष की कार्गो थ्रूपुट से 12.31% अधिक है। किए गए टर्मिनलवार ट्रैफिक के विवरण निम्नानुसार है:

(मिलियन टन में)

क्रम सं.	टर्मिनल का नाम	2022-23		2021-22		संभाले गए ट्रैफिक में भिन्नता	
		कार्गो की मात्रा	वेसलों की संख्या	कार्गो की मात्रा	वेसलों की संख्या	(+/-)	%
1	कोयला बर्थ 1	7.88	110	7.46	106	0.42	5.63
2	कोयला बर्थ 2	7.65	99	6.06	85	1.59	26.24
3	सामान्य उपयोगकर्ता कोयला टर्मिनल	8.71	133	7.96	115	0.75	9.42
	कुल कोयला	24.24	342	21.48	306	2.76	12.85
4	समुद्री द्रव टर्मिनल	4.20	246	4.36	253	-0.16	-3.67
5	सामान्य कार्गो बर्थ	1.93	102	1.77	107	0.16	9.04
6	कंटेनर टर्मिनल (फेज 1)	10.62	186	9.27	153	1.35	14.56
7	बहु कार्गो टर्मिनल	1.89	40	1.16	32	0.73	62.93
8	एलएनजी टर्मिनल	0.63	11	0.70	12	-0.07	-10.00
	पूर्ण कुल	43.51	927	38.74	863	4.77	12.31
9	प्रयोग किए गए आटोमोबाइल (संख्या में)	1,48,307	102	1,35,705	107	12,602	9.29
10	प्रयोग किए गए कंटेनर (टीईयू में)	5,50,151	186	4,80,257	153	69,894	14.55

वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में पोर्ट निष्पादन में प्रगति हुई है जिसके विवरण निम्नानुसार है:

निष्पादन प्राचल	ईकाई	2022-23	2021-22	टिप्पण
औसत कुल टर्न राऊण्ड समय (पायलट बोर्डिंग से डी-बोर्डिंग)	घंटे	45.40	46.38	2.11% सुधार
प्रति जहाज बर्थ का प्रतिदिन औसत आऊटपुट	टन	26,075	24,292	7.34% सुधार
प्रति क्रेन घंटे की औसत गति की संख्या	संख्या	33	32	3.13% सुधार

1.4 प्रचालनात्मक मुख्य बिन्दु

(i) कार्गो उपयोग

आपकी कंपनी ने अत्यधिक उपयोग किया

- मई 2022 में 4.29 मिलियन टनों का प्रतिमाह कार्गो श्रुपुट तथा 61,515 टीईयू परिमाण के कंटेनर आयतन।
- 06.12.2022 को कंटेनर टर्मिनल में एम.वी. मेयर्सक सेनेन वेसेल में 6247 टीईयू के पार्सल साइज को बर्थ किया गया।

पूर्व वर्ष के दौरान उपयोग किए गए 4,80,257 टीईयूज की तुलना में 5,50,151 टीईयूज में कंटेनरों का उपयोग 14.55% अधिक था तथा पूर्व में प्रयुक्त 1,35,705 इकाइयों की तुलना में 1,48,307 इकाइयों में ऑटोमोबाइलों के उपयोग में 9.29% की अधिकता देखी जाती है।

(ii) करार

आपकी कंपनी ने निम्नांकित के साथ करार पर हस्ताक्षर किया है

- मेसर्स मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ 5 वर्ष की अवधि के लिए 1 दिसंबर 2022 से प्रभावी अफ्रीका, मध्य पूर्व, लैटिन अमरीका, एसइएएन, ओशिनिया एवं साक क्षेत्रों को ऑटोमोबाइल का निर्यात करने हेतु दिनांक 19.12.2022 को करार पर हस्ताक्षर।
- मेसर्स कंटर्निलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ 1 जनवरी 2023 से प्रभावी 10 वर्ष तक की अवधि के लिए इंडोनीशिया, अफ्रीका एवं यूरोपीय देशों में उपकरणों का निर्यात करने के लिए दिनांक 07.02.2023 को करार पर हस्ताक्षर।



केपीएल एवं मेसर्स कंटर्निलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच करार पर हस्ताक्षर

- मेसर्स पीसीए ऑटोमोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ 1 जनवरी 2023 से प्रभावी एसइएएन एवं अफ्रीका देशों में ऑटोमोबाइलों के निर्यात हेतु 17.02.2023 को करार पर हस्ताक्षर।

आपकी कंपनी ने आपके पोर्ट से ऑटोमोबाइलों के निर्यात हेतु अगले 5 वर्षों के लिए दिनांक 17.03.2023 को मेसर्स निस्सान मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित करार का नवीनीकरण किया।



केपीएल एवं रेनॉल्ट निस्सान अलयॉन्स द्वारा करार पर हस्ताक्षर

(iii) मीलपत्थर उपलब्धियां

- जुलाई 2022 की अवधि में मल्टी कार्गो टर्मिनल पर यूईई से आए हुए 1,24,610 एमटी के पार्सल साइज के सबसे बड़े लाइमस्टोन वेसल एम.वी. जेएसडबल्यू सालेम पर संभाला गया वेसल का डीडबल्यूटी 1,76,217 एमटी है जो इस टर्मिनल में संभाले गए। वेसल, 14.50 मी के ड्रॉपट एवं क्रमशः 292 मी – 45 मी की लम्बाई एवं बीम के साथ आया।
- निस्सान मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 28.07.2022 को दस लाख ऑटोमोबाइल का निर्यात किया।
- कोविड पश्चात् टोयोटा किरलोस्कर मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दिसंबर 2022 की अवधि में ऑटोमोबाइलों का निर्यात करना शुरू किया।
- आपकी कंपनी से बहरी लाइन ने नई रोरो एफई सर्विस (सुदूर पूर्वी यूरोप) नामक सर्विस शुरू किया गया है जो आपकी कंपनी द्वारा निर्यातकों को सौदी अरब एवं प्रमुख यूरोपीय देशों तक के लिए रोरो सर्विस का मौका तथा आयातकों को चीन देश से आपकी कंपनी तक सीधे रोरो सर्विस प्राप्ति का मौका भी प्रदान करता है।



जीसीवी से बहरी लाइन द्वारा सुदूर पूर्वी यूरोप सर्विस

- रेनॉल्ट निस्सान अलयॉन्स ने आपके पोर्ट से वर्ष 2010 से 108 वैश्विक स्थानों तक 1.17 मिलियन अधिक कारों का निर्यात किया है।
- पीसीए ऑटोमोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 30.03.2023 से विभिन्न वैश्विक स्थानों तक नवीन वेरियेण्ट सिट्रोएन सी3 का निर्यात प्रारंभ किया है।



जीवीवी से नवीन वेरिगेंट सिरोन रोड के प्रथम नौद्वेषण का शुभारंभ समारोह

2.0 लाभान्श

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दिनांक 17.02.2023 को रु.60 करोड़ की रकम (जो रु.2/- प्रति शेयर के समतुल्य है) की ईक्विटी शेयर पूंजी का 20% पर अंतरिम लाभान्श का भुगतान किया है। निदेशक बोर्ड ने 26 जून 2023 को बुलाई गई बैठक में 80% के अंतिम लाभान्श रु.8/- प्रतिशेयर के समतुल्य रु.240 करोड़ की रकम के भुगतान को संस्तुति प्रदान की है जिसे आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरहोल्डर्स के अनुमोदन प्राप्त करने के बाद प्रदान की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के कुल लाभान्श में ईक्विटी शेयर पूंजी पर भुगतानित प्रस्तावित अंतिम 100% लाभान्श भी सम्मिलित है तथा पूर्व वित्तीय वर्ष 2021-22 में भुगतानित ईक्विटी शेयर पूंजी पर भुगतान दिए गए 100% लाभान्श के अनुरूप है।

3.0 रिजर्व में हस्तांतरित

3.1 सामान्य रिजर्व :

आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान सामान्य रिजर्व में कोई भी रकम हस्तांतरित नहीं किया है क्योंकि यह कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लाभान्श की घोषणा से पहले कोई रकम हस्तांतरित करना अनिवार्य नहीं है। कंपनी का शेयर 31 मार्च 2023 तक रु.79.02 करोड़ है।

3.2 डिबेन्चर / बॉण्ड मोचन रिजर्व :

वर्ष के दौरान रु.82.93 करोड़ तक की रकम के कर मुक्त बॉण्डों के अनुरूप रु.14.18 करोड़ (निवल) की डिबेन्चर / बॉण्ड मोचन रिजर्व रकम वापस की गई तथा 31 मार्च 2023 तक शेयर रु.65.75 करोड़ है।

4.0 वित्त

आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान सावधि ऋण के अधिसूचित पुनः भुगतानित किश्त के विवरण निम्नानुसार हैं:

- एचडीएफसी बैंक को रु.5 करोड़
- कंपनी ने चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण को रु.23.01 करोड़ का भुगतान किया तथा तिमाही ब्याज भुगतानों का भी समय समय पर किया गया।

आपकी कंपनी ने 2012-13 एवं 2013-14 वित्तीय वर्षों के दौरान जारी कर मुक्त बॉण्डों पर वार्षिक ब्याज देयताओं को समय पर निपटाया तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 में जारी सूचना में अंकित मूल्य रु.1000/- के संदर्भ में 829334 ने (10 वर्ष कर मुक्त बॉण्ड) भुनाया।

4.1 रेटिंग्स

आपकी कंपनी ने कंपनी द्वारा जारी कर मुक्त बॉण्डों के प्रस्तावित दस्तावेज में बताए गए अनुसार क्रेडिट रेटिंग का वार्षिक सर्वेक्षण किया है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दिए गए रेटिंग के विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी	रेटिंग/ आकटलुक
क्रिसिल	एए / स्थिर
केयर	एए / स्थिर
आईसीआरए	एए- / स्थिर
ब्रिक वर्क	एए / स्थिर

4.2 संबंधित पार्टियों से किए गए लेन-देन के विवरण

आपकी कंपनी पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के अंतर्गत एओसी-2 प्रपत्र में निर्धारित संबंधित पार्टी लेन-देन प्रकटन लागू नहीं होता। सदस्य वित्तीय विवरणिका के टिप्पण सं. 30(12) का संदर्भ लें जो भारतीय लेखा-मानक-24 के क्रम में संबंधित पक्ष प्रकटन का उल्लेख करता है।

4.3 वित्तीय वर्ष के अंत एवं रिपोर्ट की तारीख तक के बीच वित्तीय स्थिति को प्रभावित करनेवाले सामग्री परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं

वित्तीय वर्ष के अंत एवं रिपोर्ट की तारीख तक के बीच आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करनेवाले कोई भी सामग्री परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं नहीं हैं।

4.4 व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन, यदि कोई हो तो।

वित्तीय वर्ष के दौरान व्यवसाय में कोई भी परिवर्तन नहीं है।

4.5 ऋण, गारंटी के विवरण

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत न ही कोई ऋण एवं गारंटी दी है न ही कोई सुरक्षा।

4.6 निवेश

पुनरीक्षण वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है/ निवेश के संदर्भ में कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया है।

4.7 पूंजीगत व्यय

आपकी कंपनी ने पूर्व वर्ष में व्ययित रु.153.71 करोड़ की रकम की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में पूंजीगत व्यय पर रु. 279.80 करोड़ खर्च की है।

4.8 सावधि जमा

पुनरीक्षण वित्तीय वर्ष की अवधि में आपकी कंपनी ने कोई सावधि जमा रकमों को स्वीकृति नहीं दी है, दिनांक 31.03.2023 तक न ही कोई बकाया दावा नहीं की गई रकम या अभुगतानित जमा है।

4.9 आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

आपकी कंपनी निम्नलिखित के लिए नीति एवं प्रक्रियाएं अपनाती है

- अपने व्यवसाय को व्यवस्थित एवं सक्षम संवाहन सुनिश्चित करने,
- धोखाधड़ी और त्रुटियों को रोकने तथा उनकी पहचान करने, अपनी संपत्तियों की सुरक्षा हेतु,
- लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने तथा
- विश्वसनीय वित्तीय प्रकटन को समय पर तैयार करने।

आंतरिक नियंत्रण और शासन प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और प्रभावत्मकता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। वित्तीय विवरणों की अखंडता एवं विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं को पर्याप्त माना जाता है।

5.0 आजादी का अमृत महोत्सव

आपकी कंपनी और चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से निम्नांकित का आयोजन किया है

- पोर्ट के विकास के 75 वर्षों पर एक प्रदर्शनी आयोजित किया गया तथा श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस., अध्यक्ष, चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण और सीएमडी, कामराजर पोर्ट लिमिटेड ने इसका उद्घाटन 02.05.2022 में किया। दोनों पोर्ट की वृद्धि और विकास पर पोर्ट मॉडल और पैनल प्रदर्शित किए गए। आसपास के स्कूल के छात्र प्रदर्शनी देखने आए जिन्हें पोर्ट के विकास के बारे में बताया गया।
- पोर्ट, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रतिष्ठित सप्ताह के एक भाग के रूप में पोर्ट कर्मचारियों के लिए 'राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन' पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित किया गया। समुद्री व्यापार और पोर्ट संचालन के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा ज्ञान का प्रचार-प्रसार करने के लिए दिनांक 05.05.2022 को लगभग 150 कॉलेज छात्रों के लिए पोर्ट यात्रा का आयोजन किया गया।
- स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन पर दिनांक 06.07.2022 को एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों (दिवंगत एवं जीवित दोनों) की छवि युक्त बैनर प्रदर्शित किए गए, जिनमें उनके बलिदान और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

आपकी कंपनी ने आजादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में कोविड-19 टीकाकरण पूर्वापार खुराक देने के लिए चिकित्सा शिविर, पोर्ट परिसर में वृक्षारोपण अभियान, माननीय प्रधान मंत्री के 72वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण शिविर जैसे विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया।



कामराजर पोर्ट परिसरों में दिनांक 17.09.2022 को स्वास्थ्य एवं स्वस्थता कैम्प का आयोजन

आपकी कंपनी ने चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण तथा लायन्स क्लब ऑफ चेन्नै रॉयल एलीट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग में दिनांक 14.06.2023 को रक्तदान शिविर (रक्तदान अमृत महोत्सव) का भी आयोजन किया। आपकी कंपनी से बड़ी संख्या में स्वेच्छिक दाता तथा कंपनी में कार्यरत सीआईएसएफ कर्मियों ने इस कार्यक्रम में बढ़चढ़कर भाग लिया।



रक्तदान शिविर (रक्तदान अमृत महोत्सव) – चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण तथा लायन्स क्लब ऑफ चेन्नै रॉयल एलीट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग में

6.0 खेलकूद कार्यक्रम

कामराजर पोर्ट खेलकूद परिषद् एवं चेन्नै पोर्ट खेलकूद परिषद् ने संयुक्त रूप से 19 से 21 अप्रैल, 2022 की अवधि में जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में ऑल इंडिया मेजर पोर्ट्स कबड्डी, कैरम और शतरंज चैंपियनशिप – 2022 आयोजित किया। श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस., सीएमडी, कामराजर पोर्ट लिमिटेड एवं अध्यक्ष, चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण ने दिनांक 19.04.2022 को उक्त कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उक्त कार्यक्रम में आयोजित टूर्नामेंट में भारत के सभी 12 प्रमुख पोर्ट खिलाड़ियों ने भाग लिया। डॉ. एम. रवि, आई.पी.एस., पुलिस आयुक्त, तांबरम, दिनांक 21.04.2022 को आयोजित समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे। समारोह के दौरान खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।



ऑल इंडिया मेजर पोर्ट्स कबड्डी, कैरम और शतरंज चैंपियनशिप – 2022 का समापन समारोह

कामराजर पोर्ट खेलकूद परिषद् एवं चेन्नै पोर्ट खेलकूद परिषद् ने संयुक्त रूप से 20 से 22 फरवरी 2023 की अवधि में जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में ऑल इंडिया मेजर पोर्ट्स बॉडी बिल्डिंग, वेटलिफ्टिंग और कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया। श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस., सीएमडी, कामराजर पोर्ट लिमिटेड एवं अध्यक्ष, चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण की उपस्थिति में श्री महेश कुमार अग्रवाल, आई.पी.एस.,

अतिरिक्त पुलिस उप महानिदेशक (अपराध) ने 20.02.2023 को उक्त कार्यक्रम का उद्घाटन किया। टूर्नामेंट में भारत के 8 प्रमुख पोर्ट खिलाड़ियों ने भाग लिया। श्री धीरज कुमार, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव/आयुक्त 22.02.2023 को आयोजित समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे। समापन समारोह में खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

7.0 अधीनस्थ विधान पर समिति का भ्रमण

राज्य सभा की संसदीय स्थायी अधीनस्थ विधान समिति ने श्री अखिलेश प्रसाद सिंह, संसद सदस्य की अध्यक्षता में दिनांक 12.09.2022 को कंपनी (सीएसआर) नियम, 2014 एवं नियम के अंतर्गत आयोजित क्रियाकलापों की स्थिति / रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए चेन्नै का भ्रमण किया।

8.0 पुरस्कार

आपकी कंपनी को दिनांक 30.11.2022 को आयोजित 24वीं राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना एवं तैयारी की बैठक में उत्कृष्टता के लिए भारतीय तटरक्षक बल से 'समुद्री पर्यावरण संरक्षण ट्रॉफी 2022' से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना (एनओएस-डीसीपी) के अंतर्गत गठित एक समिति द्वारा भारत के सभी प्रमुख और छोटे पोर्ट के सर्वेक्षण के आधार पर "पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण और रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण योगदान के स्वीकरण तथा समग्र पर्यावरण और विशेष रूप से समुद्री पर्यावरण के प्रदूषण पर नियंत्रण" हेतु प्रदान किया गया।



केपीएल, समुद्री पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2022 प्राप्त करते हुए

आपकी कंपनी को "सागर श्रेष्ठ सम्मान" पुरस्कार समारोह में भी निम्नांकित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया:

1. वर्ष 2022-23 की अवधि में प्री-बर्थिंग डिटेन्शन हेतु उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन पुरस्कार
2. वर्ष 2022-23 की अवधि में प्री-बर्थिंग डिटेन्शन में उच्चतम वृद्धिशील सुधार उपलब्ध करने हेतु
3. वर्ष 2022-23 की अवधि में समग्र कार्य-निष्पादन में चतुर्थ श्रेणी

9.0 समझौता करार

आपकी कंपनी को वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में "उत्तम" रेटिंग प्रदान किया गया। वर्ष 2022-23 में दिनांक 10.08.2022 को चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण के साथ समझौता करार पर हस्ताक्षर किया गया। आपकी कंपनी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपने कार्य-निष्पादन के आधार पर "बहुत अच्छा" समझौता करार रेटिंग की अपेक्षा करती है।



कामराजर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण के साथ समझौता करार 2022-23 पर हस्ताक्षर करते हुए

10.0 प्रचालन

वर्तमान में आपकी कंपनी के पास प्रचालन में 8 टर्मिनल हैं जिनमें से 4 टर्मिनल बीओटी टर्मिनल हैं तीन (3) कंस्ट्रिक्ट यूजर टर्मिनल हैं तथा एक (1) टर्मिनल के स्वामित्व में है जिसके माध्यम से ऑटोमोबाइलों का आयात / निर्यात किया जाता है। सभी टर्मिनलों में अत्याधुनिक अवरसंरचनाएं उपलब्ध की गई हैं जिसमें त्वरित निकास एवं प्रदूषण मुक्त वातावरण हेतु पूर्ण रूप से यांत्रिक कार्गो संभालने के प्रचालन उपकरण हैं। 8 प्रचालित बर्थों की क्षमता 54.44 मिलियन टन है। वर्तमान में प्रचालित टर्मिनलों के विवरण निम्नानुसार हैं :

(I) कोयला बर्थ 1 एवं 2

8 एमटीपीए क्षमता प्रति बर्थ युक्त कोयला बर्थ 1 एवं 2 में 77,000 डीडव्यूटी तक के 280 मी. दो लम्बे कोयला कैरियर रखने की जगह है तथा टीएनईबी (टैन्जेडको) एवं उसकी जेवी कंपनियों के लिए ऊष्मीय पवर संयंत्रों के लिए ऊष्मीय कोयला वहन करता है। अनलोड कोयले को कन्वेयर व्यवस्था द्वारा सीधे पास में स्थित उत्तर चेन्नै ऊष्मीय पवर स्टेशन (एनसीटीपीएस) के स्टैकयार्ड में भेजा जाता है और वहां से उसके एक भाग को आगे रेल माध्यम द्वारा मेट्टूर भेजा जाता है। व्यवसाय मॉडल के अनुसरण में आपकी कंपनी ने बर्थिंग संरचना का निर्माण किया तथा टैन्जेडको ने निवेश किया है तथा ऊष्मीय कोयला संभालने के लिए शेर अनलोडर्स, कन्वेयर व्यवस्था, आदि जैसे ऊपरी तरफ सुविधाओं के प्रचालन और रखरखाव कर रहा है।



टैन्जेडको के लिए ऊष्मीय कोयला संभालने के लिए कोयला बर्थ 1 एवं 2

(ii) समुद्री तरल टर्मिनल

मेसर्स ऐन्नोर टैंक टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (ईटीटीपीएल) द्वारा बीओटी आधार पर कार्गो संभालने की 3 एमटीपीए क्षमता युक्त समुद्री तरल टर्मिनल का विकास किया गया है तथा 16 जनवरी 2009 से वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ किए गए। आगे, ट्रेड की मांग को पूरा करने के लिए बीओटी प्रचालक ने अतिरिक्त भण्डारण टैंकों का विकास किया है तथा उन्होंने एलपीजी संभालने के उपकरणों को भी संस्थापित किया है। कार्गो संभालने के कार्य में पीओएल, एलपीजी, सीबिएफएस, रासायनिक पदार्थ एवं अन्य सम्मिलित हैं। वेसलों में अत्यधिक भराव रोकने के लिए मेसर्स ईटीटीपीएल ने अतिरिक्त डॉक लाइनों को स्थापित किया है तथा समुद्री अनलोडिंग ऑर्म्स संस्थापित किया है जिससे कि वेसल प्रतीक्षा समय कम किया जा सके। बर्थ में अग्निशामक सुरक्षा व्यवस्था संस्थापित किया गया है जिसकी अभिकल्पना ऑयल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) मानकों के अनुरूप की गई है।

लगभग 247,990 केल क्षमता युक्त टैंक फॉर्म की स्थापना, बर्थ से लगभग 3.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 33 एकड़ पोर्ट-लीज्ड प्लॉट में की गई है तथा इसमें वर्ग ए/बी/सी पेट्रोकेमिकल्स पेट्रोलियम उत्पाद, वनस्पति तेल, जैव ईंधन, अम्ल एवं सुरक्षा वर्ग द्रव रखे जा सकते हैं। संपूर्ण टर्मिनल में एकीकृत अग्निशामक व्यवस्था भी है जो ओआईएसडी की आवश्यकताओं के अनुरूप है।



समुद्री तरल टर्मिनल

(iii) सामूहिक उपभोक्ता कोयला टर्मिनल

बीओटी आधार पर मेसर्स चेहिनाड इंटरनेशनल कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड ने 10 एमटीपीए कार्गो कार्य संभालने की क्षमता युक्त सामूहिक उपभोक्ता कोयला टर्मिनल का विकास किया है तथा 11 मार्च 2011 को उसके वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ किए गए। कैप साइज वेसलों को संभालने के लिए बीओटी प्रचालक ने बर्थ में 16 मीटर के डॉक के साथ 22.5 मीटर लम्बाई तक का विस्तार किया है। वर्तमान में टर्मिनल की क्षमता 10 एमटीपीए है। स्टैकयार्ड का क्षेत्र, पोर्ट कम्पाउण्ड वॉल से लगभग 2.50 किलोमीटर की दूरी पर 48.0 एचए के क्षेत्र में स्थित है। 59 वैगनों (3500 टी) के एक पूरे रैक लोड करने के लिए गतिशील वैगन लोडिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। ट्रक द्वारा निकास के लिए ट्रक लोडिंग स्टेशन उपलब्ध किए गए हैं। प्रदूषण कम करने के लिए धूल रोकने की

व्यवस्था युक्त कन्वेयर संस्थापित किया गया है। जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ग्रुप ने दिनांक 13.11.2020 को टर्मिनल पर अधिकार प्राप्त किया है तथा उसे मेसर्स ऐन्नोर कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड का नाम दिया गया है।



सामूहिक उपभोक्ता कोयला टर्मिनल

(iv) सामान्य कार्गो बर्थ सह ऑटोमोबाइल निर्यात टर्मिनल

बर्थ में विश्व के सबसे बड़े कार कैरियर वेसल के लिए जगह है और इसमें 14000 कारों के लिए लगभग 2,10,900 वर्गमीटर के बैंक-अप क्षेत्र के साथ विस्तारित कार पार्किंग यार्ड है जो किसी भी भारतीय पोर्ट में उपलब्ध की गई सुविधाओं में से सबसे बड़ा है। जीसीबी के माध्यम से दिनांक 31.03.2023 तक ऑटोमोबाइल यूनिटों का निर्यात 21.03 लाख की संख्या पार कर चुका है।

आपकी कंपनी ने प्रमुख ओईएम अथार्थ मेसर्स निस्सान मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स टोयोटा किलोस्कर मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स डेयंग्लर इंडिया कमर्शियल वेहिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स आईसुजु मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स इजेडएफ विण्ड पवर कोयम्बतूर प्राइवेट लिमिटेड (पवनचक्की घटक), मेसर्स मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, मेसर्स कैटर्पिलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स पीसीए ऑटोमोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ दीर्घकालिक करार पर हस्ताक्षर किया है तथा आपके पोर्ट से उनके ऑटोमोबाइलों के निर्यात के लिए वॉर्कज प्रभार पर आयतन आधारित छूट दिया गया है।

(v) कंटेनर टर्मिनल

आपकी कंपनी ने चरणबद्ध पद्धति से पीपीपी मोड के अंतर्गत 1.40 मिलियन टीईयू प्रति वर्ष की क्षमता संभालने हेतु कंटेनर टर्मिनल का विकास करने के लिए मेसर्स अदानी ऐन्नोर कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ रियायत करार पर हस्ताक्षर किया है। कंटेनर टर्मिनल के लिए संपूर्ण बैंक-अप क्षेत्र 36.5 एचए है। फेज-1 बर्थ में चार रेल मारुण्टेड क्वे क्रेन उपलब्ध हैं जिसमें हर एक का आऊटरीच 6 मीटर एवं 12 ईआरटीजीएस है। जैसे ही द्वितीय फेज को कार्यान्वित किया जाएगा तीन अतिरिक्त रेल मारुण्टेड क्रेन तथा 9 ईआरटीजीएस उपलब्ध किए जाएंगे। कंटेनर निकास रोड एवं रेल मार्ग से है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से कंटेनर टर्मिनल (फेज-1) के वाणिज्यिक प्रचालनों को प्रारंभ किया गया है।



कंटेनर टर्मिनल



इंडियन ऑयल एलएनजी टर्मिनल

(vi) बहु कार्गो टर्मिनल

मेसर्स चेडिनाड इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड ने डीबीएफओटी आधार पर 2.0 मिलियन टन क्षमता युक्त टर्मिनल का विकास किया गया था। इस टर्मिनल में स्टील, उर्वरक, जिप्सम, बैराइट्स एवं लाइमस्टोन संभाले जाते हैं। इस टर्मिनल का कुल बैक-अप क्षेत्र 13.5 एचए है। इस बर्थ में दो (2) हार्बर मोबाइल क्रेन हैं जिनकी क्षमता 100 टीपीएच प्रति क्रेन है तथा इसके यार्ड में भण्डारण सुविधाएं भी उपलब्ध किए गए हैं। इस टर्मिनल में वाणिज्यिक प्रचालन दिनांक 05.08.2017 से प्रारंभ किए गए। मेसर्स जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ग्रुप ने दिनांक 13.11.2020 को टर्मिनल पर अधिकार प्राप्त किया है तथा उसे मेसर्स एन्नोर कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड का नाम दिया गया है।



बहु कार्गो बर्थ

(vii) तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आयात टर्मिनल

मेसर्स आइओसीएल, जेबी के मुख्य साझेदार ने 5 एमटीपीए (10 एमटीपीए तक विस्तार किया जा सकता है) क्षमता युक्त पुनः गैस रूपांतरण युविधाओं के साथ एक एलएनजी टर्मिनल स्थापित किया है। पुनः गैस रूपांतरण टर्मिनल में दो टैंक हैं जिनकी प्रति क्षमता $1,80,000m^3$ है। दिनांक 26.02.2019 को टर्मिनल चालू किया गया तथा परियोजना की लागत रु. 3834.51 करोड़ है।

11.0 परियोजनाएं :

अपने पोर्ट की क्षमता बढ़ाने के लिए अपने ग्राहकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है, आपकी कंपनी ने विभिन्न बर्थ / टर्मिनल के विकास के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है:

(i) कोयला बर्थ 3 एवं 4 (18 एमटीपीए)

टैन्जेडको के अनुरोध के आधार पर आपकी कंपनी ने रु.500 करोड़ का निवेश करते हुए दो अतिरिक्त कोयला बर्थों (सीबी3 एवं सीबी4) का निर्माण किया है। उक्त कोयला बर्थों की क्षमता 9 एमटीपीए प्रति बर्थ है तथा उनमें 18 मीटर ड्रॉपट के कैप साइज वेसल रखा जाता है। आपकी कंपनी ने अनलोडर, कन्वेयर व्यवस्था आदि जैसे ऊपरी लोडिंग सुविधाओं के संस्थापन के लिए क्रमशः वर्ष 2018 एवं वर्ष 2019 की अवधि में कोयला बर्थ - 4 एवं कोयला बर्थ - 3 को टैन्जेडको को सौंप दिया है। सीबी-3 एवं सीबी-4 की यंत्रीकरण प्रक्रिया जारी है तथा क्रमशः वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2023-24 की अवधि में प्रचालित करने की प्रत्याशा की जाती है।

(ii) आइओसीएल कैप्टिव जेट्टी (3 एमटीपीए)

आपकी कंपनी ने पीओएल एवं एलपीजी उत्पादों को संभालने के लिए रु.921 करोड़ की आकलित लागत पर कैप्टिव जेट्टी का निर्माण करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आइओसीएल) के साथ रियायत करार पर हस्ताक्षर किया है। उक्त टर्मिनल की क्षमता 3 मिलियन प्रति वर्ष है। आपकी कंपनी ने अलग से एक अभियंता को नियुक्त किया है। आइओसीएल ने जेट्टी निर्माण के लिए ठेके के अनुसरण में दिनांक 31.01.2022 को मेसर्स आईटीडी सिमेंटेशन लिमिटेड, मुम्बई का चयन किया है तथा दिनांक 02.03.2022 से प्रभावी रियायत आदेश की तारीख की घोषणा की है। जुलाई 2022 से निर्माण कार्य का प्रारंभ हुआ है तथा जेट्टी को दिसंबर 2024 तक प्रचालित करने की प्रत्याशा की जाती है।

(iii) ऑटोमोबाइल निर्यात/आयात टर्मिनल-2 (3 एमटीपीए)

आपकी कंपनी ने मेसर्स एल & टी जियोस्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को ठेकेदार के रूप में चयन किया है ताकि 3 एमटीपीए आकलित क्षमता युक्त द्वितीय ऑटोमोबाइल निर्यात / आयात टर्मिनल का विकास किया जा सके। उक्त आदेश जारी की गई परियोजना की लागत रु.149.36 करोड़ है। निर्माण कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं तथा उक्त निर्माण कार्य दिनांक 31.10.2023 तक पूर्ण करने की प्रत्याशा की जाती है।

(iv) कच्ची लौह धातु टर्मिनल का “जैसा है जहाँ है के आधार पर” सामूहिक उपभोक्ता टर्मिनल (12 एमटीपीए) भी संभालने के लिए आवश्यक रूपांतरण

आपकी कंपनी ने सितंबर 2006 की अवधि में मेसर्स एसआईसीएल कच्ची लौह धातु टर्मिनल लिमिटेड (एसआईओटीएल) परियोजना कंपनी के साथ में 30 वर्ष बीओटी आधार पर कच्ची लौह धातु टर्मिनल के लिए करार पर हस्ताक्षर किया है। बीओटी प्रचालक ने सर्वप्रथम फेज में वर्ष 2010-11 की अवधि में 6 एमटीपीए का विकास किया है। तथापि, कच्ची लौह धातु के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण टर्मिनल का उपयोग नहीं हो पाया है। इस क्रम में वर्तमान कच्ची लौह धातु टर्मिनल का “जैसा है जहाँ है के आधार पर” रूपांतरण पर विचार किया जा रहा है ताकि सामूहिक उपभोक्ता कोयला का कार्य किया जा सके। तदनुसार, कंपनी एवं एसआईओटीएल के बीच दिनांक 11.07.2016 को करार पर हस्ताक्षर हुआ।

तथापि, रियायती के वित्तीय गलती के कारण, आपकी कंपनी ने मेसर्स एसआईओटीएल को दिनांक 22.03.2021 को ‘समाप्ति अधिसूचना’ जारी किया तथा 20.06.2021 को लाइसेंस करार को समाप्त किया गया। तथापि, वर्तमान में एसआईओटीएल, आईबीसी कोड के अंतर्गत एनसीएलटी द्वारा जारी कार्रवाई का सामना कर रहा है तथा मामला विचाराधीन है।

(v) समुद्री द्रव टर्मिनल – 2 (3 एमटीपीए)

पीओएल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए आपकी कंपनी ने रु.393 करोड़ के निवेश के साथ डीबीएफओटी मोड में बर्थ युक्त द्वितीय समुद्री द्रव टर्मिनल के विकास हेतु कार्रवाई शुरू कर दी है। उक्त टर्मिनल की क्षमता 3 एमटीपीए है। अत्यंत प्रतिस्पर्धात्मक बोली के बाद कंपनी ने दिनांक 14.02.2018 को बीपीसीएल-एचपीसीएल को आदेश पत्र जारी किया। वर्तमान बीओटी प्रचालक एमएलटी-1 द्वारा किए गए मुकदमा के कारण रियायत करार पर हस्ताक्षर एवं जल क्षेत्र के आबंटन कार्य लंबित है। मामले को सुलह एवं निपटान समिति (सीएससी) को भेज दिया गया है।

(vi) कंटेनर टर्मिनल फेज-1 (स्तर 2) (6,00,000 टीईयू / 11.58 एमटीपीए)

रियायती, मेसर्स आईसीटीपीएल ने दिनांक 30.01.2023 से स्तर-2 का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है। कोविड-19 महामारी के समय आपकी कंपनी ने दिनांक 19.02.2020 से अप्रत्याशित स्थिति लागू किया। परिणामस्वरूप, रियायती ने निर्माण कार्य बंद किया तथा वर्ष 2020 के मई माह में ही पुनः शुरू हो पाया। आगे, रियायती ने अप्रत्याशित स्थिति, कानून में परिवर्तन के कारण क्षतिपूर्ति, फेज-1 एवं फेज-2 के लिए एलडी का खण्डन, एमजीटी उपलब्ध नहीं कर पाने के कारण आपकी कंपनी द्वारा परामर्श अधिसूचना आदि जारी रखने के लिए दिनांक 16.08.2020 को मध्यस्थता लागू किया। मध्यस्थता की कार्रवाई मार्च 2023 में पूर्ण की गई तथा आदेश की प्रतीक्षा है।

12.0 अवरसंरचना विकास

एक कॉर्पोरेट पोर्ट होने के कारण “स्वमित्व” मॉडल पर कार्य करती है, आपकी पोर्ट को रोड एवं रेल कनेक्टिविटी, ड्रेडज्ड बेसिन/चैनल, समुद्री सर्विस एवं अन्य सामान्य उपयोगिताओं जैसी

अवरसंरचनाओं को प्रदान करना है। इस संदर्भ में आपकी कंपनी ने राष्ट्रीय महामार्ग तक रोड एवं रेल कनेक्टिविटी के प्रभावशाली नेटवर्क के लिए क्रियाकलाप शुरू किया ताकि कार्गो की त्वरित प्राप्ति एवं निकास सुनिश्चित किया जा सके और इसके विवरण निम्नानुसार हैं :-

12.1 रोड से कनेक्टिविटी

(i) आंतरिक रोड संपर्क

पोर्ट के अंदर आईओसीएल पुनःगैस रूपांतरण टर्मिनल तक बेहतर रोड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए आपकी कंपनी ने रु.17.43 करोड़ की लागत पर 2 लेन कंक्रीट रोड के निर्माण हेतु टीएनआरडीसी के साथ करार पर हस्ताक्षर किया है। रोड की कुल लम्बाई 2.4 किलोमीटर है। टीएनआरडीसी ने दिनांक 27.01.2021 को उक्त कार्य को मेसर्स रोमा हाऊसिंग प्राइवेट लिमिटेड को ठेके पर प्रदान किया है तथा 31.12.2022 तक निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।



आईओसीएल एलएनजी पुनःगैस रूपांतरण टर्मिनल हेतु दो लेन का उद्घाटन

(ii) बाहरी रोड संपर्क

(ए) दक्षिणी पोर्ट तक पहुंचने के लिए रोड

कामराजर पोर्ट से तीन राष्ट्रीय महामार्गों (एनएच5, एनएच4 एवं एनएच45) तक पहुंचने के लिए वर्तमान रोड की कनेक्टिविटी पोर्ट एक्सेस रोड एनसीटीपीएस तक की रोड, तिरुवोडियूर-पोन्नेरी-पणचेट्टी (टीपीपी) रोड, आंतरिक रिंग रोड (आईआरआर) एवं चेन्नी बाईपास रोड द्वारा है। आयात/निर्यात कार्गो के रोड ट्रैफिक गति में बढ़ोतरी के कारण कंपनी, बल्लूर जंक्शन से शुरू करते हुए कामराजर पोर्ट तक के मुख्य द्वार तक के वर्तमान दो लेन रोड में विस्तार करने का कार्य कर रहा है तथा उक्त कार्य टीएनआरडीसी को रु.195 करोड़ की लागत पर ठर आधार पर सौंप दिया।

टीएनआरडीसी ने उक्त कार्य 2 भागों में कार्यान्वित किया है। भाग-1 के कार्य में 4.8 किलोमीटर की लम्बाई तक बल्लूर जंक्शन से एनसीटीपीएस जंक्शन तक के रोड में विस्तार एवं सुधार कार्य शामिल है तथा भाग-2 में एनसीटीपीएस जंक्शन से पोर्ट के मुख्य प्रवेश द्वार तक 2.3 किलोमीटर की लम्बाई तक रोड में सुधार कार्य शामिल हैं। भाग-2 रोड का हिस्सा 31.1.2022 को पूरा हुआ भाग-1 का कार्य दिनांक 31.03.2023 तक पूर्ण किया गया तथा दिनांक 23.04.2023 को पोर्ट, पोत परिवहन एवं जलमार्ग तथा आयुष मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री सर्वानंद सोनोवाल जी ने उक्त मार्ग का उद्घाटन किया।



मल्लूर जंक्शन से एनटीपीसीएस जंक्शन तक नव विकसित एवं विस्तारित 4-लेन कंक्रीट पोर्ट एक्सेस रोड (अमृत महोत्सव मार्ग) का उद्घाटन

(बी) उत्तरी पोर्ट एक्सेस रोड (एनपीएआर)

उत्तरी पोर्ट एक्सेस रोड, कामराजर पोर्ट को एनएच5 से कनेक्ट करता है जो 4.35 किलोमीटर स्पर रोड के साथ 21.148 किलोमीटर लम्बी है तथा वर्तमान चेन्नै ओआरआर से कनेक्ट करता है। यह उत्तरी पोर्ट एक्सेस रोड, चेन्नै बाहरी रिंग रोड (सीपीआरआर) के भाग-1 का एक भाग बनता है। राज्य सरकार ने दिनांक 08.03.2019 के अपने जी.ओ. (एमएस) सं. 37 महामार्ग एवं माइनर पोर्ट (एचडबल्यू2) विभाग द्वारा रोड बनाने के लिए रु.2122 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। जीआईसीए. इस परियोजना के लिए निधि प्रदान कर रहा है। टीएनआरडीसी इस परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है। मेसर्स टाटा प्रॉजेक्ट्स को ठेकेदार के रूप में चुना गया है। जनवरी 2022 में कार्य शुरू हुआ तथा दिसंबर 2024 तक उक्त कार्य पूर्ण करने की प्रत्याशा की जाती है।

12.2 रेल संपर्क

वर्तमान में आपकी कंपनी, दक्षिण रेलवे के चेन्नै - दिल्ली/कोलकाता मार्ग पर चेन्नै - गूडूर भाग में अतिपट्ट एवं अतिपट्ट पुदुनगर स्टेशनों को रेल द्वारा कनेक्ट किया गया है। आपकी कंपनी ने वर्तमान एनसीटीपीएस रेलवे लाइन में परिवर्तन करते हुए कोयला एवं कच्ची लौह धातु टर्मिनलों के लिए स्टैकयार्डों को कनेक्ट करने के लिए रेलवे सुविधाओं का विकास किया है। इसके अतिरिक्त, अपने दायित्वों के एक भाग के रूप में आपकी कंपनी ने कंटेनर एवं बहु कार्गो टर्मिनलों के लिए भी कनेक्टिविटी प्रदान किया है।

रेल आधारित ट्रैफिक में भीड़ कम करने के लिए आपकी कंपनी ने रेल कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों की शुरुआत की है:

(i) दक्षिण रेल संपर्क

आपकी कंपनी ने वर्तमान में होल्डिंग यार्ड सं.1 से कंटेनर यार्ड तक प्रचालित एकल लाइन रेल कनेक्टिविटी को दुगुना करने के लिए रु.86.50 करोड़ की परियोजना लागत पर मेसर्स इंडियन पोर्ट रेल एण्ड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईपीआरसीएल) के साथ करार पर हस्ताक्षर किया है। दुगुना की जानेवाली रेल संपर्क की कुल लम्बाई 2.65 किलोमीटर है।

उक्त कार्य, पूर्णता के अंतिम चरण में हैं। उक्त परियोजना सितंबर 2023 के अंत तक पूर्ण करने की प्रत्याशा की जाती है।

(ii) उत्तर रेल संपर्क

उत्तर रेल लिंक, चेन्नै - गूडूर रेलवे मुख्य लाइन यानी मिन्जूर

स्टेशन की उत्तरी तरफ से कामराजर पोर्ट तक कनेक्ट करता है। उत्तरी रेल लिंक संपर्क की कुल लम्बाई 11.211 किलोमीटर है। आपकी कंपनी एवं कट्टूपल्ली पोर्ट ने एनपीएआर के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा प्राप्त की जानेवाली 100 मीटर आरओडबल्यू के 30 मीटर आरओडबल्यू (हर 15 मीटर) के लिए सहमति दी है। आपकी कंपनी ने आपके पोर्ट एवं कट्टूपल्ली पोर्ट के बीच में रेल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एनपीएआर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण वृद्धिशील लागत साझाकरण हेतु सहमति प्रदान की है।

आपकी कंपनी ने इस एनआरएल संपर्क परियोजना को एक दीर्घकालिक परियोजना के रूप में माना है तथा वर्तमान में परियोजना की आवश्यकताओं के आधार पर मिन्जूर स्टेशन के पास मुख्य लाइन से शुरू होने के लिए भूमि पर अधिग्रहण प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार से चर्चा कर रही है।

(iii) केपीएल एवं एनसीटीपीएस रेलवे लाइनों का एक-बारगी उन्नयन

आपकी कंपनी ने केपीएल ट्रैक्स (होल्डिंग यार्ड I, II एवं केपीसीए) एवं एनसीटीपीएस रेलवे ट्रैकों (सामूहिक रेल ट्रैक) के एक-बारगी उन्नयन हेतु मेसर्स इंडियन पोर्ट रेल एण्ड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (मेसर्स आईपीआरसीएल) के साथ करार पर हस्ताक्षर किया है जिसमें होल्डिंग यार्ड II में रूपांतरण कार्य (पी.वे.ओएचई एवं एस&टी) भी शामिल हैं। रेल कनेक्टिविटी की कुल अपग्रेड की गई लम्बाई 26.38 ट्रैक किलोमीटर है जिसका आकलन लागत रु. 35.20 करोड़ है। सिविल एवं ओएचई कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा एस&टी के रूपांतरण कार्य को दक्षिण रेल कनेक्टिविटी कार्य के साथ पूर्ण किए जाने की आवश्यकता है।

12.3. ड्रेडिजिंग योजना

(i) पूंजीगत ड्रेडिजिंग फेज-V

आपकी कंपनी ने रो-रो सह सामान्य कार्गो बर्थ-II एवं आईओसीएल कैप्टिव टर्मिनल जैसे आगामी बर्थों के लिए (-) 16m सीडी जल गहराई प्रदान करने के लिए दिनांक 21.12.2022 को रु.156,08,56,760/- (जीएसटी छोड़कर) मूल्य की पूंजीगत ड्रेडिजिंग फेज-V कार्य को मेसर्स जान दे नूल ड्रेडिजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को कार्यादेश प्रदान किया है। ठेकेदार ने कार्य शुरू कर दिया है। अक्टूबर 2023 के अंत तक कार्य पूर्ण करने की प्रत्याशा की जाती है।

(ii) पूंजीगत ड्रेडिजिंग फेज - VI

एमआईवी-2030 प्रयास के अनुरूप आपकी कंपनी ने पोर्ट के खाड़ी एवं चैनल क्षेत्र में (-) 18 मीटर गहरी ड्रॉप्ट प्रदान करने के लिए पूंजीगत ड्रेडिजिंग फेज - VI का कार्य करने के लिए कार्रवाई पुनः शुरू की है। ऐक्सिम ट्रेड की मांग में वृद्धि के साथ, ट्रेड प्राथमिकता पैमाने की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए गहरे ड्रॉप्ट वाले जहाजों को तैनात करना होगा। उक्त कार्य के लिए एनटीसीपीडबल्यूसी ने डीपीआर तैयार किया है तथा कंपनी ने कार्य के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। ड्रेडिजिंग आयतन का आकलन 13.23 मिलियन क्यूबिक मीटर है जिसकी आकलित लागत रु.549.2 करोड़ है। उक्त कार्य के लिए आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटरी स्रोत (आईबीबीआर) द्वारा वित्त प्रदान किया जाएगा।

वर्तमान में आपकी कंपनी पोर्ट, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय से पीआईबी अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

13.0 औद्योगिक संबंध

आपकी कंपनी वर्ष 2022-23 के दौरान सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखी। वर्ष के दौरान किसी हड़ताल या काम बंद होने के कारण कोई कार्य दिवस बर्बाद नहीं हुए। पोर्ट पर श्रमिकों की स्थिति सामान्य थी।

14.0 मानव संसाधन विकास

14.1 कार्मिकशक्ति

कंपनी के दिनांक 31.03.2023 तक की कार्मिकशक्ति के विवरण निम्नानुसार हैं:

	अधिसूचित जाति	अधिसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ी जाति	अन्य	कुल
अधिकारिगण	12	2	26	18	58
कर्मचारी	9	1	18	6	34
कुल	21	3	44	24	92

14.2 कंपनी में अधिसूचित जाति/अधिसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जातियां एवं अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व

आपकी कंपनी, अधिसूचित जाति/अधिसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जातियां एवं अल्पसंख्यकों आदि के पदों/लाभों के संदर्भ में अध्यक्षीय निदेश एवं समय समय पर जारी केन्द्र सरकार के आदेशों का ध्यानपूर्वक अनुपालन करती है। कंपनी की कुल कार्मिकशक्ति में से 23% अधिसूचित जाति कार्मिक हैं तथा कुल कार्मिकशक्ति में से अधिसूचित जनजाति 3% है।

एससी/एसटी एवं अन्य पिछड़ी जातियों के लिए संपर्क अधिकारियों को नियुक्त किया गया है ताकि संगठन में आरक्षण निदेशों का अनुपालन एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित की जा सके।

14.3 प्रशिक्षण

आपकी कंपनी सदा की तरह अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की दिशा में प्रयासरत रही है ताकि उन्हें संबंधित विषय-क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त होती रहे। इस दिशा में प्रयास करते हुए इस वर्ष के दौरान कर्मचारियों को 160 कार्मिक दिवसों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा कंपनी ने इसके लिए रु.22.84 लाख (लगभग) का व्यय किया है।

वर्ष के दौरान कर्मचारियों द्वारा भाग लिए गए कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क, आईएमडीजी कोड, सार्वजनिक निजी साझेदारी रूपरेखा, प्रमुख पोर्ट अधिकारियों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम, सुरक्षा संबंधी, पर्यावरण प्रबंधन और स्थिरता, ड्रेडिजिंग प्रौद्योगिकी, कंपनी अधिनियम/नियम और विनियम, हिंदी कार्यशालाएँ, आदि शामिल हैं।

14.4 शिकायत निवारण पद्धति

आपकी कंपनी ने कार्यकारी एवं गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए उचित शिकायत निवारण पद्धतियों को लागू किया है। पुनरीक्षण के इस वर्ष की अवधि में शिकायत प्राप्त नहीं हुए।

15.0 समुद्री

आपका पोर्ट, वेसलों के त्वरित टर्न अराऊण्ड उपलब्ध करने के लिए सभी समुद्री मार्ग पर जानेवाले सभी वेसलों के लिए चौबीस घंटे का त्वरित पायलटज प्रदान करता है।

किराए के कुल 4 टन चौबीस घंटे ड्यूटी पर होते हैं।

ए) 50 टन बोल्लार्ड पुल युक्त तीन (3) टग

बी) 60 टन बोल्लार्ड पुल युक्त एक (1) टग,

सभी टगों में अग्निशामक एफआईएफआई व्यवस्थाएं लगाई गई हैं तथा उनमें ऑयल प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए भी उपकरण लगाए गए हैं।

मेक इन इंडिया नीति के अंतर्गत किराए पर चार्टर निर्मित कुल 2 पायलट लॉन्च (स्पीड नौका), 2 मूरिंग लॉन्चों को लगाया गया है।

15.1 वेसल ट्रैफिक सेवाएं (वीटीएस):

"आत्मनिर्भर भारत मेक इन-इंडिया" पहल की हिस्से के रूप में आपके पोर्ट में मेसर्स एनटीसीपीडबल्यूसी (आईआईटी चेन्नै) प्रयास द्वारा स्वदेशी विकसित वेसल ट्रैफिक सेवाएं उपलब्ध की गई हैं। एनटीसीपीडबल्यूसी उसके प्रचालन और रखरखाव में भी समर्थन दे रहा है।

15.2 संभाले गए वेसल

- आपके पोर्ट ने वर्ष 2022-23 की अवधि में 927 वेसलों को सफलतापूर्वक संभाला है तथा अपना पूर्व रिकार्ड तोड़ दिया है। आपके पोर्ट ने ईबीटीपीएल एवं ईसीपीटीएल में केप साईज वेसलों को संभालना प्रारंभ कर दिया है तथा ईबीटीपीएल एवं ईसीपीटीएल में कुल 20 केप साईज वेसलों को संभाला है।
- आपका पोर्ट नियमित रूप से 300 मीटर से अधिक लम्बे कंटेनर वेसलों को संभाल रहा है।
- आपके पोर्ट ने 70 अत्यंत बृहत् गैस कैरियर एलपीजी एवं 11 एलएनजी वेसलों को संभाला है।
- आपका पोर्ट, वेसल संबंधित प्रक्रियाओं के सहज एवं पारदर्शी निकास के लिए दिसंबर 2022 से कार्यान्वित एनएलपी - समुद्री ऑनलाइन पोर्टल इस्तेमाल करते हुए पोर्ट में प्रवेश एवं निकास के नियमों का अनुपालन कर रहा है।

16.0 सर्वेक्षण एवं ड्रेडिजिंग

- आपका पोर्ट चैनल, खाड़ी एवं बर्थ के साथ में अधिसूचित गहराइयों को ध्यान में रखते हुए वेसलों के सुरक्षित नौकायन की सुविधा प्रदान करने, अधिसूचित गहराई, वर्षा के पूर्व एवं वर्षा पश्चात् के मौसम में आवधिक बातीमेट्री का अनुवीक्षण करने तथा अर्द्ध-वार्षिक आधार पर मार्च/अप्रैल एवं सितंबर/अक्टूबर के दौरान हर वर्ष सर्वेक्षण करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- आपका पोर्ट आवधिक स्तर पर स्थलाकृति सर्वेक्षण करने के माध्यम से तटरेखा अनुवीक्षण के लिए एनएचओ, एमओएस, एमओईएफ, सीपीसीबी एवं टीएनपीसीबी मार्गदर्शनों का अनुपालन कर रहा है। साथ ही, आपके पोर्ट ने "कामराजर पोर्ट में तटरेखा परिवर्तन पर अध्ययन" भी किया है।
- आपका पोर्ट, पोर्ट में हर परियोजना के पूर्ण किए जाने पर वर्तमान में लागू पोत परिवहन एवं एक चार्ट के अद्यतनीकरण/संशोधन हेतु राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक कार्यालय, देहरादून के सहयोग में अच्छी पद्धतियों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।
- आपका पोर्ट, पत्तन, बर्थ एवं चैनलों में ड्रेडजिंग गहराई बनाए रखने के कार्य को अत्यंत महत्व देता है। अधिसूचित गहराइयों को बनाए रखने के लिए ड्रेडिजिंग रखरखाव के कार्य जारी हैं।

17.0 पोर्ट सुरक्षा

आपका पोर्ट, आईएसपीएस अनुरूप है। पोर्ट सुविधा एवं सुरक्षा स्तर घोषित किए गए हैं तथा उन्हें डीजी पोत परिवहन मार्गदर्शनों के अनुसार बनाए रखते हैं। पोर्ट को सीआईएसएफ की सुरक्षा प्रदान की गई है।

आपके पोर्ट का समय समय पर परीक्षण किया जाता है तथा डीजी पोत परिवहन द्वारा जारी आईएसपीएस के मार्गदर्शनों के अनुरूप अनुपालन किया जाता है।

अनुपालन के एक भाग के रूप में, पोर्ट सुविधा सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक नियमित रूप से त्रैमासिक होती है। बंदरगाह सुविधा सुरक्षा योजना की समीक्षा समय-समय पर किया जाता है।

सीआईएसएफ एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ नियमित रूप से सुरक्षा ड्रिल आयोजित किए जाते हैं।

कंपनी ने तट रक्षक गारद, नौसेना एवं राज्य प्रशासन के साथ संयुक्त सुरक्षा ड्रिल में भाग लिया है।

18.0 स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण

आपकी कंपनी, अपने उपयोगकर्ताओं, ठेकेदारों एवं कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण हमारी प्राथमिकताएं हैं तथा किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता।

आपकी कंपनी, कार्यस्थल में व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के सभी मामलों से संबंधित लागू सभी कानून एवं विनियमनों की आवश्यकताओं को पूरा करती है तथा कार्य पर नियुक्त सभी टर्मिनल प्रचालकों/ ठेकेदारों/ उप-ठेकेदारों से भी वही प्रत्याशा करती है। इसके अतिरिक्त आपकी कंपनी कार्यस्थल में स्वास्थ्य सुरक्षा में विश्वास रखती है और यह मानती है कि यह कर्मिकों के लिए एक साझा जिम्मेदारी है और यह प्रत्याशा करती है कि कार्मिक भी अच्छी सुरक्षा पद्धतियां अपनाएं।

18.1 स्वास्थ्य

- आपके पोर्ट में एक व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र (ओएचसी) भी उपलब्ध किया गया है जिसमें 24x7 प्रशिक्षित पराचिकित्सकीय कर्मचारी कार्य करते हैं एवं सभी कार्यदिवस में सामान्य पारी में चिकित्सक नियुक्त किए गए हैं तथा कंपनी के कर्मचारियों, अन्य बीओटी प्रचालक एवं पोर्ट उपयोगकर्ताओं के लिए आपातकाल के दौरान 24x7 प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए एम्बुलेन्स सेवा भी उपलब्ध किया है।
- आपके पोर्ट ने झाड़वों एवं अन्य कार्मिकों के लिए जागरूकता सत्र, मुख पोंछने के लिए टॉवल वितरण, जागरूकता पैम्फलेट वितरण द्वारा विश्व ऐड्स दिवस पर जागरूकता अभियान आयोजित किया है।
- आपके पोर्ट ने प्रशासनिक कार्यालय एवं सीआईएसएफ बैरेकों में व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है।
- आपका पोर्ट समय समय पर कर्मचारियों एवं अन्य पणधारियों के लिए स्वास्थ्य चेक-अप, चिकित्सा शिविर आयोजित करते हुए अच्छी पद्धतियों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

- आपके पोर्ट ने पोर्ट के अंदर कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल का अनुपालन किया है ताकि सुरक्षित प्रचालन सुनिश्चित किया जा सके एवं आपके पोर्ट में सीधे एवं अप्रत्यक्ष कार्मिकों के प्रतिकूल स्वास्थ्य मामलों को रोका जा सके।
- आपके पोर्ट क्षेत्र में वेक्टर नियंत्रण उपायों को कार्यान्वित करते हुए अच्छी पद्धतियों को सुनिश्चित करता है।

18.2 सुरक्षा

आपके पोर्ट के कार्यस्थलों में सुरक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। आपके पोर्ट में कर्मचारियों, पणधारियों एवं पोर्ट उपयोगकर्ताओं में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मामलों में सुधार के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया गया।

पोर्ट उपयोगकर्ताओं के लिए अग्निशमन में आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, डॉक सुरक्षा निरीक्षणालय की उपस्थिति में बर्थ में मॉक ड्रिल, बीओटी प्रचालकों के साथ मॉक ड्रिल, आईओसीएल, बीपीसीएल, आईपीएल एवं एचपीसीएल जैसे पड़ोसी उद्योगों के साथ परस्पर सहायक ड्रिल आयोजित किए गए।

संबंधित कर्मचारियों को सीबीआरएन (रासायनिक, जैविक, विकिरणात्मक एवं न्यूक्लियर), व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, आईएमडीजी (अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जोखिम युक्त सामान कोड) आदि पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

आपका पोर्ट यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी प्रभावशाली रिपोर्टिंग व्यवस्था का अनुपालन करे तथा सभी सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करे। अंतर्निर्मित सुरक्षा गैजेटों का नियमित रूप से परीक्षण किया जाता है तथा उन्हें प्रमाणित किया जाता है। कार्य के दौरान उचित पीपीई के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए सख्त निरीक्षण किया जाता है। पोर्ट में सभी रोकथाम उपायों से युक्त आपदा / संकट प्रबंधन योजना लागू किया गया है।

आपके पोर्ट में पोर्ट, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के निदेशों के आधार पर गैर-ज्वलशील उत्पादों को संभालने के बर्थ/ टर्मिनल/ भण्डारण सुविधा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् तथा ज्वलनशील उत्पादों को संभालने के बर्थ/ टर्मिनल/ भण्डारण सुविधा हेतु ऑयल उद्योग सुरक्षा निदेशालय को सम्मिलित करते हुए सुरक्षा परीक्षण एवं अनुपालन परीक्षण किया जाता है।

निकटवर्ती चूकों/छोटी घटनाएं /छोटी दुर्घटनाओं से सीख प्राप्त करते हुए सुधार कार्रवाइयां लागू की जाती हैं। आपके पोर्ट में राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना (एनओएस-डीसीपी) दिशानिर्देशों के तय - I के अनुसार तेल रिसाव प्रतिक्रिया उपकरण का रखरखाव किया जाता है। पोर्ट ने राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना (एनओएस-डीसीपी) दिशानिर्देशों के अनुसार आईएमओ स्तर I, II और III प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा किया है।

18.3 पर्यावरण

आपके पोर्ट में पर्यावरण-अनुकूल एवं हरित पोर्ट को बनाए रखने के प्रयास में नियमित रूप से पर्यावरण का निरीक्षण किया जाता है। परिवेशी वायु, समुद्री जल की गुणवत्ता, तलछट और शोर जैसे विभिन्न पर्यावरणीय मापदंडों के रीमपलिंग एवं परीक्षण के लिए मेसर्स ह्यूबर्ट एनवायरो केयर सिस्टम्स (प्राइवेट) लिमिटेड, एक एनएबीएल मान्यता प्राप्त/एमओईएफ और सीसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला को कार्य पर

लगाया गया है। पोर्ट में बीओटी प्रवालक भी अपने संबंधित टर्मिनलों में पर्यावरण का परीक्षण करते हैं। पर्यावरणीय गुणवत्ता रिपोर्ट नियमित रूप से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किए जाते हैं। पोर्ट में तीन वास्तविक समय सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता परीक्षण स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं तथा उक्त स्टेशनों को तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कनेक्ट किया गया है।

आपका पोर्ट, लागू किए गए एमएआरपीओएल नियमों की सेवा आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है तथा जहाज से उत्पन्न तैलीय कचरे के इकत्रीकरण एवं निपटान के लिए तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित अपशिष्ट तेल के तीन पुनश्चक्रण कंपनियों को सूचीबद्ध किया है। आपके पोर्ट ने जहाजों और पोर्ट के अंदर उत्पन्न ठोस कचरे के इकत्रीकरण, पृथक्करण और निपटान कार्यों के लिए ठेकेदार नियुक्त किया है। पृथक् किए गए कचरे को लाभकारी उपयोग हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित री-साइक्लर्स के पास भेजा जाता है।

आपके पोर्ट ने भारत सरकार के पोर्ट, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) के सहयोग में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस), भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता अभियान 'स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर/स्वच्छ तट, सुरक्षित सागर' का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में आपके पोर्ट ने पोर्ट क्षेत्रों के अंदर और बाहर दैनिक आधार पर 75 दिवसीय व्यापक स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया। पोर्ट के बाहर लाइट हाउस क्षेत्र के पीछे मरीना बीच पर व्यापक सफाई कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें पोर्ट के कर्मचारी, उनके परिवार के सदस्य, बच्चे, कॉलेज के छात्र, नागरिक एजेंसियों और स्वयंसेवकों सहित लगभग 400 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिससे प्रतिभागियों के बीच जागरूकता पैदा हुई। 75 दिनों तक चला यह अभियान 17.09.2022 को पोर्ट में समुद्र तट पर आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम के साथ समाप्त हुआ। पोर्ट कर्मचारी, स्वयंसेवक समूह की महिला श्रमिक, अग्निशमन दल, बीओटी ऑपरटर एवं अन्य एजेंसियों सहित लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

आपके पोर्ट ने पोर्ट में एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है तथा सभी हितधारकों के सख्त अनुपालन हेतु परिपत्र भी जारी किया गया। आपके पोर्ट ने हरित पोर्ट पहल के एक भाग के रूप में पोर्ट में कचरा संग्रहण के लिए तीन ई-वाहन उपलब्ध किया है।



ग्रीन पोर्ट पहल के हिस्से के रूप में कचरा संग्रहण के लिए ई-वाहन

आपके पोर्ट ने समुद्री पर्यावरण पर कचरे के खतरे पर प्रकाश डालने के लिए समुद्र तटीय क्षेत्र की सफाई करके तटीय सफाई दिवस मनाया है।

19.0 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 तथा महिला सशक्तीकरण के अंतर्गत प्रकटीकरण

कंपनी में कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने तथा शिकायतों के रोकथाम एवं निवारण के उद्देश्य से महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को कार्यान्वित किया गया है। आपकी कंपनी में कभी भी उत्पीड़न का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है तथा विशेष रूप से वर्ष 2022-23 के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

कंपनी में 31 मार्च 2023 तक कुल 16 महिला कर्मचारी रोल पर हैं। 15% उक्त कुल में से 5% महिला कर्मचारी संवर्ग में तथा लगभग 19% अधिकारी संवर्ग में कार्यरत हैं। महिला कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।

20.0 कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

आपकी कंपनी ने एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में कंपनी द्वारा अपनाई गई सीएसआर नीति और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और सीएसआर पर पहल किए गए कार्यों से संबंधित अपेक्षित प्रकटन युक्त सीएसआर वार्षिक रिपोर्ट संलग्न किए गए **अनुबंध - I** के रूप में बोर्ड की रिपोर्ट का एक भाग है।

21.0 सार्वजनिक क्रय नीति

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सार्वजनिक क्रय नीति अधिसूचित की है। आपकी कंपनी द्वारा किए गए कुल क्रय में से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से वस्तु या सेवाओं के वार्षिक मूल्य का क्रय 28.55% है।

22.0 जोखिम प्रबंधन नीति

आपकी कंपनी ने संभावित जोखिमों और अवसरों की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन की रूपरेखा प्रदान करने के लिए जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है। यह प्रबंधकों को सूचित प्रबंधन निर्णय लेने का एक तरीका प्रदान करता है।

जोखिम प्रबंधन संरचना के कुछ उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- संगठन के उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन में योगदान देते हुए बाधाओं की पहचान करने तथा उनके प्रबंधन हेतु एक केंद्रित दृष्टिकोण।
- संभावित जोखिमों की पहचान करने के लिए पूरे संगठन में एक संरचित जोखिम प्रबंधन की शुरुआत से संगठन के उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है तथा उनके रोकथाम की योजना हेतु विशिष्ट जिम्मेदारियां प्रदान की गई हैं।
- कार्यनीति युक्त निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार
- व्यावसायिक कार्य-निष्पादन में सुधार
- प्रचालनात्मक अप्रत्याशित निदेश एवं हानि कम करें
- पूंजी के आबंटन में सुधार
- एक अच्छे कॉर्पोरेट प्रबंधन के पहलुओं के रूप में समेकित खतरा प्रबंधन एवं आंतरिक नियंत्रण के लिए एक ठोस आधार प्रदान करे,

समय समय पर खतरों की पहचान की जाती है, उनका मूल्यांकन किया जाता है तथा उन्हें रोकने के लिए रोकथाम योजनाओं का पुनरीक्षण एवं अनुवीक्षण किया जाता है।

23.0 सचेतक नीति

आपकी कंपनी ने व्यावसायिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिकता के उच्चतम मानकों को अपनाकर कर्मचारियों के अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता एवं नैतिकता के उल्लंघन के मामलों की रिपोर्ट प्रबंधन के लिए एक "सचेतक नीति" लागू किया है। वर्ष के दौरान नीति के अंतर्गत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सचेतक नीति को आपकी कंपनी वेबसाइट में अपलोड किया गया है। <http://www.kamarajarport.in/upload/uploadfiles/files/blower.pdf>

24.0 नामांकन एवं पारिश्रमिक नीति

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति ने निदेशकों की नियुक्ति, निदेशकों के पारिश्रमिक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक सहित अन्य कर्मचारियों के लिए एक नीति तैयार की है। नामांकन और पारिश्रमिक नीति वेबलिक में उपलब्ध किया गया है। <https://kamarajarportin/upload/uploadfiles/files/Nomination Remuneration Policy.pdf>

25.0 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अनुपालन कर रही है और आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुपालन की देखभाल के लिए एक सार्वजनिक सूचना अधिकारी एवं एक अपील प्रधिकारी को नामित किया है। धारा 4(1)(बी) के अनुसार जो आवश्यक जानकारी प्रदान की जानी है, उसे कंपनी की वेबसाइट पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। www.kamarajarport.in.

वर्ष के दौरान, 52 आवेदन प्राप्त हुए और कोई अपील दायर नहीं की गई। आवेदनों पर निर्धारित समय में को ध्यान में रखते हुए उनका निपटारा किया गया।

26.0 सूचना प्रौद्योगिकी

आपकी कंपनी बेहतर व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन तथा मूल्य-योजित व्यवसाय प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी अपनाने में हमेशा सबसे आगे रही है। आपकी कंपनी ने आईटी प्रणालियां और आईटी सक्षम सेवाओं द्वारा सभी व्यावसायिक प्रक्रियाओं और सेवा वितरण कार्य पूर्ण करने के लिए आईटी द्वारा पहल की है तथा भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित डिजिटल परिवर्तन को साकार रूप दिया है। आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान एसएपी प्रचालनों का 99 प्रतिशत से अधिक अपटाइम बनाए रखा।

पीओएमएस एवं बिजनेस इंटरफेस पोर्टल के विकास के लिए मेसर्स इंडियन सॉफ्टवेयर (इंडिया) लिमिटेड को ठेका आदेश प्रदान किया गया। उक्त एप्लिकेशन एसएपी प्रमाणित नो-कोड/लो कोड एप्लिकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म (मेंडिक्स) में विकसित किया गया। पीओएमएस सिस्टम को शिपिंग एजेंट, शिपिंग लाइन्स, करस्टम ब्रोकर्स आदि जैसे विभिन्न हिताधिकारियों के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए सागर-सेतु (एनएलपी-एम) सिस्टम के साथ एकीकृत किया गया है। पीओएमएस मुख्य रूप से पोर्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली समुद्री और कार्गो प्रचालन गतिविधियों की संपूर्ण योजना, रिकॉर्डिंग एवं निरीक्षण प्रदान करने का एक आंतरिक एप्लिकेशन है। बिजनेस

इंटरफेस पोर्टल ग्राहकों के लिए है जिसके माध्यम से वे आपकी कंपनी के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से बातचीत कर सकते हैं।



कंपीएल के सीएमडी, सुनील पालीवाल, आईएसएस द्वारा दिनांक 8.2.2023 को पीओएमएस एवं बीआईपी एप्लिकेशनों का उद्घाटन

आपकी कंपनी एक एकीकृत पोर्ट कमांड नियंत्रण केन्द्र स्थापित करने की योजना बना रही है जिसमें सीसीटीवी और वीडियो एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर, विद्युत वितरण प्रणाली तथा स्मार्ट स्ट्रीट लाइट अनुवीक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सतत परिवेश वायु गुणवत्ता अनुवीक्षण प्रणाली के साथ एकीकरण, फायर स्टेशन एवं अन्य उपयोगिताएं, सार्वजनिक संबंध प्रणाली, एकीकृत जीआईएस समाधान, आदि शामिल हैं। इससे पोर्ट परिसर के समग्र प्रशासन, निरीक्षण एवं अनुवीक्षण में सुधार होगा।

27.0 राजभाषा का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रचार-प्रसार और कार्यान्वयन के लिए अथक प्रयास किए हैं। हिंदी के प्रगामी प्रयोग के विस्तृत प्रचार-प्रसार के लिए प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। हिंदी पक्ष समारोह के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए निबंध प्रतियोगिता, टिप्पण एवं प्रारूपण, पोस्टर निर्माण एवं गायन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। 26 सितंबर 2022 को चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण के साथ संयुक्त रूप से एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी प्रोफेसर श्रीमती पी. सुप्रजा कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थीं।



हिंदी कार्यशाला पूर्ण करने पर प्रमाण-पत्र

राजस्थान पत्रिका, चेन्नै के संपादक प्रमारी डॉ. पी.एस. विजयराघवन, हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि थे।



वर्ष 2021-22 के दौरान अत्यधिक हिंदी पत्राचार के लिए मुख्य अतिथि द्वारा सीएस-बीडी विभाग का सम्मान

- संगठन में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग एवं प्रभावी कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने हेतु राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें सीएमडी की अध्यक्षता में नियमित रूप से हर तिमाही आयोजित की गई।
- कर्मचारियों को नवंबर 2022 की अवधि में हिंदी के प्रबोध प्रवीण प्राज्ञ एवं पारंगत परीक्षाएं सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए गए।

28.0 वर्ष के दौरान एवं रिपोर्ट की तारीख तक उन निदेशकों या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के विवरण जिन्हें नियुक्त किया गया अथवा इस्तीफा दिया/ नहीं रहे।

28.1 निदेशकों

- चूँकि, स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव (डिन : 02435597) के प्रथम तीन वर्ष की कार्यवाधि दिनांक 5 नवंबर 2022 को पूर्ण हो रही है, दिनांक 18 अक्टूबर 2022 को आयोजित विशिष्ट सामान्य सभा में कंपनी के शेयरहोल्डर्स ने 6 नवंबर 2022 से प्रभावी डवतंत्र निदेशक की नियुक्ति को अतिरिक्त 2 वर्षों के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। बोर्ड के मत में श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव सत्यनिष्ठा के व्यक्ति हैं तथा उनमें संबंधित विशेषज्ञता, अनुभव एवं आवश्यक प्रवीणता है।
- श्री एस. विश्वनाथन, आई.ए.एस (डिन : 09634577), चेन्नै पोर्ट अथॉरिटी के नामिती हैं, उन्हें दिनांक 27 अप्रैल 2023 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के क्रम में आगामी वार्षिक सभा की तारीख तक कार्यभार सौंपा गया है तथा वार्षिक सामान्य सभा में नामिती निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव रखा जा रहा है।
- श्री एस. बालाजी अरुणकुमार आई.आर.टी.एस (डिन : 07526368) 27 अप्रैल 2023 से चेन्नै पोर्ट अथॉरिटी के नामिती निदेशक नहीं रहे।
- आगामी वार्षिक सभा में 10 नवंबर 2023 से तीन वर्षों की अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशकों के रूप में कैप्टन अनूप कुमार शर्मा (डिन : 03531392) एवं श्रीमती सरला बालगोपाल (डिन : 01572718) की पुनः नियुक्ति पर विचार किया जा रहा है। बोर्ड के मत में कैप्टन अनूप कुमार शर्मा एवं श्रीमती सरला बालगोपाल सत्यनिष्ठा के व्यक्ति हैं तथा उनमें संबंधित विशेषज्ञता, अनुभव एवं आवश्यक प्रवीणता है।

28.2 मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

- श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस (डिन : 01310101) दिनांक 10.11.2021 को अध्यक्ष (गैर कार्यकारी) बन गए तथा उन्होंने कंपनी में एक नियमित प्रबंध निदेशक नियुक्त होने तक दिनांक 10.11.2021

से प्रबंध निदेशक प्रभारी के रूप में कार्यभार संभाला है।

- तदनुसार, श्रीमती जे.पी. आईरीन सिन्थिया आई.ए.एस (डिन : 08839241) को कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया तथा 24 जुलाई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक में उन्हें कार्यभार संभालने की तारीख से अगले 5 वर्षों के लिए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके क्रम में श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस (डिन:01310101) का कंपनी के प्रबंध निदेशक (प्रभारी) के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त होता है, लेकिन अध्यक्ष (गैर कार्यकारी) के रूप में उनका कार्य जारी है।
- श्री एम. गुणशेखरन, 28 फरवरी 2023 तक, उनकी सेवानिवृत्ति तक कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं अनुपालन अधिकारी थे। तदनुसार बोर्ड ने 1 मार्च 2023 से प्रभावी (नियमित मुख्य वित्तीय अधिकारी के नियुक्त होने तक) श्री सी.एस.वेमन्ना को मुख्य वित्तीय अधिकारी (प्रभारी) के रूप में नियुक्त किया है तथा श्रीमती जयलक्ष्मी श्रीनिवासन, कंपनी सचिव को 1 मार्च 2023 से प्रभावी कंपनी के अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। श्रीमती कविता सात्वी द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2023 से प्रभावी कंपनी के महा प्रबंधक (वित्त) के रूप में कार्यभार संभालाते ही उन्हें दिनांक 14.08.2023 से प्रभावी कंपनी के मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। तदनुसार, श्री सी.एस.वेमन्ना का कार्यकाल दिनांक 14.08.2023 से समाप्त की जाती है।

28.3 रोटेशन पर सेवानिवृत्त होनेवाले निदेशक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152 के क्रम में श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस (डिन : 01310101) रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले हैं तथा आगामी वार्षिक सभा में पुनःनियुक्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अर्हक हैं।

अन्य आवश्यकताओं के साथ कंपनी में निदेशक के रूप में नियुक्ति / पुनःनियुक्ति के रूप में प्रत्याशा करनेवाले उम्मीदवारों के संक्षिप्त विवरण 23वीं सामान्य वार्षिक सभा की बैठक में अधिसूचना/ विवरणिका निम्नानुसार है।

28.4 बोर्ड/ समितियों की बैठकें एवं गठन के विवरण

बोर्ड स्तरीय समितियां बोर्ड को पर्याप्त सहायता प्रदान करती हैं। कंपनी सचिव सभी बोर्ड स्तरीय समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। बोर्ड/ समिति की बैठकें तथा संरचना के विवरण, कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है और यह इस वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है। बोर्ड ने समितियों की सभी संस्तुतियों को स्वीकृति प्रदान की है।

28.5 वार्षिक मूल्यांकन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) के अनुसार निदेशकों ने व्यक्तिगत निदेशकों का वार्षिक मूल्यांकन, समग्र रूप से बोर्ड का प्रदर्शन, एवं इसकी समितियों का मूल्यांकन किया है। सभी निदेशकों को प्रतिभागिता एवं पर्याप्त समय आवंटित करने जैसे विभिन्न प्राचलों पर मूल्यांकन मानदण्ड प्रश्नावली दी गई।

29.0 स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

आपकी कंपनी ने कंपनी के प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से वर्ष 2022-23 के दौरान आवश्यक घोषणा प्राप्त की है जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं।

30.0 सतर्कता

श्री एस.मुरली कृष्णन, आई.डी.एस, मुख्य सतर्कता अधिकारी, चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण 25.04.2022 से प्रभावी कामराजर पोर्ट लिमिटेड में सीवीओ का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। सीवीओ को योजना विभाग के प्रबंधक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

सतर्कता प्रभाग विभाग, निष्ठादि कार्य अनुबंध के संबंध में दस्तावेजों की जांच करता है। उक्त विभाग; संबंधित विभागों को प्रक्रियात्मक अभाव, निविदा मानदंडों में विचलन तथा ठेका कार्यों में होनेवाली कमियों के लिए सुधारात्मक कार्यवाई तथा व्यवस्था में सुधार बताता है। इस विभाग द्वारा उपयुक्त मामलों में धन की वसूली की भी सलाह दी जाती है।

विभागों में सीवीसी दिशानिर्देश/अधिसूचनाएं परिचालित की जाती हैं। सतर्कता प्रभाग द्वारा आपकी कंपनी के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक अवल संपत्ति रिटर्न की जांच की जाती है। यदि कोई असामान्यताएं हों, तो संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाता है। सतर्कता प्रभाग में लेखा-परीक्षण रिपोर्टों का अध्ययन भी किया जाता है तथा जहां भी आवश्यक हो, विभागों को आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाई करने की सलाह दी जाती है।

30.1 सतर्कता दिवस समारोह 2022

आपकी कंपनी में 31 अक्टूबर 2022 से 6 नवंबर 2022 तक की अवधि में "विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत" थीम के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 मनाया गया। विभिन्न आऊटरीच गतिविधियाँ जैसे कार्यशालाएँ, वॉकथॉन, स्कूल और कॉलेज के छात्रों, कर्मचारियों के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन, समापन समारोह पर विशेष अतिथि व्याख्यान तथा अन्य सतर्कता जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की गईं। इंडिया डायनेमिक्स लिमिटेड के सीवीओ, डॉ. उपेन्द्र वेन्नम, आईपीओएस, ने "अनुशासनात्मक कार्यवाही" विषय पर कार्यशाला में प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।



सतर्कता जागरूकता सप्ताह का समापन समारोह

30.2 सत्यनिष्ठा संधि को अपनाना

केंद्रीय सतर्कता आयोग, सरकारी/पीएसयू लेनदेन में सतर्कता प्रशासन एवं अधीक्षण के एक भाग के रूप में अखंडता, पारदर्शिता, समानता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा दे रहा है। सार्वजनिक क्रय, केंद्रीय सतर्कता आयोग के लिए चिंता का एक प्रमुख विषय है तथा उचित प्रणाली स्थापित करने के लिए कई कदम उठा रहा है।

आयोग ने सत्यनिष्ठा संधि अपनाने की संस्तुति दी है तथा सरकारी संगठनों में प्रमुख क्रय के संबंध में इसके कार्यान्वयन के लिए बुनियादी दिशानिर्देश प्रदान किए हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग ने सत्यनिष्ठा संधि के कार्यान्वयन हेतु स्वतंत्र बाह्य अनुवीक्षक (आईईएम) नियुक्त करने की संस्तुति दी है तथा संगठनों से सत्यनिष्ठा संधि के अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले ठेका / क्रय हेतु सीमा मूल्य निश्चित करने की भी सलाह दी है। यह समझौता संभावित विक्रेताओं/ बोली लगानेवालों एवं नियोजन/प्रिंसिपल के बीच समझौते की परिकल्पना करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोनों पक्ष के व्यक्ति/अधिकारी ठेके के किसी भी पहलू पर कोई भ्रष्ट प्रभाव न डालें। सत्यनिष्ठा संधि के

अंतर्गत कवर किए जाने वाले ठेके/क्रय हेतु सीमा मूल्य 1 करोड़ रुपये तथा उससे अधिक निश्चित किया गया है। निम्नलिखित दो आईईएम आपकी कंपनी में सत्यनिष्ठा समझौता लागू कर रहे हैं:

1. श्री वीरेन्द्र नारायण गौर, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त)
2. श्री अश्वनी कुमार, पूर्व सीएमडी, देना बैंक

आपकी कंपनी में पोत परिवहन मंत्रालय की सलाह के अनुसरण में पीपीपी परियोजनाओं एवं अन्य ठेका कार्यों में सत्यनिष्ठा संधि पहले ही लागू की जा चुकी है। सत्यनिष्ठा संधि ठेके के सभी चरणों को कवर करता है यानी निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) के चरण से लेकर अनुबंध के समापन तक। सभी विभागों को 1 करोड़ रुपये की सीमा मूल्य वाले कार्यों/खरीदों के लिए निविदा दरतावेजों में सत्यनिष्ठा संधि अनुच्छेद को शामिल करने की सलाह दी गई थी। आईईएम ने समय-समय पर आपकी कंपनी में 1 करोड़ रुपये तथा उससे अधिक मूल्य वाले कार्यों की समीक्षा की है।

30.3 आईईएम पुनरीक्षण बैठक

आपके पोर्ट के पणधारियों को आमंत्रित करते हुए पुनरीक्षण बैठकें आयोजित की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आईईएम की पुनरीक्षण बैठकें दिनांक 10.08.2022 एवं 10.03.2023 को आयोजित की गईं। बैठक के दौरान आईईएम में आईईएम के दायरे में ठेकेदारों/विक्रेताओं/ परामर्शदाताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान किया गया।

31.0 कंपनियों के नाम जो वर्ष के दौरान सहायक कंपनियाँ, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियाँ बनी या नहीं रही

वर्ष के दौरान किसी भी कंपनी ने सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी के स्तर से नहीं हटी या नहीं बनी।

32.0 निदेशकों के जिम्मेदारी कथन

आपके निदेशक यह बताते हैं कि :-

- (अ) वार्षिक लेखा तैयार करने के कार्य में सामग्री प्रस्थान से संबंधित मामलों में उचित विवरण देते हुए लागू लेखा मानकों का अनुसरण किया गया है;
- (आ) निदेशकों ने उक्त अवधि के लिए ऐसी लेखा नीतियों को चुनकर उन्हें समान रूप से लागू करते हुए उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन किया ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की सही एवं निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत किया जा सके तथा कंपनी के लाभ में वृद्धि हो सके।
- (इ) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड रखरखाव हेतु आवश्यक एवं पर्याप्त सावधानी बरती;
- (ई) निदेशकों ने सतत सरोकार के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किए;
- (उ) निदेशकों ने कंपनी में पालन किए जाने वाले ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए ताकि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त एवं प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
- (ऊ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्थाएं लागू कीं और उक्त व्यवस्थाएं पर्याप्त एवं प्रभावी ढंग से प्रचालित की गईं।

33.0 कंपनी अधिनियम की धारा 197 एवं कंपनियों की आवश्यकताएं (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अनुसरण में प्रकटीकरण।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसरण में अपेक्षित विवरण, कंपनी (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पढ़ा जाता है, जो बोर्ड की रिपोर्ट का एक भाग है और इस रिपोर्ट के साथ अनुबंध - II के रूप में संलग्न किया गया है।

34.0 लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के प्रावधानों के अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ने 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए मेसर्स बी. त्यागराजन एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंपनी की लेखा पुस्तकों के लेखा परीक्षण हेतु वैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है।

34.1 सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक, मेसर्स बी. त्यागराजन एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी लेखा पर अप्रयोग रिपोर्ट दी है। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उल्लिखित वित्तीय विवरण पर दिए गए जोर एवं टिप्पणियां स्व-व्याख्यात्मक हैं तथा इनके लिए किसी भी अतिरिक्त टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

34.2 भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा का पुनरीक्षण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) ने बताया कि "मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर किसी भी टिप्पणी या पूरक को जन्म दे।" सी एंड एजी की रिपोर्ट की एक प्रति बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई है।

35.0 सचिवीय लेखा परीक्षण

मेसर्स एस.धनपाल एंड एसोसिएट्स, व्यावसायिक कंपनी सचिव को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आपकी कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया। सचिवीय लेखा परीक्षकों ने एक अप्रयोग रिपोर्ट दी है तथा उक्त रिपोर्ट को अनुबंध - III के रूप में संलग्न किया गया है।

36.0 विनियामकों अथवा न्यायालयों द्वारा पारित महत्वपूर्ण एवं सामग्री आदेश

विनियामकों अथवा न्यायालय या न्यायाधिकरणों ने ऐसे कोई महत्वपूर्ण एवं सामग्री आदेशों को पारित नहीं किया है जो सतत सारोकार स्थिति एवं भविष्य में कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित करे।

37.0 वार्षिक विवरणी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) एवं धारा 134(3)(ए) के अनुसरण में वार्षिक विवरणी निम्नलिखित लिंक में उपलब्ध किया गया है: <http://www.kamarajarport.in/content/innerpage/annual-return.php>

38.0 डिबेंचर न्यासी

आपकी कंपनी ने कर मुक्त बॉण्डों के लिए वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 की अवधियों के लिए मेसर्स एसबीआईसीएपी ट्रस्टीस कंपनी लिमिटेड एवं मेसर्स कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड (पूर्व में जीडीए ट्रस्टीशिप लिमिटेड) को क्रमशः डिबेंचर न्यासी के रूप में नियुक्त किया है। डिबेंचर ट्रस्टियों का संपर्क विवरण नीचे दिया गया है।

डिबेंचर न्यासियों

एसबीआईसीपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, मिस्त्री भवन, चौथी मंजिल, 122, दिनशां वाचा रोड, बवंगेट, मुंबई दृ 400 020 फोन: 022-43025555 फैक्स: 022-43025500	कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड, जीडीए हाउस, प्लॉट नंबर 85, भुसाशी कॉलोनी (दाएँ), पौड रोड, कोथरुड, पुणे - 411 038 फोन: 020-66807200 फैक्स: 022-25280275
---	---

39.0 ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेहन, विदेशी विनिमय से आय तथा व्यय

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के प्रावधानों के अनुसरण में ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेहन, विदेशी मुद्रा आय और व्यय के संबंध में जानकारी को इस रिपोर्ट के अनुबंध-IV के रूप में संलग्न किया गया है।

40.0 कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट

इस रिपोर्ट के साथ में 31 मार्च 2023 को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर एक स्वतः रिपोर्ट अनुबंध - V के रूप में संलग्न की गई है।

40.1 सचिवीय मानक

आपकी कंपनी ने निदेशक बोर्ड की बैठकों (एसएस-1) पर भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों तथा सामान्य बैठकों (एसएस-2) के संबंध में सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।

41.0 लागत रिकार्ड

केंद्र सरकार ने कंपनी के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत रिकार्ड के रखरखाव की पद्धति को निर्धारित नहीं किया है।

42.0 कृतज्ञता

आपके निदेशक; पोर्ट, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार तथा येनै पोर्ट प्राधिकरण से प्राप्त समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए अपना आभार व्यक्त करते हैं तथा टैन्जेड़को/टीएनईबी, टीएनपीसीबी, तमिलनाडु सरकार एवं भारत सरकार, विशेष रूप से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय बंदरगाह संघ, वित्त मंत्रालय और भारतीय रेलवे/दक्षिणी रेलवे से प्राप्त सहयोग की सराहना करते हुए आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक; भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों तथा सचिवीय लेखा परीक्षकों से प्राप्त निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। अंत में महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके निदेशक पोर्ट उपयोगकर्ताओं, बीओटी रियायतकर्ताओं, ठेकेदारों एवं बैंकों को उनके सतत समर्थन और सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं तथा वर्ष के दौरान कंपनी के सभी कर्मचारियों द्वारा किए गए सतत उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हैं।

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के बोर्ड की तरफ से

ह/-

सुनील पालीवाल, आई.ए.एस

अध्यक्ष

स्थान : येनै

दिनांक : 22.09.2023

(डिन : 01310101)

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सीएसआर क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट (कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 135 एवं उसके अंतर्गत नियमों के अनुसारण में)

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

आपकी कंपनी; कंपनी अधिनियम, 2013 के कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के सीएसआर प्रावधानों के अनुरूप स्थायी आधार पर पारिस्थितिक मुद्दों से समझौता किए बिना समाज/समुदाय के आधारभूत ढांचे/जीवन की गुणवत्ता में सुधार के पहल को समर्थन देते हुए समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में प्रयासरत है।

आपका पोर्ट, सामाजिक दृष्टि से जिम्मेदार कॉर्पोरेट पोर्ट की दिशा में प्रयासरत है ताकि

- सामाजिक एवं पर्यावरणीय दीर्घकालिकता में योगदान देने वाली वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन हेतु हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देते हुए उनका लाभ उठाया जा सके।
- प्राथमिकता के आधार पर सीएसआर परियोजना शुरू की जाए, जो राष्ट्रीय विकास के एजेंडे में हैं जैसे सुरक्षित पेयजल, विशेष रूप से लड़कियों के लिए शौचालयों का प्रावधान, स्वास्थ्य स्वच्छता और शिक्षा इत्यादि, जिसके माध्यम से वंचित, अल्पअधिकार प्राप्त व्यक्तियों की आधारभूत जरूरतों को पूरा किया जा सके। यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त कार्य सीएसआर नियमों और समय-समय पर सरकार द्वारा जारी नीति निर्देशों के अनुरूप हों।

2. सीएसआर समितियों का गठन (31.03.2023 तक)

क्र.सं.	निदेशक का नाम, पदनाम/ निदेशक कार्य की प्रवृत्ति	वर्ष में आयोजित सीएसआर बैठकें की संख्या	वर्ष में आयोजित सीएसआर बैठकों में उपस्थिति
1	श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस सीएमडी / अध्यक्ष	4	4
2	श्री एस. बालाजी अरुणकुमार, नामिती निदेशक / सदस्य	4	4
3	श्री वी.एम.सुब्बा राव, स्वतंत्र निदेशक / सदस्य	4	4

3. वह वेबलिक जिसके द्वारा सीएसआर समितियों के गठन, सीएसआर नीति एवं बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं जिन्हें कंपनी के वेबसाइट में प्रकट किया गया है:

सीएसआर समिति के गठन संबंधी वेबलिक : <http://www.kamarajarport.in/content/innerpage/board-level-committee.php>

सीएसआर नीति लिंक : https://kamarajarport.in/upload/uploadfiles/files/csr_Policy_Revised_26072021.pdf

सीएसआर परियोजना लिंक : <https://kamarajarport.in/content/innerpage/corporate-social-responsibility-csr.php>

4. नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसारण में यदि आवश्यकता हो तो कृत सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव के मूल्यांकन के वेबलिक के साथ कार्यकारी संक्षेप का प्रस्तुतीकरण: लागू नहीं

5. (ए) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ: रु. 427,47,110 करोड़

(बी) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी का दो प्रतिशत औसत निवल लाभ: रु. 8,54,94,220 /—

(सी) पूर्व वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रम या क्रियाकलापों से पैदा होनेवाली अतिरिक्त राशि: कोई नहीं

(डी) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित करने राशि, यदि कोई हो: कोई नहीं

(ई) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व ((इ)+(ब)-(क)): रु. 8,54,94,220 /—*

फुट नोट : * यद्यपि, कंपनी का कुल सीएसआर दायित्व केवल रु.8,54,94,220 /— है, कंपनी बोर्ड ने रु.9,85,00,000 /— के मूल्य तक सीएसआर प्रयासों को अनुमोदन प्रदान किया है जो उक्त सीएसआर दायित्व से रु.1,30,05,780 /— अधिक है।

6. (ए) सीएसआर परियोजनाओं पर व्ययित राशि (चालू परियोजनाएं एवं चालू परियोजनाओं से अन्य, दोनों) : रु. 5,96,80,173 /—

(बी) प्रशासनिक उपरि प्रभार में व्ययित राशि : कोई नहीं

(सी) असर मूल्यांकन पर व्ययित मूल्यांकन, यदि कोई हो तो : कोई नहीं

(डी) वित्तीय वर्ष ((ए)+(बी)+(सी)) में व्ययित कुल रकम : रु. 5,96,80,173 /—

(ई) वित्तीय वर्ष में सीएसआर के लिए व्ययित एवं अव्ययित रकम :

वित्तीय वर्ष हेतु व्ययित कुल रकम (रुपयों में)	अव्ययित रकम (रुपयों में)				
	धारा 135 की उप-धारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल रकम		धारा 135 की उप-धारा (5) के द्वितीय नियम के अनुसार अधिसूची VII के अंतर्गत किसी भी विशिष्ट निधि में हस्तांतरित रकम		
	रकम	हस्तांतरण की तारीख	निधि का नाम	रकम	हस्तांतरण की तारीख
5,96,80,173/-	फुट नोट देखें	27.04.2023	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

* अव्ययित सीएसआर खाते में रु.3,88,19,827/- की रकम जमा की गई है जो कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार में परिकल्पित सीएसआर बजट की संस्वीकृत रकम से रु.1,30,05,780/- अधिक है। उक्त रकम को अव्ययित सीएसआर खाते को हस्तांतरित किया गया है तथा अधिनियम में 2% परिकल्पित परिकलन के अनुसार रु. 258,14,047/- है।

(एफ) सेट-ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो तो :

क्र. सं.	विवरण	रकम (रुपये में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार में कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	8,54,94,220 / -
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित कुल रकम	5,96,80,173 / -
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित अतिरिक्त राशि ((ii)-(i))	0*
(iv)	पूर्व वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाएं या कार्यक्रम या क्रियाकलाप से पैदा होनेवाली अधिशेष मूल्य, यदि कोई हो	0
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों के लिए निश्चित उपलब्ध रकम ((iii)-(iv))	0

* तथापि, कंपनी बोर्ड ने सीएसआर दायित्व (अर्थात् धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार में औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत) से रु. 1,30,05,780/- अधिक मूल्य की परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया है।

7. पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों की अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी रकम के विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्रम सं.	पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्ष (वर्षों)	धारा 135 की उप-धारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित रकम (रुपयों में)	धारा 135 की उप-धारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में शेष रकम (रुपयों में)	वित्तीय वर्ष में व्ययित रकम (रुपयों में)	धारा 135 की उप-धारा (5) के द्वितीय नियम के अनुसार अधिसूची टप्प के अंतर्गत किसी भी	आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय हेतु शेष रकम	अभाव, यदि कोई हो तो
					रकम (रुपयों में)	हस्तांतरण की तारीख	
1	वित्तीय वर्ष - 2020 - 21	2,83,37,640 / -	83,53,750 / -	79,58,039 / -	3,95,711 / -	31.03.2023	0
2	वित्तीय वर्ष - 2021 - 22	1,49,70,952 / -	15,134 / -	1,49,55,818 / -	लागू नहीं	लागू नहीं	15,134 / -

8. वित्तीय वर्ष की अवधि में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की रकम द्वारा यदि कोई पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन या अधिग्रहण किया गया :

नहीं

यदि हां, तो सृजित / अधिगृहीत पूंजीगत परिसंपत्तियों की संख्या प्रविष्ट करें :

लागू नहीं

वित्तीय वर्ष की अवधि में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की रकम द्वारा ऐसी सृजित/अधिगृहीत पूंजीगत परिसंपत्तियों के विवरण:

क्र. सं.	संपत्ति या परिसंपत्तियों के स्थिति अथवा संपत्ति का पूरा पता एवं स्थान के साथ)	संपत्ति अथवा परिसंपत्तियों का पिनकोड	सृजन की तारीख	व्ययित सीएसआर रकम की रकम	पंजीकृत मालिक के सत्ता/ प्राधिकारी/ हिताधिकारी के विवरण		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकरण का पता
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9.कंपनीद्वाराधारा135कीउप-धारा(5)केअनुसरणमेंऔसतनिवललाभसेदोप्रतिशतकीरकमखर्चनहींकरपानेकेकारणबताएं:

लागू नहीं, क्योंकि रकम को चालू परियोजनाओं के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित किया जा चुका है।

<p>ह/-</p> <p>श्रीमती जे.पी. आइरीन सिधिया, आई.ए.एस. (प्रबंध निदेशक)</p>	<p>ह/-</p> <p>श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस. (अध्यक्ष - सीएसआर समिति)</p>
---	---

कंपनी (प्रबंधन कार्मिक की नियुक्ति एवं प्रतिपूर्ति) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ
पठित धारा 197 कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सूचना

- वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के हर निदेशक की पारिश्रमिक एवं कंपनी के कर्मचारियों की औसत पारिश्रमिक का अनुपात – कृपया टिप्पण 1 देखें
- वित्तीय वर्ष में हर निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कंपनी सचिव या प्रबंधक की पारिश्रमिक में बढ़ोतरी का प्रतिशत ;

क्रम सं	नाम	प्रतिशत
1	श्री सुनील पालीवाल, सीएमडी	कृपया टिप्पण 1 देखें
2	श्री एम. गुणशेकरन, सीएफओ (दिनांक 28.02.2023 तक)	कृपया टिप्पण 2 देखें
3	श्री सी.एस.वेमन्ना, सीएफओ (दिनांक 01.03.2023 से प्रभावी)	कृपया टिप्पण 2 देखें
4	श्रीमती जयलक्ष्मी श्रीनिवासन, सीएस	24.88%

- वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों की औसत पारिश्रमिक में बढ़ोतरी का प्रतिशत

	सीवाई	पीवाई	प्रतिशत
औसत प्रतिपूर्ति	1249356.86	1169461.87	6.83 %

- कंपनी के रोल में स्थायी कर्मचारियों की संख्या :

31 मार्च 2023 तक कंपनी रोल में स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 92 है।

- पिछले वित्तीय वर्ष में प्रबंधकीय कार्मिकों को छोड़कर कर्मचारियों के वेतन में की गई औसत प्रतिशतक बढ़ोतरी तथा उसकी तुलना में प्रबंधकीय पारिश्रमिक में की गई प्रतिशतक बढ़ोतरी एवं उसका औचित्य बताएं और प्रबंधकीय पारिश्रमिक में बढ़ोतरी के लिए यदि कोई असाधारण परिस्थितियां हों तो उसका उल्लेख करें।

कंपनी की नीति के अनुसरण में कंपनी के कर्मचारियों के मूल वेतन में की जानेवाली वार्षिक वृद्धि 3% है। सरकारी नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता में वृद्धि की जाती है। आगे संबंधित वर्ष में कंपनी के निष्पादन के आधार पर लागू नियमों के अनुसार निष्पादन संबंधी भुगतान/सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान किया जाता है।

- यह पुष्टीकरण प्रस्तुत करें कि पारिश्रमिक कंपनी की पारिश्रमिक नीति के अनुसार है।

कंपनी के सभी कर्मचारियों को प्रदत्त पारिश्रमिक, कंपनी की नामांकन और पारिश्रमिक नीति के अनुसार है।

- कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 5(2) के अंतर्गत प्रकट किए जानेवाले वर्ष 2022-23 के विवरण

किसी भी कर्मचारी का अर्जन, निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है।

टिप्पण 1: श्री सुनील पालीवाल के चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट (अब चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण) के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद उन्हें दिनांक 10.11.2021 से कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। केवल वित्त वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 (दिनांक 9.11.2021 तक) के लिए लागू पीआरपी) के लिए भुगतान किया गया। परिणामस्वरूप, अनुपात/प्रतिशत निर्धारित नहीं किया जा सकता।

टिप्पण 2: चूंकि इन केएमपी का पारिश्रमिक, केवल वर्ष के कुछ भागों के लिए है, अतः प्रतिशत वृद्धि निर्धारित नहीं की जा सकती है।

पारिश्रमिक के मामले में शीर्ष दस कर्मचारी 31.3.2023 तक

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम	प्राप्त पारिश्रमिक (रुपयों में)	अर्हकता एवं अनुभव	नियोजन के प्रारंभ करने की तारीख	उम्र	नियोजन से पूर्व पद
1	श्री संजय कुमार, महाप्रबंधक (सीएस-बीडी)	69,23,937/-	बी.एससी भौतिकी एवं विभिन्न स्तरों में 36 वर्षों का अनुभव	03-05-2005	59	सीआईएसएफ
2	श्री पी. राधाकृष्णन, डीजीएम (सिविल)	48,01,670/-	बी.ई. (सिविल) – एम.ई. प्रबंधन एवं विभिन्न स्तरों में 37 वर्ष का अनुभव	12-12-2007	59	मेकॉन लिमिटेड
3	श्री पी. देसिकामणि, मुख्य प्रबंधक (डॉक मास्टर)	42,55,491/-	बी.एससी/एफजी स्नातकोत्तर एवं 31 वर्ष का अनुभव	27-04-2018	51	वेस्ट एशिया मारिटाइम लिमिटेड
4	श्री सी. उमा षंकर, मुख्य प्रबंधक (समुद्री सेवाएं)	39,94,383/-	बी.ई.(यांत्रिकी)/ एफजी स्नातकोत्तर एवं 31 वर्ष का अनुभव	02-05-2018	54	डीपी वर्ल्ड चेन्नै कंटेनर टर्मिनल
5	श्री निर्मीक सिंह पुआर, वरिष्ठ प्रबंधक (पायलट)	38,63,329/-	एफजी स्नातकोत्तर एवं 20 वर्ष का अनुभव	01-08-2018	48	हपाग लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
6	श्री सी.एस.वेमन्ना, मुख्य प्रबंधक (वित्त)	38,62,389/-	बी. कॉम, एआईडबल्यूएआई, मल्लय पालन प्रौद्योगिकी नौपरिवहन अभियांत्रिकी तथा एमबीए एवं विभिन्न स्तरों में 32 वर्ष का अनुभव	05-03-2012	55	आईओसीएल
7	श्री जी.एम.बालन, महाप्रबंधक (एमएस)	38,05,515/-	बी.एससी भौतिकी एवं स्नातकोत्तर (एफजी) तथा विभिन्न स्तरों में 28 वर्ष का अनुभव	16-08-2013	50	एलपी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
8	श्री सुब्रह्मण्यन मंगेस्वरन, मुख्य प्रबंधक (डॉक मास्टर)	38,05,265/-	स्नातकोत्तर एफजी एवं 18 वर्षों का अनुभव	02-05-2018	52	वॉल्वेम शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
9	श्री ए. करुप्पैया, मुख्य प्रबंधक (टैफिक)	36,05,024/-	बी.ई.(सिविल) – एम.टेक (समुद्र अभियांत्रिकी) एवं 26 वर्ष का अनुभव	01-02-2007	56	चेन्नै पोर्ट अथॉरिटी
10	श्री पी. ओम प्रवेश, वरिष्ठ कार्यकारी सचिव	33,71,308/-	बी.कॉम, एमबीए, पीजीडीएम (पीएम) एवं 29 वर्ष का अनुभव	25-02-2002	50	केंद्र सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय

टिप्पण:

- नियोजन की प्रवृत्ति : कंपनी के कर्मचारी
- कोई भी कर्मचारी, कंपनी (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(3) (viii) के अंतर्गत नहीं है।
- कोई भी कर्मचारी, कंपनी के किसी निदेशक या प्रबंधक का रिश्तेदार नहीं है।
- "पारिश्रमिक" का अर्थ है किसी व्यक्ति को उसके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए समतुल्य या पारित कोई राशि जिसमें आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत परिभाषित पूर्वावश्यकताएं शामिल हैं।

सुइट नंबर 103, प्रथम तल, कावेरी कॉम्प्लेक्स नंबर 96/104,
नुंगमबाक्कम हाई रोड (नाबार्ड और आईसीआईसीआई बैंक के बगल में), नुंगमबाक्कम, चेन्नै - 600034
फोन नंबर 044-45530256, 4553 0257/4265 2127
ई-मेल: csdhanapal@gmail.com वेबसाइट: www.csdhanapal.com

एस धनपाल एंड एसोसिएट्स एलएलपी

कार्यरत कंपनी सचिव

एलएलपीआईएन - एसीबि 0368

एलएलपी अधिनियम 2008 के तहत सीमित देयता के साथ पंजीकृत

साझेदार

एस. धनपाल, बी.कॉम., बी.ए.बी.एल., एफ.सी.एस

एन. रामनाथन, बी. कॉम., एफ.सी.एस

रिश्ता चिड़ीमार, एम. कॉम., एफ.सी.एस., डीसीजी (आईसीएसआई)

प्रपत्र संख्या एमआर-3

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षण रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी

(प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में)

सेवा में,

सदस्य,

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

हमने मेसर्स कामराजर पोर्ट लिमिटेड (इसके बाद कंपनी कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय परीक्षण किया है। उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड के आधार पर सचिवीय परीक्षण किया गया तथा जिन रिकार्डों के माध्यम से हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने तथा उस पर अपनी राय/समझ व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान किया गया।

हमें सचिवीय परीक्षण के दौरान उपलब्ध किए गए कंपनी की पुस्तकों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाएं, प्रपत्र एवं फाइल किए गए रिटर्न तथा कंपनी के अन्य रिकार्डों की जांच तथा कंपनी के अधिकारी, एजेंट एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर हमने उन रिकार्डों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर हमारे विचार एवं समझ के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के परीक्षण में यह पाया है कि कंपनी ने निम्नलिखित सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा हमारे सीमित परीक्षण में कंपनी में सही सही स्थान एवं सीमा तक उचित एवं आवश्यक बोर्ड प्रक्रिया पद्धतियां एवं अनुपालन पद्धति लागू किए गए हैं जो आगे की गई रिपोर्टिंग के अंतर्गत हैं :

हमने 3 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध कराई गई पुस्तिकाएं, कागजात, कार्यवृत्त की पुस्तिकाएं, प्रपत्र एवं फाइल किए गए रिटर्न तथा कंपनी द्वारा प्रयोग किए जानेवाले अन्य रिकार्डों का लागू निम्नलिखित प्रावधानों के अंतर्गत परीक्षण किया है :

- कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा यथा लागू नियम ;
- सुरक्षा ठेका (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) तथा उसके अंतर्गत लागू नियम ;

iii. डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 एवं उसके अंतर्गत विनियमन एवं रचित उपनियम ;

iv. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत लागू विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक ऋण तक रचित नियम एवं विनियमन।

v. वर्ष के दौरान लागू भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश :-

ए) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 ;

बी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015;

सी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन, 2018;

डी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन, 2014;

ई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का मुद्रा और सूचीकरण) विनियमन, 2021

एफ) कंपनी अधिनियम एवं ग्राहक के साथ डील करने के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मामले के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट) विनियमन, 1993 ;

जी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ईक्विटी शेयरों का असूचीयन) विनियमन, 2021;

एच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनः क्रय) विनियमन, 2021;

- vi. पल्लन संबंधी अधिनियम, नियम एवं विनियमनों तथा प्रबंधन द्वारा पहचान किए गए तथा हमें संप्रेषित किए गए संबंधित क्रियाकलाप।

हमने निम्नांकित के यथालागू खंड के अंतर्गत अनुपालन स्थिति का भी परीक्षण किया है :

- निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस-1) और सामान्य बैठकों (एसएस-2) के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक, तथा
- कंपनी द्वारा बीएसई लिमिटेड एवं भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (दायित्व सूचीकरण एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के साथ किए गए सूचीकरण करार।

पुनरीक्षण अवधि के दौरान कंपनी ने उपर्युक्त अधिनियम, नियम, विनियमन, दिशानिर्देश, मानकों आदि के यथा लागू प्रावधानों का यथावश्यक अनुपालन किया है।

हमें यह दर्शाया गया है कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों एवं कंपनी द्वारा प्राप्त पत्रों/नोटिस के समाधान के लिए यथावश्यक उपाय लागू किए हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि उपर्युक्त के अंतर्गत जिन संबंधित दस्तावेजों को हमने देखा है वे यह बताते हैं कि :

कंपनी के निदेशक बोर्ड का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों तथा स्वतंत्र निदेशकों के संतुलन के साथ यथा लागू नियमों के अनुसार किया गया है तथा पुनरीक्षण की अवधि के दौरान निदेशक बोर्ड के गठन में परिवर्तन भी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है।

बोर्ड की बैठक आयोजित करने से पहले सभी निदेशकों को समय से पहले पर्याप्त सूचना दी जाती है तथा एजेन्डा एवं एजेन्डा पर विस्तृत टिप्पणियां कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं तथा बैठक से पहले बैठक में अर्थपूर्ण प्रतिभागिता हेतु एवं एजेन्डा मदों पर अन्य

जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए व्यवस्था की गई है।

आमतौर पर बहुमत के निर्णय को आगे बढ़ाया जाता है जबकि यदि कोई हो तो असहमत सदस्यों के विचारों को लेकर उन्हें कार्यवृत्त के हिस्से के रूप में सम्मिलित किया जाता है।

आगे हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा संस्थापित अनुपालन पद्धति के हमारे सीमित पुनरीक्षण के आधार पर पर्याप्त व्यवस्थाएं एवं प्रक्रियाएं लागू की गई हैं तथा वे लागू कानून, नियम, विनियमनों एवं दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं अनुवीक्षण करने के लिए कंपनी के आकार एवं प्रचालनों के अनुरूप हैं।

आगे हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने निम्नांकित विशिष्ट कार्यों के लिए दिनांक 28.09.2022 को आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) तथा दिनांक 18.10.2022 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) में सदस्यों से अनुमोदन प्राप्त किया है :

- श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस (डिन : 01310101) का कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति :
- श्री वी.एम.वी.सुब्बा राव (डिन : 02435597) का दिनांक 06.11.2022 से प्रभावी 2 वर्षों के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनः नियुक्ति

आगे हम यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारा परीक्षण केवल कंपनी द्वारा उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में प्रचालित व्यवस्था एवं प्रक्रियाओं की पर्याप्तता की पुष्टि तक सीमित था तथा कंपनी द्वारा हम उन अनुपालनों में से किसी भी अनुपालन के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमने अन्य परीक्षणों के अधीन लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन का स्वतंत्र रूप से परीक्षण नहीं किया है तथा जो भी हमें रिपोर्ट दिखाए गए उन्हें अपने रिपोर्ट में भरोसे के साथ शामिल किए गए हैं।

आगे हम यह रिपोर्ट करते हैं कि हमने प्रस्तुत रिपोर्ट जारी करने के लिए सचिवीय परीक्षण, अनुरोध पर कंपनी द्वारा प्रदत्त जहां भी आवश्यक हो ऑनलाइन माध्यम से रिकार्डों की जांच की है एवं उनका परीक्षण किया है।

एस धनपाल एण्ड असोसियेट्स एलएलपी के लिए

(पेशेवार कंपनी सचिव)

(फर्म पंजीकरण सं. L2023TN014200)

एलएलपीआईएन : एससीबी 0368

ह/-

एन.रामनाथन (साझेदार)

एफसीएस. 6665 सीपी.सं. 11084

सहकर्म समीक्षा प्रमाणपत्र

संख्या.1107/2021

यूडीआईएन: एफ006665ई001056494

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 22.9.2023

इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक प्रमाण के साथ पढ़ा जाना है जिसे अनुबंध ए के रूप में संलग्न किया गया है तथा यह रिपोर्ट का एक भाग बनता है।

सेवा में
सदस्य,
कामराजर पोर्ट लिमिटेड
चेन्नै

परीक्षकों की जिम्मेदारी

परीक्षण के आधार पर, हमारी जिम्मेदारी यह जिम्मेदारी बनती है कि कंपनी द्वारा लागू कानूनों के अनुपालन और रिकॉर्ड के रखरखाव पर एक राय व्यक्त करें। हमने अपना परीक्षण, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ("आईसीएसआई") द्वारा निर्धारित परीक्षण मानक सीएसएस 1 से सीएसएस 4 ("सीएसएस") के आधार पर किया है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि परीक्षक, सांविधिक एवं नियामक आवश्यकताओं और योजनाओं का अनुपालन करे तथा लागू कानूनों के अनुपालन और रिकॉर्ड के रखरखाव के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए परीक्षण करे।

आंतरिक, वित्तीय एवं प्रचालनात्मक नियंत्रणों को सम्मिलित करते हुए अंतर्निहित सीमाओं के कारण एक अपरिहार्य खतरा है कि परीक्षण करने के लिए उचित योजना बनाने तथा सीएसएस के अनुरूप करने के बावजूद भी कुछ गलत विवरण या सामग्री गैर-अनुपालनों का पता नहीं लगाया जा सकता। हमारी उक्त समसंख्यक रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इन सचिवीय रिकॉर्डों पर हमारे परीक्षण के आधार पर राय व्यक्त करना ही हमारी जिम्मेदारी है।

- हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता पर उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए सही परीक्षण पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सचिवीय रिकॉर्ड में तथ्यों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए ही परीक्षण आधार पर जांच की गई। हमारा मानना है कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया, वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं। हम मानते हैं कि हमने जिन प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों का अनुसरण किया है वे हमारी राय के लिए उचित आधार बनते हैं।
- हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्डों एवं लेखांकन पुस्तिकाओं की शुद्धता एवं औचित्य की जांच नहीं की है तथा जिसके लिए हमने सांविधिक लेखापरीक्षक के रिपोर्ट पर विश्वास किया है।
- जहां भी आवश्यकता हो हमने कानून, नियम एवं विनियमनों के अनुपालन तथा कार्यक्रमों के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
- कॉर्पोरेट के प्रावधानों एवं लागू कानूनों, नियम, विनियमन, मानकों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण, परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं की जांच तक सीमित था।
- सचिवीय परीक्षण रिपोर्ट, भविष्य में कंपनी के व्यवहार्यता के संबंध में तथा न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों के व्यवहार की क्षमता एवं प्रभावत्मकता पर न ही कोई आश्वासन प्रदान नहीं करता है।

एस धनपाल एण्ड असोसियेट्स एलएलपी के लिए

(पेशेवार कंपनी सचिव)

(फर्म पंजीकरण सं. L2023TN014200)

एलएलपीआईएन : एसीबी 0368

ह/-

एन.रामनाथन (साझेदार)

एफसीएस. 6665 सीपी.सं. 11084

सहकर्मो समीक्षा प्रमाणपत्र

संख्या.1107/2021

यूडीआईएन: एफ006665ई001056494

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 22.9.2023

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (एम) के अंतर्गत जानकारी, कंपनी (लेखा), 2014 के नियम 8 के साथ पढ़े जाए

ए) ऊर्जा संरक्षण :

(i) ऊर्जा संरक्षण की दिशा में उठाए गए कदम अथवा उसपर पड़नेवाला असर :

इलेक्ट्रिकल ऊर्जा के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए मेसर्स ग्रीनसर्व इनर्जी द्वारा ऊर्जा परीक्षण किया गया तथा जून 2020 की अवधि में परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किया गया। परीक्षक ने ऊर्जा संरक्षण हेतु निम्नलिखित उपायों की संस्तुति दी :

- व्यवसाय सुविधा केन्द्र में जवाहर भवन के द्वितीय एवं तृतीय तल, दोनों में आंतरिक फॉल्स सीलिंग के अंदर ऐयर कंडीशनर डक्ट लीकेजों को रोकना
- प्रकाश व्यवस्था के प्रचालनात्मक प्रभावात्मकता में सुधार करने के लिए शौचालयों एवं बोर्ड कक्षों में आवासी संवेदी तथा अध्यक्ष कॉरिडोर एवं अन्य वॉक्वे के मार्गों में गति संवेदी लगाए जाएं।
- सिग्नल स्टेशन में सौर पवर संयंत्र के पास अतिरिक्त 40KW के संस्थापन तथा वर्तमान भण्डारण व्यवस्था का नवीकरण
- सिग्नल स्टेशन के पास नया सबस्टेशन संस्थापित करना जिससे कि वितरण हानि कम होगी।

तदनुसार,

ए) व्यवसाय सुविधा केन्द्र में जवाहर भवन के द्वितीय एवं तृतीय तल, दोनों में आंतरिक फॉल्स सीलिंग के अंदर ऐयर कंडीशनर डक्ट लीकेजों को रोक दिया गया।

बी) सिग्नल स्टेशन के पास नया 11KW/433V सबस्टेशन संस्थापित करने के लिए रु.3.83 करोड़ लागत की आकलित राशि के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया गया है और यह काम मेसर्स केविन इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड चेन्नै को सौंपा गया और कार्य प्रगति पर है।

सी) तथा निविदा जारी करने रेस्को मॉडल पर केपीएल की दिन के समय बिजली की खपत को पूरा करने के लिए जनवरी 2023 के दौरान 300 किलोवाट ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित और चालू किया गया था।

प्रकाश व्यवस्था के प्रचालनात्मक प्रभावात्मकता में सुधार करने के लिए शौचालयों एवं बोर्ड कक्षों में आवासी संवेदी तथा अध्यक्ष कॉरिडोर एवं अन्य वॉक्वे के मार्गों में गति संवेदी लगाने से उसके कार्यान्वयन लागत की तुलना में ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा का संरक्षण नहीं हो पाएगा।

प्रभाव

- कार्बन फुटप्रिंट कम करना

➤ उपयोगिता बिलों में काफी कम करना

➤ वातावरण की सुरक्षा

➤ ऊर्जा सक्षमता

➤ जीवाष्म ईंधनों के अस्तित्व को बढ़ाना

➤ वितरण हानि कम करना

(ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग हेतु कंपनी द्वारा उठाए गए कदम :

डीजल जनरेटर द्वारा लगभग 18000 KWh (यूनिट) पवर पैदा किया गया है तथा सौर ऊर्जा के माध्यम से पवर के लगभग 1,08,408 Kwh (यूनिट) पैदा किया गया है तथा उसे वर्ष 2022-2023 के दौरान उसका उपयोग किया गया।

अक्तूबर 2022 की अवधि में वर्तमान में सिग्नल स्टेशन के पास प्रचालित 20KW सौर संयंत्र की भण्डारण व्यवस्था की मरम्मत रु. 5,90,360/- लागत पर की गई।

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजीगत निवेश :

कोई नहीं

बी) प्रौद्योगिकी आगेलन :

प्रौद्योगिकी आगेलन की दिशा में किए गए प्रयास :

(i) एसएपी ईआरपी व्यवस्था

नवंबर 2017 की अवधि में बजट, लेखा एवं वित्त, मानव संसाधन एवं वेतनरोल, सामग्री प्रबंधन, परियोजना व्यवस्थाएं आदि जैसे विभिन्न प्रकार्यात्मक क्षेत्रों को कवर करते हुए एसएपी एस/4 एचएनए 1610 ईआरपी व्यवस्था को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में एसएपी से एसएपी एस/4 एचएनए 2020 का उन्नयन किया जिससे कि संपूर्ण आईटी उपयोग में वृद्धि हुई परिणामस्वरूप समग्र उत्पादकता, में बढ़ोतरी के साथ ग्राहक सेवाओं, सर्विस स्तर प्रतिबद्धता, संसाधनों के वांछित उपयोग आदि के साथ केपीएल आगे बढ़ा।

(ii) प्राप्त लाभ

मानव संसाधन/ वेतनरोल की व्यावसायिक प्रक्रियाएं एवं प्रकार्य, वित्त एवं लेखा, क्रय एवं ठेके तथा परियोजना व्यवस्थाएं (डबल्यूबीएस) कर्मचारी अनुरोध/ दावे तथा ऋण प्रक्रियाओं को कर्मचारी स्वयं सेवा (ईएसएस) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बनाया गया है जिससे कि लागत कम करते हुए लेन-देन क्षमता एवं उत्पादकता में बढ़ोतरी होते हुए देखी जाती है।

(iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित) के मामले में वित्तीय वर्ष की शुरुआत से गणना की गई

- ए) आयातित प्रौद्योगिकी के विवरण : लागू नहीं
- बी) आयात का वर्ष : लागू नहीं
- सी) क्या प्रौद्योगिकी को पूर्ण रूपसे अवशोषित किया गया है: लागू नहीं
- डी) यदि पूर्ण रूप से अवशोषित नहीं किया गया है,

तो उन क्षेत्रों का उल्लेख करें जहां अवशोषण नहीं हुआ है तथा उसके कारण : लागू नहीं

(iv) अनुसंधान एवं विकास के कार्यों का व्यय : ₹.17,86,670 /—

सी) विदेशी विनिमय से अर्जन एवं निर्गम :

विदेशी विनिमय अर्जन के अंतर्गत कोई नहीं है तथा विदेशी विनिमय निर्गम के अंतर्गत कोई नहीं है।

निदेशक बोर्ड के लिए तथा उनकी तरफ से
कामराजर पोर्ट लिमिटेड

ह/—

सुनील पालीवाल, आई.ए.एस

अध्यक्ष

(फ़ोन : 01310101)

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 22.9.2023

कॉर्पोरेट प्रशासन पर प्रतिवेदन

अनुबंध-V

1. प्रशासन के कोड पर कंपनी के विचार पर संक्षिप्त विवरण

कॉर्पोरेट प्रशासन: नियमों, व्यवहार एवं प्रक्रियाओं की एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से संगठन को एक को वांछित दिशा में ले जाने के लिए प्रभावशाली निर्णय लिए जाते हैं। एक अच्छे कॉर्पोरेट नागरिक होने के नाते आपकी कंपनी अपने पणधारियों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अच्छा कॉर्पोरेट प्रशासन एक अनिवार्य शर्त बन जाता है। इस दिशा में आपकी कंपनी, स्पष्ट उत्तरदायित्व, निष्ठा एवं प्रशासन के उच्च मानकों के साथ मज़बूत नीति, व्यवहार, प्रभावशाली प्रक्रियाएं एवं व्यवस्थाओं के माध्यम से पारदर्शिता बनाए रखता है। अतः स्वतः ही कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट प्रदान की जा रही है।

2.0 निदेशक बोर्ड

2.1 दिनांक 31.03.2023 तक की अवधि के लिए निदेशक बोर्ड के सदस्यों का गठन एवं पद

क्र.सं.	नाम	स्थान
1	श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (प्रभारी)
2	श्री एस. बालाजी अरुणकुमार, आई.आर.टी.एस.	नामित निदेशक
3	श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव, एफसीए, डीआईएसए (आईसीएआई)	स्वतंत्र निदेशक
4	कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	स्वतंत्र निदेशक
5	श्रीमती सरला बालगोपाल, आई.आर.टी.एस (सेवानिवृत्त)	स्वतंत्र निदेशक

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान तथा इस रिपोर्ट की तारीख तक निदेशक बोर्ड का गठन एवं वर्ग:

क्र.सं.	नाम	वर्ग	नियुक्ति की तारीख	समाप्ति की तारीख
1.	श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.	अध्यक्ष (गैर-कार्यकारी)	10.11.2021	जारी
		प्रबंध निदेशक (प्रभारी)	10.11.2021	21.08.2023
2.	श्रीमती जे.पी.आईरीन सिन्धिया, आई.ए.एस.*	प्रबंध निदेशक	21.08.2023	जारी
3.	श्री एस. बालाजी अरुणकुमार, आई.आर.टी.एस.	नामिति निदेशक	04.09.2020	27.04.2023
4.	श्री एस. विश्वनाथन, आई.ए.एस.*	नामिति निदेशक	27.04.2023	जारी
5.	श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव एफसीए, डीआईएसए (आईसीएआई)	स्वतंत्र निदेशक	06.11.2022 (द्वितीय कार्यावधि)	जारी
6.	कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	10.11.2020	जारी
7.	श्रीमती सरला बालगोपाल, आई.आर.टी.एस (रिटायर्ड.)	स्वतंत्र निदेशक	10.11.2020	जारी

*श्रीमती आईरीन सिन्धिया, आई.ए.एस. श्री एस. विश्वनाथन, आई.ए.एस. की पत्नी हैं।

2.2 आयोजित की गई बोर्ड बैठकों के आयोजन की तारीख और संख्या :

वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में 25.05.2022, 08.07.2022, 11.08.2022, 28.09.2022, 18.10.2022, 11.11.2022, 13.12.2022, 13.01.2023, 13.02.2023 एवं 20.03.2023 तारीखों पर 10 (दस) बोर्ड की बैठकें आयोजित की गईं।



20.3.2023 को कुमारकोम में आयोजित बैठक में निदेशक मंडल

2.3 वर्ष के दौरान बैठकें एवं उपस्थिति

कंपनी को प्रदत्त डेटा/विवरणों के अनुसरण में सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों (केपीएल के साथ) की लेखापरीक्षा समिति (एसी) एवं हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) की अध्यक्षता / सदस्यता के साथ हर सदस्य की उपस्थिति निम्नानुसार है :

निदेशक का नाम	निदेशक का पदनाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में संबंधित निदेशक के कार्यकाल में आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या	बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति	अंतिम एजीएम बैठक में उपस्थिति	31 मार्च 2023 तक किए गए अन्य निदेशक कार्य	सभी कंपनियों में समितियों की संख्या	
						31 मार्च 2023 तक सदस्यता के रूप में	31 मार्च 2023 को अध्यक्ष के रूप में
श्री सुनील पालीवाल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	10	10	हां	4	एसी - केपीएल एसआरसी - केपीएल एसी-एससीएल	कोई नहीं
श्री एस. बालाजी अरुण कुमार*	नामिती निदेशक	10	10	हां	3	कोई नहीं	कोई नहीं
श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव**	स्वतंत्र निदेशक	10	10	हां	1	कोई नहीं	एसी - केपीएल
कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	10	10	हां	कोई नहीं	एसी - केपीएल	कोई नहीं
श्रीमती सरला बालगोपाल	स्वतंत्र निदेशक	10	9	हां	कोई नहीं	एसी - केपीएल	एसआरसी-केपीएल

नोट : केपीएल - कामराजर पोर्ट लिमिटेड, एससीएल - सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

* दिनांक 27.04.2023 से नामिती निदेशक के रूप में नहीं रहे।

**कंपनी में दिनांक 06.11.2022 से प्रभावी 18 अक्टूबर 2022 को आयोजित विशिष्ट सामान्य बैठक में दो वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किए गए।

3.0 लेखा-परीक्षण समिति

लेखा परीक्षण समिति कि भूमिका, संदर्भ बिन्दु एवं गठन कंपनी अधिनियम, 2013 तथा अन्य लागू प्रावधानों के अनुरूप हैं। लेखा परीक्षण समिति के सदस्यों से मिलने के लिए कंपनी के वित्त विभाग के प्रमुख, आंतरिक लेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षक तथा विभिन्न प्रकारों के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों को बैठक में आमंत्रित किया गया था। लेखा परीक्षण समिति के सदस्य, वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया, लेखा परीक्षण प्रक्रिया, कंपनी के आंतरिक नियंत्रण एवं कानून एवं विनियमन के अनुपालन की देखरेख बनाए रखते हैं।

ए. लेखा परीक्षण समिति का गठन

दिनांक 31.03.2023 तक कंपनी की लेखा परीक्षण समिति में निम्नांकित सदस्य शामिल थे:

श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव	— अध्यक्ष
श्री सुनील पालीवाल	— सदस्य
कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	— सदस्य
श्रीमती सरला बालगोपाल	— सदस्य

दिनांक 22.09.2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक में श्रीमती जे.पी. आईरीन सिनिथया, आई.ए.एस., प्रबंध निदेशक को लेखा परीक्षण समिति के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है।

बी. वर्ष के दौरान बैठकें एवं उपस्थिति :

वर्ष 2022-23 के दौरान 5 (पांच) लेखा परीक्षण समिति की बैठकें 25.05.2022, 08.07.2022, 11.08.2022, 11.11.2022

तथा 13.02.2023 तारीखों को आयोजित की गई तथा सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :

सदस्य	कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	सदस्यों की उपस्थिति	
		बैठकों की संख्या	%
श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव	5	5	100
श्री सुनील पालीवाल	5	5	100
कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	5	5	100
श्रीमती सरला बालगोपाल	5	5	100

4.0 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में भूमिका, संदर्भ बिन्दु एवं गठन कंपनी अधिनियम, 2013 तथा अन्य लागू प्रावधानों के अनुरूप हैं तथा कंपनी बोर्ड को यह संस्तुति देती है कि निदेशकों, प्रबंधन कार्मिक एवं वरिष्ठ प्रबंधन सदस्यों की नियुक्ति / पुनः नियुक्ति के संदर्भ में अपनी संस्तुति प्रदान करती है।

ए. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन

दिनांक 31.03.2023 तक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के सदस्यों के विवरण निम्नानुसार है :

कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	— अध्यक्ष
श्री सुनील पालीवाल	— सदस्य
श्री एस. बालाजी अरुणकुमार	— सदस्य
श्रीमती सरला बालगोपाल	— सदस्य

दिनांक 27.04.2023 से प्रभावी समिति के सदस्य के रूप में श्री एस. बालाजी अरुणकुमार की कार्यवधि समाप्त होती है तथा उनके स्थान पर श्री एस.विश्वनाथन, आई.ए.एस को दिनांक 27.04.2023 से समिति के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया।

बी. वर्ष के दौरान बैठकें एवं उपस्थिति

वर्ष 2022-23 के दौरान 3 (तीन) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकें 11.08.2022, 18.10.2022 एवं 13.02.2023 तारीखों को आयोजित की गईं तथा उनमें सदस्यों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं :

सी. प्रकार्यात्मक निदेशकों द्वारा प्राप्त किए गए पारिश्रमिक

सदस्य	कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	सदस्यों की उपस्थिति	
		बैठकों की संख्या	%
कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	3	3	100
श्री सुनील पालीवाल	3	3	100
श्री एस. बालाजी अरुणकुमार	3	3	100
श्रीमती सरला बालगोपाल	3	3	100

वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु कंपनी द्वारा प्रकार्यात्मक निदेशकों को भुगतानित पारिश्रमिक के विवरण :

निदेशकों का नाम	वेतन एवं अन्य भत्ता (रुपयों में)	बोनस & कमिशन/ पीआरपी (रुपयों में)	कुल (रुपयों में)
श्री सुनील पालीवाल	-	16,39,238/-*	16,39,238/-*

* वर्ष के दौरान वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 (09.11.2021) के लिए भुगतानित पीआरपी

5.0 हितधारक संबंध समिति

हितधारक संबंध समिति, शिकायतों का समाधान / ब्याज प्राप्त न होने की स्थिति से संबंधित बॉण्डधारकों की शिकायतों / हस्तांतरण / बॉण्ड ट्रांसमिशन एवं अन्य संबंधित शिकायतों को देखती हैं। श्री एम. गुणशेखरन दिनांक से 01.03.2023 से प्रभावी अनुपालन अधिकारी नहीं रहे तथा दिनांक 01.03.2023 से प्रभावी श्रीमती जयलक्ष्मी श्रीनिवासन, कंपनी सचिव, ही अनुपालन अधिकारी हैं। लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई; कंपनी का रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट हैं तथा वे सभी निवेशक सर्विस अनुरोध पर ध्यान देते हैं। बॉण्डहोल्डरों से प्राप्त शिकायतों का नियमित रूप से अनुवीक्षण किया जाता है तथा तुरंत उनका समाधान किया जाता है।

ए. हितधारक संबंध समिति का गठन

दिनांक 31.03.2023 तक हितधारक संबंध समिति के सदस्यों के विवरण निम्नानुसार हैं :

श्रीमती सरला बालगोपाल — अध्यक्ष

श्री सुनील पालीवाल — सदस्य

दिनांक 22.09.2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक में श्रीमती जे.पी.

आईरीन सिन्थिया, आई.ए.एस, प्रबंध निदेशक को पणधारी संबंध समिति के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया।

बी. वर्ष के दौरान बैठकें एवं उपस्थिति

वर्ष 2022-23 की अवधि में 4 पणधारी संबंध समिति की बैठकें 25.05.2022, 11.08.2022, 11.11.2022 एवं 13.02.2023 तारीखों को आयोजित की गईं तथा उनमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :

सदस्य	उपस्थित होने की अहंता	सदस्यों की उपस्थिति	
		बैठकों की संख्या	%
श्रीमती सरला बालगोपाल	4	4	100
श्री सुनील पालीवाल	4	4	100

6.0 सीएसआर एवं दीर्घकालिकता विकास पर बोर्ड स्तर की समिति

कंपनी के उप महाप्रबंधक (सिविल), श्री पी. राधाकृष्णन ने दिनांक 31.08.2023 तक उनकी सेवानिवृत्ति तक समिति में नोडल अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला तथा इस दिनांक के पश्चात् दिनांक 22.09.2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक में श्री नोडल अधिकारी के रूप में श्री एकरूपैया उपमहाप्रबंधक (सिविल) की नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान किया है।

ए. सीएसआर एवं दीर्घकालिकता विकास पर बोर्ड स्तर की समिति का गठन

दिनांक 31.03.2023 तक सीएसआर एवं दीर्घकालिकता विकास पर बोर्ड स्तर की समिति के सदस्यों का विवरण :

श्री सुनील पालीवाल — अध्यक्ष

श्री एस. बालाजी अरुणकुमार — सदस्य

श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव — सदस्य

समिति में दिनांक 27.04.2023 से श्री एस.बालाजी अरुणकुमार का कार्यकाल समाप्त होता है तथा श्री एस.विश्वनाथन, आई.ए.एस को दिनांक 27.04.2023 से प्रभावी सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाता है।

बोर्ड की दिनांक 22.09.2023 की बैठक में श्रीमती जे.पी.आईरीन सिन्थिया, आई.ए.एस, प्रबंध निदेशक एवं कैप्टन अनूप कुमार शर्मा, स्वतंत्र निदेशक सीएसआर एवं दीर्घकालिक विकास की बोर्ड स्तर की समिति में सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया गया है।

बी. वर्ष के दौरान बैठकें एवं उपस्थिति

प्रस्तुत पुनरीक्षण वर्ष के दौरान 4 (चार) सीएसआर एवं दीर्घकालिकता विकास की समिति की बैठकें 25.05.2022, 08.07.2022, 13.02.2023 एवं 20.03.2023 तारीखों को आयोजित की गईं तथा सदस्यों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं :

सदस्य	उपस्थित होने की अहंकरता	सदस्यों की उपस्थिति	
		बैठकों की संख्या	%
श्री सुनील पालीवाल	4	4	100
श्री पी.एम.वी. सुब्बा राव	4	4	100
श्री एस. बालाजी अरुणकुमार	4	4	100

7.0 स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक

कंपनी अधिनियम, 2013 की अधिसूची IV के संदर्भ में 28 सितंबर 2022 को कंपनी के कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों की बैठक आयोजित की गई जिसमें सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया। उक्त बैठक में उपस्थिति के विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत किए गए हैं :

सदस्य	उपस्थित होने की अहंकरता	सदस्यों की उपस्थिति	
		बैठकों की संख्या	%
श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव	1	1	100
कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	1	1	100
श्रीमती सरला बालगोपाल	1	1	100

8.0 साधारण सभा की बैठक

पिछले तीन वर्षों में आयोजित एजीएम की तारीख, समय एवं स्थान के विवरण एवं पारित विशिष्ट संकल्प निम्नानुसार हैं :

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	पारित विशिष्ट संकल्प
2021-22	28.09.2022	अपराह्न 3.00 बजे	टू-वे वीडियो कॉन्फरेंस / अन्य ऑडियो विड्युअल माध्यम द्वारा (ओएवीएम)	कोई नहीं
2020-21	24.09.2021	अपराह्न 12.30 बजे	टू-वे वीडियो कॉन्फरेंस / अन्य ऑडियो विड्युअल माध्यम द्वारा (ओएवीएम)	कोई नहीं
2019-20	16.12.2020	प्रातः 11.00 बजे	टू-वे वीडियो कॉन्फरेंस (वीसी) अथवा अन्य ऑडियो विड्युअल माध्यम द्वारा (ओएवीएम)	कोई नहीं

वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में कंपनी के विशिष्ट साधारण सभा (इजीएम) की 1 (एक) बैठक आयोजित की गई जिसके विवरण निम्नानुसार हैं :

विशिष्ट साधारण सभा की बैठक की तारीख	समय	स्थान	पारित विशिष्ट संकल्प
18.10.2022	अपराह्न 3.00 बजे	टू-वे वीडियो कॉन्फरेंस / अन्य ऑडियो विड्युअल माध्यम द्वारा (ओएवीएम)	एक

9. प्रकटन

- संबंधित पार्टि लेन-देनों को वार्षिक प्रतिवेदन में 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणिका के एक भाग के रूप में सम्मिलित टिप्पण के टिप्पण सं. 30(12) में प्रस्तुत किए गए।

- सांविधिक अधिकारियों ने भी पिछले तीन वित्तीय वर्षों में किसी भी अधिनियम/ नियम के अंतर्गत कंपनी पर कोई बाध्यता नहीं लागू की न ही कोई अर्थदंड लगाया।
- आपकी कंपनी में सचेतक नीति है तथा कंपनी के कार्मिक को लेखा परीक्षण समिति तक पहुंचने से रोका नहीं गया।
- व्यय के किसी भी मद को लेखा पुस्तकों के नामे डेबिट नहीं किया गया जो संबंधित कार्य के उद्देश्य के लिए नहीं था। इसके अतिरिक्त, निदेशक बोर्ड एवं शीर्ष प्रबंधन के लिए कोई खर्च नहीं किया गया जो व्यक्तिगत प्रकृति का था।
- कंपनी के किसी भी अंशकालिक निदेशक का कंपनी के साथ आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं है।
- पुनरीक्षण वर्ष एवं पिछले वर्ष के लिए प्रशासनिक तथा कार्यालय एवं वित्तीय व्यय के विवरणों को वार्षिक खातों में उपलब्ध किया गया है।

10.0 आचार संहिता

अपने कर्मचारियों के आचरण हेतु उच्च मानक स्थापित करने एवं कामराजर पोर्ट के निरंतर प्रयास के हिस्से के रूप में सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए एक "व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता" निर्धारित की गई है। सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कामराजर पोर्ट के "व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता" के अनुपालन की पुष्टि की है।

घोषणा

कंपनी के सभी बोर्ड सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए 'व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता' के अनुपालन की पुष्टि की है।

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के लिए

ह/-

(सुनील पालीवाल, आई.ए.एस)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(डिन : 01310101)

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 26.6.2023

11.0 बोर्ड सदस्यों के लिए प्रशिक्षण

आपकी कंपनी में पेशेवर आवश्यकताओं की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के साथ-साथ पेशेवर, कार्य के दौरान सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक वातावरण के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए निदेशकों के प्रशिक्षण की एक नीति बनाई गई है।

कैप्टन अनूप कुमार शर्मा, स्वतंत्र निदेशक दिसंबर 2022 से 6 महीने की अवधि के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट

अफेयर्स (आईआईसीए) द्वारा प्रमाणित ईएसजी प्रोफेशनल: इम्पैक्ट लीडर के विषय पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम कर रहे हैं।

12.0 लागू नियमों के अनुपालन का पुनरीक्षण

सभी लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड समय-समय पर कंपनी पर लागू सभी कानूनों की अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करता है।

13.0 संचार के माध्यम

त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक, वार्षिक वित्तीय परिणाम तुरंत बॉम्बे स्ऑक एक्सचेंज को प्रस्तुत किए जाते हैं जहां कंपनी के कर मुक्त बांड सूचीबद्ध होते हैं और बिजनेस स्टैंडर्ड के सभी संस्करणों में प्रकाशित होते हैं। परिणामों को कंपनी की वेबसाइट www.kamarajarport.in पर प्रदर्शित किया जाता है तथा डिबेंचर ट्रस्टियों को भी भेजे जाते हैं।

वार्षिक रिपोर्ट जिसमें अन्य बातों के अलावा, लेखापरीक्षित खाते, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, नकदी प्रवाह विवरण और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है, सदस्यों और इसके हकदार अन्य लोगों को प्रसारित की जाती है तथा कंपनी की वेबसाइट www.kamarajarport.in पर भी उपलब्ध किया जाता है। सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के

अनुसार सभी घटनाएं/जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती हैं।

वेबसाइट

कंपनी की वेबसाइट www.kamarajarport.in में अलग समर्पित 'निवेशक' अनुभाग शामिल है जिसमें बॉण्डधारकों के लिए जानकारी उपलब्ध की जाती है।

पत्राचार के लिए पता

बॉण्डधारक अपना पत्राचार, कंपनी सचिव को पंजीकृत कार्यालय, दूसरी मंजिल (उत्तरी विंग) और तीसरी मंजिल, जवाहर बिल्डिंग, 17, राजाजी सलाई, चेन्नै - 600 001 तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप से jayasrin@kplmail.in पर भेज सकते हैं ताकि बॉण्डधारक के प्रश्नों का समाधान किया जा सके। निवेशकों को यदि कोई शिकायत हो वे उसके निवारण के लिए लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट से भी संपर्क कर सकते हैं। उनके पते, संपर्क नंबर का विवरण निम्नानुसार है:

पता : सी-101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग
विक्रोली (पश्चिम), मुम्बई - 400 083
दूरभाष : 91-22-4918 6000 / 08108116767,
फैक्स : 91-22-4918 6060
ईमेल : bonds.helpdesk@linkintime.co.in

बोर्ड के निदेशकों की तरफ से तथा उनके लिए
कामराजर पोर्ट लिमिटेड

ह/-

सुनील पालीवाल, आई.ए.एस

अध्यक्ष

(डिन : 01310101)

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 22.9.2023



भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा का कार्यालय,
चेन्नै

Indian Audit and Accounts Department

Office of the Principal Director of Commercial Audit
Chennai

सं.पीडीसीए/सीए-II/4-40/2023-24/182

दिनांक 24.07.2023

सेवा में,

अध्यक्ष—सह प्रबंध निदेशक
कामराजर पोर्ट लिमिटेड
17, जवाहर भवन, राजाजी सालै
चेन्नै - 600001

महोदय,

विषय : कामराजर पोर्ट लिमिटेड के 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय विवरणिकाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत भारतीय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी।

मैं, कामराजर पोर्ट लिमिटेड के 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय विवरणिकाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत भारतीय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी अ्रेषित कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त इस कार्यालय को वार्षिक प्रतिवेदन (2022-23) की पांच मुद्रित प्रतियां अग्रेषित की जाएं। साथ ही, वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख की सूचना भी दी जाए।

उक्त पत्र की पावती भेजें।

भवदीय

ह/-

(एस. वेल्लियंगिरि)

वाणिज्यिक लेखापरीक्षण का प्रधान निदेशक

संलग्नक : उपरोक्त

इंडियन आइल भवन, स्तर - 2, 139, महात्मा गाँधी मार्ग, चेन्नै 600034

Indian Oil Bhavan, Level - 2, 139, Mahatma Gandhi Road, Chennai - 600 034

Tel : 044-28330147 Fax : 044-28330142/145 E-mail : pdcachennai@cag.gov.in

**कामराजर पोर्ट लिमिटेड के 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय विवरणिकाओं पर
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत भारतीय नियंत्रक
एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी**

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की निर्धारित रूपरेखा के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग के अनुसरण में 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड के वित्तीय विवरणिकाओं को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारतीय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणिकाओं पर अधिनियम की धारा 143(10) की तहत निर्धारित लेखा परीक्षक मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षक के आधार पर मत व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। तदनुसार, उनके द्वारा व्यक्त किए गए मत उनके दिनांक 24.05.2023 के लेखा परीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित हैं।

मैंने भारतीय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की तरफ से अधिनियम

की धारा 143(6) (ए) के अंतर्गत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड के वित्तीय विवरणिकाओं का अनुपूरक लेखापरीक्षण किया है। उक्त अनुपूरक लेखापरीक्षण, सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य कागजातों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कंपनी के कार्मिकों से की गई पूछताछ एवं लेखांकन रिकार्डों के कुछ चयनित परीक्षण तक सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखापरीक्षण के आधार पर मेरी जानकारी में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है जो अधिनियम की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पण अथवा अनुपूरक नहीं होगा।

भारतीय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की तरफ से तथा उनके लिए
ह/-

(एस. वेल्लियंगिरि)

वाणिज्यिक लेखापरीक्षण का प्रधान निदेशक

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 24.07.2023

बी त्यागराजन एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

स्वतंत्र संपरीक्षकों का प्रतिवेदन

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के सदस्यों के लिए

इंड-एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन

राय

- हमने कामराजर पोर्ट लिमिटेड (कंपनी) के भारतीय लेखा-मानकों के आधार पर लेखा विवरणिकाओं का लेखा परीक्षण किया है जिसमें 31 मार्च 2023 तक का तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरणिका (अन्य विस्तृत आय सहित), समाप्त वर्ष के लिए ईक्विटी एवं नकद प्रवाह की विवरणिका तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं अन्य विस्तृत सूचना (अब से वित्तीय विवरणिकाओं के नाम से जाना जाएगा) के संक्षेप सहित वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणी सम्मिलित है।
- हमारी राय एवं जानकारी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के अनुसरण में प्रदत्त स्पष्टीकरणों के आधार पर उपर्युक्त वित्तीय विवरणिकाएं 31 मार्च 2023 को समाप्त तारीख तक कंपनी की स्थिति एवं उद्घृत तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ, विस्तृत आमदनी, ईक्विटी में परिवर्तन तथा उसके नकद प्रवाह के संदर्भ में कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 यथासंशोधित (इंडएएस) के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक, यथासंशोधित (भारतीय लेखा-मानक) तथा भारत में सामान्यतया स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसरण में सही एवं निष्पक्ष पाए गए।

राय का आधार

- हमने वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षण, अधिनियम के अंतर्गत लेखा-परीक्षा के मानकों (एसएएस) में उल्लिखित धारा 143(10) के आधार पर किया है। हमारी जिम्मेदारियों को उन मानकों के अंतर्गत हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणिकाओं के लेखा-परीक्षा अनुभाग में प्रस्तुत किया गया है। हम, अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय विवरणिकाओं के लेखा-परीक्षा से संबंधित आचार जिम्मेदारियों के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संघ (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार कोड के अनुसरण में कंपनी से अलग हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है।

हम यह विश्वास रखते हैं कि हमने जो लेखा-परीक्षा के सबूत इकट्ठा किए हैं, वे वित्तीय विवरणिकाओं पर हमारी राय के लिए एक उचित आधार बनते हैं।

मामलों पर जोर देते हुए

- सरकार / सरकार के स्वामित्व से कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए कई अचल संपत्तियों के संबंध में लंबित हस्तांतरण विलेख / पंजीकरण विलेख से संबंधित टिप्पण 4 (a) की ओर आपका

ध्यान आकर्षित किया जाता है। आगे, विभिन्न एजेन्सियों को देय निश्चित रकम / प्रतिपूर्ति के भुगतानों को अंतिम रूप दिया जाना है तथा उक्त के विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

- अन्य परिसंपत्ति-गैर-वर्तमान में सम्मिलित परियोजना ठेकेदारों को किए गए रु.4509.49 लाख के अतिरिक्त भुगतानों के संबंध में टिप्पण 11 का संदर्भ दिया जाता है तथा मद्रास उच्च न्यायालय में लंबित विवादों के कारण उन्हें वसूल नहीं किया गया है।
- टिप्पण 30(18) के अनुसार ट्रेड प्राय, आवधिक ऋण एवं अग्रिम, जीएसटी इनपुट क्रेडिट, अग्रिम कर, वर्तमान कर एवं स्रोत पर काटे गए कर तथा 31 मार्च 2023 तक भुगतान किए जानेवाले ट्रेड भुगतानों को समायोजित / भुगतान नहीं किए जाने तक के शेष का संदर्भ दिया जाता है जो पुष्ट किए जाने तथा जिनका समाधान किए जाने के अधीन हैं।
- टिप्पण 30(15)(iii)(a) का संदर्भ दिया जाता है जिसमें वर्ष के दौरान बीओटी प्रचालकों में से एक ने रु. 162968.63 लाख तक की रकम के विभिन्न दावों का उल्लेख करते हुए कंपनी के विरुद्ध मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू की है तथा कंपनी ने प्रतिदावा किया है और दोनों पार्टियों ने मध्यस्थों को नियुक्त किया है तथा वर्ष के अंत तक मध्यस्थता की प्रक्रिया की स्थिति बताई जाएगी। तदनुसार, उक्त टिप्पण में दिए गए कारणों के अनुसार वर्ष के अंत तक बीओटी प्रचालक द्वारा किए गए दावों के किसी भी प्रावधान को आवश्यक नहीं माना जाएगा।
- वर्ष के अंत तक रु.35,550.69 लाख की रकम के एमएटी क्रेडिट अर्हकता के शेष के संबंध में टिप्पण 10 का संदर्भ दिया जाता है, जिसमें प्रबंधन के प्राक्कलनों को भावी वर्षों में ऐसे शेष बकाया के उपयोग द्वारा वसूल किया जाएगा।

उपर्युक्त अनुच्छेद 4 से 8 तक उद्धृत मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं है।

मुख्य लेखा-परीक्षण मामले

- मुख्य लेखा-परीक्षा के मामले में वे मामले सम्मिलित हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणिकाओं के हमारे महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षण के व्यावसायिक निर्णय हैं। इन मामलों को संपूर्ण रूप में वित्तीय विवरणिकाओं के हमारे लेखा-परीक्षणों के प्रसंग में इन मामलों पर विचार किया गया था तथा हमारी राय बनी और हम इन मामलों पर अलग से राय प्रस्तुत नहीं करते। हमने इन्हें मुख्य लेखा-परीक्षा मामलों के रूप में बताया है जिन्हें हमारे रिपोर्ट में संप्रक्षिप्त किया जाना है, उनके विवरण निम्नानुसार हैं।

क्र. सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	<p>भारतीय लेखा-मानक 115 "ग्राहकों के ठेके से राजस्व" (नया राजस्व लेखांकन मानक) के अपनाने से पहचान करने, मापन, प्रस्तुतीकरण एवं राजस्वों के प्रकटीकरण तथा संबंधित शेष बकाया की शुद्धता।</p> <p>नए राजस्व लेखांकन मानक में विशिष्ट निष्पादन दायित्व की पहचान करने, पहचान किए गए निष्पादन दायित्वों के लेन-देन दर के निश्चयन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हैं।</p>	<p>हमने प्रबंधकों द्वारा नए मानकों से होनेवाले प्रभाव की पहचान करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का मूल्यांकन किया है तथा चालू एवं नए ठेकों के नमूने चुनकर मुख्य नियंत्रणों का परीक्षण किया है तथा विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान एवं लेन-देन दर के निर्धारण के संबंध में आंतरिक नियंत्रण के प्रचालनात्मक प्रभाव का भी परीक्षण किया है। साथ ही, हमने इन नियंत्रणों के प्रचालन के संबंध में पूछताछ एवं देखरेख, प्रचालन के संबंध में पुनः निष्पादन एवं सबूतों के निरीक्षण से संबंधित संयुक्त प्रक्रियाएं भी लागू की।</p> <p>हमने चयनित नमूनों पर निम्नांकित प्रक्रियाओं को लागू किया है :</p> <ul style="list-style-type: none"> इन ठेकों को पढ़ा, उनका विश्लेषण करते हुए विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान की है। हमने कंपनी द्वारा पहचान किए गए दायित्वों के साथ इन निष्पादन दायित्वों की तुलना की है। राजस्व का परिकलन करने के लिए प्रयुक्त लेन-देन दर का वैधीकरण करने तथा परिवर्तनशील निर्णय के आकलन के आधार का परीक्षण करने के लिए ठेके के शर्तों पर विचार किया है।
2.	<p>31 मार्च 2023 के अनिश्चित प्रत्यक्ष / परोक्ष कर की स्थितियां तथा कर प्राप्ति की वसूली, एमएटी क्रेडिट अर्हकता, पूर्व-भुगतानित कर एवं सेनवेट वसूली सहित प्रत्यक्ष / परोक्ष कर के संबंध में परिसंपत्तियां, जो भावी सेट-ऑफ / न्यायिक निर्णय के कारण लंबित हैं।</p>	<p>हमारे आंतरिक विशेषज्ञ ने वसूल किए जानेवाले रकमों की प्रवृत्ति, दीर्घकालिकता एवं अंतिम समाधान पर वसूली की संभाव्यता का पुनरीक्षण किया है।</p>

वित्तीय विवरणिकाओं से पृथक अन्य जानकारी तथा लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

- कंपनी का निदेशक बोर्ड, अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वह जानकारी सम्मिलित है जो प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण, बोर्ड रिपोर्ट के अनुबंध, व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट, कॉर्पोरेट शासन एवं शेयरहोल्डर जानकारी सम्मिलित है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरणिकाएं, वित्तीय विवरणिकाएं एवं हमारे लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट सम्मिलित नहीं हैं।
- वित्तीय विवरणिकाओं पर हमारी राय में अन्य जानकारी कवर नहीं किया जाता तथा हम किसी भी प्रकार के कोई आश्वासन निष्कर्ष अभिव्यक्त नहीं करते हैं।
- वित्तीय विवरणिकाओं पर हमारे लेखा-परीक्षणों के संबंध में अन्य जानकारी पढ़ना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है तथा ऐसा करते हुए हमें यह सुनिश्चित करना है कि अन्य जानकारी मूल रूप से वित्तीय विवरणिकाओं अथवा लेखा-परीक्षा के दौरान प्राप्त की गई जानकारी असंगत है या नहीं अथवा मूल रूप से गलत उल्लेख है।

- हमारे इदल द्वारा किया गया कार्य यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अन्य जानकारी मूल रूप से गलत है, हमें इस तथ्य को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में हमें रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में प्रबंधन की जिम्मेदारी

- कंपनी का निदेशक बोर्ड की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे इन वित्तीय विवरणिकाओं को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के संबंध में भारतीय लेखांकन मानकों एवं भारत में स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन के साथ अन्य विस्तृत आमदनी, कंपनी के ईक्विटी एवं नकद प्रवाह में परिवर्तन के बारे में सही एक निष्पक्ष पहलू प्रस्तुत करें। इन जिम्मेदारियों में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड बनाए रखने के कार्य, धोखेबाजी एवं अन्य अनियमितताओं की पहचान करने तथा उन्हें रोकने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं लागू करना, निर्णय एवं प्राक्कलन विवेकपूर्ण एवं औचित्यपूर्ण हों, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अभिकल्पना, कार्यान्वयन एवं रखरखाव भी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में हों ताकि लेखांकन

रिकार्डों की शुद्धता एवं पूर्णता बनाए रखने के लिए प्रभावशाली रूप से प्रचालित किए जाते हैं तथा वित्तीय विवरणिकाओं को तैयार करने तथा प्रस्तुतीकरण सही एवं शुद्ध हों एवं धोखेबाजी या गलती से मूल रूप से गलत होने की स्थिति से दूर हों।

15. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन, चालू संस्था के रूप में बनाए रखने की कंपनी की क्षमता, यथा लागू प्रकटीकरण, चालू संस्था एवं चालू संस्था के लेखांकन आधार का प्रयोग को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है चाहे प्रबंधन, कंपनी को परिसमाप्त करना चाहे या प्रचालनों को बंद करना चाहे अथवा ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।
16. कंपनी के निदेशक बोर्ड, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का अनुवीक्षण करने के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणिकाओं के लेखा-परीक्षण के प्रति लेखा-परीक्षकों की जिम्मेदारी

17. वित्तीय विवरणिकाओं का पूर्ण रूप से चाहे धोखेबाजी या गलती के कारण मूलतः गलत कथन होने से मुक्त होने के लिए सुनिश्चित करते हुए हमारी राय को सम्मिलित करते हुए लेखा-परीक्षक रिपोर्ट जारी करना ही हमारा उद्देश्य है। उचित आश्वासन, उच्च स्तरीय आश्वासन होता है, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि एसएस के आधार पर किया गया लेखा-परीक्षण हर समय गलतियों के होने से मूल गलतियों को उबारता है। धोखेबाजी एवं गलती से उभरनेवाले गलत विवरण व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप में वित्तीय विवरणिकाओं के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है।
18. एसएस के अनुसरण में किए गए लेखा-परीक्षण के एक भाग के रूप में संपूर्ण लेखा-परीक्षण के दौरान हम व्यावसायिक निर्णय लेने के साथ साथ व्यावसायिक संदेह भी बनाए रखते हैं। साथ ही हम:
 - वित्तीय विवरणिकाओं के धोखेबाज या गलती के कारण होनेवाले मूल गलत कथन की पहचान करते हैं तथा उनके जोखिमों का मूल्यांकन करते हैं, उन जोखिमों के प्रति प्रतिक्रियाशील लेखा-परीक्षण प्रक्रियाओं की अभिकल्पना, कार्यान्वयन एवं अपनी के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उचित लेखा-परीक्षण सबूत प्राप्त करते हैं। धोखेबाजी से पैदा होनेवाले मूलतः गलत कथनों को न पहचानने का जोखिम, गलती से पैदा होनेवाले गलत कथनों से होनेवाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखेबाजी से मिलीमगत, जालसाजी, जानबूझकर छूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का अतिक्रमण हो सकता है।
 - परिस्थितियों में उचित होनेवाले लेखा-परीक्षण प्रक्रियाओं से संबद्ध आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की एक अच्छी समझ प्राप्त

करते हैं। अधिनियम के धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हम, इस राय को भी अभिव्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था अपनाई जाती है या नहीं तथा ऐसे नियंत्रणों को प्रभावी ढंग से प्रचालित किया जाता है या नहीं।

- कंपनी में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य को मूल्यांकित करते हैं तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन प्रावकलों का औचित्य एवं संबंधित प्रकटीकरणों को भी मूल्यांकित करते हैं।
 - लेखांकन एवं प्राप्त किए गए लेखा-परीक्षण के आधार पर चालू संस्था के उपयोग में प्रबंधन, घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूदगी जो कंपनी की चालू संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है या नहीं, के औचित्य पर निष्कर्ष प्राप्त किया जाना है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सामग्री की अनिश्चितता मौजूद है, हमें अपने लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण या उन प्रकटीकरणों के अपूर्ण होने अथवा हमारी राय में रूपांतरित किए जाने की ओर ध्यान आकर्षित करना है। हमारे निष्कर्ष, हमारे लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखा-परीक्षण सबूत पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं या परिस्थितियां कंपनी बंद करवाने या चालू संस्था के रूप में जारी रहने का कारण बन सकती हैं।
 - वित्तीय विवरणिकाओं के संपूर्ण प्रस्तुतीकरण, संरचना एवं विषयवस्तु के साथ प्रकटीकरणों को मूल्यांकित करते हुए यह पता लगाना कि वित्तीय विवरणिकाएं आधारभूत लेन-देन एवं घटनाओं इस प्रकार से प्रतिनिधित्व करती हैं कि वे एक निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण के रूप में साबित हों।
19. वित्तीय विवरणिकाओं में सामग्री गलत कथनों का आकार बनती है कि वे व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप में वित्तीय विवरणिकाओं के जानकारी उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकने की क्षमता रखती हैं। हम परिमाणात्मक सामग्री एवं गुणात्मक पहलुओं (i) अपने लेखा-परीक्षण के कार्यक्षेत्र की योजना बनाना तथा अपने कार्य के परिणामों को मूल्यांकित करना तथा (ii) वित्तीय विवरणिकाओं में पहचान किए गए गलत कथनों के प्रभाव को मूल्यांकित करने पर विचार करते हैं।
 20. हम उन्हें संप्रेषित करते हैं जो अन्य मामलों के साथ, लेखा-परीक्षण के कार्यक्षेत्र योजना एवं सटीक समय तथा महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षण की खोज के साथ आंतरिक नियंत्रण में अन्य कोई महत्वपूर्ण कमियों से संबंधित हैं।
 21. हम शासन के अंतर्गत संस्थानों को यह भी संप्रेषित करते हैं कि हमने स्वतंत्रता संबंधी नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है तथा यह भी संप्रेषित करते हैं कि सभी संबंधितों एवं

अन्य मामलों का असर हमारी स्वतंत्रता पर है और जहां भी लागू हो हमारी सुरक्षा से संबंधित है।

22. शासन के अंतर्गत संस्थानों को संप्रेषित उन मामलों में से हम उन मामलों को निश्चित करते हैं जो वर्तमान अवधि की वित्तीय विवरणियों के लेखा-परीक्षणों में अत्यंत महत्वपूर्ण थे और वे मुख्य लेखा-परीक्षण मामले बन जाते हैं। हम इन मामलों को अपने लेखा-परीक्षक रिपोर्ट में तब तक सम्मिलित नहीं करते हैं जब तक उक्त मामले के सार्वजनिक प्रकटन के बारे में कोई नियम या विनियमन न हो या किन्हीं विरल परिस्थितियों में हम यह निश्चित करते हैं कि मामले को हमारी रिपोर्ट में उनसे पैदा होनेवाली प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि सार्वजनिक हित में ऐसे संप्रेषणों का महत्व कम पड़ने की प्रत्याशा की जाती है।

अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

23. अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) में उल्लेख किए गए अनुसार अपने रिपोर्ट के अनुबंध A में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेश / उप-निदेशों का उल्लेख करते हैं।
24. केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुसरण में अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 11 के अनुसार हम अपने रिपोर्ट के अनुबंध B में आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में निर्दिष्ट मामलों पर यथा लागू अनुसार मामलों पर हमारे कथन प्रस्तुत करते हैं।
25. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसरण में हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :
- ए) हमने अपनी जानकारी एवं विश्वास के आधार पर हमारे लेखा-परीक्षण के उद्देश्य के लिए आवश्यक सभी जानकारी एवं विवरणों की मांग की है तथा उन्हें प्राप्त किया है।
- बी) हमारी राय में कंपनी में कानून की आवश्यकताओं के अनुसार लेखा की उचित पुस्तकें रखी हुई हैं और उन पुस्तकों के परीक्षण पर यह पाया गया है।
- सी) तुलन पत्र विस्तृत आमदनी सहित लाभ एवं हानि विवरणिका, ईक्विटी में परिवर्तन की विवरणिका एवं नकद प्रवाह की विवरणिका, लेखा पुस्तकों में किए गए उल्लेख के अनुसार हैं।
- डी) हमारी राय में उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणिकाओं में कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 में उद्धृत साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा-मानकों का अनुपालन किया गया है।
- ई) कंपनी के निदेशकों से निदेशक बोर्ड द्वारा स्वीकृत 31 मार्च

2023 तक प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों के आधार पर अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसरण में नियुक्त किसी भी निदेशक को 31 मार्च 2023 तक अनर्हक नहीं घोषित किया गया है।

- एफ) कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रण की प्रचालनात्मक प्रभावतात्मकता के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट के "अनुबंध C" का संदर्भ लें। हमारी रिपोर्ट में कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रण की प्रचालनात्मक प्रभावतात्मकता पर अपरिवर्तनीय विचारों की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है।
- जी) अधिनियम की धारा 197(16) यथा संशोधित, में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुसार लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए गए अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में तथा हमारी उत्कृष्ट जानकारी एवं हमें प्रदत्त स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान अपने निदेशकों की भुगतानित प्रतिपूर्ति, अधिनियम की धारा 197 के अनुसरण में है।
- एच) कंपनी (लेखा-परीक्षण एवं लेखा-परीक्षकों) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जानेवाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में तथा हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार तथा हमें प्रदत्त स्पष्टीकरणों के आधार पर:
- कंपनी ने टिप्पण संदर्भ 30(15) के अनुसार अपने वित्तीय विवरणिकाओं में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों का असर प्रकट किया है।
 - 'यथा लागू कानून या लेखांकन मानकों की आवश्यकतानुसार कंपनी ने यदि कोई हों तो व्युत्पन्न ठेकों के साथ दीर्घकालिक ठेकों में सामग्रियों की संभावित हानि के लिए प्रावधान बनाया है'।
 - कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि के लिए हस्तांतरित की जानेवाली रकम के संबंध में रकम के हस्तांतरणों में कोई विलंब नहीं है।
 - (ए) प्रबंधन ने यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि उनकी जानकारी एवं विश्वास के आधार पर कंपनी द्वारा (जो सामग्री न पृथक स्तर पर या समग्र रूप में) अग्रिम स्तर पर या ऋण रूप में या निवेश (ऋण पर प्राप्त की गई निधि से अथवा शेयर प्रीमियम या किसी भी प्रकार के अन्य स्रोत निधि से) किसी विदेशी संस्था (मध्यवर्ती संस्थाएं) सहित किसी व्यक्ति, संस्था को किसी समझौता के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा कोई भी निधि को प्रदान नहीं की गई है कि मध्यवर्ती संस्थाएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में ऋण रूप में अथवा निवेश रूप में पहचान किए गए अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थानों को किसी भी रूप में या कंपनी

की तरफ से “(अंतिम हिताधिकारियों)” या कोई गारंटी, सुरक्षा या उस प्रकार के कोई अंतिम हिताधिकारियों की तरफ प्रदान करेंगे।

(बी) प्रबंधन ने यह प्रतिवेदन दिया है कि उसकी पूर्ण जानकारी एवं पूर्ण विश्वास के आधार पर कंपनी द्वारा (जो सामग्री न पृथक् स्तर पर या समग्र रूप में) अग्रिम स्तर पर या ऋण रूप में या निवेश (ऋण पर प्राप्त की गई निधि से अथवा शेयर प्रीमियम या किसी भी प्रकार के अन्य स्रोत निधि से) किसी विदेशी संस्था (“निधि प्रदान करनेवाली संस्थाओं”) से किसी समझौता के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा कोई भी निधि प्राप्त नहीं की गई है कि मध्यवर्ती संस्थाएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में ऋण रूप में अथवा निवेश रूप में पहचान किए गए अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थानों से किसी भी रूप में या कंपनी की तरफ से “(अंतिम हिताधिकारियों)” या कोई गारंटी, सुरक्षा या उस प्रकार के कोई अंतिम हिताधिकारियों प्राप्त किया गया है।

(सी) परिस्थितियों में तर्कसंगत एवं उचित पाए गए लेखा-परीक्षण प्रक्रियाओं के आधार पर हमारी दृष्टि में कोई ऐसी

बात नहीं आई है जिसके कारण हमें यह मानना पड़े कि उपर्युक्त (ए) और (बी) में दिए गए उप-खंड (i) और (ii) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रतिवेदनों को उचित एवं तर्कसंगत बताया गए।

v. वित्तीय विवरणिकाओं के टिप्पण 30(20) में दिए गए अनुसार

(ए) पूर्व वर्ष में घोषित प्रस्तावित एवं कंपनी द्वारा इस वर्ष भुगतानित अंतिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसरण में जैसा लागू हो सही है।

(बी) कंपनी द्वारा वर्तमान वर्ष में तथा इस रिपोर्ट को जारी करने की तारीख तक घोषित एवं भुगतानित अंतरिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसरण में है।

vi. लेखा पुस्तकों के रखरखाव के लिए लेखा-परीक्षण शृंखला (ऐडिट लॉग) के फीचर युक्त लेखांकन सॉफ्टवेयर का प्रयोग कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) के परंतुक में 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी कंपनी पर लागू होती है। तदनुसार, कंपनी (लेखा-परीक्षण एवं लेखा-परीक्षकों) नियम, 2014 के नियम 11 (जी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लागू नहीं है।

**बी त्यागराजन एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन 004371S**

**ह/-
राम श्रीनीवासन
साझेदार**

एम.नं. 220112

यूडिआईएन: 23220112बीजीओयक्यूएक्सजे2248

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 24-05-2023

बी त्यागराजन एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

अनुबंध 'ए' के लिए लेखा-परीक्षकों की प्रतिवेदन

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिका पर समतिथि को हमारे स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की प्रतिवेदन में "अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन" शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 23 में

1.	क्या कंपनी में ऐसी कोई व्यवस्था है कि वह अपने सभी लेखांकन प्रक्रियाओं को आईटी व्यवस्था द्वारा रखा जा सके? यदि नहीं, तो आईटी व्यवस्था से बाहर लेखांकन लेन-देनों के प्रकरण का असर लेखा की अखंडता पर यदि पड़ता है, तो वित्तीय असर के साथ उसका उल्लेख करें। कंपनी में आईटी व्यवस्था द्वारा ही लेखांकन लेन-देनों का प्रकरण होता है।	कंपनी में आईटी व्यवस्था द्वारा ही लेखांकन लेन-देनों का प्रकरण होता है।
2.	क्या ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए कोई वर्तमान ऋण की पुनःसंरचना या ऋण/कर्ज/ ब्याज को छूट दिए जाने / बड़े खाते में डालने के मामले हैं जिसे कंपनी वापस नहीं कर पाया है? यदि हां, तो उसके वित्तीय असर बताएं।	ऐसे कोई मामले जहां ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए कोई वर्तमान ऋण की पुनःसंरचना या ऋण/कर्ज/ ब्याज को छूट दिए जाने / बड़े खाते में डाले जाने की स्थिति नहीं है कंपनी की ओर से श्रुण चुकाने में असमर्थता के कारण।
3.	क्या केन्द्र / राज्य सरकारी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त / प्राप्य निधियों का सही लेखांकन हुआ है / उनका सही उपयोग उनके शर्त एवं प्रतिबंधों के अनुसरण में हुआ है? विचलनों के मामलों को अधिसूचित करें।	पुनरीक्षण के अंतर्गत वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी विशिष्ट योजना के लिए केन्द्र / राज्य सरकार से निधि प्राप्त नहीं किया है।

बी त्यागराजन एंड कंपनी के लिए

सनदी लेखाकार

एफआरएन 0043715

ह/-

राम श्रीनीवासन

साझेदार

एम.नं. 220112

यूडिआईएन: 23220112बीजीओयक्यूएक्सजे2248

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 24-05-2023

लेखा-परीक्षक की प्रतिवेदन के लिए अनुबंध 'बी'

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के सदस्यों को सम तिथि की हमारी प्रतिवेदन के "अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन" शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 24 में संदर्भित

1. (ए) (i) कंपनी अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों के गुणात्मक विवरणों के साथ सही रिकार्डों का रखरखाव कर रही है।
- (ii) कंपनी अपने सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के पूर्ण विवरणों के सही रिकार्ड दर्शाते हुए सही रिकार्ड का रखरखाव कर रही है।
- (बी) कंपनी में उसकी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों को कवर करते हुए जांच करने हेतु एक प्रोग्राम है जो एक चरणबद्ध तरीके से जांच करती है जो हमारी राय में कंपनी के आकार

एवं उसकी परिसंपत्तियों की प्रवृत्ति देखते हुए उचित प्रतीत होता है। कंपनी ने प्रोग्राम के अनुसरण में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की भौतिक जांच की है। हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरणों के अनुसार जांच प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार की भौतिक विसंगतियां नहीं हैं।

(सी) कंपनी, टिडको (950.00 एकड़) से प्राप्त किए गए 2,787.27 एकड़ भूमि क्षेत्र, टीएनईबी (1092.20 एकड़), नमक विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार

(712.42 एकड़) तथा तमिलनाडु सरकार के (712.42 एकड़) तथा तमिलनाडु सरकार के (47.87 एकड़) भूमि क्षेत्र का स्वामी है, जो कंपनी के स्वामित्व के अधीन है। आगे यह भी कि टिडको से प्राप्त किए गए 297.98 एकड़, टैन्जेडको से 995.05 एकड़, नमक विभाग से प्राप्त 712.42 एकड़ तथा तमिलनाडु सरकार से प्राप्त 0.69 एकड़ भूमिक्षेत्र सहित स्वामित्व के 2,038.10 एकड़ के कुल भूमि क्षेत्र कंपनी के नाम से पंजीकृत है तथा तमिलनाडु सरकार से प्राप्त 31.96 एकड़ भूमि को पट्टा प्रदान किया गया है तथा शेरू भूमिक्षेत्र की पंजीकरण प्रक्रिया जारी है।

(डी) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा रिकार्डों पर की गई हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण या अमूर्त परिसंपत्तियां (परिसंपत्तियों का प्रयोग करने का अधिकार सहित) या दोनों का पुनःमूल्यन नहीं करवाया है।

(ई) बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसरण में कंपनी द्वारा बेनामी संपत्ति रखने के लिए किसी भी प्रकार के कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है न ही लंबित हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3(i)(e) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

2. (ए) कंपनी, पोर्ट के विकास एवं प्रचालन के कार्यों में लगी हुई है तथा मूल रूप से पोर्ट सेवाएं प्रदान कर रही है। कंपनी के पास कोई भौतिक वस्तुसूची नहीं है। अतः आदेश का खंड 3(ii)(a) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(बी) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा रिकार्डों पर की गई हमारी जांच के आधार पर कंपनी को वर्ष के दौरान किसी भी समय वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से संकलित रूप में पांच करोड़ रुपये से अधिक कार्यशील पूंजी सीमाओं की स्वीकृति नहीं दी गई है। अतः कंपनी पर आदेश का खंड 3(ii)(b) लागू नहीं है।

3. (ए) वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी भी अन्य संस्था को कोई ऋण या ऋण के रूप में किसी भी प्रकार के अग्रिम या कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की है। तदनुसार कंपनी पर आदेशक के 3(iii)(a) और 3(iii)(e) खंड लागू नहीं होते।

(बी) प्रदत्त ऋण एवं गारंटी के रूप में सभी ऋण एवं अग्रिम द्वारा किए गए निवेश, प्रदत्त गारंटी, सुरक्षा तथा ऋण या ऋण के रूप में किसी भी प्रकार के अग्रिम या सुरक्षा प्रथम दृष्टया, कंपनी के हित के लिए हानिकारक नहीं हैं।

(सी) कंपनी के पास वर्ष के प्रारंभ में कोई ऋण के रूप में बकाया ऋण एवं अग्रिम नहीं है, न ही वर्ष के दौरान ऋण के रूप में ऋण या अग्रिमों को स्वीकृति प्रदान की है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii)(c), 3(iii)(c), 3(iii)(e) और 3(iii)(f) कंपनी पर लागू नहीं होती है।

4. कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा अपनाई गई लेखा-परीक्षण पद्धतियों को के आधार पर कंपनी ने न ही कोई निवेश किया है, कंपनी अधिनियम की धारा 185 एवं 186 का उल्लंघन करते हुए न ही ऋण दिया है, न ही कोई गारंटी या सुरक्षा दी है।

5. कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों तथा धारा 73 से 76 से संबंधित प्रावधानों के अंदर या कंपनी अधिनियम से संबंधित अन्य कोई प्रावधानों के अंदर जमा या कोई रकम प्राप्त की है। तदनुसार, कंपनी पर आदेश के खंड 3(v) के प्रावधान लागू नहीं होते।

6. हमें दी गई जानकारी एवं विवरणों के अनुसार केन्द्र सरकार ने कंपनी द्वारा प्रदत्त किसी भी प्रकार की सेवाओं के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत रिकार्ड के रखरखाव की लागत को निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार कंपनी पर आदेश का खंड 3(vi) लागू नहीं है।

7. (ए) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा रिकार्डों पर की गई हमारी जांच के आधार पर कंपनी प्राधिकृत अधिकारियों को सामान्यतया नियमित एवं अविवादित रूप से गूड्स एण्ड सर्विस कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय-कर, सर्विस कर, सीमाशुल्क कर, उत्पाद शुल्क, मूल्य योजित कर, उपकर एवं अन्य कोई सांविधिक देय का भुगतान करता आ रहा है।

कंपनी द्वारा 31 मार्च 2023 तक सामान्यतया नियमित एवं अविवादित रूप से गूड्स एण्ड सर्विस कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय-कर, सर्विस कर, सीमाशुल्क कर, उत्पाद शुल्क, मूल्य योजित कर, उपकर एवं अन्य कोई सांविधिक देय के भुगतान में नियत तारीख से छह महीनों से अधिक अवधि के लिए कोई बकाया नहीं है।

(बी) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा रिकार्डों पर की गई हमारी जांच के आधार पर 31 मार्च 2023 तक प्राधिकृत अधिकारियों के साथ निम्नांकित विवादित कर / ड्यूटी जमा नहीं किए गए।

सांविधि	देय की प्रवृत्ति	रकम (रुपए लाखों में)	वह अवधि जिसके अंतर्गत रकम देय है	मंच जिसमें रकम का भुगतान लंबित है	टिप्पण, यदि कोई हो
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	12948.20	वर्ष 2007-08 से वर्ष 2020-21 तक	सीआइटी (अपील)	कोई नहीं
आयकर अधिनियम 1961	टीडीएस	4.98	वित्त वर्ष 2007-08 से वर्ष 2020-21	ट्रेस मांग	कोई नहीं
गुड्स एण्ड सर्विस कर	जीएसटी	**26.84	वित्त वर्ष 2018-19	जेसी (अपील)	कोई नहीं

** - इसके विरुद्ध, कंपनी ने विरोध दर्शाते हुए रु. 2.40 लाख रुपयों को जमा किया है

8. कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा रिकार्डों पर की गई हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने किसी भी प्रकार के लेन-देनों को न प्रकट किया है न ही उन्हें समर्थित किया है जिन्हें पूर्व में वर्ष के दौरान आय के रूप में आयकर अधिनियम 196 के अंतर्गत कर मूल्यांकन के रूप में लेखा पुस्तकों में रिकार्ड नहीं किया गया है।

9. (ए) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा रिकार्डों पर की गई हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने ऋण या अन्य वापसी में कोई गलती नहीं की है न ही ऋणदाता को ब्याज के भुगतान में कोई गलती की है।

(बी) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा रिकार्डों पर की गई हमारी जांच के आधार पर कंपनी को कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता धोषित नहीं किया गया है।

(सी) हमारी राय में हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण के अनुसार कंपनी ने ऋण के रूप में प्राप्त किए गए पैसों का उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किए गए जिनके लिए उन्हें प्राप्त किया गया।

(डी) हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा लागू की गई प्रक्रियाओं तथा कंपनी के वित्तीय विवरणों के संपूर्ण जांच के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा अल्पकालिक समय आधार पर जुटाए गए निधि का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किए गए।

(ई) हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा लागू की गई प्रक्रियाओं तथा कंपनी के वित्तीय विवरणों के संपूर्ण जांच के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियां, असोसियेटेड अथवा संयुक्त प्रयास के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से निधि प्राप्त नहीं की है।

(एफ) हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा लागू की गई प्रक्रियाओं तथा कंपनी के वित्तीय विवरणों के संपूर्ण जांच के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक संस्थानों, संयुक्त प्रयास या असोसियेटेड कंपनियों के सुरक्षा को गिरवी रखकर ऋण नहीं लिया है।

10. (ए) कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर या आगे किसी भी प्रकार के सार्वजनिक ऑफर (ऋण उपकरण सहित) द्वारा ऋण नहीं लिया है, तदनुसार कंपनी पर आदेश का खंड 3(x)(a) लागू नहीं होता।

(बी) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा रिकार्डों पर की गई हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने वर्तमान वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से रुपांतरित की जानेवाली डिबेंचरों का अधिमान्य आबंटन या निजी प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार कंपनी पर आदेश का खंड 3(x)(b) लागू नहीं होता।

11. (ए) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरणों तथा हमारी उत्कृष्ट जानकारी के अनुसार हमारे लेखा-परीक्षण कार्यों की अवधि में कंपनी ने कोई धोखा नहीं किया है न ही ऐसा कुछ देखा गया है।

(बी) वर्तमान वर्ष के दौरान तथा इस रिपोर्ट की तारीख तक केन्द्र सरकार के साथ कंपनी (लेखा परीक्षण एवं लेखा-परीक्षकों) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित ADT-4 प्रपत्र में कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं किया है।

(सी) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरणों तथा प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार वर्तमान वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई मुखबिर शिकायतें प्राप्त नहीं की हैं।

12. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है तथा उसपर आदेश का अनुच्छेद 3(xii) लागू नहीं होता।
13. कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा रिकार्डों पर की गई हमारी जांच के आधार पर संबंधित पार्टियों के साथ किए गए लेन-देन जहां भी लागू हो अधिनियम की धारा 177 एवं धारा 188 के अनुपालन में किए गए तथा ऐसे लेन-देनों के विवरणों को भारतीय लेखा-मानकों की आवश्यकतानुसार वित्तीय विवरणिकाओं में प्रकट किया गया है।
14. (ए) हमारी राय में तथा की गई जांच के आधार पर कंपनी का आंतरिक लेखा-परीक्षण व्यवस्था उसके व्यवसाय के आकार और उसकी प्रवृत्ति के अनुरूप है।
(बी) हमने वर्ष के दौरान एवं आज की तारीख तक के लिए लेखा-परीक्षण के अंतर्गत कंपनी के आंतरिक लेखा-परीक्षण की जांच की है तथा कंपनी को प्रवृत्ति, समय सटीकता एवं हमारे लेखा-परीक्षण प्रक्रियाओं के अनुसार निश्चित करते हुए जारी किया है।
15. कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा रिकार्डों पर की गई हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ किसी भी गैर-नकद लेन-देन नहीं किया है। तदनुसार कंपनी पर आदेश का अनुच्छेद 3(xv) लागू नहीं होता।
16. (ए) हमारी राय में कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-IA के अंतर्गत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। अतः आदेश के खंड 3(xvi)(a), (b) और (c) के अंतर्गत रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है।
(बी) हमारी राय में कंपनी ग्रुप (रिजर्व बैंक के कोर निवेश कंपनी निदेश 2016 में दी गई परिभाषा के अनुसार) के अंदर कोर निवेश कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi) (d) लागू नहीं होता।
17. कंपनी को वित्तीय वर्ष में तथा आगामी वित्तीय वर्ष नकद हानि नहीं हुई है।
18. वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा-परीक्षकों की तरफ से कोई इस्तीफा प्राप्त नहीं हुए। अतः कंपनी पर आदेश का खंड 3(xviii) लागू नहीं होता।
19. वित्तीय अनुपातों के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों का कालप्रभाव एवं प्रत्याशित प्राप्ति की तिथि एवं वित्तीय देयताओं के भुगतान, कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणिकाओं के साथ प्रस्तुत अन्य जानकारी के आधार पर निदेशक बोर्ड तथा प्रबंधन की योजना के संबंध में लेखा-परीक्षकों की जानकारी के अनुसार हमारी राय में लेखा-परीक्षण रिपोर्ट की तारीख तक कोई सामग्री अनिश्चितता नहीं है तथा कंपनी तुलन पत्र की वर्तमान तारीख तक तथा जैसे ही तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष तक के लिए देय होने वाली देयताओं को पूरा करने की क्षमता रखती है।
20. (ए) चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य के संबंध में संबंधित अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के द्वितीय नियम के अनुपालन में वित्तीय वर्ष समाप्त होने के छह महीनों के अंदर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में दिए गए अनुसार कंपनी ने अप्रयुक्त रकम को निर्धारित निधि में हस्तांतरित किया है।
(बी) चालू परियोजनाओं के संबंध में अधिनियम की धारा 135(6) के प्रावधानों के अनुसराण में उक्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के अंदर कंपनी ने पूर्व वित्तीय वर्ष के अंत में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के निहित अप्रयुक्त रकम को हस्तांतरित किया है।
21. अतः स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणिकाओं के लेखा-परीक्षण के संबंध में कंपनी पर आदेश के खंड 3(xxi) के अंतर्गत रिपोर्ट जारी करने की आवश्यकता नहीं है। अतः इस रिपोर्ट में उक्त खंड के संबंध में कोई टिप्पणी सम्मिलित नहीं की गई है।

बी त्यागराजन एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन 0043715

ह/-
राम श्रीनीवासन
साझेदार
एम.नं. 220112

यूडिआईएन: 23220112बीजीओयक्यूएक्सजे2248

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 24-05-2023

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन का अनुबंध 'सी'

(कामराजर पोर्ट लिमिटेड के सदस्यों को समतिथि की हमारी प्रतिवेदन के "अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन" शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 25(f) में संदर्भित अनुबंध)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रतिवेदन

हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण के साथ-साथ 31 मार्च 2023 तक मेसर्स कामराजार पोर्ट लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा-परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा-परीक्षण पर मार्गदर्शन टिप्पण में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने तथा उसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। कंपनी के इन जिम्मेदारियों में अधिनियम की आवश्यकताओं के अंतर्गत पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अभिकल्पना, कार्यान्वयन एवं रखरखाव, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना, धोखेबाजी एवं गलतियों का रोकथाम, लेखांकन रेकार्डों की पूर्णता एवं शुद्धता, समय पर विश्वसनीय जानकारी तैयार करने जैसी जिम्मेदारियां भी सम्मिलित हैं जो उसके व्यवसाय की प्रक्रिया चालू रखने के साथ-साथ कंपनी की नीति का अनुपालन करते हुए व्यवस्था एवं सक्षमता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य हैं और वे सही तरह प्रचालित भी किए जाते हैं।

लेखा-परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपने लेखा-परीक्षण कार्य के आधार पर अपनी व्यक्त करें। हमने आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग ('मार्गदर्शन नोट') पर वित्तीय नियंत्रणों के लेखा-परीक्षण पर मार्गदर्शन टिप्पण एवं लेखा-परीक्षणों पर मानकों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर यथा लागू निर्धारित मानकों के अनुसरण में लेखा-परीक्षण किया है जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा-परीक्षण द्वारा लागू होते हैं तथा दोनों को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है। उक्त मानक एवं मार्गदर्शन टिप्पणों के अनुसार यह अनिवार्य है कि हम यह उचित आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू किए तथा ऐसे नियंत्रण सभी सामग्री मामलों में प्रभावशाली ढंग से प्रचालित किए जाते हैं।

हमारे लेखा-परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी प्रभावत्मक प्रचालन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था की पर्याप्तता के बारे में लेखा-परीक्षण सबूत प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं

सम्मिलित हैं। हमारे लेखा-परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया, सामग्री कमजोरी की मौजूदगी के जोखिम का मूल्यांकन तथा मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण की अभिकल्पना एवं प्रचालन प्रभावत्मकता का मूल्यांकन एवं परीक्षण के कार्य भी सम्मिलित हैं। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणिकाओं में सामग्री संबंधी गलत कथन के जोखिमों का मूल्यांकन, चाहे वे धोखेबाजी या गलती के कारण क्यों न हों उसके साथ लेखा-परीक्षक के निर्णय पर आधारित होते हैं।

हम इस बात में विश्वास रखते हैं कि हमने कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपने लेखा-परीक्षण राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए जो सबूत प्राप्त किए हैं वे पर्याप्त एवं उचित हैं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग वह प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए अपनाई जाती है तथा सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणिकाएं तैयार की जाती हैं। एक कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रक्रियाओं में वे सभी नीतियां एवं प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जो (1) उन रिकार्डों के रखरखाव से संबंधित हैं जो कंपनी के लेन-देन तथा परिसंपत्तियों के निपटान को निष्पक्ष एवं शुद्ध रूप में प्रस्तुत कीतह हैं (2) लेन-देन के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि उन्हें सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणिकाएं तैयार करने की अनुमति प्रदान करने हेतु आवश्यक पद्धतियों द्वारा रिकार्ड किए जाते हैं, तथा कंपनी की प्राप्तियां एवं व्यय प्रबंधन एवं निदेशकों द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर ही होते हैं (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान को रोकने अथवा समय पर पहचानने का मौका देती हैं जिनकी वजह से वित्तीय विवरणिकाओं पर काफी प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

चूंकि, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों का उल्लंघन करने की संभावना भी शामिल है, गलती या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत कथन हो सकती हैं और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भविष्य की

अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन के तथ्य, स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं या नीतियां या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा कम हो सकती है।

हमारी राय

हमारी राय में सभी पहलुओं में कंपनी में वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था है तथा ऐसे वित्तीय

रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2023 तक प्रभावशाली ढंग से प्रचालित थे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा-परीक्षण पर मार्गदर्शन नोट में उद्धृत अनिवार्य तत्वों को ध्यान में रखते हुए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदण्ड स्थापित किए।

बी त्यागराजन एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन 004371S

ह/-
राम श्रीनीवासन
साझेदार

एम.नं. 220112

यूडिआईएन: 23220112बीजीओयक्यूएक्सजे2248

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 24-05-2023

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

सीआईएन:यू45203टिएन1999पिएलसी043322

पंजीकृत कार्यालय : दूसरी मंजिल (उत्तर विंग) & तीसरी मंजिल, " जवाहर बिल्डिंग ", न.17, राजाजी सावै, चेन्नै - 600 001.

31 मार्च 2023 तक परिसंपत्तियां एवं देयताओं की विवरणिका

(राशी लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
परिसंपत्तियां		लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां			
(ए) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	4	271221.35	274264.66
(बी) उपयोग के अधिकार युक्त परिसंपत्तियां	4A	1834.41	2035.33
(सी) पूंजीगत प्रगतिशील कार्य	5	43763.51	22351.01
(डी) अन्य अमूल परिसंपत्तियां	6	171.36	315.18
(इ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	7	4151.19	4154.56
(ii) ऋण और अग्रिम	8	299.46	360.86
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	440.89	440.89
(एफ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां	10	3959.37	14225.84
(जी) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	11	11625.13	8086.28
		337466.66	326234.61
वर्तमान परिसंपत्तियां			
(ए) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) ट्रेड प्राप्य	12	5875.87	5788.93
(ii) नकद एवं नकद समतुल्य	13	8756.70	9371.11
(iii) ऋण और अग्रिम	8	82.64	49.74
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	988.41	228.72
(बी) वर्तमान कर परिसंपत्तियां	14	3620.95	868.66
(सी) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	11	1663.77	1532.80
		20998.34	17839.96
कुल संपत्ति		358455.00	344074.58
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी			
(ए) इक्विटी शेयर पूंजी	15	30000.00	30000.00
(बी) अन्य इक्विटी		235637.95	225350.55
		265637.95	255350.55
देयताएं			
गैर-वर्तमान देयताएं			
(ए) वित्तीय देयताएं			
(i) ऋण	16	48773.52	59309.51
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	17	551.01	435.20
(बी) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	19	7362.03	7833.14
		56686.56	67577.85
वर्तमान देयताएं			
(ए) वित्तीय देयताएं			
(i) ऋण	16	10550.76	11094.59
(ii) ट्रेड प्राप्य			
- सूक्ष्म एवं छोटे उद्यमों के कारण बकाया	20	435.43	338.18
- सूक्ष्म एवं छोटे उद्यमों के अतिरिक्त देनदारों को देय बकाया	20	3578.58	2790.69
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	17	417.67	508.03
(बी) वर्तमान कर देयताएं	14	-	-
(सी) अन्य वर्तमान देयताएं	19	5338.58	5013.77
(डी) प्राक्कान राशि	18	15809.46	1400.92
		36130.49	21146.18
कुल इक्विटी और देनदारियां		358455.00	344074.58
लेखाओं के लिए टिप्पणीयां	30		
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	1 से 3		
उपयुक्त उल्लिखित टिप्पणियां वित्तीय विवरणिकाओं का एक महत्वपूर्ण भाग बनते हैं			

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के लिए

ह/-

सुनील पालीवाल, आई.ए.एस

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिन : 01310101

ह/-

सी.एस. वेमन्ना

मुख्य वित्तीय अधिकारी (प्रभारी)

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 24 मई 2023

ह/-

एस. विश्वनाथन, आई.ए.एस

निदेशक

दिन : 09634577

ह/-

श्रीमती जयलक्ष्मी श्रीनिवासन

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

बी. त्यागराजन एंड कंपनी के लिये

अधिकारपत्र प्राप्त लेखा परिक्षक

एफआरएन : 0043715

ह/-

राम श्रीनीवासन

साझेदार

एम.नं. 220112

यु.आर.आई.एन: 23220112बीजीओक्यूएसजे2248

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

सीआईएन:यू45203टिएन1999पिएलसी043322

पंजीकृत कार्यालय : दूसरी मंजिल (उत्तर विंग) & तीसरी मंजिल, "जवाहर बिल्डिंग", न.17, राजाजी सालैं, चेन्नै - 600 001.

31 मार्च 2023 तक लाभ एवं हानि का विवरण

(राशी लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
आय		लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
i) संचालनसेराजस्व	21	98272.23	83261.51
ii) अन्य आय	22	2650.27	1822.30
कुल आमदनी		100922.50	85083.81
व्यय			
i) प्रचालन लागत	23	9834.16	7207.98
ii) कर्मचारी लाभ लागत	24	2078.78	2252.34
iii) वित्त लागत	25	5870.38	6234.10
iv) अवमूल्यन एवं ऋणमुक्ति व्यय	26	6177.82	9061.46
v) अन्य व्यय	27	4534.50	6469.27
कुल व्यय		28495.64	31225.15
विशिष्ट मदों एवं कर से पहले लाभ		72426.57	53858.67
विशिष्ट मद	28	14688.68	-
कर से पहले लाभ		57738.50	53858.67
घटा : कर व्यय			
- वर्तमान कर	10	10088.07	9410.19
- आस्थगित कर	10	10300.21	428.51
		20388.29	9838.70
सतत प्रचालनों की अवधि से लाभ		37350.22	44019.97
बंद प्रचालनों की अवधि से लाभ	-	-	-
बंद प्रचालनों से कर व्यय	-	-	-
कर के पश्चात् बंद प्रचालनों से लाभ		37350.22	44019.97
I इस वर्ष के लिए लाभ			
II अन्य विस्तृत आय			
i) वे मद जिन्हें लाभ या हानि के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता			
(ए) - निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनः मापन		(93.19)	198.78
घटा : उपर्युक्त पर आयकर	10	32.56	(69.46)
(बी) - ईक्विटी उपकरणों पर उचित मूल्य में परिवर्तन		(3.37)	(5.52)
घटा : उपर्युक्त पर आयकर		1.18	1.93
अन्य विस्तृत आय		(62.82)	125.73
अवधि के लिए कुल विस्तृत आय		37287.40	44145.69
अर्जन प्रति ईक्विटी शेयर :			
तरल बनाया हुआ	29	12.43	14.72
लेखाओं के लिए टिप्पण	30	12.43	14.72
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1 से 3		
उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां वित्तीय विवरणिकाओं के महत्वपूर्ण भाग हैं			

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के लिए

ह/-

सुनील पालीवाल, आई.ए.एस

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिन : 01310101

ह/-

सी.एस. वेमन्ना

मुख्य वित्तीय अधिकारी (प्रभारी)

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 24 मई 2023

ह/-

एस. विश्वनाथन, आई.ए.एस

निदेशक

दिन : 09634577

ह/-

श्रीमती जयलक्ष्मी श्रीनिवासन

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

बी. त्यागराजन एंड कंपनी के लिये

अधिकारपत्र प्राप्त लेखा परिक्षक

एफआरएन : 0043715

ह/-

राम श्रीनीवासन

साझेदार

एम.नं. 220112

यू.आई.एन: 23220112बीजीओयक्यूएसजे2248

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

सीआईएन:यू45203टिएन1999पिएलसी043322

पंजीकृत कार्यालय : दूसरी मंजिल (उत्तर विंग) & तीसरी मंजिल, "जवाहर बिल्डिंग", न.17, राजाजी साल्ट, चेन्नै - 600 001.

31 मार्च 2023 तक नकदी प्रवाह विवरण

(राशी लाख में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
ए. प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से नकद प्रवाह	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
निवल लाभ / कर से पहले हानि	57738.50	53858.66
उक्त के लिए समायोजन :		
अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि/लाभ	-	-
अवमूल्यन	6177.82	9061.46
ब्याज एवं वित्त प्रभार	5864.68	6175.60
प्रत्याशित क्रेडिट हानि का प्रावधान	-	2591.48
विशिष्ट मद : तट सुरक्षा संरचना	14057.64	-
ब्याज आय	(1086.44)	(474.30)
कार्यशील पूंजी प्रभारों से पहले प्रचालित लाभ	82752.21	71212.90
उक्त के लिए समायोजन :		
ऋण एवं अग्रिम (गैर-वर्तमान)	61.41	17.30
अन्य परिसंपत्तियां (गैर-वर्तमान)	-	(48.01)
अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	(3538.85)	(675.10)
ट्रेड प्राप्य	(86.94)	(609.96)
ऋण एवं अग्रिम	(32.90)	4.22
अन्य परिसंपत्तियां	(759.68)	(93.61)
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	(130.97)	541.85
अन्य वित्तीय दायित्व (गैर-वर्तमान)	115.81	38.20
अन्य गैर-वर्तमान दायित्व	(471.10)	(896.96)
ट्रेड भुगतान	885.14	(1471.78)
अन्य वित्तीय दायित्व	(90.36)	(143.28)
अन्य वर्तमान दायित्व	324.81	(488.80)
प्रावधान	257.71	(89.96)
वर्तमान : कर भुगतान	(12840.36)	(9989.99)
प्रचालन क्रियाकलापों से / (प्रयुक्त) निवल नकद	66445.92	57307.03
बी. निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों पर व्यय	(24202.26)	(14368.58)
म्यूचुअल निधि से अल्पकालिक लाभ	-	-
ब्याज आय	1086.44	474.30
निवेश क्रियाकलापों से / (में प्रयुक्त) निवल नकद	(23115.83)	(13894.28)
सी. वित्तीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
वर्ष के दौरान लामांश का भुगतान किया गया	(27000.00)	(24000.00)
वर्ष के दौरान प्रदत्त ऋण	-	4000.00
वर्ष के दौरान वसूल किए गए ऋण	(11079.82)	(11067.50)
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	(5864.68)	(6175.60)
वित्तीय क्रियाकलापों से / (में प्रयुक्त) निवल नकद	(43944.50)	(37243.10)
डी. नकद एवं नकद समतुल्य से / (में प्रयुक्त) निवल नकद	(614.41)	6169.66
इ. अथशेष नकद एवं नकद समतुल्य	9371.11	3201.44
एफ. समाप्त नकद एवं नकद समतुल्य	8756.70	9371.11

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के लिए

ह/-

सुनील पालीवाल, आई.ए.एस

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डिन : 01310101

ह/-

सी.एस. वेमन्ना

मुख्य वित्तीय अधिकारी (प्रभारी)

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 24 मई 2023.

ह/-

एस. विश्वनाथन, आई.ए.एस

निदेशक

डिन : 09634577

ह/-

श्रीमती जयलक्ष्मी श्रीनिवासन

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

बी. त्यागराजन एंड कंपनी के लिये

अधिकारपत्र प्राप्त लेखा परिक्षक

एफआरएन : 0043715

ह/-

राम श्रीनीवासन

साझेदार

एम.नं. 220112

यु.आर.आई.एन: 23220112बीजीओयूएसएल2248

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण – 31 मार्च, 2023 तक शेषराशि

इक्विटी शेयर पूंजी

1 अप्रैल, 2022 तक शेष राशि	वर्ष के दौरान शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2023 तक शेष राशि
30,000	-	30,000

1 अप्रैल, 2021 तक शेष राशि	वर्ष के दौरान शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2022 तक शेष राशि
30,000	-	30,000

अन्य इक्विटी

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व	आरक्षित और अधिशेष		इक्विटी के अन्य घटक		कुल
		सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित कमाई	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/संपत्ति का पुनर्माप	एफवीटी ओसीआई—निवेश	
		(राशी लाख में)				
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष	7993.23	7902.00	211306.33	103.59	(1954.60)	225350.55
वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय	0.00	0.00	37350.22	0.00	0.00	37350.22
वर्ष के लिए अन्य विस्तृत आय	0.00	0.00	0.00	(60.63)	(2.19)	(62.82)
आरक्षित आय से हस्तांतरित	(1417.76)	0.00	1417.76	0.00	0.00	0.00
लामांश – वित्त वर्ष 2021–22	0.00	0.00	(21000.00)	0.00	0.00	(21000.00)
अंतरिम लामांश – वित्त वर्ष 2022–23	0.00	0.00	(6000.00)	0.00	0.00	(6000.00)
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष	6575.47	7902.00	223074.30	42.96	(1956.79)	235637.95

अन्य इक्विटी

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व	आरक्षित और अधिशेष		इक्विटी के अन्य घटक		कुल
		सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित कमाई	शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/ संपत्ति का पुनर्माप	एफवीटी ओसीआई- निवेश	
	(राशी लाख में)					
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष	7130.30	7902.00	192149.29	(25.73)	(1951.01)	205204.86
वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय	0.00	0.00	44019.96	0.00	0.00	44019.96
वर्ष के लिए अन्य विस्तृत आय	0.00	0.00	0.00	129.32	(3.59)	125.73
आरक्षित आय से हस्तांतरित	862.93	0.00	(862.93)	0.00	0.00	0.00
लाभांश – वित्त वर्ष 2020-21	0.00	0.00	(15000.00)	0.00	0.00	(15000.00)
अंतरिम लाभांश – वित्त वर्ष 2021-22	0.00	0.00	(9000.00)	0.00	0.00	(9000.00)
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष	7993.23	7902.00	211306.33	103.59	(1954.60)	225350.55

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पण

1. कॉर्पोरेट सूचना:

कामराजर पोर्ट लिमिटेड, भारत में अधिवासित कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। कंपनी प्रायः जमीनदार पोर्ट मॉडल की तरह कार्य करता है, इन कार्यों में उनके प्रकार्य सम्पूर्ण योजना, विकास, पोर्ट एवं सामूहिक अवसरसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए निवेश इकट्ठित करने तक सीमित हैं। आमतौर पर टर्मिनलों एवं प्रचालनों के विकास कार्यों को निजी प्रचालक / कैपिटिव उपभोक्ताओं को प्रदान किया गया है।

2. तैयारी का आधार:

कंपनी ने 1 अप्रैल 2015 के परिवर्तन तारीख के साथ 01 अप्रैल 2016 से प्रभावी भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा 16 फरवरी 2015 को जारी अधिसूचना के अनुसार कंपनी ने भारतीय लेखा-मानकों को अपनाया है।

वित्तीय विवरणों में ईक्विटी शेयरों को छोड़कर सम्मिलित सभी राशियां भारतीय रुपयों (रुपए लाखों में) में रिपोर्ट किए गए हैं, जिन्हें संख्याओं में अभिव्यक्त किया गया है।

3. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

3.1. प्राक्कलन एवं निर्णय का प्रयोग :

कंपनी के स्टैंड-अलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, संपत्ति और देयताओं की रिपोर्ट की गई रकम तथा प्रकटीकरणों के साथ आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं।

3.2. प्रकार्यात्मक एवं प्रस्तुतीकरण मुद्रा :

इन वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपयों में प्रस्तुत किए गए हैं जो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है और कंपनी का प्रकार्यात्मक मुद्रा है।

3.3. राजस्व मान्यता :

i) सेवाओं से प्राप्त राजस्व को प्राप्त या प्राप्त होनेवाले प्रतिफल के कुल छूट के मूल्य पर लिया जाता है जिसमें करों और शुल्कों को शामिल नहीं किया जाता है। प्रदत्त सेवा से प्राप्त राजस्व को सेवाएं पूर्ण करने के बाद उल्लेख किया जाएगा। निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर राजस्व को मान्यता दी जाती है :

i) राजस्व की राशि को विश्वसनीयता के साथ लिया जा सकता है।

- ii) यह संभव है कि लेन-देन से संबंधित आर्थिक लाभ, संस्था में मिल जाएंगे।
- iii) लेन-देन की लागत और लेन-देन पूरा करने की लागत को विश्वसनीयता से लिया जा सकता है।
- iv) इसके संग्रह के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता नहीं है।

राजस्व प्रवाह में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- i) वेसल संबंधित आय
- ii) कार्गो संबंधी आय
- iii) बीओटी एवं अन्य पोर्ट/ कैपिटिव उपयोगकर्ताओं पर से होनेवाले भूमि एवं जल क्षेत्र द्वारा राजस्व भाग एवं लाइसेन्स शुल्क
- iv) समय टैरिफ

निम्नलिखित प्रस्तुत विवरण में राजस्व के हर भाग के संबंध में राजस्व मान्यता :

i) वेसल संबंधी आय

जहाज से संबंधित आय में जहाजों के प्रबंधन से होने वाली आय सम्मिलित है। पोत संबंधी प्रचालनों से संबंधित राजस्व को विशिष्ट सेवाएं पूर्ण करने के बाद ही उल्लेख किया जाएगा।

ii) कार्गो संबंधी आय

कार्गो संबंधी आय में कार्गो से संबंधित सेवाएं प्रदान किए जाने पर प्राप्त आय सम्मिलित हैं तथा संबंधित सेवाएं पूर्ण किए जाने पर ही उल्लेख किया जाएगा।

iii) बीओटी / कैपिटिव उपयोग के आधार पर भूमि एवं जल क्षेत्र लीज करने

ए) बीओटी प्रचालकों से प्राप्त राजस्व का परिकलन, वित्तीय वर्ष के अंत तक वृद्धि आधार पर छूट ६ लाइसेन्स करार के अनुसरण में कोट किए गए % पर किया जाता है।

बी) सामान्य मुद्रास्फीति प्रवृत्ति के अनुरूप स्वतः वृद्धि युक्त प्रचालन लीज से आय को ठेके के शर्तों के अनुसार हिसाब किया जाता है।

सी) अन्य प्रचालन लीज से आय को लीज के शर्तों के आधार पर उल्लेख किया जाता है।

डी) आकस्मिक किराए को उस अवधि के आय के रूप में उल्लेख किया जाता है जिसमें वे जमा किए जाते हैं।

iv) समग्र टैरिफ

- 1 समग्र टैरिफ उस अर्जित आमदनी का प्रतिनिधित्व करता है जो कैप्टिव उपयोगकर्ताओं को समग्र टैरिफ के रूप में देकर प्राप्त किया जाता है।
- 2 निवेशों से लाभांश आय का वहां उल्लेख किया जाता है जहां कंपनी को भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होता है तथा यह संभाव्य है कि लेन-देन के साथ संबद्ध आर्थिक लाभ कंपनी में सम्मिलित होते हैं और आय की रकम को विश्वसनीयता के साथ लिया जा सकता है।
- 3 ए. वित्तीय लिखतों से ब्याज की आय का वहां उल्लेख किया जाता है जहां संभाव्य आर्थिक लाभ कंपनी में सम्मिलित होते हैं और आय की रकम को विश्वसनीयता के साथ लिया जा सकता है। ब्याज से आय, बकाया मूलधन के संदर्भ में एवं लागू प्रभावी ब्याज दर द्वारा समय के आधार पर उपचयित होते हैं, वह दर है जो प्रारंभिक मान्यता पर उस साधन की शुद्ध वहन राशि के लिए वित्तीय साधनों के अपेक्षित जीवनकाल के माध्यम से अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को सटीक रूप से छूट देती है।

बी. विलम्बित / विवादित राजस्व पर ब्याज आय को वसूली के आधार पर मान्यता दी जाती है।

3.4. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण :

संचित अवमूलन एवं क्षति, यदि कोई हो तो उन्हें कम करते हुए संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों का उल्लेख किया जाता है। लागत यदि कोई हो तो उन्हें उन्हें संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के उपयोग हेतु तैयार होने तक प्रबंधन की इच्छानुसार सीधे अधिग्रहण के साथ जोड़कर लाभ उठाया जाता है। कंपनी, सीधी-रेखा पद्धति इस्तेमाल करते हुए परिकल्पित उपयोगी उपयोगी चीजों पर संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का अवमूलन करता है।

यदि और केवल तभी जब मद के साथ भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होते हैं तथा मद की लागत को विश्वसनीयता के साथ लिया जा सकता है। पीपीई मद की लागत नकद दर है जो उल्लेख की तारीख के समतुल्य है।

पीपीई मद की लागत में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- i) खरीद मूल्य, जिसमें आयात शुल्क और गैर-वापसी योग्य खरीद कर शामिल हैं, व्यापार छूट, छूट, करों/शुल्कों और उपकरण को घटाने के बाद, जिस पर पूंजीगत वस्तुओं के लिए इनपुट क्रेडिट का लाभ उठाया गया है
- ii) पीपीई को स्थान पर लाने के लिए सीधे लागत से जुड़े और प्रबंधन द्वारा निर्धारित पद्धतियों से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक शर्तें

- iii) वस्तु काजिस पर वह स्थित है, उसके विखंडन एवं हटाने तथा उस स्थान को पुनर्स्थापित करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान।

संबंधित परिसंपत्ति वर्ग में वर्ष के दौरान दिए गए वर्ष में परिसंपत्ति के कमिशनिंग की तारीख तक लाभ प्राप्त करने के ऐसे आदेशों पर परियोजना दावे एवं ब्याज पर निर्विरोध माध्यस्थता आदेशों के कारण कंपनी द्वारा रकम देय हो जाते हैं। ठेकेदार को ऐसे आदेशों पर परिसंपत्ति के कमिशनिंग की तारीख के बाद ब्याज देय हो जाते हैं, उन्हें आदेश वर्ष में राजस्व व्यय के रूप में लिया जाता है।

जब संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों के मद के भागों के भिन्न भिन्न उपयोग काल होते हैं, उन्हें संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण जैसे अलग-अलग (मुख्य घटक) मदों के अंतर्गत हिसाब किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों के मद के निपटानों के लाभ एवं हानि को उनके वहनीय रकम के साथ निपटान से प्राप्ति राशि की तुलना द्वारा बताया जाता है तथा उन्हें लाभ या हानि के विवरण में अन्य आय / अन्य व्यय के अंतर्गत नेट मूल्य में उल्लेख किए जाते हैं।

कंपनी ने उल्लेख के लिए लागत मॉडल का घयन किया है तथा उक्त मॉडल को सभी परिसंपत्तियों के वर्ग पर लागू किया जाता है। परिसंपत्ति के रूप में लेख प्राप्त करने के बाद पीपीई के मद को उसकी लागत के साथ बताया जाता है जो किसी भी प्रकार के संचित मूल्यहास तथा संचित हानि कम करते हुए किया जाता है।

प्रमुख मरम्मत एवं पूरी जांच मरम्मत की लागत :

कंपनी अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की वहन राशि में मद जिसे प्रतिस्थापित करने की व्ययित लागत, प्रमुख मरम्मत / पूर्ण जांच मरम्मत की लागत का उल्लेख करती है, जब वे उल्लेख मानदण्डों को पूरा करते हैं। मद की मरम्मत / पूरी जांच मरम्मत के शेष उपयोगी काल में प्रतिस्थापित भाग एवं मरम्मत की लागत के परिशोधन की वहन राशि को विमान्य किया जाता है।

3.5. अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों को संचित मूल्यहास एवं हानिक यदि कोई हो तो उन्हें कम करते हुए लागत पर उनका उल्लेख किया जाता है।

पहचान करने योग्य अमूर्त परिसंपत्तियों को वहां उल्लेख किया जाता है जहां परिसंपत्ति पर कंपनी का पूरा नियंत्रण होता है यह संभव है कि संबंधित परिसंपत्तियों से प्रत्याशित भावी आर्थिक लाभ पूर्ण एक आर्थिक अवधि से अधिक समय के लिए कंपनी में सम्मिलित होते हैं। परिशोधन, सीधे लाइन पद्धति (एसएलएम) पर दिया जाता है जो अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी काल के प्रबंधन आकलन बताता है।

निश्चित काल युक्त अमूर्त परिसंपत्तियों को उपयोगी आर्थिक काल पर परिशोधित किया जाता है तथा जब भी उक्त अमूर्त परिसंपत्ति की हानि हो सकने का संकेत मिले तो उसकी हानि के लिए मूल्यांकित

किया जाता है। अन्य परिसंपत्ति के वहन मूल्य के भाग बनने तक निश्चित काल युक्त अमूर्त परिसंपत्तियों के हानि व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में उल्लेख किया जाता है।

3.6. मूल्यहास

पीपीई मद की मूल्यहास राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित पद्धति में बताए गए अनुसार सीधी रेखा आधार पर आबंटित किया जाता है।

पीपीई के मद के हर भाग की लागत जो परिसंपत्ति की कुल लागत से संबंधित है, वह परिसंपत्ति को अवमूल्यित करता है तथा उक्त भाग का उपयोगी काल परिसंपत्ति के शेष भाग से भिन्न होता है। ऐसे सभी मदों पर मूल्यहास उनके "उपयोग के लिए उपलब्ध" की तारीख से विक्रय / निपटान की तारीख दिया जाता है जिसमें अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों की हानि भी सम्मिलित है। मुक्त भूमि का मूल्यहास नहीं होता है। पीपीई मद को निपटान पर या भावी आर्थिक लाभ के नहीं होने पर विमान्यीकृत किया जाता है जब उक्त परिसंपत्ति के सतत उपयोग से होने की आशा की जाती है। पोर्ट विशिष्ट परिसंपत्तियों के मामले में मूल्यहास को उस तारीख से निश्चित किया जाता है जहां से उन परिसंपत्तियों के जीवनकाल के अनुरूप ऐसे आदेश पारित और स्वीकृत किए जाते हैं।

3.7. उधार की लागतें

कंपनी, उधार की लागतों से लाभ प्राप्त करता है जो सीधा अधिग्रहण, संकीर्णन या अर्हक परिसंपत्ति से संबद्ध हैं तथा उत्पादन की परिसंपत्ति की लागत के एक भाग हैं। कंपनी अन्य उधार लागतों को संबंधित अवधि में व्यय के रूप में उल्लेख किया जाता है जिनका व्यय वह वहन करती है। एक अर्हक परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति है जो आवश्यक रूप से उसके उपयोग या विक्रय के लिए तैयार होते तक की अवधि का समय लेती है।

जहां तक कंपनी उधार लेती है, वह सामान्य रूप से अर्हक परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए उपयोग करती है, पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागत की राशि की गणना, व्ययित राशि को पूंजीकरण दर पर लागू करके की जाती है। अर्हक परिसंपत्तियों के क्रय हेतु विशिष्ट रूप से लिए गए उधार को छोड़कर, पूंजीकरण दर को उधार की लागतों के भारित औसत पर निर्धारित किया जाता है। इनमें उधार की लागतों में समायोजन किए जाने तक विनिमय भिन्नताएं सम्मिलित हैं।

3.8. विदेशी मुद्रा लेन-देन :

प्रकार्यात्मक मुद्राओं को छोड़कर अन्य मुद्रा में किए गए लेन-देनों को लेन-देन की तारीखों में प्रचालित विनिमय दरों उल्लेख की गई है।

हर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वित्तीय मद वित्तीय मद जन्हिं विदेशी मुद्रा द्वारा अंकित किया गया है, उन्हें रिपोर्ट करने की तारीख पर

प्रचालित दरों में रूपांतरित किया गया है।

विदेशी मुद्रा वित्तीय मदों को (अतिदेय प्राप्य का निष्पादन अनिश्चित है, उसे छोड़कर) भारतीय लेखा-मानक-2 में उल्लिखित परिभाषा के अनुसार अंतिम दर इस्तेमाल करते हुए रूपांतरित किया जाता है। गैर-वित्तीय मदों को लेन-देन की तारीख के विनिमय दर इस्तेमाल करते हुए रिपोर्ट किया जाता है। विनिमय भिन्नता लाभ/हानि को लाभ एवं हानि के विवरण में उल्लेख की गई है।

3.9. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को जहां अनुदान के लिए प्राप्त होने के उचित आश्वासन के साथ संबंधित शर्तों का अनुपालन किया जाता है, वहां उल्लेख किया जाता है। इन अनुदानों को अनुदान की प्रवृत्ति के आधार पर परिसंपत्तियों या राजस्व से संबंधित अनुदान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

आरंभिक स्तर पर मूल्यहास योग्य संपत्तियों से संबंधित अनुदान को आस्थगित राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है तथा इसके क्रम में उन्हें ऐसे योगदान से परिसंपत्ति के उपयोगी काल के व्यवस्थित आधार पर आमतौर पर प्राप्त अवक्षयी परिसंपत्तियों पर प्रभारित मूल्यहास में उसी अनुपात में लाभ एवं हानि की विवरणिका में उल्लेख किया जाता है। प्राक्कलन में परिवर्तनों को परिसंपत्तियों के शेष जीवनकाल पर उत्तरव्यापी प्रभाव से उल्लेख किया जाता है।

राजस्व अनुदान के रूप में प्राप्त अनुदानों को संबंधित लागतों की अवधि के व्यवस्थित आधार पर आय के रूप में उल्लेख किया जाता है जिसके लिए उसे क्षतिपूर्ति करनी है, उसका व्यय किया जाना है।

गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में अनुदान जैसे भूमि एवं अन्य स्रोतों को उचित मूल्य के रूप में उल्लेख किया जाता है, जिसे बुनियादी परिसंपत्ति के लाभ के उपभोग के पैटर्न में प्रत्याशित उपयोग काल पर लाभ एवं हानि की विवरणिका में आस्थगित आय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

भारत योजना के अंतर्गत सेवा निर्यात (एसईआईएस) के अंतर्गत अनुदानों का वहां उल्लेख किया जाता है जहां अनुदान के साथ संलग्न शर्त पूर्ण किए गए हैं और यह कि अनुदान प्राप्त होने के उचित आश्वासन हैं। इन्हें उस अवधि में उल्लेख किया जाता है जिसमें उन्हें प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है यानी वह वर्ष जिसमें एसईआईएस अनुदान के लिए योग्य सेवाएं प्रदान की गईं।

3.10. प्रावधान

प्रावधानों का वहां उल्लेख किया जाता है जहां कंपनी को पूर्व घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान देयताएं (कानूनी अथवा निर्माणात्मक) हैं, संभव है कि दायित्वों को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता है तथा दायित्व की राशि से एक विश्वसनीय

प्राक्कलन किया जा सकता है।

प्रावधानों का हर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पुनरीक्षण किया जाता है तथा उन्हें वर्तमान उत्कृष्ट प्राक्कलन को का उल्लेख करने के लिए समायोजित किया जाता है। प्रावधान को तब वापस लिया जाता है जब दायित्व को निपटाने के लिए बाह्य प्रवाह के संगठनात्मक आर्थिक लाभों की आवश्यकता होने की संभावना नहीं है।

यदि वित्त के समय मूल्य का प्रभाव मातृक है प्रावधानों को वर्तमान पूर्व-कर दर इस्तेमाल करते हुए छूट दिया जाता है जो औचित्य के अनुसार देयताओं के लिए विशिष्ट खतरों को का उल्लेख करता है। जब छूट प्रदान करने की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है समय बीतने के साथ-साथ प्रावधान में बढ़ोतरी को वित्तीय लागत के रूप में उल्लेख किया जाता है।

3.11. आकस्मिक देयता / परिसंपत्तियाँ :

आकस्मिक देयता

आकस्मिक देयताओं का उल्लेख नहीं किया जाता है लेकिन उन्हें लेखा टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है जब कंपनी के पूर्व घटनाओं के कारण संभाव्य देयताएं हैं तथा देयताओं का अस्तित्व भावी घटनाओं के होने या न होने पर आधारित है जो पूर्ण रूप से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है।

आकस्मिक देयताओं का सतत मूल्यांकन, आर्थिक स्रोतों के बाह्य प्रवाह के होने या न होने की संभावनाओं को निश्चित करने के लिए किया जाता है। यदि बाह्य प्रवाह संभाव्य है तो वित्तीय विवरणिकाओं में संबद्ध प्रावधानों का उल्लेख किया जाता है।

जहां इकाई संयुक्त रूप से एवं पृथक् रूप से दायित्व के लिए उत्तरदायी है, दायित्व का वह हिस्सा जो अन्य पार्टियों द्वारा पूरा किया जाना अपेक्षित है उसे भी एक आकस्मिक दायित्व के रूप में माना जाता है। इकाई किसी प्रावधान को देयता के उस भाग में उल्लेख किया जाता है जिसके लिए आर्थिक लाभ को रूप देनेवाले संसाधनों का बाह्य प्रवाह होना संभाव्य बन जाता है, केवल उन्हीं विरल स्थितियों को छोड़कर जहां कोई विश्वसनीय प्राक्कलन नहीं किया जा सकता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणिकाओं में उल्लेख नहीं की जाती है न ही उन्हें टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

3.12. कर्मचारी लाभ :

i) परिभाषित लाभ योजना :

उपादान, छुट्टी नकदीकरण, लाभ एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान, अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि इस्तेमाल करते हुए वीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। वीमांकिक लाभ

एवं हानि युक्त पुनः मापन, परिसंपत्ति सीमा पर परिवर्तन का प्रभाव तथा ब्याज को छोड़कर योजना संपत्तियों पर वसूली (यदि लागू हो) को जिस अवधि में वे होते हैं उस अवधि में अन्य विस्तृत आय में चार्ज या क्रेडिट के साथ तुरंत वित्तीय स्थिति की विवरणिका में व्यक्त किया जाता है। पुनःमापन को अन्य विस्तृत आय में बताया जाता है जिसका आरक्षित आय में तुरंत उल्लेख किया जाता है तथा उसे लाभ या हानि की विवरणिका में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

ii) परिभाषित अंशदान योजना :

भविष्य निधि में अंशदान को वृद्धि आधार पर व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

iii) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ :

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ देयताओं को छूट रहित आधार पर लिया जाता है तथा संबंधित सेवाएं प्रदान किए जाने पर व्ययित होते हैं। यदि कंपनी द्वारा कर्मचारी प्रदत्त पूर्व सेवा के परिणामस्वरूप वर्तमान कानूनी या निर्माणात्मक दायित्वों की राशि का भुगतान किया जाना है तथा दायित्वों का प्राक्कलन विश्वसनीयता के साथ किया जाता है तो दायित्वों के प्रत्याशित भुगतान रकम का उल्लेख अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के अंतर्गत किया जाता है।

3.13. कर-निर्धारण

आयकर व्यय, वर्तमान कर एवं आस्थगित कर जोड़ का प्रतिनिधित्व करता है।

वर्तमान कर

वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। लाभ और हानि विवरणिका तथा अन्य विस्तारित आय में रिपोर्ट किए गए अनुसार 'कर योग्य लाभ' लाभ पूर्व कर से भिन्न है तथा उनका वर्गीकरण आगामी वर्षों में कर योग्य अथवा काट जा सकनेवाले आय या व्यय के मद में तथा कर योग्य न होने अथवा नहीं काटे जाने के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। कंपनी के वर्तमान कर का आकलन कर दर का प्रयोग करते हुए किया जाता है जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित किया जाता है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर को वित्तीय उद्देश्यों के लिए तुलन पत्र पद्धति इस्तेमाल करते हुए कर आधार एवं परिसंपत्तियों के बीच स्थायी भिन्नताएं तथा वहन राशियों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है।

हर रिपोर्टिंग तारीख पर वहन राशि के आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनरीक्षण किया जाता है तथा उसे उस हद तक घटाया जाता है जहां तक परिसंपत्ति के पूर्ण अथवा किसी भाग के उपयोग की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ होने की कोई संभावना

नहीं है। हर रिपोर्टिंग तारीख पर अमान्य आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनः पुनरीक्षण किया जाता है तथा वहां तक मान्यता दी जाती है जहां तक वे आगामी कर योग्य लाभ, आस्थगित कर परिसंपत्तियों को वसूल करने की अनुमति देंगे।

आस्थगित कर देयताओं एवं परिसंपत्तियों को उन कर दरों पर मापा जाता है जिन्हें उन कर दरों को अधिनियमित अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित किए गए हैं जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उस अवधि में लागू किए जाने की प्रत्याशा होती है जिसमें देयता को निपटाया गया हो अथवा परिसंपत्ति प्राप्त की गई।

यदि वर्तमान आयकर देयताओं के विरुद्ध वर्तमान कर परिसंपत्तियों को निर्धारित करने का वैधानिक प्रवर्तनीय अधिकार है जो आस्थगित कर परिसंपत्तियां एवं आस्थगित कर देयताओं को निर्धारित किया जाता सकता है तथा आस्थगित कर, वही कर योग्य मद एवं वही कर निर्धारण प्राधिकरण से संबंधित है।

आस्थगित कर देयताओं एवं परिसंपत्तियों को निपटाने के बाद उनके प्रमुख घटकों के पृथकों के रूप में तुलन पत्र की तारीख प्राप्त की जाती है।

वर्ष के लिए वर्तमान एवं आस्थगित कर

वर्ष के लिए वर्तमान एवं आस्थगित कर उन मदों से संबंधित हैं जो अन्य विस्तृत आय में या सीधे इक्विटी में उल्लेख किए जाते हैं। लाभ या हानि में वर्तमान एवं आस्थगित कर का उल्लेख किया जाता है तथा इस मामले में वर्तमान एवं आस्थगित कर भी अन्य विस्तृत आय में या सीधे इक्विटी में मान्य बन जाते हैं। जहां किसी व्यावसायिक संयोग के लिए प्रारंभिक लेखा से वर्तमान कर या आस्थगित कर निर्धारित होते हैं, कर प्रभाव, व्यावसायिक संयोग के लिए लेखा में सम्मिलित किए जाते हैं।

3.14. नुकसान :

यदि किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि (या नकद पैदा करनेवाली इकाई अचल संपत्ति) को उसकी वहन राशि से कम बताया जाता है तो परिसंपत्ति की वहन राशि (या नकद पैदा करनेवाली इकाई) को उसकी वसूली योग्य राशि तक कम किया जाता है।

वसूली योग्य राशि, निपटान की लागत और उपयोग में मूल्य घटा उचित मूल्य से अधिक है। उपयोग में मूल्यांकन मूल्य में प्राकलित भावी नकद प्रवाह को रकम के समय मूल्य के वर्तमान मार्केट मूल्यांकन बतानेवाले पूर्व-कर छूट दर एवं परिसंपत्ति के वे विशिष्ट जोखिम जिनके भावी नकद प्रवाह के प्राकलनों को समायोजित नहीं किया गया है, उनका प्रयोग करते हुए उनके वर्तमान मूल्य तक छूट किया जाता है।

जब नुकसान के उत्क्रमण को परिसंपत्ति की वहन राशि (या नकद पैदा करनेवाली इकाई) को उसकी वसूली योग्य राशि के पुनरीक्षित प्राक्कलन तक बढ़ाया जाता है ताकि बढ़ी हुई वहन राशि, मूल वहन राशि से अधिक न हो जाए जिससे कि पूर्व वर्षों में परिसंपत्ति (या नकद राशि पैदा करनेवाली इकाई) के लिए नुकसान न होने की स्थिति बताई जाए। किसी हानि के उत्क्रमण का उल्लेख तब तक लाभ एवं हानि की विवरणिका में तुरंत किया जाता है जब तक संबंधित परिसंपत्ति को पुनःमूल्यित राशि में लाया न जाए, तथा इस मामले में हानि के उत्क्रमण को पुनःमूल्यांकन बढ़ोतरी के रूप में लिया जाता है।

हर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी अपने मूर्त, अमूर्त परिसंपत्तियों की वहन राशियों का पुनरीक्षण करता है ताकि वह यह पता लगा सके कि उन परिसंपत्तियों को कोई हानि हुई है या नहीं। यदि कोई ऐसा संकेत मिलता है तो परिसंपत्ति की वसूली की राशि सही है या नहीं। यदि ऐसा कोई संकेत है तो परिसंपत्ति की वसूली की राशि का प्राक्कलन सही है ताकि हानि की स्थिति (यदि कोई हो) निश्चित की जा सके। जब किसी निश्चित परिसंपत्ति की वसूली राशि का प्राक्कलन किया जाना संभव नहीं है तो कंपनी नकद पैदा करनेवाली इकाई की वसूली राशि का प्राक्कलन करती है जिसके अंतर्गत उक्त परिसंपत्ति आती है।

कम से कम वर्ष में एक बार या जब भी परिसंपत्ति की हानि के संकेत मिलने से हानि के लिए अनिश्चित उपयोग काल युक्त अमूर्त परिसंपत्ति एवं उपयोग हेतु अनुपलब्ध अमूर्त परिसंपत्तियों का परीक्षण किया जाता है।

3.15. अर्जन प्रति शेयर:

प्रति इक्विटी के मूल आय परिकलन, अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कंपनी के इक्विटी धारकों को मिलने वाले शुद्ध लाभ को विभाजित करते हुए किया जाता है। प्रति इक्विटी की सुस्त कमाई का परिकलन, कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण होने वाले शुद्ध लाभ को प्रति इक्विटी शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करते हुए किया जाता है जो सभी संभाव्य सुस्त कमाई इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर जारी किए जाते हैं।

3.16 वित्तीय उपकरण :

i) गैर-व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण :

गैर-व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों में :

- वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद एवं नकद समतुल्य, व्यवसाय प्राप्ति, कर्मचारी अग्रिम, अन्य अग्रिम, सुरक्षा जमा, इक्विटी

सुरक्षाओं में निवेश तथा अन्य अर्हक वर्तमान/गैर-वर्तमान वरिसंपत्तियां सम्मिलित हैं।

- वित्तीय देयताओं में दीर्घ/ अल्पकालिक ऋण, ऋण, व्यवसाय भुगतान राशियां, सुरक्षा जमा, अवरोधन एवं अन्य अर्हक वर्तमान/गैर-वर्तमान वरिसंपत्तियां सम्मिलित हैं।

गैर-व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों का उल्लेख, आरंभ में उचित मूल्य में किया जाता है जिसमें उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर लाभ एवं हानि की विवरणिका में मापित उचित मूल्य पर मापित वित्तीय उपकरणों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों को अमान्य तब किया जाता है जब वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व पारितोषों के पर्याप्त जोखिम एवं प्राप्तियों को हस्तांतरित किया गया है। उन मामलों में जहां परिसंपत्तियों के जोखिम एवं पारितोष न ही हस्तांतरित हैं, न ही कायम रखे जाते हैं, वहां वित्तीय परिसंपत्तियों को तभी अमान्य किया जाता है जब कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण कायम नहीं किया है।

प्रारंभिक मान्यता के क्रम में गैर-व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों का वर्णन निम्नानुसार किया जाता है :

- ए) इक्विटी सुरक्षाओं (गौण, संयुक्त स्थापनाएं एवं असोसियेटों को छोड़कर) में निवेशों को उनके उचित मूल्य पर मूल्यित किया जाता है। इन निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाता है तथा हानि को छोड़कर उनमें परिवर्तनों को अन्य विस्तृत आय विवरणिका में उल्लेख किया जाता है। हानि, यदि कोई हो तो उन्हें अन्य इक्विटी से लाभ एवं हानिक की विवरणिका में पुनःवर्गीकृत किया जाता है। जब वे विक्रय के लिए उपलब्ध हैं तो उन्हें अमान्य किया जाता है, संबंधित संचयी लाभ या हानि को अन्य-इक्विटी में मान्य किया जाता है तो उसे लाभ एवं हानिक की विवरणिका में हस्तांतरित किया जाता है।

बी) ऋण एवं प्राप्तियां

ऋण एवं प्राप्तियां, सक्रिय मार्केट में कोट नहीं किए गए नियत अथवा निर्धारित करने योग्य गैर-व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां हैं। उन्हें वर्तमान परिसंपत्तियों में प्रस्तुत किया जाता है, केवल उन्हें छोड़कर जो 12 महीनों से अधिक अवधि के बाद में मैच्योर हो रहे हैं तथा उन्हें रिपोर्टिंग तारीख के बाद गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों में प्रस्तुत किया जाता है। आरंभ में ऋण एवं प्राप्तियों को उचित मूल्य जोड़ सीधे रोप्य लेन-देन लागतों के रूप में उल्लेख किया जाता है तथा किसी भी प्रकार की हानि को घटाकर प्रभावी ब्याज दर पद्धतियों का इस्तेमाल करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ऋण एवं प्राप्तियों में व्यवसाय प्राप्तियां, बिल नहीं किए गए राजस्व, कर्मचारी अग्रिम, सुरक्षा जमा भुगतान एवं अन्य परिसंपत्तियां शामिल हैं।

कंपनी, कंपनी के प्राप्य योग्य ऐतिहासिक भुगतान पैटर्न, ग्राहक कॉन्सन्ट्रेशन, ग्राहक क्रेडिट क्षमता एवं वर्तमान आर्थिक प्रवृत्तियों द्वारा इकत्रित नहीं हो पाने वाले लेखाओं का प्राक्कलन करता है। यदि ग्राहक की वित्तीय स्थिति खराब होती है, यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त भत्ताओं के लिए मूल्यांकन किया जाता है।

सी) व्यवसाय एवं अन्य भुगतान :

आरंभ में व्यवसाय एवं अन्य भुगतानों को उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है तथा उसके बाद प्रभावी ब्याज पद्धति इस्तेमाल करते हुए परिशोधित लागत में किया जाता है। इन वित्तीय उपकरणों के लिए वहन राशियां इन उपकरणों की अल्पकालिक मेच्यूरिटी के कारण लगभग उचित मूल्य के समतुल्य होते हैं।

डी) सुरक्षा जमा

प्रारंभ में सुरक्षा जमाओं को उचित मूल्य जोड़ सीधे सीधे रोप्य लेन-देन लागतों में उल्लेख किया जाता है तथा बाद में उसे किसी भी प्रकार की हानि कम करते हुए प्रभावी ब्याज पद्धति इस्तेमाल करते हुए परिशोधित लागत में मापा जाता है।

ई) कर मुक्त बॉण्ड :

प्रारंभ में कर मुक्त बॉण्डों को लेन-देन लागतों के उचित मूल्य लागतों में उल्लेख किया जाता है। आगामी अवधियों में कर मुक्त बॉण्डों को प्रभावी ब्याज पद्धति इस्तेमाल करते हुए परिशोधित लागत में प्रस्तुत किया जाता है। ब्याज व्ययों को प्रभावी ब्याज दर इस्तेमाल करते हुए परिशोधित लागतों में बताया जाता है। ब्याज व्ययों को प्रभावी ब्याज दर इस्तेमाल करते हुए कर मुक्त बॉण्डों के जीवनकाल पर वित्तीय व्यय के रूप में लाभ या हानि की विवरणिका में बताया जाता है।

ii) वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

लाभ एवं हानि द्वारा उचित मूल्य की वित्तीय परिसंपत्तियों (FVTPL) से अलग ये वित्तीय परिसंपत्तियों को हर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में हानि के संकेतकों को मूल्यांकित किया जाता है। उन वित्तीय परिसंपत्तियों को हानि के अंतर्गत बताया जाता है जब वित्तीय परिसंपत्ति की प्रारंभिक मान्यता के बाद होनेवाली एक या उससे अधिक घटनाओं के परिणामस्वरूप उद्देश्यपरक सबूत होने पर, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्राक्कलित भावी राशि प्रभावित हुए हैं तब उन्हें नष्ट माना जाता है। विक्रय के लिए उपलब्ध निवेश (एएफएस) हेतु अपनी लागत से कम सुरक्षाओं के उचित मूल्य में काफी अधिक या काफी समय के लिए हास दिखाई देते हैं।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि के उद्देश्यपरक सबूत में निम्नलिखित सम्मिलित हो सकते हैं :

- जारी करनेवाले अथवा प्रतिस्थानी में अत्यधिक वित्तीय कठिनाई;
- अनुबंध का उल्लंघन ब्याज अथवा प्रधान भुगतानों में गलती या अपचार जैसे ठेके भंग;
- वित्तीय कठिनाइयों के कारण संभव है कि ऋणी दिवाला या वित्तीय पुनर्गठन के लिए जाएंगे; अथवा उक्त वित्तीय परिसंपत्ति हेतु सक्रिय मार्केट के लुप्त हो वित्तीय कठिनाइयों के कारण।

व्यवसाय प्राप्ति जैसे वित्तीय परिसंपत्तियों के कुछ वर्गों को पृथक पृथक रूप में हानि के लिए मूल्यांकित किया जाता है। प्राप्तिताओं के पोर्टफोलियो में उद्देश्यपरक सबूत की हानि में कंपनी के भुगतान इकत्रीकरण में पूर्व अनुभव के साथ साथ राष्ट्रीय या स्थानीय आर्थिक स्थितियों में प्राप्तिताओं पर व्यतिक्रम के साथ संबद्धता स्थापित करते हैं।

उन वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो लागत पर वहन किए जाते हैं, उनके लिए हानि की राशि को वहन राशि युक्त परिसंपत्तियां एवं ऐसी ही वित्तीय परिसंपत्ति के लिए वसूली के वर्तमान मार्केट दर पर प्राकलित भावी नकद प्रवाह के वर्तमान मूल्य के बीच भिन्नता को हानि के रूप में लिया जाता है। आगामी अवधियों में ऐसी हानि का उत्क्रम नहीं किया जाएगा।

वित्तीय परिसंपत्ति की वहन राशि को व्यवसाय प्राप्ति को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए सीधे हानि द्वारा कम किया जाता है, ऐसी हानि को संबंधित वित्तीय परिसंपत्ति के लिए एक भत्ता लेखा के उपयोग द्वारा कम किया जाता है। जब व्यवसाय प्राप्ति को इकत्रित न कर पाने के अंतर्गत माना जाता है तथा उसे भत्ता लेखा के अंतर्गत भट्टे खाते में डाला जाता है। भट्टे खाते में डाले उसके बाद की वसूली राशियों को भत्ता लेखा के अंतर्गत क्रेडिट किया जाता है। भत्ता लेखा की वहन राशि में परिवर्तनों का उल्लेख लाभ एवं हानि की विवरणिका में किया जाता है।

परिशोधित लागत में मापित वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए यदि बाद की अवधि में हानि कम होती है और हानि की पहचान करने के बाद में होनेवाली घटना के साथ में उद्देश्यपरक रूप से उस कमी के साथ में संबद्धता बताया जा सकता है, पूर्व में मान्य हानि को उस हद तक लाभ एवं हानि की विवरणिका में उत्क्रमित किया जाता है जहां तक हानि के उत्क्रमण की तारीख के निवेश पर वहन राशि परिशोधित लागत से अधिक न हो यदि वह हानि पहचानी नहीं जाती।

iii) वित्तीय परिसंपत्तियों का मान्यता रद्द करना

कंपनी, एक वित्तीय परिसंपत्ति को तब मान्यता रद्द करती है जब परिसंपत्ति से नकद प्रवाह तक ठेके के अधिकार लुप्त हो जाते हैं या जब वित्तीय परिसंपत्ति एवं मांगों एवं स्वामित्व के पारितोषों को किसी दूसरे पार्टी को हस्तांतरित करता है। यदि कंपनी सभी जोखिमों एवं

स्वामित्व के पारितोषों को न ही हस्तांतरित करती है और न ही अपने पास कायम रखती है और उन्हें हस्तांतरित परिसंपत्ति को नियंत्रित करती है, कंपनी अपनी कायम रखी वस्तु को पहचानती है तो परिसंपत्ति एवं संभाव्य देयताओं की रकम का भुगतानों में अपनी दिलचस्पी प्रकट करती है। यदि कंपनी हस्तांतरित वित्तीय परिसंपत्ति के सभी जोखिमों एवं स्वामित्व के पारितोषों को कायम रखती है तथा परिसंपत्ति को सतत मान्यता देती है तो वह प्राप्तिओं के लिए संपार्श्विक उधार को भी मान्यता देती है।

किसी समग्र वित्तीय परिसंपत्ति के मान्यता रद्द करने पर परिसंपत्ति की वहन राशि एवं प्राप्त एवं प्राप्ति प्रतिफल तथा संचित लाभ या हानि के जोड़ के बीच भिन्नता जिसे अन्य विस्तृत आय एवं इक्विटी में संचय को लाभ या हानि में उल्लेख किया जाता है।

3.17. खण्ड सूचना

कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) को भारतीय लेखा-मानक-108, "प्रचालनात्मक खण्ड" प्रस्तुत परिभाषा के अनुसार मुख्य निर्णय लेनेवाले (सीओडीएम) व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है। कंपनी के सीएमडी पृथक वित्तीय विवरणिकाओं पर आधारित खण्डों के आधार पर मूल्यांकित करता है। प्रबंधन, भारत में प्रदत्त "पोर्ट सेवाओं" को एक एकल रिपोर्टबल व्यवसाय / भौगोलिक खण्ड मानता है।

3.18. पूर्व अवधि

पूर्व अवधि (अवधियों) से संबद्ध सामग्री राशि में गलतियों को पूर्व अवधि गलतियों की प्रवृत्ति युक्त नोट द्वारा प्रकट किया जाता है, ऐसी प्रत्येक पूर्व अवधि के सुधार की मात्रा उस हद तक जो प्रति शेयर के मूल एवं सुस्त कमाई व्यावहारिक परिवर्तन के साथ पूर्वव्यापी रूप से प्रस्तुत की गई हो। तथापि, जहां पूर्वव्यापी पुन:विवरणिका किसी विशिष्ट अवधि के लिए व्यावहारिक नहीं है, ऐसी परिस्थितियों तक ले जानेवाली स्थिति तथा गलती कैसे और कब हुई के विवरणों के साथ उन्हें ठीक करते हुए लेखा पर टिप्पणी में प्रकट किया जाता है।

3.19. पट्टा

कंपनी, ठेके के प्रारंभ में ठेके के विवरण उसकी सटीकता एवं लीज जैसे विवरणों को मूल्यांकित करती है। अर्थात् क्या वह ठेका किसी पहचान की गई परिसंपत्ति किसी निश्चित रकम के बदले में निश्चित अवधि के लिए उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

पट्टेदार के रूप में

कंपनी, अल्पकालिक लीज एवं निम्न-मूल्य परिसंपत्तियों के लीजों को छोड़कर सभी लीजों पर एक ही प्रकार की मान्यता एवं मापन पद्धति लागू करती है। साथ ही कंपनी द्वारा लीज भुगतान करनेवाली देयताओं तथा विचाराधीन आठ प्रकार के परिसंपत्ति उपयोग अधिकार संबंधी लीज का उल्लेख किया गया है:

i) परिसंपत्ति उपयोग अधिकार

कंपनी, परिसंपत्ति उपयोग अधिकार ("आरओयू परिसंपत्तियाँ") का उल्लेख लीज (यानी वह तारीख जिसमें विचाराधीन परिसंपत्ति उपयोग हेतु उपलब्ध है) की प्रारंभिक तारीख पर करती है। परिसंपत्ति उपयोग अधिकार को लागत पर, मूल्यहास एवं हानि घटाकर, तथा लीज देयताओं को के पुनः मापन के लिए समायोजन पर मापा जाता है। परिसंपत्ति उपयोग अधिकार की लागत में मान्य लीज देयताएं, व्ययित प्रारंभिक सीधी लागतें तथा प्रारंभिक तारीख से पहले या बाद में भुगतानित लीज घटाकर प्राप्त लीज प्रोत्साहन सम्मिलित हैं। परिसंपत्ति उपयोग अधिकार का मूल्यहास का आकलन, अल्पकालिक लीज अवधि की सीधी रेखा आधार पर किया जाता है तथा परिसंपत्तियों के उपयोगकाल पर प्राक्कलन किया जाता है।

यदि लीज की गई परिसंपत्तियों का स्वामित्व कंपनी को लीज अवधि के अंत में हस्तांतरित किए गए हैं, तो लागत क्रय विकल्प के अधिकार बताती है तथा परिसंपत्ति के प्राक्कलित उपयोगकाल इस्तेमाल करते हुए मूल्यहास का प्राक्कलन किया जाता है। परिसंपत्तियों के परिसंपत्ति उपयोग अधिकार पर भी हानि लागू होती है। कृपया गैर-वित्तीय वरिसंपत्तियों की हानि के अनुभाग (I) की लेखा नीतियों का संदर्भ लें।

ii) पट्टे की देयताएं

लीज की प्रारंभिक तारीख पर कंपनी, लीज देयताओं का उल्लेख लीज अवधि पर किए लीज भुगतानों के वर्तमान मूल्य किया जाता है। लीज भुगतानों में नियत भुगतान जानेवाले (निश्चित नियत भुगतानों के साथ) सम्मिलित हैं, प्राप्य कोई लीज प्रोत्साहन, किसी इंडेक्स या दर पर निर्भर विविध लीज भुगतान को घटाकर मापा जाता है तथा भुगतान की जानेवाली राशियों को शेष मूल्य गारंटियों के अंतर्गत किया जाता है। लीज भुगतानों में कंपनी द्वारा निश्चित रूप से किए जानेवाले कुछ क्रय विकल्प के विकल्प प्रयोग मूल्य तथा यदि लीज की अवधि लीज समाप्त करने के लिए देयताएं भी सम्मिलित हैं। वे विविध लीज भुगतान जो किसी इंडेक्स या दर पर निर्भर नहीं हैं, उन्हें उस अवधि के व्यय में उल्लेख किया जाता है जिसमें वह घटना या स्थिति, भुगतान की स्थिति पैदा करता है। लीज भुगतानों के वर्तमान मूल्य के आकलन में कंपनी, लीज प्रारंभ की तारीख पर अपने वृद्धिशील ऋण दर का प्रयोग करती है क्योंकि लीज में अस्पष्ट व्याज दर सीधे निर्धारित नहीं किया जा सकता। प्रारंभिक तारीख के बाद लीज देयताओं की राशि में वृद्धि की जाती है ताकि व्याज का संचयन बताया जा सके तथा भुगतानित लीज भुगतानों के लिए कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त लीज देयताओं की वहन राशि को तब मापा जाता है जब लीज अवधि में रूपांतरण, परिवर्तन (उदाहरण के लिए भावी भुगतानों में परिवर्तन जो ऐसे भुगतानों को निर्धारित करने के लिए इंडेक्स या दर में परिवर्तन का प्रयोग किया जाता है) होने पर

या कोई विचाराधीन परिसंपत्ति के क्रय विकल्प के लिए मूल्यांकन में परिवर्तन होता है। लीज देयताओं को "अन्य वित्तीय देयता" शीर्ष के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

iii) अल्पकालिक लीज एवं निम्न-मूल्य परिसंपत्तियों के लीज

कंपनी अपने अल्पकालिक लीजों (यानी वे लीज जिसमें प्रारंभ की तारीख से 12 महीने या उससे कम अवधि की लीज अवधि हो तथा उसमें क्रय विकल्प नहीं होता) पर लीज मान्यता छूट लागू करता है। इसपर निम्न-मूल्य परिसंपत्ति मान्यता छूट भी लागू करता है जिन्हें निम्न-मूल्य माना जाता है। अल्पकालिक भुगतानों पर लीज भुगतान एवं निम्न-मूल्य की परिसंपत्तियों को लीज अवधि पर सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में उल्लेख किया जाता है।

पट्टा दाता के रूप में

वे लीज जिसमें कंपनी किसी परिसंपत्ति के सभी जोखिम एवं स्वामित्व पारितोष को हस्तांतरित नहीं करती, उन्हें प्रचालित लीजों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रचालित लीजों से किराए आय को संबंधित लीज की अवधि पर सीधी रेखा पर लिया जाता है। आरंभिक सीधी लागतें जो बातचीत में तथा प्रचालन लीज की व्यवस्था करने के लिए व्ययित होती हैं, उन्हें परिसंपत्ति की वहन राशि के साथ जोड़ा जाता है तथा उन्हें किराए आय की तरह उसी आधार पर उल्लेख किया जाता है। आकस्मिक किरायों को अर्जन की अवधि में राजस्व के रूप में उल्लेख किया जाता है।

लीजों को वित्तीय लीज के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब कंपनी से परिसंपत्ति के सभी जोखिम एवं स्वामित्व के पारितोषों को ठेकेदार को हस्तांतरित करती है। ठेकेदार से वित्तीय लीजों से राशियों का उल्लेख लीज में कंपनी के कुल निवेशों पर प्राप्य के रूप में उल्लेख किया जाता है। वित्त लीज आय को लेखा अवधियों में आबंटित किया जाता है ताकि लीज के संबंध में बकाया कुल निवेश पर वसूली के स्थिर आवधिक दर बताया जा सके।

3.20. वर्तमान / गैर-वर्तमान वर्गीकरण :

कंपनी, तुलन पत्र में वर्तमान / गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को प्रस्तुत करता है। किसी परिसंपत्ति को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि:

- (ए) वह कंपनी के सामान्य साइकिल में उनके वसूल किए जाने अथवा बेचे जाने अथवा उपभोग किए जाने की प्रत्याशा है य
- (बी) इस मूल रूप से ट्रेड करने के लिए रखा जाता है य
- (सी) इसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद में बारह महीनों के अंदर वसूल किए जाने की संभावना है य अथवा
- (डी) यह नकद है अथवा नकद के समतुल्य है, इसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों तक के लिए देयता निपटाने के लिए गदला जाता है या उसका उपयोग किया जाता है।

सभी अन्य परिसंपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है

एक देयता को वर्तमान के रूप में तभी वर्गीकृत किया जाता है यदि :

(ए) उसे सामान्य प्रचालन साइकिल में निपटाए जाने की संभावना है

(बी) इस मूल रूप से ट्रेड करने के लिए रखा जाता है य

(सी) इसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद में बारह महीनों के अंदर वसूल किए जाने की संभावना है

(डी) रिपोर्टिंग अवधि के बाद में कम से कम बारह महीनों के लिए देयता निपटान को विलंबित करने की कोई शर्त रहित अधिकार नहीं है

अन्य सभी देयताओं को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

परिसंपत्तियों के अधिग्रहण तथा नकद में तथा नकद के समतुल्य रूप में उनके प्रकरण एवं वसूली के बीच में निहित समय को ही प्रचालन साइकिल माना जाता है। कंपनी का सामान्य प्रचालन साइकिल बारह महीने है।

3.21. शेयरधारकों को लाभांश वितरण

बोर्ड के निदेशकों द्वारा प्रस्तावित लाभांशों को वित्तीय विवरणिकाओं में तब उल्लेख किया जाता है जब उन्हें वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरहोल्डरों का अनुमोदन मिल जाता है।

3.22. पूर्व भुगतानित व्यय

हर शीर्ष के अंतर्गत राजस्व व्यय को वर्तमान वर्ष में तथा रकम के रु.20,000 से अधिक होने पर पूर्व भुगतानित में अलग किया जाता है।

3.23. मोचन निषेध के लिए प्रीमिया

ऋणों या कोई भी अन्य भाग के लिए मोचन निषेध के लिए प्रीमिया का उल्लेख वर्ष के वित्तीय लागत के अंतर्गत उल्लेख किया जाता है जिसमें मोचन निषेध प्रभावित हुआ है।

3.24. परिनिर्धारित हर्जाना

परिनिर्धारित हर्जाना को असंशय आधार पर उल्लेख किया जाता है।

3.25. नकद प्रवाह विवरणिका

नकद प्रवाह विवरणिका को अप्रत्यक्ष पद्धति इस्तेमाल करते हुए रिपोर्ट किया जाता है। नकद प्रवाह के विवरणिका के उद्देश्य के लिए नकद एवं नकद के समतुल्य में, बैंक में उपलब्ध तथा बैंक में मांग जमा, कुल बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट भी सम्मिलित हैं जो मांग पर चुकाने योग्य होते हैं और कंपनी की नकदी प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा माने जाते हैं।

4. सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(राशि लाखों में)

विवरण	1 अप्रैल, 2022 तक सकल वहन मूल्य	परिवर्धन	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2023 तक सकल वहन मूल्य	1 अप्रैल, 2022 तक संचित मूल्यहास	वर्ष के लिए मूल्यहास	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2023 तक संचित मूल्यहास	मार्च 31, 2023 के अनुसार वहन मूल्य
भूमि	63,952.64	-	-	63,952.64	-	-	-	-	63,952.64
भवन, शेड एवं अन्य संरचनाएं	12,781.54	402.18	-	13,183.71	1,851.94	304.76	-	2,156.70	11,027.01
कार्प एवं सीमाएं	64,485.91	-	-	64,485.91	9,650.01	1,536.35	-	11,186.35	53,299.56
रोड	16,852.09	2,187.64	-	19,039.73	3,590.06	1,384.49	-	4,974.56	14,065.17
रेलवे ट्रैक एवं सिग्नलिंग व्यवस्था	8,795.38	-	-	8,795.38	3,382.33	568.08	-	3,950.41	4,844.97
डॉक, सी-वॉल, पीपर्स एंड ब्रेक वॉटर	57,637.86	-	-	57,637.86	13,406.68	754.74	-	14,161.42	43,476.45
नींवहन सहायता	381.67	-	-	381.67	303.61	6.61	-	310.22	71.45
वाहन	208.25	-	-	208.25	86.95	22.40	-	109.35	98.90
इलेक्ट्रिकल संस्थापन	2,266.05	-	-	2,266.05	1,329.00	149.28	-	1,478.28	787.76
वॉटर, संवर्धन के लिए संस्थापन	306.19	-	-	306.19	167.13	8.69	-	175.82	130.37
इलेक्ट्रिकल अप्लायन्स	231.09	19.95	-5.11	245.94	150.08	18.76	-4.75	164.09	81.85
कार्यालय उपकरण	267.99	6.73	-	274.72	172.95	18.39	-	191.34	83.39
फर्नीचर एवं फिटिंग	963.34	87.92	-	1,051.26	570.20	82.05	-	652.25	399.01
कंप्यूटर	1,119.96	10.96	-	1,130.92	704.24	143.91	-	848.14	282.78
पोर्ट बेसिन एवं प्रवेश चौकल	91,157.14	-	-	91,157.14	13,318.37	806.00	-	14,124.37	77,032.77
संयंत्र एवं गरीबनरी	2,638.18	134.21	-	2,772.39	1,105.49	111.98	-	1,217.48	1,554.92
सुरक्षा परिसंपत्ति	65.09	27.00	-	92.09	56.67	3.06	-	59.73	32.36
कुल	324110.37	2876.60	(5.11)	326981.85	49845.71	5919.55	(4.75)	55760.50	271221.35

भूमि :

ए) कंपनी, 2802.49 एकड़ भूमि का मालिक है जिसे जीओटीएन, टीएनईवी, टिडको एवं नमक विभाग, वाणिज्य मंत्रालय से प्राप्त किया जिसमें से 2787.27 एकड़ की भूमि कंपनी के अधिग्रहण में है तथा शेष 15.22 एकड़ की भूमि पर अधिग्रहण किया जाना है क्योंकि उक्त भूमि मुकदमे अधीन है, उक्त भूमि के अधिग्रहण के विरुद्ध श्रीमती पाप्पा एवं श्री पी सेल्वराज ने दो फाइल किया है। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने अब तक दिनांक 19.11.2019 के अवधि निर्णय में भूमि अधिग्रहण अधिनियम के 6 के तहत अधिसूचना यू/एस 4(1) एवं घोषणा यूएस 6 को रद्द किया है। न्यायालय ने नई भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना यू/एस 4(1) जारी करते हुए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया आरंभ करने की सलाह दी है।

कंपनी ने यह निर्णय लिया है कि वे फाइल किए गए रिट याचिका डबल्यू.पी.नंबर 26041/2001 एवं 26042/2001 के लिए मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.2019 के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं करेंगे। पोर्ट ने पी.सेल्वराज के स्वामित्व की 6.82 एकड़ की भूमि के लिए रु.2.86 लाख एवं श्रीमती पाप्पा के स्वामित्व की 1.38 एकड़ की भूमि के लिए 0.58 लाख का भुगतान किया है तथा उसे निपटान/समायोजन के अंतर्गत दर्शाए गए रु.3.44 लाख रुपयों को राजस्व जमा एवं संवर्धन में रखे जाने का आदेश दिया गया।

बी) कंपनी ने टिडको से 950 एकड़ भूमि प्राप्त किया है जिसमें से 297.98 एकड़ की भूमि को कंपनी के नाम से पंजीकृत किया गया तथा शेष की पंजीकरण प्रक्रिया जारी है।

कंपनी ने टैन्जेडको से 1092.20 एकड़ की भूमि की खरीद की है जिसमें से 995.05 एकड़ की भूमि कंपनी के नाम पर पंजीकरण किया गया है तथा शेष की पंजीकरण प्रक्रिया जारी है।

कंपनी ने नमक विभाग से 712.42 एकड़ जमीन खरीदी और कंपनी के नाम पर पंजीकृत कर ली।

कंपनी ने जीओटीएन से 31.96 एकड़ की भूमि का अधिग्रहण किया, जिसमें से 0.31 एकड़ भूमि NHA द्वारा पुनः अधिग्रहण कर ली गई है और श्री एथिराज को गलती से मुआवजा दिया गया है। इस मुद्दे के मद्रास उच्च न्यायालय में ले जाया गया है जिन्होंने श्री एथिराज को मुआवजा राशी वापस का निर्देश दिया। वह राशी श्री एथिराज द्वारा वापस कर दी गई न्यायालय के और मामला अभी भी लंबित है।

कंपनी ने रेलवे साइडिंग के लिए जीओटीएन से 0.89 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया और कंपनी के नाम पर पट्टा प्राप्त किया।

सी) वर्गमीटर के माप की 161705, 542524, 472480, 384780 (फेज I एवं II), 171611, 520000 एवं 20235 (कुल 561.92 एकड़) की भूमि को क्रमशः बीओटी प्रचालक - मेसर्स एन्नोर टैंक टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एन्नोर कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स एसआइसीएल आयर्न ओर टर्मिनल्स लिमिटेड, मेसर्स अदानी कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एन्नोर ब्लक टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स आईओसी एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्रदान किया गया।

4. सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(राशि लाखों में)

विवरण	1 अप्रैल, 2021 तक सकल वहन मूल्य	परिवर्धन	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2022 तक सकल वहन मूल्य	1 अप्रैल, 2021 तक संचित मूल्यहास	वर्ष के लिए मूल्यहास	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2022 तक संचित मूल्यहास	मार्च 31, 2022 के अनुसार वहन मूल्य
भूमि	63952.64	0.00	0.00	63,952.64	0.00	0.00	0.00	-	63,952.64
मकान, शेड एवं अन्य संरचनाएं	12699.59	105.10	(23.15)	12,781.54	1508.16	351.32	(7.54)	1,851.94	10,929.59
वार्क एवं सीमाएं	64485.91	0.00	0.00	64,485.91	8113.66	1536.35	0.00	9,650.01	54,835.90
रोड	12422.34	4429.75	0.00	16,852.09	2593.22	996.84	0.00	3,590.06	13,262.02
रेलवे ट्रैक एवं सिग्नलिंग व्यवस्था	8605.28	190.10	0.00	8,795.38	2814.24	568.08	0.00	3,382.33	5,413.05
डॉक, सी-वॉल, पीयरस एंड ब्रेक वॉटर	57637.86	0.00	0.00	57,637.86	12651.94	754.74	0.00	13,406.68	44,231.19
नौवहन सहायता	381.67	0.00	0.00	381.67	297.00	6.61	0.00	303.61	78.06
वाहन	208.25	0.00	0.00	208.25	63.95	22.99	0.00	86.95	121.31
इलेक्ट्रिकल संस्थापन	1912.61	353.43	0.00	2,266.05	1197.89	131.11	0.00	1,329.00	937.04
वॉटर, संप्रेषण के लिए संस्थापन	306.19	0.00	0.00	306.19	158.45	8.69	0.00	167.13	139.06
इलेक्ट्रिकल अप्लायन्स	230.93	0.16	0.00	231.09	128.52	21.57	0.00	150.08	81.01
कार्यालय उपकरण	191.86	76.13	0.00	267.99	159.93	13.02	0.00	172.95	95.04
फर्नीचर एवं फिटिंग	946.43	16.91	0.00	963.34	494.14	76.06	0.00	570.20	393.14
कंप्यूटर	867.64	252.32	0.00	1,119.96	547.74	156.50	0.00	704.24	415.72
पोर्ट बेसिन एवं प्रवेश चैनल	90828.74	328.40	0.00	91,157.14	9386.51	3931.86	0.00	13,318.37	77,838.77
संयंत्र एवं मशीनरी	1113.69	1524.49	0.00	2,638.18	888.63	216.86	0.00	1,105.49	1,532.69
सुरक्षा परिसंपत्ति	65.09	0.00	0.00	65.09	54.51	2.16	0.00	56.67	8.42
कुल	316856.73	7276.79	(23.15)	324110.37	41058.48	8794.77	(7.54)	49845.71	274264.66

भूमि :

- ए) कंपनी, 2802.49 एकड़ भूमि का मालिक है जिसे जीओटीएन, टीएनईबी, टिडको एवं नमक विभाग, वाणिज्य मंत्रालय से प्राप्त किया जिसमें से 2787.27 एकड़ की भूमि कंपनी के अधिग्रहण में है तथा शेष 15.22 एकड़ की भूमि पर अधिग्रहण किया जाना है क्योंकि उक्त भूमि मुकदमे अधीन है, उक्त भूमि के अधिग्रहण के विरुद्ध श्रीमती पाप्पा एवं श्री पी सेल्वराज ने दो फाइल किया है। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने अब तक दिनांक 19.11.2019 के अन्तर्गत निर्णय में भूमि अधिग्रहण अधिनियम के 6 के तहत अधिसूचना यूएस 4(1) एवं घोषणा यूएस 6 को रद्द किया है। न्यायालय ने नई भूमि अधिग्रहण अधिसूचना यूएस 4(1) जारी करते हुए भूमि अधिग्रहण प्रक्रण आरंभ करने की सलाह दी है।
- कंपनी ने यह निर्णय लिया है कि वे फाइल किए गए रिट याचिका डबल्यू.पी.नंबर 26041/2001 एवं 26042/2001 के लिए मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.2019 के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं करेंगे। पोर्ट ने पी.सेल्वराज के स्वामित्व की 6.82 एकड़ की भूमि के लिए रु.2.86 लाख एवं श्रीमती पाप्पा के स्वामित्व की 1.38 एकड़ की भूमि के लिए 0.58 लाख का भुगतान किया है तथा उसे निपटान/समायोजन के अंतर्गत दर्शाए गए रु.3.44 लाख रुपयों को राजस्व जमा एवं संघयी में रखे जाने का आदेश दिया गया।
- बी) कंपनी ने टिडको से 950 एकड़ भूमि प्राप्त किया है जिसमें से 297.98 एकड़ की भूमि को कंपनी के नाम से पंजीकृत किया गया तथा शेष की पंजीकरण प्रक्रिया जारी है।
- कंपनी ने टैन्जेडको से 1092.20 एकड़ की भूमि की खरीद की है जिसमें से 995.05 एकड़ की भूमि कंपनी के नाम पर पंजीकरण किया गया है तथा शेष की पंजीकरण प्रक्रिया जारी है।
- कंपनी ने नमक विभाग से 712.42 एकड़ जमीन खरीदी, जिसमें से 682.66 एकड़ जमीन कंपनी के नाम पर पंजीकृत हो गई और शेष पंजीकरण जारी है।
- कंपनी ने तमिलनाडु सरकार से 32.65 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया और कंपनी के नाम पर पट्टा प्राप्त किया।
- सी) वर्गमीटर के माप की 134600, 542524, 472460, 384780 (फेज I एवं II), 171611, 520000 (कुल 550.05 एकड़) की भूमि को क्रमशः बीओटी प्रचालक – मेसर्स ऐनोर टैंक टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स चेट्टीनाड कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स एसआइसीएल आयर्न ओर टर्मिनल्स लिमिटेड, मेसर्स अदानी कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स चेट्टीनाड बल्क टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, एवं मेसर्स आईओसी एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किया गया।

परिसंपत्ति उपयोग करने का अधिकार

(राशि लाखों में)

विवरण	1 अप्रैल, 2022 तक सकल वहन मूल्य	परिवर्धन	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2023 तक सकल वहन मूल्य	1 अप्रैल, 2022 तक संचित मूल्यहास	वर्ष के लिए मूल्यहास	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2023 तक संचित मूल्यहास	मार्च 31, 2023 के अनुसार वहन मूल्य
पंजीकृत कार्यालय के लीड परिसंपत्तियाँ	2,661.85	-	97.06	2,564.80	626.52	103.86	-	730.39	1,834.41
कुल	2661.85	0.00	97.06	2564.80	626.52	103.86	0.00	730.39	1834.41

परिसंपत्ति उपयोग करने का अधिकार

(राशि लाखों में)

विवरण	1 अप्रैल, 2022 तक सकल वहन मूल्य	परिवर्धन	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2022 तक सकल वहन मूल्य	1 अप्रैल, 2021 तक संचित मूल्यहास	वर्ष के लिए मूल्यहास	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2022 तक संचित मूल्यहास	मार्च 31, 2022 के अनुसार वहन मूल्य
पंजीकृत कार्यालय के लीड परिसंपत्तियाँ	2,025.58	636.27	-	2,661.85	515.73	110.79	-	626.52	2,035.33
कुल	2025.58	636.27	0.00	2661.85	515.73	110.79	0.00	626.52	2035.33

5. चालू पूंजीगत कार्य

(राशि लाखों में)

विवरण	1 अप्रैल, 2022 तक शेष राशि	वर्ष के दौरान अतिरिक्त/समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत/समायोजन शेष राशि	31 मार्च, 2023 तक शेष राशि
सीडबल्यूआईपी - भवन, शेड एवं अन्य कार्य	1283.52	1264.35	-391.47	2156.40
सीडबल्यूआईपी - वार्ड एवं सीमाएं	1117.66	12780.39	0.00	13898.05
सीडबल्यूआईपी - रोड	5665.07	7268.12	-2187.64	10745.55
सीडबल्यूआईपी - रेल्वे ट्रैक एवं सिग्नलिंग	14035.44	2135.33	0.00	16170.77
सीडबल्यूआईपी - पोर्ट बेसिन एवं प्रवेश चैनल	164.71	370.80	0.00	535.51
सीडबल्यूआईपी - संयंत्र एवं मशीनरी	75.00	54.16	0.00	129.16
सीडबल्यूआईपी - फर्नीचर एवं फिटिंग	9.61	73.78	-83.39	0.00
सीडबल्यूआईपी - कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	0.00	128.07	0.00	128.07
कुल	22351.01	24075.00	(2662.50)	43763.51
पूर्व वर्ष	15881.07	13047.77	(6577.83)	22351.01

6. अमूर्त संपत्तियाँ - सॉफ्टवेयर

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
अप्रैल 1 तक सकल वहन मूल्य	1,094.15	1,092.96
जोड़	10.58	1.19
निपटान / समायोजन		
मार्च 31 तक सकल वहन मूल्य	1,104.73	1,094.15
अप्रैल 1 तक संचित अवमूल्यन	778.96	623.06
वर्ष के लिए निपटान / समायोजन पर	154.41	155.90
मार्च 31 तक संचित अवमूल्यन	933.37	778.96
मार्च 31 तक वहन मूल्य	171.36	315.18

7. निवेश

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
गैर-वर्तमान		
शेयरों में निवेश – कोट किए गए		
भारतीय ड्रेडिजिंग निगम में 10000 शेयर (31 मार्च 2023 तक मार्केट मूल्य रु.28,18,500/-)	28.19	31.56
शेयरों में निवेश – कोट नहीं किए गए		
सेतुसमुद्रम निगम लिमिटेड के ईक्विटी शेयर #	3000.00	3000.00
घटा : निवेशों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	-3000.00	-3000.00
चेन्नै एन्नोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड के ईक्विटी शेयर (रु.10/- प्रति शेयर की दर पर 3,40,00,000 ईक्विटी शेयर; पूर्व वर्ष – रु.10/- प्रति शेयर की दर पर 3,40,00,000 ईक्विटी शेयर)	3400.00	3400.00
भारतीय पोर्ट रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ईक्विटी शेयर (रु.10/- प्रति शेयर की दर पर 72,00,000 ईक्विटी शेयर; पूर्व वर्ष – रु.10/- प्रति शेयर की दर पर 20,000 ईक्विटी शेयर)	720.00	720.00
कन्याकुमारी पोर्ट लिमिटेड (रु.10/- प्रति शेयर की दर पर 20,000 ईक्विटी शेयर; – पूर्व वर्ष – रु.10/- प्रति शेयर की दर पर 20,000 ईक्विटी शेयर)	2.00	2.00
नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र में निवेश (रु.1515.52/- प्रति शेयर की दर पर 66 ईक्विटी शेयर; – पूर्व वर्ष – रु.10/- प्रति शेयर की दर पर 1515.52 ईक्विटी शेयर)	1.00	1.00
कुल	4151.19	4154.56

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर ड्रेडिजिंग कार्य 14.09.2007 से निलंबित है तथा परियोजना में आगे कोई प्रगति नहीं होने के कारण प्रबंधन ने सेतुसमुद्रम निगम लिमिटेड ईक्विटी शेयरों में कमी के लिए प्रावधान दिया है।

8. ऋण एवं अग्रिम

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
दीर्घकालिक		
सुरक्षित (अच्छा माना गया)		
कर्मचारियों को अग्रिम (मकान निर्माण अग्रिम)	297.10	355.09
कर्मचारियों को अग्रिम (वाहन अग्रिम)	2.36	5.77
कुल	299.46	360.86
अल्पकालिक		
सुरक्षित (अच्छा माना गया)		
कर्मचारियों को अग्रिम (मकान निर्माण अग्रिम)	68.00	42.86
कर्मचारियों को अग्रिम (वाहन अग्रिम)	1.73	2.54
कर्मचारियों को अग्रिम (अन्य)	12.90	4.34
कुल	82.64	49.74

कर्मचारियों को अग्रिम (मकान निर्माण अग्रिम) में रु.23.44 लाख की रकम भी सम्मिलित है जिसे उस कर्मचारी को दिया जाता है जिसके नाम पर जमा का कार्यालय ज्ञापन लंबित है।

9. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
दीर्घकालिक		
जमा	181.22	181.22
संचित ब्याज		
— संबंधित पार्टियों को अग्रिम	259.66	256.66
कुल	440.89	440.89
अल्पकालिक		
संचित ब्याज		
— अल्पकालिक जमा	10.55	4.34
— संबंधित पार्टियों को अग्रिम	0.00	0.00
प्राप्य आय	977.85	224.38
कुल	988.41	228.72

प्राप्य आय में अप्रैल 2023 में बेचे गए एसईआईएस योजना के अंतर्गत डीजीएफटी के विक्रय से वसूल किए गए रु.859.12 लाख रुपए शामिल हैं।

10. कर व्यय

लाभ एवं हानि विवरणिका में उल्लिखित कर

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
वर्तमान कर		
वर्तमान वर्ष के संबंध में	10088.07	9410.19
एमएटी क्रेडिट प्रदान के संबंध में		-
उप कुल (ए)	10088.07	9410.19
आस्थगित कर व्यय		
अस्थायी भिन्नताओं का प्रादुर्भाव एवं उत्क्रमण	2131.02	428.51
एमएटी क्रेडिट प्रदान	8169.20	-
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-
उप कुल (बी)	10300.21	428.51
कुल	20388.29	9838.70

अन्य विस्तृत आय में उल्लिखित कर

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
परिभाषित लाभ योजना बीमाकिक लाभ (हानि)	32.56	69.46
ईविक्टो उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन	1.18	-1.93
कुल	33.74	67.53

वर्ष के दौरान वर्गवार वर्गीकरण के साथ आस्थगित कर शेष की ओर

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
आस्थगित कर दायित्व		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	(34,551.88)	(32,286.65)
उप कुल	(34,551.88)	(32,286.65)
धारा 40ए(आईए) अस्वीकृतियाँ	-	-
धारा 43बी अस्वीकृति	-	-
बुरे एवं संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान - @ प्रभावी कर दर	1,359.75	1,359.75
एमएटी क्रेडिट अहर्कता	35,550.69	43,541.24
निश्चित लाभ योजना की ओर	128.68	82.18
निवेश में कमी - @ प्रभावी कर दर	1,048.32	1,048.32
अन्य	423.81	481.00
अन्य	38511.25	46512.49
निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ / (दायित्व)	3959.37	14225.84

11. अन्य परिसंपत्तियां

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
नैर-वर्तमान		
पूँजीगत व्यय के लिए अग्रिम	11337.26	7700.49
पूर्व भुगतानित व्यय	89.70	130.30
आस्थगित कर्मचारी लागत	122.19	136.19
निश्चित लाभ योजना परिसंपत्ति / (दायित्व)—उपदान	51.23	68.68
निश्चित लाभ योजना परिसंपत्ति / (दायित्व)—अर्जित छुट्टी नकदीकरण	24.75	50.61
कुल	11625.13	8086.28
वर्तमान		
ठेकेदारों को अग्रिम	715.12	833.62
पूर्व भुगतानित व्यय	119.35	339.61
जीएसटी इनपुट क्रेडिट	829.29	359.57
कुल	1663.77	1532.80

नैर-वर्तमान के अंतर्गत पूँजीगत व्यय के अग्रिम में रु.4509.50 लाख रुपए सम्मिलित हैं जो दिनांक 22.06.2001 को चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट से परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का अधिग्रहण करते समय माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश से परियोजना ठेकेदारों को भुगतानित अतिरिक्त भुगतान।

12. ट्रेड प्राप्य

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
ट्रेड प्राप्यताएं		
— असुरक्षित — माना गया माल	5875.87	5788.93
— संदेहास्पद	3891.22	3891.22
घटा : संदेहास्पद ऋणों के लिए स्वीकृतियां	-3891.22	-3891.22
कुल	5875.87	5788.93

13. नकद एवं नकद समतुल्य

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
हाथ में नकद	0.16	0.13
बैंकों में शेष	756.54	1370.98
उप कुल (ए)	756.70	1371.11
अन्य बैंकों में शेष		
— सावधि जमा	0.00	3000.00
— तीन महीनों से कम	8000.00	5000.00
— 3 महीनों से अधिक लेकिन 12 महीनों से कम	8000.00	8000.00
उप कुल (बी)	8756.70	9371.11

14. वर्तमान कर परिसंपत्तियां

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
अग्रिम कर एवं स्रोत पर कम किया हुआ कर	93936.81	81096.46
आयकर के लिए प्रावधान	-90315.87	-80227.79
कुल	3620.95	868.66

15. ईक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
प्राधिकृत रु.10/- प्रति दर पर ईक्विटी शेयर्स 500,000,000 ईक्विटी शेयर्स	50000.00	50000.00
जारी, अभिदत्त तथा पूर्ण रूप से भुगतानित रु.10/- प्रति दर पर ईक्विटी शेयर्स। चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण द्वारा होल्ड किए गए 300,000,000 ईक्विटी शेयर्स	30000.00	30000.00
	30000.00	30000.00

शेयर पूंजी का समाधान

विवरण	31 मार्च, 2022 तक		
	शेयरों की सं	रकम	
प्रारंभ में ईक्विटी शेयर्स	3000000000	30000000000	
अतिरिक्त – शेयरों की संख्या, शेयर पूंजी जारी / वर्ष के दौरान अभिदत्त	0	0	
अंत शेष	3000000000	30000000000	
विवरण	31 मार्च, 2023 तक		
	शेयरों की सं	रकम	
प्रारंभ में ईक्विटी शेयर्स	3000000000	30000000000	
अतिरिक्त – शेयरों की संख्या, शेयर पूंजी जारी / वर्ष के दौरान अभिदत्त	0	0	
अंत शेष	3000000000	30000000000	
प्रमोटर एवं शेयरहोल्डरों के पास कंपनी के 5% से अधिक शेयर			
(राशि लाखों में)			
शेयरहोल्डर का नाम 31 मार्च 2023 तक	%	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण	100%	30000	30000

भारत सरकार ने कंपनी में होनेवाले अपने सभी ईक्विटी शेयरों को दिनांक 25.03.2020 को शेयर क्रय करार पर हस्ताक्षर द्वारा चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण को देकर विनिवेश किया है।

16. उधार राशियां

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
सुरक्षित - दीर्घकालिक		
आवधिक ऋण		
चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण	15903.75	18205.00
कर मुक्त बॉण्ड		
(i) सीरीज 2012-13	1164.88	1150.11
(ii) सीरीज 2013-14	29204.89	36454.40
असुरक्षित - दीर्घकालिक		
आवधिक ऋण		
एचडीएफसी बैंक से ऋण	2500.00	3500.00
कुल	48773.52	59309.51
सुरक्षित - अल्पकालिक		
दीर्घकालिक आवधिक ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं		
- चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण	2301.25	2301.25
- कर मुक्त बॉण्ड - सीरीज 2013-14	7249.51	0.00
- कर मुक्त बॉण्ड - सीरीज 2012-13	-	8293.34
सुरक्षित - अल्पकालिक		
दीर्घकालिक आवधिक ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं		
एचडीएफसी बैंक से ऋण	1000.00	500.00
कुल	10550.76	11094.59

सुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय बॉण्ड

(i) सममूल्य पर प्रतिदेय, 829334 अंकित मूल्य के 10 साल के बांड - 1000/- रुपये प्रत्येक की राशि 82,93,34,000/- रुपए दिनांक 25.03.2023 को देय हैं तथा बॉण्डहोल्डरों को नियत तारीख तक पुनः भुगतान किया जाना है। इसके अतिरिक्त 15 वर्ष की अवधि के 117156 बॉण्ड, जिनका प्रत्येक मूल्य रु. 1000/- है जो कुल रु. 11,71,56,000/- के हैं तथा दिनांक 25.03.2028 तक खुदरा निवेशकों को 7.51% और 7.67% की दर पर ब्याज सहित देय हैं तथा क्रमशः वार्षिक स्तर पर 7.01% और 7.17% की दर पर देय हैं। बॉण्ड कंपनी की परिसंपत्तियों के साथ सुरक्षित हैं जैसे 25.03.2013 को पंजीकृत बॉण्ड ट्रस्ट डीड की शर्तों के अनुसार स्मॉल क्राफ्ट जेटी - 1, 2 और 3 और जनरल कार्गो बर्थें। वर्ष के दौरान, कंपनी ने रु.1000/- रुपये प्रति बॉण्ड की दर पर कुल रु. 82,93,34,000/- राशि के 829334 बॉण्ड भुनाए हैं।

(ii) खुदरा निवेशकों को क्रमशः 8.61%, 9% एवं 9% ब्याज दर पर तथा अन्य व्यक्तियों को क्रमशः 8.36%, 8.75% एवं 8.75% वार्षिक स्तर पर देय दिनांक 25.03.2024 को सममूल्य पर प्रतिदेय 10 वर्ष की अवधि के 794951 संख्या के रु.1000/- प्रति बॉण्ड के अंकित मूल्य पर कुल रु.79,49,51,000/- की राशि, दिनांक 25.03.2029 को 15 वर्ष की अवधि के 1916630 संख्या के रु.1000/- प्रति बॉण्ड के अंकित मूल्य पर कुल रु.94,31,42,000/- की राशि तथा दिनांक 25.03.2034 को 20 वर्ष की अवधि के 943142 संख्या के रु.1000/- प्रति बॉण्ड के अंकित मूल्य पर कुल की राशि देय है। बॉण्ड, कंपनी परिसंपत्तियों के साथ सुरक्षित हैं जैसे दिनांक 19.03.2014 को पंजीकृत बॉण्ड ट्रस्ट डीड करार के शर्तों के अनुसरण में नॉर्थ ब्रेक वॉटर।

चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट से आवधिक ऋण

चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट को देय आवधिक ऋण वर्ष 2001-02 की संपत्तियों और देनदारियों के अधिग्रहण के समय परिवर्तित किया गया जिसे दिनांक 30.06.2012 से शुरू होने वाली 60 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाना है। इस अवधि के दौरान किश्तों का भुगतान अद्यतन किया जाता है। उपरोक्त ऋण कंपनी की विशेष रूप से निर्धारित अचल संपत्तियों को बंधक बनाकर सुरक्षित किया गया है। कंपनी ने मूल ऋण के समान नियमों और शर्तों पर 18.06.2018 और 29.09.2018 को क्रमशः 70 करोड़ रुपये और 20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उधार ली है।

एचडीएफसी बैंक से टर्म लोन

एचडीएफसी बैंक ने 27 जुलाई 2021 को 50 करोड़ रुपये का असुरक्षित धन टर्म लोन 91 दिनों के टी बिल प्लस 1.80% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर स्वीकृति प्रदान की है, जिसे एकवर्ष की मोहलत के साथ पांच साल के अंदर त्रैमासिक रूप में पुनर्भुगतान किया जा सकता है। वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 40 करोड़ रुपये प्राप्त किया है।

17. अन्य वित्तीय दायित्व

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
दीर्घकालिक		
सुरक्षा जमा	551.01	435.20
कुल	551.01	435.20
अल्पकालिक		
सुरक्षा जमा	131.56	139.15
भुगतान की जानेवाली प्रतिधारण राशि	158.37	239.98
कर्मचारियों को देय राशि	0.48	0.48
अन्य दायित्व	127.27	128.43
कुल	417.67	508.04

18. प्रवाधान

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
गैर-वर्तमान		
कर्मचारी लाभ हेतु छुट्टी नकदीकरण उपदान	0.00	0.00
कुल	0.00	0.00
वर्तमान		
कर्मचारी लाभ हेतु छुट्टी नकदीकरण उपदान	0.00	0.00
निष्पादन आधारित वेतन	254.10	326.99
उप कुल (ए)	254.10	326.99
अन्य व्यय		
— राजस्व	15496.86	950.43
— पूंजी	58.50	123.50
उप कुल (बी)	15555.36	1073.93
कुल (ए+बी)	15809.46	1400.92

19. अन्य दायित्व

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
गैर-वर्तमान		
अग्रिम में प्राप्त आय	5519.64	5970.93
अग्रिम लीज प्रभार	1313.19	1313.19
आस्थगित उचित मूल्य मूल्ययन लाभ दृ सुरक्षा जमा	529.20	549.01
कुल	7362.03	7833.14
वर्तमान		
अग्रिम में प्राप्त आय	895.23	780.67
अन्य सांविधिक भुगतान	2380.55	2585.84
ग्राहकों से अग्रिम प्राप्ति	2062.80	1585.81
अग्रिम लीज प्रभार	0.00	61.45
अन्य दायित्व	0.00	0.00
कुल	5338.58	5013.77

इंडियन ऑयल एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड से गैर-वर्तमान के अंतर्गत रु.5519.64 लाख रुपए की राशि अग्रिम में आय के रूप में प्राप्त हुई है जो 31 जुलाई 2015 के लाइसेन्स करार के अनुसरण में एलएनजी टर्मिनल के निर्माण हेतु आवंटित 5,20,000 वर्ग मीटर की भूमि हेतु 30 वर्ष के लिए प्रारंभिक लाइसेन्स प्रभार है।

20. भुगतान किए जानेवाले ट्रेड

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
सूक्ष्म एवं छोटे उद्यमों को देय कुल बकाया	435.43	338.18
सूक्ष्म एवं छोटे उद्यमों के अतिरिक्त क्रेडिटर को देय कुल बकाया	3578.58	2790.69
कुल	4014.01	3128.87

21. प्रचालनों से राजस्व

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
लीज आय		
कोयले पर समग्र प्रशुल्क	33184.97	26889.40
ऐस्टेट आय	2530.53	3150.54
राजस्व शेयर	33832.76	28038.48
समुद्री सेवाएं		
वेसल संबंधित आय	21670.51	18282.45
कार्गो संबंधित सेवाएं		
वार्षिक	5633.02	5614.79
रॉयल्टी	960.69	1002.52
अन्य प्रचालन राजस्व		
अन्य सेवाएं	459.75	283.33
कुल	98272.23	83261.51

22. अन्य आय

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
बैंकों से ब्याज	950.61	340.13
कर्मचारी अग्रिमों पर ब्याज	32.83	38.66
ब्याज अन्य	102.99	95.52
अन्य गैर-प्रचालनात्मक आय		
कार्मिक एवं वाहन प्रवेश पत्र	96.55	91.23
परिनिर्धारित नुकसान	164.42	1083.13
आवंटित एसईआईएस स्क्रिप्ट	859.13	0.00
अन्य आय	443.74	173.64
कुल	2650.27	1822.30

23. प्रचालनात्मक लागत

(रुप लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
समय चार्टर क्राफ्ट	3176.11	3201.12
परामर्श सेवाएं – प्रचालन	153.31	46.02
पवर एवं जल प्रभार	306.96	232.23
वातावरण	352.12	301.64
अनुसंधान एवं विकास व्यय	17.87	235.07
फ्यूल व्यय	1110.98	1090.83
मैनिंग सर्विस	856.14	789.78
सर्वेक्षण व्यय	5.05	9.51
मरम्मत एवं रखरखाव	811.31	720.29
प्रोत्साहन	2767.05	254.61
बीमा	277.26	326.88
कुल	9834.16	7207.98

24. कर्मचारी लाभ

(रुप लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
वेतन एवं मजदूरी	1478.24	1430.99
भविष्य निधि में अंशदान	120.43	114.30
कर्मचारी कल्याण	36.36	15.01
निष्ठादान संबंधी भुगतान	217.38	361.98
कर्मचारी चिकित्सा व्यय	47.62	73.89
सेवानिवृत्ति लाभ	178.75	256.17
कुल	2078.78	2252.34

25. वित्त लागत

(रुप लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
व्याज व्यय		
– बैंकों से	58.15	139.25
– कर मुक्त बॉण्ड – 2012-13	686.48	687.67
– कर मुक्त बॉण्ड – 2013-14	3220.76	3234.34
– अन्य	1899.29	2114.35
अन्य उधार लागतें		
– कर मुक्त बॉण्ड व्यय	5.70	5.35
निवल हानि / विदेशी मुद्रा विनिमय से लाभ तथा उधार लागतों के रूप में माने गए तक का रूपांतरण	-	53.14
कुल	5870.38	6234.10

26. अवमूल्यन एवं क्रमिक अपाकरण

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
वर्ष के लिए अवमूल्यन एवं क्रमिक अपाकरण		
मूल परिसंपत्तियां	5919.55	8794.77
उपयोग करने के अधिकार युक्त परिसंपत्तियां	103.86	110.79
अमूर्त परिसंपत्तियां	154.41	155.90
कुल	6177.82	9061.46

27. अन्य व्यय

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
एएमसी - सॉफ्टवेयर व्यय	202.08	177.18
लेखा परीक्षक प्रतिपूर्ति		
- सांविधिक लेखा परीक्षा	6.00	6.00
- कर लेखा परीक्षण शुल्क	1.25	0.75
- अन्य सेवाओं के लिए भुगतान	1.70	1.18
- व्यय की प्रतिपूर्ति	0.60	0.60
इलेक्ट्रिसिटी एवं जल प्रभार	103.07	105.83
वैधानिक एवं व्यावसायिक प्रभार	567.99	474.28
अन्य व्यय	229.51	173.05
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	12.01	12.85
किराए, दर एवं कर	118.65	59.77
रक्षण एवं सुरक्षा व्यय	1300.21	1195.87
कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी व्यय	854.94	707.15
अंशदान एवं सदस्यता शुल्क	93.80	96.69
संचार व्यय	56.83	56.56
दौरा एवं परिवहन	24.57	9.01
चालू वाहन व्यय	343.79	297.88
विज्ञापन एवं प्रोत्साहन व्यय	43.96	19.88
मैनिंग ठेका - प्रशासन	573.52	395.53
विदेशी मुद्रा विनिमय उतार-चढ़ाव हानि	-	87.74
प्रत्याशित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान	-	2591.48
कुल	4534.50	6469.27

(बी) निम्नांकित पर वर्ष के दौरान व्ययित रकम :

क्रम सं	विवरण	नकद में भुगतान किया जाना है
(i)	निर्माण / किसी भी परिसंपत्ति का अधिग्रहण	0.00
(ii)	उपर्युक्त (i) के उद्देश्य से अतिरिक्त	0.00
	कुल	0.00

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर)

जहां कंपनी, कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत है सीएसआर क्रियाकलापों के संबंध में निम्नांकित को प्रकट किया जाना है

क्रम सं	क्रियाकलाप का नाम	व्यय की गई रकम
(i)	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय की जानेवाली रकम	₹. 854.94 लाख
(ii)	व्ययित रकम	₹. 596.80 लाख
(iii)	(वर्ष के दौरान कमी)	₹.258.14 लाख
(iv)	पूर्व वर्ष के अंत में कमी	कोई कमी नहीं
(v)	कमी का कारण	लागू नहीं
(vi)	सीएसआर क्रियाकलापों की प्रवृत्ति	शिक्षण, स्वास्थ्यदेखभाल, ग्रामीण विकास आदि
(vii)	संबंधित पार्टी हस्तांतरण के विवरण, उदाहरण के लिए सीएसआर व्यय के संदर्भ में लेखांकन मानकों के अनुसरण में कंपनी द्वारा नियंत्रित सीएसआर व्यय के संदर्भ में	कोई नहीं
(viii)	ठेके दायित्व स्वीकारते हुए होनेवाले दायित्व के संबंध में प्रावधान बनाया जाता है, वर्ष के दौरान प्रावधानों की गति को अलग से दिखाया जाए	कोई नहीं

नोट : बोर्ड के अनुमोदन के साथ वित्त वर्ष व्यय के लिए सीएसआर व्यय ₹.9.85 करोड़ था जबकि वास्तविक व्यय ₹.5.56 करोड़ ही था। शेष ₹.3.38 करोड़ की रकम को सीएसआर अव्ययित लेखा में हस्तांतरित किया गया।

28. विशिष्ट मद

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
विशिष्ट मद – समुद्र तट की सुरक्षा संरचनाएं	14688.36	0
कुल	14688.36	0

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने कंपनी को पोर्ट क्षेत्र में विस्तार करने, अतिरिक्त टर्मिनल स्थापित करने, जैसे विभिन्न प्रस्तावों के लिए अनुमति प्रदान करते समय यह शर्त रखी थी कि पोर्ट के परिसरों के पास स्थित समुद्र तट की सुरक्षा हेतु तथा ऐन्गोर खाड़ी के प्रवेश बंद करने की प्रक्रिया रोकने के लिए उचित संरचनाओं के निर्माण किया जाए जिससे कि कंपनी पर वैधानिक दायित्व बन जाता है।

इस प्रावधान की राशि को लेखा पुस्तकों में उल्लेख किया गया है क्योंकि, इस दायित्व को निभाने के लिए सार्वजनिक वर्क्स विभाग, तमिलनाडु सरकार द्वारा दिए गए विश्वसनीय आकलनों के वर्तमान मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जिसके लिए यह संभव है कि आर्थिक लाभ के स्रोत से बाह्य प्रवाह हो। उक्त प्रावधान के अंतर्गत निवल रकम का व्यय किया गया है।

29. प्रति शेयर से अर्जन

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय	3728739870	4414569480
शेयरों की संख्या का भारित औसत – मूल	300000000	300000000
शेयरों की संख्या का भारित औसत – डायिल्यूटेड	300000000	300000000
प्रति शेयर अर्जन – मूल	12.43	14.72
प्रति शेयर अर्जन – डायिल्यूटेड	12.43	14.72

टिप्पण 30: प्रकटीकरण टिप्पणी

1. प्रतिबद्धताएं:

पूँजी प्रतिबद्धताएं:

पूँजीगत व्यय पर निष्पादित होने वाले शेष ठेकों की अनुमानित राशि (अग्रिमों का शुद्ध) और रुपये के लिए प्रदान नहीं किया गया। रु.32879.08 लाख (पिछले वर्ष रु. 32945.25 लाख)

2. वैधानिक लेखापरीक्षकों को भुगतान (रकम लाखों में)

विवरण	2022-23	2021-22
लेखा शुल्क	6.00	6.00
कर लेखा शुल्क	1.25	0.75
प्रमाणीकरण शुल्क	1.70	1.18
प्रतिपूर्ति :- कर्मचारी द्वारा किए गए व्यय	0.60	0.60

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त जानकारी

(रकम लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	2022-23	2021-22
ए	निम्नांकित पर विदेशी मुद्रा में व्यय		
	(i) व्यावसायिक एवं परामर्श शुल्क	-	-
	(ii) दौरे एवं यात्रा	-	-
	(iii) विदेशी मुद्रा ऋण पर ब्याज बचाव व्यवस्था सहित	-	139.25
	(iv) अन्य	-	-
बी	विदेशी मुद्रा में अर्जित राशि	-	-

4. 31 मार्च 2023 तक सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यमों के संबंध में जानकारी :

(राशि लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	2022-23	2021-22
1	किसी भी आपूर्तिकार को अमुगतानित शेष रकम ए) मूलधन रकम बि) उसपर देय ब्याज	435.43 -	338.18 -
2	सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसरण में भुगतानित ब्याज की राशि, नियत तारीख के बाद आपूर्तिकार को भुगतानित रकम के साथ	कोई नहीं	कोई नहीं
3	भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय एवं भुगतान किए जानेवाले ब्याज की राशि (जो वर्ष में नियत तारीख के बाद भुगतान किए गए हैं), लेकिन सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्धारित राशि जोड़े बिना	कोई नहीं	कोई नहीं
4	उपार्जित ब्याज एवं शेष अमुगतानित राशि	कोई नहीं	कोई नहीं
5	अनुवर्ती वर्षों में भी देय एवं भुगतान किए जाने वाली ब्याज की रकम, उस तारीख तक जब उपर्युक्त के अनुसार ब्याज के देय छोटे उद्यमों को वास्तव में भुगतान किया जाना है, सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत काटे जाने के रूप में अस्वीकृतियों के उद्देश्य हेतु	कोई नहीं	कोई नहीं

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में विक्रेताओं का वर्गीकरण कंपनी के पास सूचना के लिए उपलब्ध कराया गया है।

भारतीय लेखा मानकों की आवश्यकताओं का प्रकटीकरण

5. भारतीय लेखा-मानक 107 के संबंध में प्रकटीकरण – वित्तीय प्रकटीकरण

5.1 वर्गीकरणों के आधार पर वित्तीय उपकरण

वित्तीय उपकरणों की वहन राशि एवं उचित मूल्य इस प्रकार पाए गए :

(31 मार्च 2023 तक रकम लाखों में)

विवरण	परिशोधित लागत	वित्तीय परिसंपत्तियां / लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर देयताएं	वित्तीय परिसंपत्तियां / ओसीआई द्वारा उचित पर देयताएं	कुल वहन राशि	कुल उचित राशि
परिसंपत्तियां					
गैर-वर्तमान निवेश (संदर्भ टिप्पण सं 7)	4123.00	-	28.19	4151.19	4151.19
नकद –नकद समतुल्य (संदर्भ टिप्पण 13)	8756.70	-	-	8756.70	8756.70
ट्रेड प्राप्य (संदर्भ टिप्पण 12)	5875.87	-	-	5875.87	5875.87
ऋण एवं अग्रिम (संदर्भ टिप्पण 8)	382.09	-	-	382.09	382.09
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (संदर्भ टिप्पण 9)	1429.29	-	-	1429.29	1429.29
देयताएं					
चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट से आविधिक ऋण (संदर्भ टिप्पण 16)	18205.00	-	-	18205.00	18205.00
कर मुक्त बॉण्ड (संदर्भ टिप्पण 16)	37619.28	-	-	37619.28	37619.28
एचडीएफसी बैंक से ऋण (संदर्भ टिप्पण 16)	3500.00	-	-	3500.00	3500.00
ट्रेड भुगतान की जानेवाली राशि)	435.43	-	-	435.43	435.43
सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यमों को देय बकाया राशि (संदर्भ टिप्पण 20)	3578.58	-	-	3578.58	3578.58
अन्य वित्तीय देयताएं (संदर्भ टिप्पण 17)	968.68	-	-	968.68	968.68

विवरण	परिशोधित लागत	वित्तीय परिसंपत्तियां/ लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर देयताएं	वित्तीय परिसंपत्तियां/ ओसीआई द्वारा उचित मूल्य पर देयताएं	कुल वहन राशि	कुल उचित मूल्य
परिसंपत्तियां					
गैर-वर्तमान निवेश (संदर्भ टिप्पण सं 7)	4123.00		31.56	4154.56	4154.56
नकद -नकद समतुल्य (संदर्भ टिप्पण 13)	9371.11	-	-	9371.11	9371.11
ट्रेड प्राप्त्य (संदर्भ टिप्पण 12)	5788.93	-	-	5788.93	5788.93
ऋण एवं अग्रिम (संदर्भ टिप्पण 8)	410.60	-	-	410.60	410.60
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (संदर्भ टिप्पण 9)	669.61	-	-	669.61	669.61
देयताएं:					
चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट से आविधक ऋण (संदर्भ टिप्पण 16)	20506.25	-	-	20506.25	20506.25
कर मुक्त बॉण्ड (संदर्भ टिप्पण 16)	45897.85	-	-	45897.85	45897.85
एचडीएफसी बैंक से ऋण (संदर्भ टिप्पण 16)	4000.00	-	-	4000.00	4000.00
ट्रेड के भुगतान की जानेवाली राशि सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यमों को छोड़कर ऋणदाताओं को देय (संदर्भ टिप्पण 20)	338.18	-	-	338.18	338.18
ट्रेड के भुगतान की जानेवाली राशि सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यमों को छोड़कर ऋणदाताओं को देय (संदर्भ टिप्पण 20)	2790.69	-	-	2790.69	2790.69
अन्य वित्तीय देयताएं (संदर्भ टिप्पण 17)	968.68	-	-	968.68	968.68

5.2. उचित मूल्य पदानुक्रम

- स्तर 1 - समरूप परिसंपत्तियां या देयताओं के लिए सक्रिय मार्केट में कोट की गई दरें (असमायोजित)।
- स्तर 2 - स्तर 1 में सम्मिलित कोट की गई दर इनपुटों को छोड़कर वे इनपुट जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष (यानी दरों में) या परोक्ष (यानी दरों से व्युत्पन्न) रूप में देखे गए हैं।
- स्तर 3 - परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए इनपुट जो देखे गए मार्केट डेटा पर आधारित नहीं हैं। (अनदेखे इनपुट)
निम्नांकित तालिका में उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों एवं देयताओं के उचित मूल्य पदानुक्रम प्रस्तुत करता है:

(रकम लाखों में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए				वर्ष 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्ति								
उल्लेख नहीं किए गए इक्विटी उपकरण में निवेश	-	-	4,123.00	4,123.00	-	-	4,123.00	4,123.00
उल्लेख किए गए इक्विटी उपकरण में निवेश	-	-	28.19	28.19	-	-	31.56	31.56

(रकम लाखों में)

5.3. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम तत्व

कंपनी के क्रियाकलापों पर सीमित वित्तीय जोखिमों का प्रभाव पड़ता है : वित्तीय जोखिम, क्रेडिट जोखिम एवं चल निधि। वित्तीय मार्केटों की अप्रत्याशितता का पूर्वानुमान लगाना तथा उसके वित्तीय निष्पादन पर संभाव्य प्रतिकूल प्रभावों को कम करना ही कंपनी का मूल उद्देश्य है।

ए) मार्केट जोखिम

मार्केट जोखिम वह जोखिम है जिससे कि वित्तीय उपकरणों के भावी नकद प्रवाह के उचित मूल्य में मार्केट दर में होनेवाले परिवर्तनों के कारण उतार-चढ़ाव होगा।

कंपनी में मार्केट जोखिम के रूप में ब्याज दर जोखिम है। कंपनी का अपने वित्तीय उपकरणों पर कोई दर जोखिम नहीं है क्योंकि कंपनी के पास कोई व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्ति नहीं है।

ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम, वह जोखिम है जिसमें मार्केट ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण किसी वित्तीय उपकरण के उचित मूल्य एवं भावी नकद प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा। मार्केट ब्याज दरों में परिवर्तनों के कारण जोखिम का असर मूल रूप से ब्याज की अस्थिर दर युक्त दीर्घकालिक ऋण देयताओं से संबंधित है।

कंपनी का चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट से प्राप्त ऋण पर ब्याज दर जोखिम है तथा वार्षिक दर रीसेट, भारतीय स्टेट बैंक के एमसीएल आरदर में होनेवाली गति से जुड़ा हुआ है।

कंपनी ने एचडीएफसी बैंक से आविधक ऋण लिया है तथा वार्षिक ब्याज दर का रीसेट, 91 दिन टी बिल में गति से जुड़ा हुआ है।

रिपोर्टिंग की तारीख पर कंपनी के वित्तीय तारीखों के ब्याज का ब्याज दर प्रोफाइल निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
वित्तीय परिसंपत्ति		
- बैंक के साथ सावधि जमा	8000.00	8000.00
- कर्मचारी अग्रिम	382.09	410.60
वित्तीय दायित्व		
- कर युक्त बॉण्ड	37619.28	45897.85
विविध दर उपकरण		
- चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट से ऋण	18205.00	20506.25
- विदेशी मुद्रा ऋण	-	-
- एचडीएफसी बैंक	3500.00	4000.00

बी) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम, वित्तीय हानि में होनेवाली काउंटरपार्टी द्वारा देय देयताओं से होनेवाले जोखिम है। चूंकि, कंपनी आमतौर पर प्रमुख पोर्ट सेवाओं के लिए अपनी आमदनी के संबंध में पूर्व भुगतान का शर्त लगाती है तथा सामान्य रूप से किसी को क्रेडिट पर नहीं दिया जाता। ऐसे मामलों में क्रेडिट गलती के जोखिम नहीं होते। तथापि, जब कंपनी कुछ सहायक ऋण समर्थन सेवाएं प्रदान करती है, जैसे ही प्रदान की जानेवाली सेवाएं पूर्ण होती हैं, बीजक तैयार किए जाते हैं तथा विवाद के निपटान में उपयोगकर्ता प्रभार, लाइसेंस शुल्क आदि में असहमति के मामले में तथा तथा इन मामलों में क्रेडिट गलती के जोखिम का पहलू हो सकता है।

ट्रेड प्राप्तियां

कंपनी के दिनांक 31 मार्च 2023 एवं 31 मार्च 2022 के कुल बकाया ट्रेड प्राप्तियां क्रमशः रु.5875.87 लाख एवं रु. 5788.93 लाख हैं। ट्रेड प्राप्तियां विशिष्ट रूप से असुरक्षित हैं तथा वे ग्राहकों से होनेवाले राजस्व संग्रहण से उत्पन्न होते हैं। चूंकि, लगभग सभी पोर्ट सेवाएं अग्रिम रूप से प्राप्त करके पूर्व वसूली आधार पर प्रदान की जाती हैं, ट्रेड प्राप्तियों में ऐस्टेट किराए एवं संबंधित सेवा हेतु अमुगतानित राजस्व देय सम्मिलित हैं। विवादित ऋण के प्राक्धानों का हर तुलन पत्र तारीख पर पुनरीक्षण किया जाता है तथा मामले के मामले आधार पर प्रदान किया जाता है।

क्रेडिट जोखिम का असर

हर रिपोर्टिंग तारीख पर ट्रेड प्राप्तियों का समयवार विश्लेषण का सार निम्नानुसार है :

(31 मार्च 2023 तक की रकम लाखों में)

विवरण	नियत भुगतान की तारीख से निम्नांकित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित ट्रेड प्राप्तियां जिन्हें अच्छा माना गया	2338.22	56.49	27.54	218.13	67.66	2708.04
(ii) अविवादित ट्रेड प्राप्तियां जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी जाती है।	-	-	-	-	-	-
(iii) अविवादित ट्रेड प्राप्तियां - क्रेडिट	-	-	915.55	1675.93	1299.74	3891.22
(iv) विवादित ट्रेड प्राप्तियां जिन्हें अच्छा जोखिम माना जाता है	-	174.11	482.31	1324.30	1187.11	3167.83
(v) विवादित ट्रेड प्राप्तियां जिनका क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी जाती है	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित ट्रेड प्राप्तियां जो क्रेडिट हानि हैं	-	-	-	-	-	-

(31 मार्च 2022 तक की रकम लाखों में)

विवरण	नियत भुगतान की तारीख से निम्नांकित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित ट्रेड प्राप्तियां जिन्हें अच्छा माना गया	2112.11	109.82	89.52	258.04	51.61	2621.10
(ii) अविवादित ट्रेड प्राप्तियां जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी जाती है।	-	-	-	-	-	-
(iii) अविवादित ट्रेड प्राप्तियां - क्रेडिट	-	-	2591.48	-	1299.74	3891.22
(iv) विवादित ट्रेड प्राप्तियां जिन्हें अच्छा जोखिम माना जाता है	174.11	482.31	1324.30	550.11	637.00	3167.83
(v) विवादित ट्रेड प्राप्तियां जिनका क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी जाती है	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित ट्रेड प्राप्तियां जो क्रेडिट हानि हैं	-	-	-	-	-	-

रियायतग्राही करारों में मामले दर मामले के आधार पर व्यापार प्राप्तियों की हानि का प्रावधान उस वर्ष किया जाता है जब कंपनी द्वारा किए गए वसूली विश्लेषण के आधार पर वसूली योग्यता को संदिग्ध माना जाता है अथवा कुछ उपधारा के विवेचनों से होनेवाले विवादों के परिणामस्वरूप पर आधारित है। कंपनी उन सभी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को विचार में लेता है जो हानि ग्रस्त नहीं हैं तथा पुनरीक्षण के अंतर्गत हर रिपोर्टिंग तारीख के लिए पूर्व में देय अच्छी क्रेडिट गुणवत्ता के हैं।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

वे क्रेडिट जोखिम जो नकद एवं नकद के समतुल्य से संबंधित हैं क्योंकि वे हमारे प्रतिपक्षों हैं, हमारे बैंक हैं। हम बैंकों में डाले

सावधि जमा की क्रेडिट गुणवत्ता पर विचार करते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक के विनियामक अनदेखापन के अंतर्गत आते हैं तथा इन बैंकिंग संबंधों को सतत प्रक्रिया के आधार पर मानते हैं। कर्मचारी ऋण से संबंधित क्रेडिट ऋणों को नगण्य माना जाता है क्योंकि ये ऋण जिन्हें कर्मचारियों को जिस कारण से प्रदान किया गया है वे या तो संपत्ति के स्वत्व विलेख के बंधक पर अथवा दृष्टिबंधक पत्र पर दिए गए हैं और वे सुरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों को देय सेवानिवृत्ति लाभों पर कंपनी का विनियोग अधिकार है। अतः इन वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कोई हानि प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है। हम उक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को रिपोर्टिंग की तारीख पर अच्छे क्रेडिट गुणवत्ता के आधार पर उल्लेख करते हैं।

सी) चलनिधि का जोखिम

हमारी चलनिधियों का प्रतिमाह एवं वार्षिक पूर्वानुमान स्तर पर अनुवीक्षण किया जाना चाहिए। कंपनी के नकद एवं नकद समतुल्य, प्रचालनों से पैदा होनेवाले नकद ही चलनिधियों के मुख्य स्रोत माने जाते हैं।

हम अपनी चलनिधि की आवश्यकताओं के नकद अंतर्प्रवाह का सतत अनुवीक्षण करते हुए पर्याप्त नकद एवं नकद समतुल्यों को बनाए रखते हुए उसे संभालते हैं। किसी भी प्रकार की कमियों को निर्धारित करते हुए निवल नकदी की आवश्यकताओं की तुलना उपलब्ध नकद के साथ की जाती है।

अल्पकालिक चलनिधि की आवश्यकताओं में मुख्य रूप से वे स्रोत सम्मिलित हैं जिन्हें ट्रेड भुगतानों, व्यय भुगतान, कर्मचारी देय, ऋण के वर्तमान मेच्यूरिटी आदि निपटाने के लिए आवश्यक होते हैं, जो हर रिपोर्टिंग तारीख पर व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के कारण होते

हैं। हम नकद एवं नकद समतुल्यों में पर्याप्त शेष बनाए रखते हैं ताकि हम अपनी चलनिधि की अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

हम दीर्घकालिक चलनिधि की आवश्यकताओं को आवधिक रूप में बनाए रखते हैं तथा आंतरिक संग्रहणों द्वारा बनाए रखते हैं। हमारे गैर-वर्तमान देयताओं में चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट से ऋण, कर मुक्त बॉण्ड, एवं भ्रष्ट बैंक से आवधिक ऋण, भुगतान किए जानेवाली प्रतिधारण राशि एवं सुरक्षा जमा सम्मिलित हैं।

निम्नलिखित तालिका में गैर-व्युत्पन्न वित्तीय दायित्वों के ठेके की मेच्यूरिटियों से संबंधित विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। तालिका को कंपनी द्वारा भुगतान की जानेवाली राशि की प्रारंभिक तारीख पर वित्तीय परिसंपत्तियों के बिना छूटवाले नकदी प्रवाह के आधार पर तैयार किया गया है। तालिका में मुख्य एवं ब्याज नकद प्रवाह दोनों सम्मिलित हैं।

(31 मार्च 2023 तक की रकम लाखों में)

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1 – 3 वर्ष	3–5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण ऋण	1150.62	1150.62	4602.48	4602.48	6698.80	18205.00
एचडीएफसी बैंक से ऋण	500.00	500.00	2500.00	-	-	3500.00
कर मुक्त बॉण्ड	-	7249.51	-	1164.88	29204.89	37619.28
प्रतिधारण राशि	158.37	-	-	-	-	158.37
सुरक्षा जमा	-	131.56	-	-	551.01	682.57
अन्य देयताएं	-	127.27	-	-	-	127.27
कुल	1808.99	9158.96	7102.48	5767.36	36454.70	60292.49

(31 मार्च 2022 तक की रकम लाखों में)

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1 – 3 वर्ष	3–5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण ऋण	1150.62	1150.62	4602.48	4602.48	9000.05	20506.25
एचडीएफसी बैंक से ऋण	-	500.00	2000.00	1500.00	-	4000.00
कर मुक्त बॉण्ड	-	8293.34	7249.51	-	30355.00	45897.85
प्रतिधारण राशि	-	233.49	6.49	-	-	239.98
सुरक्षा जमा	-	139.15	-	-	435.20	574.35
अन्य दायित्व	-	128.43	-	-	-	128.43
कुल	1150.62	10445.03	13858.48	6102.48	39790.25	71346.86

वित्तीय वर्ष 22-23 हेतु ट्रेड देयों की काल प्रभावन सारिणी

(रकम लाखों में)

विवरण	भुगतान की नियत तारीख से निम्नांकित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	435.43	-	-	-	435.43
(ii) अन्य	3046.91	81.67	149.76	300.24	3578.58
(iii) विवादित देयताएं – एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देयताएं – अन्य	-	-	-	-	-

वित्तीय वर्ष 21-22 हेतु ट्रेड देयों की काल प्रभावन सारिणी

(रकम लाखों में)

विवरण	भुगतान की नियत तारीख से निम्नांकित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	338.18	-	-	-	338.18
(ii) अन्य	2334.13	156.32	262.37	37.87	2790.69
(iii) विवादित देयताएं - एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देयताएं - अन्य	-	-	-	-	-

6. (भारतीय लेखा-मानक)-21 के अनुसारण में "विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव" संबंधी प्रकटीकरण परिवर्तन के प्रभाव"

विनिमय भिन्नताओं की रकम (निवल) कोई नहीं (पूर्व वर्ष रु. 87.74 लाख) को लाभ एवं हानि की विवरणिका में अन्य व्ययों के अंतर्गत डाला गया है।

7. (भारतीय लेखा-मानक)-36 के अनुसारण में "परिसंपत्तियों की हानि" संबंधी प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान कंपनी ने भारतीय लेखा-मानकों के अनुसारण में अपनी परिसंपत्तियों की हानि हेतु अपने अचल परिसंपत्तियों का पुनरीक्षण किया है तथा यह देखा गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों की कोई हानि नहीं हुई है (पूर्व वर्ष - कोई नहीं)

8. भारतीय लेखा मानक - 20 के अनुसारण में "सरकारी अनुदानों का लेखा रखना तथा सरकारी सहायता संबंधी प्रकटीकरण

(रकम लाखों में)

अनुदान की प्राप्ति	2022-23	2021-22
सरकारी अनुदान	859.13	कोई नहीं
कुल प्राप्त अनुदान	859.13	कोई नहीं

9. भारतीय लेखा-मानक-19 के अनुसारण में "कर्मचारी लाभ" संबंधी प्रकटीकरण

ए. विभिन्न कर्मचारी लाभ योजनाओं के विवरण निम्नानुसार हैं :

ए) भविष्य निधि :

कंपनी की भविष्य निधि को क्षेत्रीय भविष्य निधि के पास में जमा किया गया है। कंपनी, पूर्व निर्धारित दर पर भविष्य निधि में अपना निर्धारित अंशदान जमा करता है।

बी) उपदान :

कंपनी ने एक लाभ उपदान योजना तैयार किया है। हर कर्मचारी

जिसने पांच वर्ष या उससे अधिक लगातार सेवा प्रदान की है, वे सेवानिवृत्ति, इस्तीफा, सेवा समाप्ति एवं असमर्थता तथा मृत्यु पर हर पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 15 दिन वेतन (15/26 x अंतिम आहरित मूल वेतन जोड़ महंगाई भत्ता) के दर पर उपदान के अर्हक हैं। उक्त उद्देश्य के लिए एक न्यास स्थापित किया गया है। उक्त योजना का रखरखाव, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है जिसके लिए कंपनी ने मास्टर पॉलिसी ली है।

कंपनी उक्त योजना का प्रायोजन कर रहा है तथा बीमाकर्ता द्वारा की गई मांग के आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान किया जाता है। उक्त निर्धारित लाभ योजना के निवल देयता का उल्लेख तथा जानकारी का प्रकटीकरण, बीमांकिक मूल्यन रिपोर्ट के साथ भारतीय लेखा-मानक-19 के अनुसारण में किया जाता है।

सी) सेवानिवृत्ति योजना :

कंपनी ने एक गैर-अंशदायी कर्मचारी ग्रुप सेवानिवृत्ति पेंशन योजना कार्यान्वित किया है जिसका रखरखाव भी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा ही किया जा रहा है। निगम को दाखिल कर्मचारी के मूल वेतन जोड़ महंगाई भत्ता के 12% दर पर अंशदान किया जाता है। अवधि के लिए योजना में संचयी आधार पर प्रदत्त अंशदान को कर्मचारी लागत के अंतर्गत किया जाता है। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में पेंशन अंशदान का परिकलन संगठनभारत सरकार के नियमों के अनुसार किया जाता है तथा इसका रखरखाव संचयी आधार पर किया जाता है।

डी) छुट्टी :

कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए अर्जित छुट्टी लाभ एवं अर्द्ध-वेतन छुट्टी लाभ प्रदान करता है जो कमशः 30 दिन एवं 20 दिनों पर वार्षिक स्तर पर संचित होते हैं। अर्जित छुट्टी का नकदीकरण, अर्हकता के आधार पर सेवा के दौरान कैलेंडर वर्ष में एक बार 30 दिनों के लिए किया जाता है तथा सेवानिवृत्ति पर 300 दिनों की सीमा तक किया जाता है।

अर्जित छुट्टी के दायित्व को बीमांकिक मूल्यन के आधार पर उल्लेख किया जाता है।

बी. विभिन्न निर्धारित लाभों की संक्षिप्त स्थिति लाभ एवं हानि की विवरणिका में प्रस्तुत किया जाता है, अन्य विस्तृत आय (ओसीआई) एवं तुलन पत्र तथा अन्यप्रकटीकरणों निम्नानुसार हैं:

(रकम लाखों में)

विवरण		उपदान (निधि प्राप्त)	छुट्टी (निधि प्राप्त)
निर्धारित लाभ देयताएं	वर्तमान वर्ष	440.56	(4.01)
	पूर्व वर्ष	350.20	326.86
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	वर्तमान वर्ष	491.79	414.57
	पूर्व वर्ष	418.89	377.47
निधि की स्थिति (अविशेष / घाटा)	वर्तमान वर्ष	(51.23)	(24.75)
	पूर्व वर्ष	(68.68)	(50.61)
परिसंपत्ति की अधिकतम सीमा का प्रभाव	वर्तमान वर्ष	0	0
	पूर्व वर्ष	0	0
निवल निर्धारित लाभ परिसंपत्तियां (दायित्व)	वर्तमान वर्ष	(51.23)	(24.74)
	पूर्व वर्ष	(68.68)	(50.61)

निर्धारित लाभ दायित्व में संचलन

(रकम लाखों में)

विवरण		उपदान (निधि प्राप्त)	छुट्टी (निधि प्राप्त)
निर्धारित लाभ देयताएं - वर्ष के प्रारंभ में	वर्तमान वर्ष	350.20	326.86
	पूर्व वर्ष	386.24	377.00
वर्तमान शीर्षक लागत	वर्तमान वर्ष	31.73	0
	पूर्व वर्ष	29.59	57.42
ब्याज लागत	वर्तमान वर्ष	24.63	23.66
	पूर्व वर्ष	25.50	24.96
भुगतानित लाभ	वर्तमान वर्ष	(20.00)	0
	पूर्व वर्ष	(24.82)	(22.00)
पुनः मापित - बीमांकिक हानि / (लाभ)	वर्तमान वर्ष	54.00	39.29
	पूर्व वर्ष	(66.31)	(110.51)
निर्धारित लाभ देयताएं - वर्ष के अंत में	वर्तमान वर्ष	440.56	389.82
	पूर्व वर्ष	350.20	326.86

योजना परिसंपत्ति में संचलन

(रकम लाखों में)

विवरण		उपदान (निधि प्राप्त)	छुट्टी (निधि प्राप्त)
वर्ष के प्रारंभ में परिसंपत्तियों के उचित मूल्य	वर्तमान वर्ष	418.89	377.47
	पूर्व वर्ष	371.01	325.20
ब्याज लागत	वर्तमान वर्ष	31.81	27.67
	पूर्व वर्ष	26.10	22.40
कर्मचारी अंशदान	वर्तमान वर्ष	60.90	9.51
	पूर्व वर्ष	48.13	28.41
भुगतानित लाभ	वर्तमान वर्ष	(20.00)	0
	पूर्व वर्ष	(24.82)	(22.01)
पुनः मापित - योजना परिसंपत्तियों से वसूली	वर्तमान वर्ष	0.20	(0.09)
	पूर्व वर्ष	(1.53)	23.48
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों पर उचित मूल्य	वर्तमान वर्ष	491.79	414.57
	पूर्व वर्ष	418.88	377.47

लाभ एवं हानि की विवरणिका में उल्लिखित रकम

(रकम लाखों में)

विवरण		उपदान (निधि प्राप्त)	छुट्टी (निधि प्राप्त)
वर्तमान सेवा लागत	वर्तमान वर्ष	31.73	0
	पूर्व वर्ष	29.60	57.42
पूर्व सेवा लागत - योजना संशोधन	वर्तमान वर्ष	0	0
	पूर्व वर्ष	0	0
संक्षेप लागत / (ऋण पर)	वर्तमान वर्ष	0	0
	पूर्व वर्ष	0	0
निपटान लागत / (ऋण पर)	वर्तमान वर्ष	0	0
	पूर्व वर्ष	0	0
सेवा लागत (ए)	वर्तमान वर्ष	31.73	0
	पूर्व वर्ष	29.60	57.42
निवल निर्धारित लाभ दायित्व / (परिसंपत्तियां) (B) पर निवल ब्याज	वर्तमान वर्ष	(7.18)	(4.01)
	पूर्व वर्ष	(0.60)	2.56
लाभ एवं हानि में उल्लिखित लागत (ए+बी)	वर्तमान वर्ष	24.55	(4.01)
	पूर्व वर्ष	29.00	59.98

संवेदनशीलता विश्लेषण

(31 मार्च 2023 तक की रकम लाखों में)

विवरण	पूर्व धारणा में परिवर्तन	उपदान (निधि प्राप्त)	छुट्टी (निधि प्राप्त)
रियायती दर	+1.00%	406.95	374.57
	-1.00%	479.14	406.46
वेतन वृद्धि दर	+1.00%	475.67	409.04
	-1.00%	405.86	371.89
आहरण दर	+1.00%	447.85	391.60
	-1.00%	432.42	387.91

(31 मार्च 2022 तक की रकम लाखों में)

विवरण	पूर्व धारणा में परिवर्तन	उपदान (निधि प्राप्त)	छुट्टी (निधि प्राप्त)
रियायती दर	+1.00%	318.07	312.55
	-1.00%	387.55	342.58
वेतन वृद्धि दर	+1.00%	388.21	344.61
	-1.00%	315.60	310.42
आहरण दर	+1.00%	356.47	328.48
	-1.00%	343.14	325.10

बीमांकिक पूर्वधारणा

विवरण		उपदान (निधि प्राप्त)	छुट्टी (निधि प्राप्त)
	वर्तमान वर्ष	पीयूसी	पीयूसी
	पूर्व वर्ष	पीयूसी	पीयूसी
प्रयुक्त पद्धति	वर्तमान वर्ष	7.51%	7.51%
	पूर्व वर्ष	7.24%	7.24%
वेतन वृद्धि दर	वर्तमान वर्ष	5%	5%
	पूर्व वर्ष	5%	5%

विवरण		उत्पदान (निधि प्राप्त)	छुटी (निधि प्राप्त)
योजना परिसंपत्ति वसूली दर	वर्तमान वर्ष	0	0
	पूर्व वर्ष	0	0
आहरण दर	वर्तमान वर्ष	1% से 3%	1% से 3%
	पूर्व वर्ष	1% से 3%	1% से 3%
सेवानिवृत्ति उम्र	वर्तमान वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष
	पूर्व वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष
औसत भावी सेवा	वर्तमान वर्ष	14.02	14.02
	पूर्व वर्ष	14.87	14.87
जीवंतता दर	वर्तमान वर्ष	आईएलएम (2012-14) तालिका	आईएलएम (2012-14) तालिका
	पूर्व वर्ष	आईएलएम (2006-08) तालिका	आईएलएम (2006-08) तालिका
असमर्थता दर	वर्तमान वर्ष	कोई स्पष्ट लॉडिंग नहीं	कोई स्पष्ट लॉडिंग नहीं
	पूर्व वर्ष		

योजना परिसंपत्तियों में निवेश वर्ग

निवेशों का वर्ग	योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का प्रतिशत
बीमा पॉलिसियां	100%

10. लेखा-मानक 108 के अनुसरण में "प्रचालन खण्डों" के प्रकटीकरण संबंधी

कंपनी, मूल रूप से एक ही खण्ड में प्रचालित है। दृष्टि पोर्ट सेवाएं तथा रिपोर्ट करने योग्य भौतिकीय खण्ड भी नहीं हैं।

कंपनी, निम्नांकित ग्राहकों से राजस्व प्राप्त करती है जो कंपनी के राजस्वों के 10 प्रतिशत या उससे अधिक हैं। अन्य ग्राहकों के संबंध में व्यक्तिगत शेयर, कंपनी के राजस्वों के 10% से कम (रकम लाखों में)

ग्राहक	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
टैनजेडको	16745.40	16075.20
एनटीईसी (टेन्जेडको - एनटीपीसी के चार)	18419.18	11478.17
एन्नोर कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में चेन्नैनाड अंतर्राष्ट्रीय कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड)	18277.43	13703.47

11. भारतीय लेखा-मानक 23 के अनुसरण में "ऋण लागतों" के प्रकटीकरण संबंधी

वर्ष के दौरान संपत्ति, प्लांट एवं उपकरण/ चालू मुख्य कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के वहन रकम के संबंध में पूंजीकृत ऋण लागत रु.225.63 लाख (पूर्व वर्ष रु.72.93) है।

12. भारतीय लेखा-मानक 24 के अनुसरण में "संबंधित पार्टि प्रकटीकरण" संबंधी

ए) सरकारी संबंधी संस्थाओं से अलग संस्थाओं का प्रकटीकरण

ए) संबंधित पार्टियों की सूची: मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति

नाम	पदनाम
श्री सुनील पालिवाल, आईएएस	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री एस. बालाजी अरुणकुमार, आईआरटीएस	नामांकित निदेशक
श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव, एफसीए, डीआईएसए (आईसीआई)	स्वतंत्र निदेशक
कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती सरला बालगोपाल IRTS (सेवानिवृत्त)	स्वतंत्र निदेशक
श्री एम. गुणशेखरन	मुख्य वित्त अधिकारी एवं अनुपालन अधिकारी दिनांक 28.02.2023 को सेवानिवृत्त)
श्री सी.एस. वेमन्ना	मुख्य वित्त अधिकारी (प्रभारी) (01.03.2023 से प्रभावी)
श्रीमती जयलक्ष्मी श्रीनिवासन	कंपनी सचिव एवं दिनांक 01.03.2023 को अनुपालन अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया

अन्य सत्ताएं :

- मेसर्स कन्नीयकुमारी पोर्ट लिमिटेड
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक की प्रतिपूर्ति

(रकम लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
पारिश्रमिक एवं अल्पकालिक लाभ	103.83	108.95
रोजगार उपरांत लाभ	30.98	15.43
अन्य दीर्घकालिक लाभ	-	-
शेयर आधारित भुगतान	-	-
बैठक शुल्क	12.20	8.30
कुल	147.01	132.68
वर्ष के दौरान ऋण एवं अधिमों की वसूली	-	-
वर्ष के दौरान प्रदत्त अधिम	-	-
ऋण एवं अधिमों का अंतिम शेष	-	-

बी.चेन्ने पोर्ट प्राधिकरण

अन्य संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन

(रकम लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
भुगतानित ब्याज	1866.34	2084.96
वापस किया हुआ ऋण	2301.25	2301.25
लीज किराए के व्यय	50.33	59.40
परियोजना प्रबंधन व्यवस्था	119.16	127.08
सुरक्षा जमा - लीज किराया	0	48.01
अंतरिम एवं अंतिम लाभांश	27000.00	24000.00
सीएसआर व्यय	0	100.00
कार्मिक शक्ति	377.52	273.85
अन्य	16.54	8.82
सावधि ऋण का अंतिम शेष	18205.00	20506.25

13. भारतीय लेखा-मानक 116 के अनुसरण में "लीज" प्रकटीकरण संबंधी

ए) प्रचालित पट्टा

i) पट्टाधार के रूप में

- अग्रिम शुल्क भुगतानों को छोड़कर गैर-रद्द किए जानेवाले लीजों के अंतर्गत भावी न्यूनतम लीज भुगतान

(रकम लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1 वर्ष से अधिक नहीं	-	-
1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से अधिक नहीं	-	-
5 वर्षों से अधिक	-	-

(रकम लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
न्यूनतम लीज भुगतान	-	-

लीजिंग व्यवस्था :

कंपनी ने चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट से 30 वर्षों के लिए लीज्ड कार्यालय परिसरों को अग्रिम शुल्क पर किराए पर लिया है।

ii. पट्टाधार के रूप में

- गैर-रद्द किए जाने वाले चालू लीज के अंतर्गत प्राप्य भावी न्यूनतम लीज

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1 वर्ष से अधिक नहीं	3401.27	3239.30
1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से अधिक नहीं	19733.85	18794.14
5 वर्षों से अधिक	79764.42	84105.39

लीजिंग व्यवस्था :

कंपनी द्वारा अपनाए गए व्यावसायिक मॉडल के अनुसार कार्गो टर्मिनलों का विकास, प्रचालन, मार्केटिंग एवं रखरखाव कार्यों में 30 वर्ष लाइसेंस / रियायत करार पर कैपिटल / पीपीपी वीओटी प्रचालन शेष है। कंपनी ने लाइसेंस / छूट करार के अनुसार वीओटी प्रचालनों/ कैपिटल प्रयोगकर्ताओं द्वारा बर्थ के विकास हेतु जल क्षेत्र एवं भूमि क्षेत्र को लीज किया है।

14. भारतीय लेखा-मानक-33 के अनुसार "अर्जन प्रति शेयर (ईपीएस)" के प्रकटीकरण संबंधी

ए) मूलभूत ईपीएस

मूलभूत ईपीएस के परिकलन में प्रयुक्त सामान्य शेयरों से अर्जन एवं भारित औसत संख्या निम्नानुसार हैं :

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के लिए कंपनी के स्वामित्व पर आरोप्य लाभ (हानि)	37287.40	44145.69
प्रति शेयर ए के मूलभूत अर्जन के परिकलन में प्रयुक्त अर्जन	37287.40	44145.69
प्रति शेयर के मूलभूत अर्जन के उद्देश्य के लिए सामान्य शेयरों की भारित औसत संख्या (बी)	3000000000	3000000000
मूलभूत ईपीएस(ए/बी)-रु.	12.43	14.72

बी) मन्दिता ईपीएस

मन्दिता ईपीएस के परिकलन में प्रयुक्त सामान्य शेयरों से अर्जन एवं भारित औसत संख्या निम्नानुसार हैं:

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के लिए कंपनी के स्वामित्व पर आरोप्य लाभ (हानि)	37287.40	44145.69
प्रति शेयर ए के मूलभूत अर्जन के परिकलन में प्रयुक्त अर्जन	37287.40	44145.69
प्रति शेयर के मूलभूत अर्जन के उद्देश्य के लिए सामान्य शेयरों की भारित औसत संख्या (बी)	3000000000	3000000000
मूलभूत ईपीएस(ए/बी)-रु.	12.43	14.72

15. भारतीय लेखा-मानक -37 के अनुसरण में "प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक परिसंपत्ति" संबंधी प्रकटीकरण

आकस्मिक दायित्व

(i) विवादित कर मांग :

रु. 12980.02 लाख (पूर्व वर्ष रु. 4179.54 लाख) रकम के विवादित कर मामले अपील अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत हैं।

(ii) ठेका / आपूर्ति कार्य :

हमारी परियोजनाओं के निर्माण & आपूर्ति तथा निष्पादन कार्यों के लिए कुछ ठेकेदारों ने ठेके दर में वृद्धि की मांग, दर में वृद्धि के साथ कार्य अनुसूची के पुनरीक्षण, कार्य की विस्तारित अवधि हेतु प्रतिपूर्ति, अप्रयुक्त प्रभार आदि के लिए कंपनी पर रु. 13604.45 लाख (पूर्व वर्ष : रु. 13603.43 लाख) का दावा किया है। कंपनी, उक्त दावों के संबंधित ठेकों के प्रावधान के संदर्भ में उनकी अस्वीकार्यता लड़ रहा है। ठेके में उपलब्ध विवाद समाधान पद्धति के अंतर्गत इन दावों के निपटान की दिशा में विभिन्न विकल्पों को देख रहा है।

(iii) (ए) पीपीपी रियायतों के साथ राजस्व ठेके - मेसर्स ईसीटीपीएल :

केपीएल ने दिनांक 15.03.2014 को 30 वर्ष के लिए पीपीपी डीएफबीओटी मोड के अंतर्गत कंटेनर टर्मिनल के विकास हेतु मेसर्स अदानी ऐन्नोर कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार पर हस्ताक्षर किया है।

परियोजना का वाणिज्यिक प्रचालन का प्रारंभ अक्टूबर 2017 में हुआ तथा फेज I एवं फेज II का निर्माण कार्य जारी है। रियायत मांगनेवाले ने कुछ विवादों को छोड़ा है तथा मध्यस्थता खण्ड लागू करते हुए

कंपनी को मध्यस्थता सूचना जारी किया है। 1 अगस्त 2020 को मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन के पश्चात् रियायत प्राप्त करनेवाले एवं कंपनी, दोनों ने मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष दावा एवं प्रतिदावा किया है।

रियायत प्राप्त करनेवाली पार्टी द्वारा निम्नांकित के कारण निपटान एवं दावों की प्रवृत्ति निम्नानुसार है :

- (ए) कंपनी पर आरोप्य परियोजना के फेज I में विलंब
- (बी) कंपनी पर आरोप्य परियोजना के फेज II में विलंब, परिणामस्वरूप कंपनी द्वारा उपलब्ध किए जानेवाले लक्ष्यों में विलंब
- (सी) फेज I एवं फेज II में एल.डी.अप्रवर्तनीय हैं तथा कंपनी को धन वापस करना चाहिए।
- (डी) कंपनी द्वारा परामर्श सूचना जारी किया जाना तथा उन्हीं का पुनरागम गैर कानूनी है।
- (ई) कानून में परिवर्तन लागू करते हुए रु. 1405 करोड़ एवं रियायत करार में रूपांतरण एवं विस्तार दावा
- (एफ) कंपनी द्वारा वास्तविक परियोजना लागत, आकलित परियोजना लागत एवं वित्तीय दस्तावेजों को वैध एवं प्रवर्तनीय घोषित करते हुए तथा उन्हें रिकार्ड में लेना
- (जी) आईसीटीपीएल द्वारा लीज किराए एवं भुगतानित रॉयल्टी का धन वापसी
- (एच) ब्याज का दावा

कंपनी ने रियायत प्राप्त करनेवाले द्वारा किए गए दावों का पूर्ण रूप से अस्वीकार किया है तथा रु.16781 लाखों तक का प्रतिदावा किया है।

मध्यस्थता की सुनवाई दिनांक 26.03.2023 को समाप्त हुआ है तथा मध्यस्थता न्यायाधिकरण से मध्यस्थ पंचाट की प्रतीक्षा है।

(बी) पीपीपी रियायत प्राप्त करनेवालों के साथ राजस्व ठेके – मेसर्स एसआईओटीएल:

कामराजर पोर्ट लिमिटेड ने मेसर्स एसआईसीएल आयर्न ओर टर्मिनल करार (एसआईओटीएल) ने के साथ दिनांक 11.07.2016 को पीपीपी वृ डीबीएफओटी आधार पर वर्तमान आयर्न ओर कोल टर्मिनल रूपांतरण करते हुए कोल भी सम्मिलित करने के लिए लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किया है। 27 वर्ष रियायत अवधि दिनांक 20.07.2018 को प्रारंभ हुआ। एसआईओटीएल के विभिन्न समस्याओं एवं कठिनाइयों के कारण परियोजना नियत तारीख को पूर्ण एवं चालू नहीं की जा सकी। इसी बीच ऋणदाताओं ने एसआईओटीएल द्वारा “वित्तीय गलती की सूचना” जारी की है तथा कंपनी से लाइसेंस करार के अंतर्गत उपलब्ध उनके अधिकारों को लागू करते हुए समाप्ति सूचना जारी करने का अनुरोध किया है। कंपनी ने लाइसेंस करार के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 22.03.2021 समाप्ति सूचना जारी करते हुए समाप्ति की प्रक्रिया प्रारंभ किया तथा दिनांक 20.06.2021 समाप्ति को प्रभावी माना गया।

इसी बीच, आईटीडी सिमेंटेशनस इंडिया लिमिटेड एवं मेसर्स पोर्टमैन इंडिया लिमिटेड द्वारा फाइल किए गए ऋणदाता आवेदन के आधार पर माननीय एनसीएलटी, चेन्नै द्वारा उनके दिनांक 01.03.2022 के आदेश के आधार पर आईबीसी, कोड 2016 के अंतर्गत मेसर्स एसआईओटीएल को कॉर्पोरेट ऋणी घोषित किया गया है। माननीय एनसीएलटी, चेन्नै ने आईबीसी, कोड में दिए गए प्रावधानों

श्री शिवशंकर को अंतरिम संकल्प व्यावसायिक (आईआरपी) के रूप में नियुक्त किया है। चूंकि, एसआईओटीएल परियोजना के ऋणदाता, सीआईआरपी में मुख्य मतदान अधिकार होनेवाले कॉर्पोरेट देनदार, येस बैंक लिमिटेड एवं यूको बैंक जिन्होंने रु. 287.03 करोड़ का दावा किया था। वित्तीय ऋणदाता होने के कारण, आईआरपी द्वारा यह सूचित किया गया कि मेसर्स येस बैंक लिमिटेड एवं मेसर्स यूको बैंक युक्त ऋणदाता समिति ने दिनांक 16.04.2022 को आयोजित समिति की बैठक में आईआरपी को संकल्प व्यावसायिक (आरपी) घोषित किया है।

सीआईआरपी प्रक्रिया के दौरान यह सूचित किया गया कि संकल्प व्यावसायिक ने मेसर्स जेएसडब्ल्यू इन्फ्रॉस्ट्रक्चरल लिमिटेड से संकल्प योजना प्राप्त किया हुआ। तथापि, आरपी ने उसे दिनांक 16.11.2022 को ऋणदाता समिति (सीओसी) के समक्ष प्रस्तुत किया है। एमओएम के अनुसार सीओसी ने मेसर्स जेएसडब्ल्यू इन्फ्रॉस्ट्रक्चरल लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत संकल्प योजना को अस्वीकृत किया है तथा उसे चलनिधि भी घोषित करने का निर्णय किया है। आगे यह भी कि सीओसी ने श्री एन.वीरपाण्डियन, दिवालिया व्यावसायिक को परिसमापक के रूप में नियुक्त किया है। सीआईआरपी की वर्तमान स्थिति पर सीओसी के निर्णय को सुनिश्चित करने के लिए एनसीएलटी आदेश प्रक्रिया की प्रतीक्षा है।

इसी बीच करार की समाप्ति के अंतर्गत मेसर्स एसआईओटीएल के ऋणदाता तथा एनसीएलटी, चेन्नै के समक्ष सीआईआरपी में वित्तीय ऋणदाता, मेसर्स येस बैंक लिमिटेड ने दिनांक 11.07.2016 को कंपनी एवं एसआईओटीएल के बीच हस्ताक्षरित समाप्ति लाइसेंस करार के अनुसार विषय परियोजना की परिसंपत्तियों को संभालने से कंपनी को रोकने के लिए अंतरिम आदेश की याचना करते हुए यूनियन ऑफ इंडिया, एमओपीएसडब्ल्यू, कंपनी एवं अन्य के विरुद्ध प्रतिवादी प्रत्यार्थी के रूप में मद्रास उच्च न्यायालय में 2022 का सं.34917 रिट याचिका दर्ज किया है। आगे, यह भी कि रिट याचिकादाता ने कंपनी को संदर्भ सं पीडी-13/1/2018- पीपीपी सेल/इ-330932 में एमओपीएसडब्ल्यू द्वारा जारी दिनांक 10.05.2022 के कार्यालय झापन के अनुसरण में उचित कदम उठाने हेतु माननीय मद्रास उच्च न्यायालय से निर्देश की मांग की है। मागला की सुनवाई हुई तथा उस पुनः जून 2023 को पोस्ट किया गया है। याचिकादाता (येस बैंक) ने ऋण को जेसी फ्लवर्स इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया है तथा कॉज टाइटल में याचिकादाता का नाम प्रतिस्थापित करने के लिए न्यायालय में प्रतिस्थापन आवेदन दर्ज किया है।

आकरिमिक दायित्वों का संक्षेप :

(रकम लाखों में)

	विवरण	2022 - 23	2021 - 22
ए	विवदित कर मांग, लेकिन ऋण के रूप में स्वीकार्य नहीं	12980.02	4179.55
बि	कंपनी के विरुद्ध दावे लेकिन ऋण के रूप में स्वीकार्य नहीं - एनजीटी - ठेका / आपूर्ति कार्य	400.00 13604.45	400.00 13603.43
	कुल	14004.45	14003.43
सी	पीपीपी रियायत प्राप्तकर्ताओं के राजस्व ठेके के विरुद्ध दावे	162968.63	162968.63

16. प्रत्याशित ऋण हानि ('ईसीएल')

हानि के प्रावधान, प्राप्ति एवं प्राप्त करने के प्रत्याशित समय की प्रत्याशित अवधि के डीफॉल्ट जोखिम के मूल्यांकन के आधारित हैं।

कंपनी, इकत्रीकरण के पूर्व इतिहास, ग्राहक के ऋण की पात्रता, हर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भावी परिकलनों के साथ-साथ मार्केट की वर्तमान स्थितियों पर ऐसी धारणाएं बनाते समय तथा हानि परिकलन हेतु इनपुट चुनते समय अपने विवेक का प्रयोग करता है।

17. सीडब्ल्यूआईपी काल प्रभावन अनुसूची

(31 मार्च 2023 तक की रकम लाखों में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
प्रगतिशील परियोजनाएं	324.60	27102.67	-	16400.77	43828.04
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	741.58	741.58
कुल	324.60	27102.67	-	17142.35	44569.62

(31 मार्च 2022 तक की रकम लाखों में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
प्रगतिशील परियोजनाएं	7498.99	8947.95	-	5162.49	21609.43
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	741.58	-	741.58
कुल	7498.99	8947.95	741.58	5162.49	22351.01

विकास काल प्रभावन अनुसूची में अमूर्त परिसंपत्तियां

(31 मार्च 2022 तक की रकम लाखों में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
प्रगतिशील परियोजनाएं	128.07	-	-	-	128.07
पूर्व वर्ष	-	-	-	-	-

18. तुलन पत्रों का पुष्टीकरण :

ट्रेड प्राप्यताएं, भुगतान, आवधिक ऋण तथा अग्रिमों, जीएसटी इनपुट ऋण, जीएसटी एवं जमा, पुष्टीकरण एवं समाधान के अधीन हैं।

19. पूंजीगत प्रबंधन :

कंपनी की पूंजी में इक्विटी शेयर पूंजी, प्रतिधारित आय एवं इक्विटी होल्डर्स पर आरोप्य अन्य इक्विटी सम्मिलित हैं। शेयरहोल्डर मूल्य को अधिकतम करना ही कंपनी की पूंजी प्रबंधन का मुख्य ध्येय है। कंपनी अपनी पूंजी का प्रबंधन करता है तथा आर्थिक एवं मार्केट स्थितियों में परिवर्तन के साथ-साथ उसे समायोजित करता है।

कंपनी, गियरिंग अनुपात इस्तेमाल करते हुए अपनी पूंजी का अनुवीक्षण करता है जो निवल ऋण है और निवल पूंजी जोड़ निवल ऋण से विभाजित है। निवल ऋण में दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक ऋण घटा नकद एवं बैंक शेष है। इक्विटी में इक्विटी शेयर पूंजी एवं आरक्षित निधि सम्मिलित हैं जिसका पूंजी के रूप में प्रबंधन किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में गियरिंग निम्नानुसार है :

(रकम लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कुल ऋण	59324.28	70404.10
घटा : नकद एवं नकद समतुल्य	8756.70	9371.11
निवल ऋण	50567.58	61032.99
कुल इक्विटी	265637.95	255350.55
निवल ऋण का इक्विटी अनुपात	19.04%	23.90%

20. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लामांशों पर सूचना :

वर्ष के दौरान कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इक्विटी शेयर पूंजी के 70% यानी रु.210 करोड़ तक की रकम तक रु.7 प्रति इक्विटी शेयर का अंतिम लामांश का भुगतान किया है। आगे, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इक्विटी शेयर पूंजी के 20% यानी रु.60 करोड़ तक की रकम तक रु.2 प्रति इक्विटी शेयर का अंतिम लामांश की घोषणा की है।

21. अतिरिक्त विनियामक सूचना

ए. विश्लेषणात्मक अनुपात

अनुपात	गुणक	विभाजक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक	% भिन्नता*
वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्तियां	वर्तमान देयताएं	0.58	0.84	-30.95%
ऋण – ईक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरहोल्डर ईक्विटी	0.22	0.28	-21.43%
ऋण सर्विस कवरेज अनुपात	ऋण सर्विस हेतु अर्जन (कर के बाद लाभ + अवमूल्यन + वित्त लागत + संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के विक्रय से लाभ)	ऋण सर्विस (ब्याज एवं लीज भुगतान + मुख्य अदायगी)	2.91	3.42	-14.91%
ईक्विटी पर वसूली (आरओई)	निवल लाभ	शेयरहोल्डर्स ईक्विटी	14.06%	17.24%	-18.45%
ट्रेड प्राप्य कुल प्राप्ति अनुपात	प्रचालनों से आमदनी	ट्रेड प्राप्य	16.72	14.38	16.27%
निवल लाभ अनुपात	निवल लाभ	प्रचालनों से आमदनी	38.01%	52.87%	-28.11%
उपयुक्त पूंजी पर धन वापसी (आरओसीई)	ब्याज, विशिष्ट मद एवं कर से पहले अर्जन	निवल संपत्ति + ऋण	24.90%	18.45%	34.96%

*भिन्नता के कारण :

- ए) वर्तमान अनुपात : प्रशिक्षण दीवार के निर्माण के लिए विशिष्ट मद के अंतर्गत रु.146.88 करोड़ के लिए किए गए प्रावधान के कारण मूल रूप से कम हुआ।
- बी) ऋण ईक्विटी अनुपात : कर मुक्त बॉण्डों के आंशिक विमोचन के कारण मूल रूप से कम हुआ।
- सी) निवल लाभ अनुपात : प्रशिक्षण दीवार के निर्माण के लिए विशिष्ट मद के अंतर्गत रु.146.88 करोड़ के लिए किए गए प्रावधान के कारण मूल रूप से कम हुआ।
- डी) लगाई गई पूंजी पर धन वापसी : कुल राजस्व में बढ़ोतरी कुल व्यय में कमी के कारण मूल रूप से हुई बढ़ोतरी।
22. कंपनी ने रु.2 लाख के ईक्विटी निवेश किया है जो वीओसी-टीपीटी(40%) तथा चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण (20%) के साथ कन्याकुमरी पोर्ट लिमिटेड (केकेपीएल)की पूंजी के लिए गए भुगतान का 40% भाग है। वर्तमान में केकेपीएल पूर्व परियोजना कार्य में लगा हुआ है। चूंकि, वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में कोई महत्वपूर्ण आमदनी/ व्यय नहीं है, समेकित वित्तीय विवरणिकाओं को तैयार नहीं किया गया है।
23. जहां भी आवश्यक हो पूर्व वर्ष के आंकड़ों को रीगुप किया गया है।

24. वित्तीय विवरणिकाओं का अनुमोदन

निदेशक बोर्ड द्वारा वित्तीय विवरणिकाओं को अनुमोदन किया गया है तथा 24 मई 2023 को जारी किए जाने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के लिए

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के लिए

ह/-
सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डिन : 01310101

ह/-
सी.एस. वेमन्ना
मुख्य वित्तीय अधिकारी (प्रमारी)
स्थान : चेन्नै
दिनांक : 24 मई 2023

ह/-
एस. विश्वनाथन, आई.ए.एस.
निदेशक
डिन : 09634577

ह/-
श्रीमती जयलक्ष्मी श्रीनिवासन
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

बी. त्यागराजन एंड कंपनी के लिये
अधिकारपत्र प्राप्त लेखा परिक्षक
एफआरएन : 0043715

ह/-
राम श्रीनीवासन
साझेदार
एन.न. 220112
यूडिआईएन: 23220112बीजीओयकयूएसजे2248

बृहत् कॉर्पोरेट के रूप में पहचान किए गए इकाई द्वारा किए जाने वाले प्रारंभिक प्रकटन का प्रपत्र

क्र सं	विशिष्ट	विवरण
1	कंपनी का नाम	कामराजर पोर्ट लिमिटेड
2	सीआईएन	U45203TN1999PLC043322
3	31 मार्च 2023 तक कंपनी का बकाया ऋण*	रु. 412.19 करोड़
4	क्रेडिट दरण एजेंसी के नाम के साथ पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान उच्चतम क्रेडिट दरण	दरण : एए/स्थिर दरण एजेंसी : क्रिसिल, केंयर, ब्रिक वर्क
5	रूपरेखा के अंतर्गत आवश्यक ऋण में यदि कोई कमी हो तो स्टॉक ऐक्सचेंज का नाम जिसमें जुर्माना का भुगतान किया जाना है।	बॉम्बे स्टॉक ऐक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)

हम यह पुष्ट करते हैं कि एसईबीआई द्वारा जारी दिनांक 10.08.2021 (अप्रैल 13, 2022 को अद्यतनित) के प्रचालनात्मक परिपत्र के अध्याय XII के अंतर्गत उल्लिखित मानदण्डों को लागू करते हुए हम एक बृहत् कॉर्पोरेट हैं।

ह/-

जयलक्ष्मी श्रीनिवासन

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

संपर्क : jayasrin@kplmail.in

फोन : 044-25251666

ह/-

सी. एस. वेमन्ना

मुख्य प्रबंधक (वित्त) – सीएफओ (प्रभारी)

संपर्क : vemanna@kplmail.in

फोन : 044-25251666

दिनांक – 27.04.2023

*बकाया दीर्घकालिक ऋण का अर्थ है 1 वर्ष से अधिक मूल मियादी के साथ कोई भी बकाया ऋण तथा उसमें बाह्य वाणिज्यिक ऋण एवं मूल एवं सहायक संस्थाओं के बीच अंतर-कॉर्पोरेट ऋण सम्मिलित नहीं किए जाएंगे।

अनंतिम आंकड़े, लेखापरीक्षण के अंतर्गत

एलसी के रूप में पहचान किए गए संगठन द्वारा वार्षिक प्रकटन का प्रपत्र

1. कंपनी का नाम : कामराजर पोर्ट लिमिटेड
2. सीआईएन : U45203TN1999PLC043322
3. वित्तीय वर्ष के लिए फाइल की गई रिपोर्ट : 2022-23
4. लिए गए उधार के विवरण (सभी संख्याएं करोड़ रुपयों में) :

क्र सं	विशिष्ट	विवरण
i	तीन-वर्ष ब्लॉक अवधि (वित्तीय वर्षों का उल्लेख करें)*	वित्तीय वर्ष 2022-23 वित्तीय वर्ष 2023-24 वित्तीय वर्ष 2024-25*
ii	वित्तीय वर्ष 2022-23 में किए गए वार्षिक उधार (ए)	कोई नहीं
iii	वर्ष 2022-23 में ऋण सुरक्षाओं द्वारा लिए गए अनिवार्य उधार (बी) = (ए का 25%)	कोई नहीं
iv	वर्ष 2022-23 में उधार सुरक्षाओं द्वारा लिए गए वास्तविक उधार (सी)	कोई नहीं
v	वर्ष 2021-22 में उधार सुरक्षाओं में कोई कमी यदि कोई हो, जिसे वित्तीय वर्ष 2022-23 को अग्रणीत किया गया हो (डी)	रु.10 करोड़
vi	(डी) की मात्रा, जिसे (सी) द्वारा पूर्ण किया गया हो (ई)	कोई नहीं
vii	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उधार सुरक्षाओं द्वारा अनिवार्य उधार में कोई कमी यदि कोई हो (वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उधार में किसी भी कमी को समायोजित करने पर, जिसे वित्तीय वर्ष 2022-23 अग्रणीत किया गया) (एफ) = (बी) - [(सी) - (ई)] [यदि आकलित मूल्य शून्य हो या धनात्मक हो तो "कोई नहीं" लिखें]	कोई नहीं

5. पूर्व ब्लॉक के संदर्भ में भुगतान किए जानेवाले अर्थदंड के विवरण (सभी आंकड़े रुपए करोड़ों में): कोई नहीं*

*एसईबीआई के दिनांक 31.03.2023 के परिपत्र संदृ एसईबीआई/एचओ/डीडीएचएस/डीडीएचएस-आरएसीपीओडी1/पी/परि/2023/049 जिसमें तीन वर्ष के संलग्न ब्लॉक में विस्तार प्रदान करते हुए (2 वर्ष की वर्तमान आवश्यकता से) 3 वर्ष की ब्लॉक अवधि पर विचार किया गया

ह/-

जयलक्ष्मी श्रीनिवासन

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

संपर्क : jayasrin@kplmail.in

मोबाइल : 9940084454

दिनांक : 09.05.2023

ह/-

सी. एस. वेमन्ना

मुख्य प्रबंधक (वित्त) - सीएफओ (प्रभारी)

संपर्क : vemanna@kplmail.in

मोबाइल : 8754540208



Contribution to Vivekananda Cultural Centre (Ramakrishna Math) towards sponsorship of job oriented training program for 20 underprivileged children



Construction of Panchyat Union Elementary School at Uthandikandigai, Minjur Block



INDIA'S PORT OF THE MILLENNIUM

KAMARAJAR PORT LIMITED

(A Company of Chennai Port Authority)

(Ministry of Ports, Shipping and Waterways - Government of India)



Corporate cum Registered Office :
2nd Floor (North Wing) & 3rd Floor,
Jawahar Building,
No.17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.

Port Office :
Vallur Post, Chennai - 600 120
Phone : 044 - 27950030 - 40
Fax : 044 - 27950002

🌐 website : www.kamarajarport.in
📘 facebook.com/kamarajarport
🐦 Twitter@kamarajarport